य माला, खण्ड १९—अंक १

मंगलवार, १३ अगस्त, १९६३
२२ श्रावण, १८८५ (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

(पांचवां सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १९ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित *प्रश्न संख्या १ से ४ ११ और ५ से ७ . २--२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८ से १० और १२ से ३० . २९--४०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ११९ ४०--९८

निधन सम्बन्धी उल्लेख . ९८

स्थगन प्रस्तावों के बारे में . ९९--१००

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १००--०५

ससदीय समितियां-कार्यवाही सारांश . . . १०५

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . १०५

राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयक सभा पटल पर रखे गये . १०५

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६३-६४ १०६

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६३-६४ १०६

बड़े पत्तन न्यास विधेयक--

१. प्रवर समिति का प्रतिवेदन १०६

२. प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य . १०६

भारत-पाकिस्तान वार्त्ता के बारे में वक्तव्य . १०६--१०

समिति के लिये निर्वाचन--

प्राक्कलन समिति . . . ११०-११

भांडागार निगम (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . १११

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव . १११--१४

अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक ११४--२८

विचार करने का प्रस्ताव . ११४--२८

श्री हजरनवीस ११४-१५

श्री फ्रैंक एंथनी ११५-१६

श्री वासुदेवन नायर ११६

श्री दी० चं० शर्मा ११६-१७

श्री यशपाल सिंह ११७--१९

श्री श्याम लाल सर्राफ ११९-२०

डा० मा० श्री० अणे १२०

श्री व० बा० गांधी १२०

श्री प्रिय गुप्त . . १२१

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी १२१-२२

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड १६—अंक १ से १०—१३ से २६ अगस्त, १६६३/२२ श्रावण से ४ भाद्र १८८५ (शक)]

अंक १—मंगलवार, १३ अगस्त, १६६३/२२ श्रावण, १८८५ (शक)	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	१–२
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
* तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ११ और ५ से ७ .	२—२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ८ से १० और १२ से ३० .	२६—४०
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ११६	४०—६८
निधन संबंधी उल्लेख .	६८
स्थगन प्रस्ताव के बारे में .	६६–१००
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१००—०५
संसदीय समितियां—कार्यवाही सारांश	१०५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	१०५
राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधयक सभा पटल पर रखे गये	१०५
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १६६३–६४ .	१०६
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १६६३–६४ . .	१०६
बड़ पत्तनन्यास विधेयक	
(१) प्रवर समिति का प्रतिवेदन . .	१०६
(२) प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य	१०६
भारत पाकिस्तान वार्ता के बारे में वक्तव्य . .	१०६—१०
समिति के लिये निर्वाचन	
प्राक्कलन समिति . .	११०–११
भांडागार निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	१११
मंत्रि-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव	१११- १४
अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक . .	११४— ८
विचार करने का प्रस्ताव . .	११४—२८
खंड २, ३ और १ .	१२७—२८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१२७

विषय	पृष्ठ
औद्योगिकीय संस्थायें (संशोधन) विधेयक	१२८
विचार करने का प्रस्ताव	१२८–२९, १३४–४१
खंड १ से ७	१४२
पारित करने का प्रस्ताव	१४२
महाप्रशासक विधेयक	१४२—४४
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१४२–१४३
खंड २ से ६४ और १	१४३–४४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
विशिष्ठ सहायता विधेयक	१४४—४७
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१४४
खंड २ से ४४ और १	१४५—४७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१४७
वस्त्र समिति विधेयक	१४७—४९
विचार करने का प्रस्ताव	
कार्य मंत्रणा समिति	
सत्रहवां प्रतिवेदन	१४९
दैनिक संक्षेपिका	१५०—६२

अंक २—बुधवार, १४ अगस्त, १९६३/२३ श्रावण, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१ से ३९	१६३—८७
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४० से ६०	१८८—९९
अतारांकित प्रश्न संख्या १२० से २०९, और २११	१९९—२४१
स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के प्रस्तावों की पूर्व सूचना के बारे में	२४१
वायस आफ अमेरिका के साथ हुए करार के बारे में वक्तव्य	२४१—४६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२४६—४८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
बाईसवां प्रतिवेदन	२४८
लोक-लेखा समिति से राज्य सभा के सदस्य को सम्बद्ध करने के बारे में प्रस्ताव	२४८—४९
कार्य मंत्रणा समिति	
सत्रहवां प्रतिवेदन	२४९—५२

विषय	पृष्ठ
वस्त्र समिति विधेयक .	२५२—६८
विचार करने के बारे में प्रस्ताव .	२५२—६८
खंड २ से २४ और १ . . .	२६४—६८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	२६८
संघ राज्य क्षेत्र नाट्य प्रदर्शन (निरसन) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव .	२६८—७३
खंड २, ३ और १	२७१—७३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२७३
परिसीमन विधेयक	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	२७३—८२
दैनिक संक्षेपिका	२८३—८९
अंक ३—शुक्रवार, १६ अगस्त, १९६३/२५ श्रावण, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१ से ६३ और ६५ से ७२	२९१—३१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४, ७३ से ७४ तथा ८६ से ९०	३१८—२७
अतारांकित प्रश्न संख्या २१२ से २९६	३२७—६५
निधन सम्बन्धी उल्लेख	३६५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचना तथा स्थगन प्रस्ताव के बारे में .	३६६—६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	३६८—७४
भारत चीन सीमा पर चीनी सेनाओं के जमाव के बारे में वक्तव्य	
विधेयक पुरस्थापित . .	३७४—८०
(१) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन—शुल्क (संशोधन) विधेयक .	
(२) सरकारी भृगहादि (अवैधरूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन विधेयक .	३८१
परिसीमन विधेयक	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	३८१—८५
खंड २ से ३२ और १ . .	३८४—८५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव .	३८५
भारतीय उत्प्रवास (संशोधन) विधेयक	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	३८६—९०

विषय	पृष्ठ
खंड २ से १७ और १ .	३८७—८९
पारित करने का प्रस्ताव . . .	३९०
लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उप-कर (संशोधन) विधेयक	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	३९०—९२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
बाईसवां प्रतिवेदन . .	३९२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित . . .	३९२—९४
(१) आनन्द-मार्ग विवाह विधेयक (श्री शशि रंजन का)	
(२) दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक (धारा १५, २९, ३०, आदि का सं० संशोधन) (श्री नवल प्रभाकर का) . .	
(३) दिल्ली आंख की पुतली लगाना विधेयक (श्री नवल प्रभाकर का)	
(४) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ३२४ और ३२६ का संशोधन और नई धारा ३२४-क और ३२६-क का रखा जाना) (श्री च० का० भट्टाचार्य का)	
(५) सरकारी कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद सेवा पर प्रतिबंध) विधेयक (श्री रा० गि० दुबे का)	
पुस्तकों और समाचार पत्रों का दिया जाना (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक (धारा २ का संशोधन) (श्री च० का० भट्टाचार्य का)—अस्वीकृत	
विचार करने का प्रस्ताव	३८४—४००
संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६३ (अनुच्छेद ३६८ का संशोधन) (श्री हरिविष्णु कामत का)	
विचार करने का प्रस्ताव .	४०१—१२
दैनिक संक्षेपिका	४१३—२१
अंक ४—शनिवार, १७ अगस्त, १९६३/२६ श्रावण, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ९१ से ९८	४२३—४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ९९ से १०१ और १०३ से १२०	४४६—६०
अतारांकित प्रश्न संख्या २९८ से ३७९	४६०—५०१
दिनांक २५ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३४० के उत्तर में शुद्धि	५०२
बम्बई की हड़ताल के बारे में	५०२

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना बम्बई नगरपालिका और बिजली संभरण तथा परिवहन उपक्रमों के कर्मचारियों की हड़ताल .	५०३—०९
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५०९—१७
सदस्य द्वारा वक्तव्य . .	५१७—१९
मेसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी के कुछ कारोबार के सम्बन्ध में जस्टिस एस० के० दास द्वारा की गई जांच के बारे में वक्तव्य	५१९
सभा का कार्य	५२४
लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उप-कर (संशोधन) विधेयक	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	५२५—३१
खंड १ और २	५३१
पारित करने का प्रस्ताव	५३१
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६३–६४	५३२—५३
दैनिक संक्षेपिका	५५४—६७

अंक ५—सोमवार, १९ अगस्त, १९६३/२८ श्रावण, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२१ से १२७, १३१, १२८ और १२९ . .	५६९—९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३० और १३२ से १४९ . .	५९२—६०२
अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ४६५ . . .	६०२—४५
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	६४५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना बम्बई में पत्तन तथा गोदी मजदूरों की कथित हड़ताल . .	६४५—५१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६५१–५२
राज्य सभा से सन्देश	६५२
भारतीय वायुसेना को रडार उपकरण देने के बारे में अमरीका और ब्रिटेन के साथ हुए समझौते के बारे में वक्तव्य . . .	६५२—५५
विनियोग (संख्या ४) विधेयक—पुरास्थापित .	६५५
मंत्रि-परिषद अविश्वास का प्रस्ताव	६५६—८६
दैनिक संक्षेपिका . . .	६८७—९३

विषय	पृष्ठ
अंक ६—मंगलवार, २० अगस्त, १९६३/२९ श्रावण, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५० से १५४ और १५६	६९५—७१७
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५ और १५७ से १७९	७१७—२९
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६६ से ५७६ . .	७२९—८७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	७८७—९२
दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की कम सप्लाई	७८७—८८
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	७८९
स्थगन प्रस्ताव बारे में	७९०—९२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	७९२
याचिकाओं का उपस्थापन . .	७९३
विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६३—पारित	७९३
मंत्रि-परिषद में अविश्वस का प्रस्ताव	७९३—८२४
दैनिक संक्षेपिका .	८२५—३१
अंक ७—बुधवार, २१ अगस्त, १९६३/३० श्रावण, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १८० से १८६ . .	८३३—५७
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १८७ से २०९ . .	८५७—६९
अतारांकित प्रश्न संख्या ५७७ से ६८० .	८६९—९१५
ध्यान दिलाने के प्रस्ताव की पूर्व सूचना के बारे में .	९१६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
(१) गोहाटी के निकट पुलिस स्टोरेज मैगजीन में विस्फोट .	९१६—१८
(२) बम्बई में हड़ताल की स्थिति . . .	९१८—२०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९२०—२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
तेईसवां प्रतिवेदन . .	९२१
मंत्रि-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव . .	९२१—७८
दैनिक संक्षेपिका	९७९—८५

विषय	पृष्ठ
अंक ८—गुरुवार, २२ अगस्त, १९६३/३१ श्रावण, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या २१० से २१६ .	९८७—१०११
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २३९	१०११—२४
अतारांकित प्रश्न संख्या ६८१ से ६८३, ६८५ से ७२८ और ७३० से ७४१	१०२४—५५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	१०५५
आसाम के लाटीटीला क्षेत्र में पाकिस्तानी झण्डा फहराये जाने की कथित घटना . . .	१०५५
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१०५५—६१
मंत्रि-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव	१०६१—११०१
दैनिक संक्षेपिका	११०२—०९
अंक ९—शुक्रवार, २३ अगस्त, १९६३/१ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या २४० से २४३ और २४५ से २५२	१११९—३७
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या २४४ और २५३ से २६९ .	११३८—४७
अतारांकित प्रश्न संख्या ७४३ से ८०० और ८०२ से ८२२	११४७—८३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	११८३—८५
उत्तर प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों को ढलवें लोहे का अपर्याप्त संभरण	
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	११८५–८६
विधेयक पर राय . .	११८६
सभा का कार्य	११८६–८७
व्यक्तिगत चोट (प्रतिकर बीमा) विधेयक, पुरस्थापित	११८७–८८
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६३–६४ . . .	११८८—९८
भाण्डागार निगम (संशोधन), विधेयक	११९८–१२०३
विचार करने का प्रस्ताव . .	१२०३
खंड २ और १ . . .	१२०३
पारित करने का प्रस्ताव . . .	१२०३
सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (संशोधन) विधेयक	१२०४–०५
विचार करने का प्रस्ताव	१२०४–०५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति .	१२०५–०६
तेईसवां प्रतिवेदन . .	१२०५–०६

विषय	पृष्ठ
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प .	१२०६—२९
दैनिक संक्षेपिका	१२३०—३५
अंक १०—सोमवार २६ अगस्त, १९६३/४ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७० से २७२, २९६ और २७३ से २७६ . .	१२३७—५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७७ से २९५; २९८ और २९९ .	१२६०—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या ८२३ से ९०६ . .	१२७०—१३०८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
आसाम के लाटीटीला क्षत्र में पाकिस्तानी झंडा फहराया जाना और पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना .	१३०८
सभा पटल पर रख गये पत्र . .	१३०८—०९
राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक—	
सभा-पटल पर रख गये पत्र . . .	१३०९
याचिका का उपस्थापन . . .	१३०९
गाजियाबाद के किसानों की भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में	१३०९—११
उपभोक्ता व्यय सम्बन्धी आंकड़ों के गारे में वक्तव्य .	१३११—१३
विनियोग (रेलव) संख्या ५ विधेयक, १९६३—पुरःस्थापित .	१३१४
सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शल्क (संशोधन विधेयक)	१३१४—१८
विचार करने का प्रस्ताव .	१३१४
खंड २, ३ और १	१३१७
पारित करने का प्रस्ताव	१३१७—१८
बड़े पत्तन न्यास विधेयक—	१३१८—३१
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में,	१३१८
विचार करने का प्रस्ताव	१३१८
खंड २ से १३४ और १ .	१३२६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१३२६—३१
व्यक्तिगत चोट (प्रतिकर बीमा) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१३३१
भारत के राज्य व्यापार निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	१३३२—५६
दैनिक संक्षेपिका	१३५७—६३

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—1c40 (Ai) LSD—25-9-63—160.

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकिनीडु, श्री (गुडिवाडा)

अंजनप्पा, श्री (नेल्लोर)

अकम्मा देवी, श्रीमती (नीलगिरी)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अच्युतन, श्री (मावेलिक्करा)

अणे डा० मा० श्री (नागपुर)

अब्दुर्रशीद बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल वहीद, श्री (बैल्लोर)

अरुणाचलम् श्री (रामनाथपुरम)

अलगेशन, श्री (चिंगलपट)

आ

आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)

आल्वा, श्री अ० शंकर (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकिम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फिरोजपुर)

इम्बीचिबावा, श्री इजूकुढेक्कल (पोन्नाणि)

इलयापेरूमाल, श्री (तिरुकोइलूर)

इलयास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

इसमाइल, श्री मु (मंजेरी)

उ

उइके, श्री मं० गं० (मंडला)

उटिया, श्री (शहडोल)

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवां)

उमानाथ, श्री (पट्टकोट्टई)

उल्लाका, श्री रामचन्द्र (कोरापुट)

820(Ai) LSD—1

ए

एंथनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय)

एरिंग, श्री डा० (नामनिदशित—उत्तर-पूर्व सीमांत प्रदेश)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (सुरेन्द्र नगर)

क

कक्कड़, श्री गौरीशंकर (फतेहपुर)

कछवाय, श्री हुक्मचन्द (देवास)

कजरोलकर, श्री सादोबानारायण (बम्बई मध्य)

कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)

कड़ाड़ी, श्री मांदे पा बंदप्पा (शोलापुर)

कनकसबै, श्री (चिंदाबरम्)

कन्डप्पन, श्री (तिरुचेंगोड)

कपूर सिंह, श्री (लुधियाना)

कबिर, श्री हुमायून् (बसिरहाट)

कयाल, श्री परेशनाथ (जयनगर)

करुथिरमण, श्री (गोबीचेट्टिपलयम)

कर्णीसिंह जी, हिज हाइनेस महाराजा श्री बीकानेर के (बीकानेर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)

कामले, श्री तु० द० (लातूर)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

किन्दर लाल, श्री (हरदोई)

किशनवीर, श्री (सतारा)

किशिंग, श्री रिशांग (बाह्य मनीपुर)

कुन्हन, श्री प० (पालघाट)

कुमारन, श्री मे० क० (चिरयिन्कील)

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली)

कृपा शंकर, श्री (डुमरिया ंज)

कृपालानी, श्री (अमरोहा)

कृष्ण, श्री मं० रं० (पेद्दपल्लि)

क—क्रमशः

कृष्णपालसिंह, श्री (जलेसर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (त्रिचेंदूर)
केदरिया, श्री छ० मं० (मांडवी)
केप्पन, श्री चेरियन (मुवात्तुपुजा)
केसर लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
कोया, श्री (कोजीकोड)
कोलाको, डा (गोआ; दमन और दीव)
कोहोर, श्री (फूलबनी)
कोजलगी, श्री हे० वी० (बेलगांव)

ख

खन्ना, श्री प्रेम किशन (कायमगंज)
खन्ना, श्री मेहर चन्द (नई दिल्ली)
खां, श्री उस्मान अली (अनन्तपुर)
खां, डा० पुणेन्दनारायण (उलुबेरिया)
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)
खाडिलकर, श्री र० के० (खेड)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गजराज सिंह राव, श्री (गुड़गांव)
गणपति राम, श्री (मछलीशहर)
ग्यासुद्दीन अहमद, श्री (धुबरी)
गहमरी, श्री शिवनाथ सिंह (गाजीपुर)
गांधी, श्री व० बा० (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)
गांयतोंडे, डा० (गोआ, दमन और दीव)
गायत्रीदेवी, श्रीमती (जयपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता–दक्षिण पश्चिम)
गुप्त, श्री काशीराम (अलवर)
गुप्त, श्री प्रिय (कटिहार)
गुप्त, श्री बादशाह (मैनपुरी)
गुप्त, श्री रामरतन (गोंडा)
गुप्त, श्री शिवचरण, (दिल्ली सदर)

ग—क्रमशः

गुलशन, श्री धन्नासिंह (भटिंडा)
गुह, श्री अ० चं० (बारसाट)
गोकरन प्रसाद, श्री (मिसरिख)
गोनी, श्री अब्दुल गनी (जम्मू तथा काश्मीर)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोंडार, श्री मुत्तु (तिरपतूर)

घ

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री न० रं० (जलपाईगडी)
घोष, श्री प्र० कु० (रांची—पूर्व)

च

चक्रवर्ती, श्री प्र० रं० (धनबाद)
चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बैरकपुर)
चटर्जी, श्री ह० प० (नवद्वीप)
चतरसिंह, श्री (चम्बा)
चतुर्वेदी, श्री श० ना० (फिरोजाबाद)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्रशेखर, श्रीमती म० (मयूरम)
चन्द्रिकी, श्री जगन्नाथराव (रायचूर)
चव्हाण, श्री रा० रा० (करोड़)
चांडक, श्री मी० ल० (छिंदवाड़ा)
चावदा, श्रीमती, जोहराबेन (वनस्कंठा)
चुन्नीलाल, श्री (अम्बाला)
चौधरी, श्रीमती कमला, (हापुड़)
चौधरी, श्री चन्द्रमणिलाल (महुआ)
चौधरी, श्री त्रिदिव कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा)
चौधरी, श्री युद्धवीर सिंह (महेन्द्रगढ़)
चौधरी, श्री सचिन्द्रनाथ (घाटल)

ज

जगजीवन राम, श्री (ससराम)
जगन्नाथ रावश्री (गेरगंपुर)

ज—क्रमशः

जमीर, श्री स० चुबातोशी (नामनिर्देशित—नागा पहाड़ी त्वेनसांग क्षेत्र)
जमुना देवी, श्रीमती (झबुआ)
जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम)
जयरामन, श्री (वांडीवाश)
जाधव, श्री तुलशीदास (नांदेड़)
जाधव, श्री माधवराव लक्ष्मणराव (मालेगांव)
जेधे, श्री गुलाबराव केशवराव (बारामती)
जेना, श्री कान्हूचरण (भद्रक)
जैन, श्री अजित प्रसाद (तुमकुर)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (सीधी)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (बलरामपुर)
ज्योति स्वरूप, श्री (हाथरस)
ज्योतिषी, श्री ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झा, श्री जोगेन्द्र (मधुबनी)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ड

डे, श्री सु० कु० (नागौर)

ढ

ढेबर, श्री उ० न० (राजकोट)

त

तनसिंह श्री (बाड़मेर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री (कोलार)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार)
तिवारी, श्री कमलनाथ (बगहा)
तिवारी, श्री द्वारकानाथ (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामसहाय (खजुराहो)
तुला राम, श्री (घाटमपुर)

त—क्रमशः

तेंवर, श्री उ० मुथुरमालिंग (अरुप्पुकोट्टई)
तेवर, श्री बरोना (पंजानूर)
त्यागी, श्री म०ाबीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री कृष्ण देव (उन्नाव)
त्रिवेदी, श्री उ० मू० (मंदसौर)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम्)
थेनगोंडर, श्री (नागपट्टिनम्)

द

दप्फले, श्री (मिरज)
दलजीत सिंह, श्री (उना)
दशरथ देव, श्री (त्रिपुरा—पूर्व)
दाजी, श्री होमी (इन्दौर)
दास, श्री (तिरुपति)
दास, श्री नगम तारा (जमुई)
दास, श्री बसन्त कुमार, (कंटाई)
दास, डा० मनमोहन (औग्रासम)
दास, श्री सुधांशु (डायमन्ड हार्बर)
दासप्पा, श्री (बगलौर)
दिगे, श्री भास्कर नारायण (कोलाबा)
दिनेश सिंह, श्री (सालोन)
दीक्षित, श्री गो० ना० (इटावा)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारीलाल (बीजापुर—उत्तर)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देव, श्री विजयभूषण (रायगढ़)
देवभंज, श्री पू० चं० (भुवनेश्वर)
देशपांडे, श्री गोविन्दहरि (नासिक)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री भा० दा० (औरंगाबाद)
देशमुख, श्री शिवाजीराव शंकरराव (परभणी)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धर्मलिंगम, श्री र० (तिरुवन्नामलाई)

धवन श्री (लखनऊ)

धुलेश्वर, मीना, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सनरकंठा)

नम्बियार, श्री आनन्द (तिरुचिरापल्लि)

नल्लाकोया, श्री (नामनिर्देशित लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह)

नाथपाई, श्री (राजापुर)

नायक, श्री दे० जी० (पंचमहल)

नायक, श्री महेश्वर (मयूरगंज)

नायक, श्री मोहन (भंजनगर)

नायडू, श्री ब० गोविन्दस्वामी (तिरुवल्लूर)

नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)

नायर, श्री वासुदेवन (अम्बलपुजा)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नास्कर, श्री पू० शे० (मथुरापुर)

निगम, श्रीमती सावित्री (बांदा)

निरंजन लाल, श्री (नाम निर्देशित—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह)

नेसामनी, श्री (नागरकोइल)

नेहरू, श्री जवाहर लाल (फूलपुर)

प

पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र, (नैनीताल)

पटनायक, श्री किशन (सम्बलपुर)

पटनायक, श्री वैष्णव चरण (ढेंकानाल)

पटेल, श्री छोटूभाई (भड़ौंच)

पटेल, श्री नानूभाई नि० (बुलसार)

पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास र० (पाटन)

पटेल, श्री मान सिंह पृ० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)

पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)

पन्नालाल, श्री (अकबरपुर)

प—क्रमशः

परमशिवन, श्री स० क० (इरोड)

पराधी, श्री भोलाराम (बालाघाट)

पांड, श्री काशीनाथ (हाता)

पाटिल, श्री जु० शं० (जलगांव)

पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)

पाटिल, श्री देवराम शिवराम (यवतमाल)

पाटिल, श्री मा० म० (रामटेक)

पाटिल, श्री बसन्तराव (चिकोड़ी)

पाटिल, श्री वि० तु० (कोल्हापुर)

पाटिल, श्री स० ब० (बीजापुर—दक्षिण)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई—दक्षिण)

पाण्डय, श्री रा० शि० (गुना)

पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)

पाण्डेय, श्री सरजू थेरसड़ा)

पाराशर, श्री (शिवपुरी)

पालीवाल, श्री टीका राम (हिंडौन)

पिल्ले, श्री नटराज (त्रिवेन्द्रम)

पुरी, श्री दे० दे० (कैथल)

पृथ्वीराज, श्री (दौसा)

पोट्टेकाट्ट, श्री (टेलीचेरी)

प्रताप सिंह, श्री (सिरमूर)

प्रभाकर, श्री नवल (दिल्ली—करौलबाग)

फ

फिरोडिया, श्री मोतीलाल कुन्दन मल (अहमदनगर)

ब

बजाज, श्री कमल नयन (वर्धा)

बटेश्वर सिंह, श्री (गिरडीह)

बड़कटकी, श्रीमती रेणुका देवी (बारपेटा)

बड़े, श्री राम चन्द्र (खरगोन)

बद्रुद्दुजा, श्री (मर्शिदाबाद)

बनर्जी, डा० रा० (बांकुरा)

बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)

ब

बरुग्रा, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)

बरुग्रा, श्री राजेन्द्र नाथ (जोरहाट)

बरुग्रा, श्री हेम (गोहाटी)

बसन्त कुमारी, श्रीमती (कैसरगंज)

बसु, श्री गु० (बर्दवान)

बसवन्त, श्री सोनूभाई दगड़ (थाना)

बसुमतारी, श्री ध० ग्वालपाड़ा)

बाकलीवाल, श्री (दुग)

बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)

बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)

बाल कृष्ण सिंह, श्री (चन्दौली)

बालकृष्णन, श्री (कोलपट्टी)

बाल्मीकी, श्री क० ला० (खुर्जा)

बासप्पा, श्री (तिपतुर)

बिष्ट, श्री ज० ब० सिंह (ग्रल्मोड़ा)

बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा–पश्चिम)

बूटा सिंह, श्री (मोगा)

बृजवासी लाल, श्री (फैजाबाद)

बृजराज सिंह, श्री (बरेली)

बृजराज सिंह, महाज कुमार (झालवाड़)

बेसरा, श्री स० चं० (चंमका)

बेरवा, श्री ग्रोंकार लाल (कोटा)

बेरो, श्री (नाम निर्देशित ग्रांग्ल-भारतीय)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्मप्रकाश, चौधरी (बाह्य दिल्ली)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मीनारायण (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री बलीराम (शाहाबाद)

भगवती, श्री वि० चं० (दयांग)

भ

भटकर, श्री लक्ष्मणराव श्रवनजी, (खाम गांव)

भट्टाचार्य, श्री च० का (रायगंज)

भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सेंरामपुर)

भवानी, श्री लखमू (बस्तर)

भानुप्रका सिंह, श्री (रायगढ़)

भार्गव, पंडित मु० बि० ला० (अजमेर)

भील, श्री प० ह० (दोहद)

म

मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)

मंडल, डा० प० (विष्णुपुर)

मडल, श्री भूपेन्द्र नारायण (सहरसा)

मंडल, श्री य० प्र० (जयनगर)

मन्त्री, श्री द्वारका दास (भीर)

मच्छराजू, श्री प० (नरसीपटनम)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

मणिर्यागाडन, श्री (कोट्टयम)

मनेन, श्री (दार्जिलिंग)

मनोहरन, श्री (मद्रास–दक्षिण)

मरडी, श्री ईश्वर (राजमहल)

मरुथैया श्री (मेलूर)

मलाइछामी, श्री (पेरियाकुलम)

मलिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर)

मल्लया, श्री उ० श्री० (उदीपी)

मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)

मसानी, श्री मी० रु० (राजकोट)

मसुरिया, दीन, श्री (चैल)

महताब, श्री हरे कृष्ण, (अंगुल)

महतो, श्री भजहरि (पुरुलिया)

महन्ती, श्री गोकुलचन्द (बालासोर)

महादेव प्रसाद, डा० (महाराजगंज)

महादेव प्रसाद, श्री (बांसगांव)

म—क्रमशः

महानन्द, श्री ऋषिकेश (बोलनगीर)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़—उत्तर)
महीड़ा, श्री नरेन्द्र सिंह (आनन्द)
माते, श्री कुरे (टीकमगढ़)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (जालोर)
मालवीय, श्री के० दे० (बस्ती)
मिनीमाता, श्रीमती आगमदास गुरु (बालोदा बाजार)
मिर्जा, श्री बाकर अली (वारंगल)
मिश्र, डा० उदयकर (जमशेदपुर)
मिश्र, श्री बिबुधेन्द्र (पुरी)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगुसराय)
मिश्र, श्री महेश दत्त (खंडवा)
मिश्र, श्री विभूति, (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामधर (मिरजापुर)
मुन्नी, श्री डेविड (लोहरगा)
मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रत्नगिरि)
मुकर्जी, श्री ही० ना० (कलकत्ता—मध्य)
मुकाने, श्री यशवन्त राव मार्तण्डराव (भिवण्डि)
मुज्जफर हुसेन, श्री (मुरादाबाद)
मुथिया, श्री (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री सरकार (बुलूरघाट)
मुरली, मनोहर, श्री (बलिया)
मुरारका, श्री (झुंझनू)
मुसाफिर, श्री गुरुमुखसिंह (अमृतसर)
मुहम्मद इस्माइल, श्री (मंजेरी)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० सू० (अमालपुरम्)
मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्ली)
मेनन, श्री कृष्ण (बम्बई–उत्तर)
मेनन, श्री प० गो० (मुकुन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)
मेहता, श्री ज० रा० (पाली)
मेहता, श्री जसवन्त (भावनगर)
मेंहदी ,श्री स० अ० (रामपुर)

मेहरोत्रा, श्री ब्र० वि० (बिल्हौर)

मैंगी, श्री गोपालदत्त (जम्मू तथा काश्मीर)

मैमूना सुल्तान, श्रीमती (भोपाल)

मोरे, डा० कृ० ल० (हुतंकगले)

मोरे, श्री शं० शां० (पूना)

मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)

मोहसिन, श्री (धारवाड़–दक्षिण)

मौर्य, श्री बु० प्रि० (अलीगढ़)

य

यशपालसिंह, श्री (कैराना)

याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)

यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)

यादव, श्री भीष्म प्रसाद (केसरिया)

यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

यादव, श्री राम हरख (आजमगढ़)

यूसुफ, श्री मोहम्मद (सीवन)

र

रंगा, श्री (चित्तूर)

रंगा राव, श्री र० वे० गो० कृ० (चीपुरुपल्लि)

रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)

रघुरमैया, श्री को० (गुंटूर)

रणंजय सिंह, श्री (मुसाफिरखाना)

रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)

रतनलाल, श्री (बंसवारा)

रहमान, श्री मु० हि० (अमरोहा)

राउत, श्री भोला (बेतिया)

राघवन, श्री अ० ब० (बडागरा)

राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)

राज बहादुर, श्री (भरतपुर)

राजा, चित्तरंजन (जूनागढ़)

राजाराम, श्री (कृष्णगिरि)

राजू, श्री द० बलराम (नरसापुर)

राजू, श्री द० स० (राजामंडी)*

राज्यलक्ष्मी, श्रीमती ललिता (औरंगाबाद)

र—क्रमशः

राणे, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)
राम, श्री तु० (सोनवरसा)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (कोयम्बटूर)
रामधनी दास, श्री (नवादा)
रामनाथन चेट्टियार, श्री (करूर)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)
रामभद्रन, श्री (कडलूर)
राम सिंह, श्री (बहराइच)
राम सुभग सिंह, डा० (विक्रमगंज)
रामसेवक, श्री (जालोन)
रामस्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
रामस्वामी, श्री ब० क० (नामक्कल)
रामस्वामी, श्री सें० वें० (सलम)
रामेश्वरानन्द, श्री (करनाल)
राय, श्रीमती रेणुका (माल्दा)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (दमोह)
राय, डा० सारादीश (कटवा)
राव, श्री ई० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, श्री कु० ल० (विजयावाड़ा)
राव, श्री स० वा० कृष्णमूर्ति (शिमोगा)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री मुत्याल (महबूबनगर)
राव, श्री रमापति (करीमनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री ज० रामेश्वर (गढ़वाल)
राव, श्री हनुमन्त (मेदक)
रावनदले, श्री (धूलिया)
रेड्डियार, श्री वेंकटसुब्बा (तिन्डीवरम्)
रेड्डी, श्री ये० ईश्वर (कड़पा)
रेड्डी, श्री क० च० (चिकबलापुर)
रेड्डी, श्री नरसिम्हा (राजमपेट)
रेड्डी, श्री ग० नारायण (आदिलाबाद)

र—क्रमशः

रेड्डी, डा० बे० गोपाल (काबलि)
रेड्डी, श्री यलमन्दा (मारकापुर)
रेड्डी, श्रीमती यशोदा (करनूल)
रेड्डी, श्री र० ना० (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री रामकृष्ण (हिन्दपुर)

ल

लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती (खम्मम)
लक्ष्मी दास, श्री (मिरयालगुडा)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती संगम (विकाराबाद)
ललितसेन, श्री (मण्डी)
लहरी सिंह, श्री (रोहतक)
लाखन दास, चौधरी (शाहजहांपुर)
लास्कर, श्री नीहार रंजन, (करीमगंज)
लोनीकर, श्री रा० ना० (जालना)
लोहिया, डा० राम मनोहर (फर्रुखाबाद)

व

वर्मा, श्री कुं० कृ० (सुल्तानपुर)
वर्मा, श्री बारगोबिन्द (खेरी)
वर्मा, श्री मा० ला० (चित्तौड़गढ़)
वर्मा, श्री रवीन्द्र (तिरुवल्ला)
वर्मा, श्री सूरज लाल (सीतापुर)
वाडीबा, श्री (स्योनी)
वारियर, श्री कृ० क० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेद (नानदरबार)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (गोंडिया)
विजयनन्द महाराज कुमार, (विशाखापटनम)
विजयराजे, कुंवरानी (छतरा)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (होशियारपुर)
विमला देवी, श्रीमती (एलुरू)
विश्राम प्रसाद, श्री (लालगंज)
वीराप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरबासप्पा, श्री (चित्रदुर्ग)

वीरभद्र सिंह, श्री (महासू)
वीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्द गांव)
वेंकटा सुबैया, श्री पेंदे कान्ति (अडोनी)
वेंकैया, श्री कोल्ला (तेनालि)
वैश्य, श्री मलचन्द्र भूदरदास (साबरमती)
व्यास, श्री राघेलाल (उज्जैन)

शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तलादेवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)
शर्मा, श्री अ० प्र० (बक्सर)
शर्मा, श्री कृ० चं० (सरधना)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरुदासपुर)
शशांक मंजरी, श्रीमती (पालामऊ)
शशिरंजन, श्री (पपरी)
शाम नाथ, श्री (दिल्ली–चांदनी चौक)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (बिजनौर)
शास्त्री, श्री रामानन्द (रामसंचीघाट)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शाह, श्रीमती जियाबैन (अमरेली)
शाह, श्री मनुभाई (जामनगर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
शिन्दे, श्री अन्ना साहेब (कोपरगांव)
शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)
शिव नारायण, श्री (बांसी)
शिवशंकरन, श्री (पेरुमबुदुर)
श्यामशाह, श्री (चांदा)
श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)
श्रीनिवासन, डा० (मद्रास–उत्तर)
श्रीमाली, डा० का० ला० (भीलवाड़ा)
श्यामकुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर)

संजी, रूपजी श्री (नामनिर्देशित––दादरा नगर हवेली)

सत्यनारायण, श्री सिद्दिका (पार्वतीपुरम)

सत्य भामा देवी, श्रीमती (जहानाबाद)

समनानी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

सर्राफ़, श्री श्याम लाल (जम्मू तथा काश्मीर)

सहगल, श्री अ० सिं० (जंजीगीर)

साधुराम, श्री (फिल्लौर–अनुसूचित जातियां)

सामन्त, श्री स० चं० (तामलुक)

साहा, डा० शिशिर कुमार (बीरभूम)

साहू, डा० र मेश्वर (रीसरा)

सिंघवी, डा० लक्ष्मीमल्ल (जोधपुर)

सिंधया, श्रीमती विजयराजे (ग्वालियर)

सिंह, श्री अजित प्रताप (प्रतापगढ़)

सिंह, श्री कृ० का० (महाराजगंज)

सिंह, श्री गोविन्द कुमार (मिदनापुर)

सिंह, श्री जय बहादुर (घोसी)

सिंह, श्री दिग्बिजय नारायण (मुजफ्फरपुर)

सिंह, डा० ब० ना० (हजारीबाग)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)

सिंह, श्री युवराजदत्त (शाहाबाद)

सिंह, श्री यो० ना० (सुन्दरगढ़)

सिंह, श्री रामशेखर प्रसाद (छपरा)

सिंह, श्री स० टो० (आन्तरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिद्धय्या, श्री (चामराजनगर)

सिद्धनजप्पा, श्री (हसन)

सिद्धान्ती, श्री जगदेव सिंह (झज्जर)

सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्रीमती राजदुलारी (पटना)

सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर ––अनुसूचित जातियां)

स—क्रमशः

सुब्बारामन्, श्री (मदुरै)
सुब्रह्मण्यम्, श्री चि० (पोल्लाची)
सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)
सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्य प्रसाद, श्री (भिंड)
सेझियान, श्री ईरा (पैरम्बलूर)
सेठ, श्री विशनचन्द्र (एटा)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम)
सेन, श्री फणिगोपाल (पूर्निया)
सेन, डा० रानेन (कलकत्ता—पूर्व)
सोनावने, श्री (पंढ़रपुर)
सोलंकी, श्री प्रवीणसिंह नटवरसिंह (कैरा)
सौंदरम, श्रीमती रामचन्द्रन (डिढ़ियल)
सोय, श्री हरिचरण (सिंहभूम)
स्वर्ण सिंह, श्री (जलन्धर)
स्वामी, श्री मंडलावेंकट (मसुलीपटनम)
स्वामी, श्री म० न० (ओंगोल)
स्वामी, श्री म० प० (टंकासी)
स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कोप्पल)
स्वैल, श्री ज० गिं० (आसाम—स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (झाड़ग्राम)
हक, श्री मु० मो० (अकोला)
हजरनवीस, श्री रं० म० (भंडारा)
हजारिका, श्री जो० ना० (डिब्रूगढ़)
हनुमन्तैया, श्री (बंगलौर नगर)
हरवानी, श्री अन्सार (बिसौली)
हिम्मतसिंहका, श्री प्रभुदयाल (गोड्डा)
हिम्मतसिंह जी, श्री (कच्छ)
हुक्मसिंह, सरदार (पटियाला)
हेडा, श्री (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

उपाध्यक्ष

श्री कृष्णमूर्त्ति राव

सभापति तालिका

१. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
२. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी
३. श्री तिरुमल राव
४. श्री खाडिलकर
५. डा० सरोजिनी महिषी

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

१. सरदार हुक्म सिंह—सभापति
२. श्री कृष्णमूर्त्ति राव
३. श्री फ्रैंक एन्थनी
४. श्री रामचन्द्र विट्ठल बड़े
५. श्री विभूति मिश्र
६. श्री प्रिय गुप्त
७. सरदार कपूर सिंह
८. श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा :
९. श्री महेश्वर नायक
१०. श्री आनन्द नम्बियार
११. श्री पुरुषोत्तम दास र० पटेल
१२. श्री शिवराम रंगो राने
१३. श्री सत्यनारायण सिंह
१४ श्री सिंहासन सिंह
१५. श्री सुब्बारायन

विशेषाधिकार समिति

१. श्री कृष्णमूर्ति राव—सभापत्ति
२. श्री बजराज सिंह
३. श्री सचीन्द्र चौधरी
४. श्री गो० ना० दीक्षित
५. श्री हेम बरुआ
६. पंडित ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी
७. सरदार कपूर सिंह
८. श्रीमती संगम लक्ष्मीबाई
९. श्री हरिश्चन्द्र माथुर
१०. श्री ही० ना० मुकर्जी
११. श्री महेश्वर नायक
१२. श्री शिवराम रंगो राने
१३. श्री अशोक कु० सेन
१४. श्री सत्यनारायण सिंह
१५. श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

१. श्री र० के० खाडिल्कर—सभापति
२. श्री अजंनप्पा
३. श्री बटेश्वर सिंह
४. श्री ओंकार लाल बेरवा
५. श्री तुलशीदास जाधव
६. श्री योगेन्द्र झा
७. श्रीमती सुभद्रा जोशी
८. श्री लीलाधर कटकी
९. श्री प० कुन्न
१०. श्री यमुना प्रसाद मण्डल
११. श्री धुलेश्वर मीना
१२. श्री मानसिंह पू० पटेल
१३. श्री रामभद्रन्

१४. श्री शिवनंजप्पा

१५. श्री अब्दुल वहीद

प्राक्कलन समिति (१९६३-४)

१. श्री अरुण चन्द्र गुह—सभापति

२. श्री जोकीम आल्वा

३. श्री ध० बसुमतारी

४. श्री ब्रजराज सिंह

५. श्री श्रीनारायण दास

६. हिज हाईनेस महाराजा प्रताप केसरी देव

७. श्रीमती गंगादेवी

८. श्री अ० क० गोपालन

९. श्री सुबोध हंसदा

१०. श्री कान्हू चरण जेना

११. श्री योगेन्द्र, झा

१२. श्री आनन्द चन्द्र जोशी

१३. श्री मलाइछामी

१४. ले० क० हिज हाईनेस महाराजा मानवेन्द्र शाह आफ टिहरी गढ़वाल

१५. श्री बाकर अली मिर्जा

१६. श्री कृ० ला० मोरे

१७. श्री शंकर राव शान्ता राम मोरे

१८. श्री दे० जो० नायक

१९. श्री० नं० श्रीकान्तन नायर

२०. श्री वासुदेवन नायर

२१. श्री टीकाराम पालीवाल

२२. श्री नवल प्रभाकर

२३. श्री राजाराम

२४.

२५. श्री विश्वनाथ राव

२६. श्री रामेश्वर साहू

२७. श्री दीवान चन्द शर्मा

२८. श्री हरि चरण सोम

२९. श्री टैकुर सुब्रह्मण्यम

३०. श्री वाडीवा

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

१. श्री मुरारका—सभापति
२. श्री बालकृष्णन्
३. सरदार बूटा सिंह
४. श्रीमती जोहराबेन चावदा
५. श्री मधु गोंडर
६. श्री शिव चरण गुप्त
७. श्री पी० एस० नटराज पिल्ले
८. श्री यलमन्दा रेड्डी
९. श्री साधू राम
१०. श्री सिद्धनंजप्पा
११. श्री अजित प्रताप सिंह
१२. श्रीमती राम दुलारी सिन्हा
१३. श्री सुमत प्रसाद
१४. श्री शिवमूर्ति स्वामी
१५. श्री रामचन्द्र उलाका

याचिका समिति

१. श्री तिरुमल राव—सभापति
२. श्री क० ला० बाल्मीकी
३. श्रीमती जोहराबेन चावदा
४. श्री चुन्नीलाल
५. श्रीमती गायत्री देवी
६. श्री जो० ना० हजारिका
७. श्री नारायण सदोबा कजरोलकर
८. श्री मुथिया
९. श्री वासुदेवन नायर
१०. श्री स० व० पाटिल
११. श्री रामेश्वरानन्द
१२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री
१३. श्री हरि चरण सोम
१४. श्री राम सहाय तिवारी
१५. श्री भीष्म प्रसाद यादव

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

१. श्री कृष्णमूर्त्ति राव—सभापति
२. श्री अ० शंकर अाल्वा
३. श्री स० मो० बनर्जी
४. श्री प्रिय गुप्त
५. श्री अन्सार हरवानी
६. श्री हेम राज
७. श्री तुलशीदास जाधव
८. डा० प० मण्डल
९. श्री मुथिया
१०. श्री काशीनाथ पांडे
११. श्रीमती सहोदराबाई राय
१२. श्री दिग्विजय नारायण सिंह
१३. श्री प्रवीणसिंह नटवरसिंह सोलंकी
१४. श्री उमानाथ
१५. श्री राम सेवक यादव

लोक-लेखा समिति (१९६३-६४)

लोक-सभा

१. श्री महावीर त्यागी—सभापति
२. श्री रामचन्द्र विट्ठल बड़े
३. श्री बालकृष्णन्
४. श्री भक्त दर्शन
५. श्री फतहसिंह राव प्रतापसिंह राव गायकवाड़
६. श्री गजराजसिंह राव
७. सरदार कपूर सिंह
८. श्री र० के० खाडिलकर
९. श्रीमती मैमूना सुल्तान
१०. श्री मथुरा प्रसाद मिश्र
११. डा० रानेन सेन
१२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री
१३. श्री रवीन्द्र वर्मा
१४. श्री पें० वैंकटासुब्बया
१५. श्री विश्राम प्रसाद

राज्य सभा

१६. श्रीमती के० भारती
१७. श्री नवाब सिंह चौहान
१८. श्रीमती माया देवी छेत्तरी
१९. श्री बी० डी० खोवारगाडे
२०. श्री दयाभाई वी० पटेल
२१. श्री एस० डी० पाटिल
२२. श्री सादिक अली

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

१. श्री कृष्णमूर्ति राव—सभापति
२. श्री भगवत झा आज़ाद
३. श्री रामचन्द्र विट्ठल बड़े
४. श्री सचीन्द्र चौधरी
५. श्री होमी दाजी
६. श्री म० म० हक़
७. श्री हरिश्चन्द्र हेडा
८. श्री गौरी शंकर कक्कड
९. श्री मुरारका
१०. श्री नरसिन्हा रेड्डी
११. श्री सिद्धनंजप्पा
१२. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी
१३. श्री म० प० स्वामी
१४. श्री महावीर त्यागी
१५. श्री वाडीवा

आवास समिति

१. श्री कृष्णमूर्ति राव—सभापति
२. श्री पन्नालाल बारूपाल
३. श्री भक्त दर्शन
४. श्री सुबी हंसदा
५. श्री लहरी सिंह
६. श्री बाकर अली मिर्जा
७. श्री मोहन स्वरूप

८. श्री वासुदेवन् नायर

९. श्री परमशिवन

१०. श्री राजेश्वर पटेल

११. श्री व० क० रामस्वामी

१२. श्रीमती रेणुका राय

१३. श्री प्रवीणसिंह नटवरसिंह सोलंकी

लाभ पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

१. श्री गो० ना० दीक्षित—सभापति

२. श्री राजेन्द्र नाथ बरुआ

३. श्री म० ला० द्विवेदी

४. श्री न० रं० घोष

५. श्री प्र० कु० घोष

६. श्री म० अ० हक़

७. श्री हरिश्चन्द्र हेडा

८. श्री परेशनाथ कयाल

९. श्री जसवन्तराज मेहता

१०. श्री युवराज दत्त सिंह

राज्य सभा

११. श्री जी० राजगोपालन

१२. श्री बृजकिशोर प्रसाद सिंह

१३. श्री हीरा बल्लभ त्रिपाठी

१४. श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी

१५. श्री लोक नाथ मिश्र

संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

१. श्री भागवत झा आजाद

२. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

३. श्री प्र० कु० घोष

४. श्री सुबोध हंसदा

५. श्री आनन्द नम्बियार

६. श्री दे० द० पुरी
७. श्री मुत्याल राव
८. श्री सत्य नारायण सिंह
९. श्री सिंहासन सिंह
१०. श्री वाडीवा

राज्य सभा

११. श्री एस० एम० घोष
१२. श्री ए० डी० मणि
१३. श्री एम० गोविन्द रेड्डी
१४. श्री एस० चन्ना रेड्डी
१५. कु० शान्ता वशिष्ट

नियम समिति

१. सरदार हुक्म सिंह—सभापति
२. श्री कृष्णमूर्ति राव
३. श्री रामचन्द्र विट्ठल बड़े
४. श्री लक्ष्मी नारायण भंजदेव
५. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
६. श्री गोविन्द हरि देशपांडे
७. श्री हरि विष्णु कामत
८. श्री कर्णी सिंहजी
९. श्री मोहसिन
१०. श्री राजेन्द्र कोहर
११. डा० सरोजनी महिषी
१२. श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा
१३. श्री सत्य नारायण सिंह
१४. श्री अमरनाथ विद्यालंकार
१५. श्री राघेलाल व्यास

भारत सरकार

मंत्री मण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

वित्त मंत्री—श्री मोरारजी देसाई

परिवहन तथा संचार मंत्री—श्री जगजीवन राम

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री—श्री ति० त० कृष्णमाचारी

गृह-कार्य मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री स० का० पाटिल

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सेन

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री यशवन्त राव चव्हाण

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बे० गोपाला रेड्डी

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री—श्री चि० सुब्रह्मण्यम्

शिक्षा मंत्री—डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायूं कबिर

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

राज्य-मंत्री

निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री—श्री मनुभाई शाह

उद्योग मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री—श्री राज बहादुर

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सु० कु० डे

स्वास्थ्य मंत्री—डा० सुशीला नायर

आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में संभरण मंत्री—श्री जयसुखलाल ह।थी।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री—श्री रघुरामैया

खान और ईंधन मंत्री—श्री अलगेशन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री—डा० राम सुभग सिंह

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री हजरतवीस

सिंचाई और विद्युत मंत्री—डा० कु० ल० राव

उपमंत्री

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—डा० म० मो० दास

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाहनवाज खां

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री अ० म० थामस

रेलवे मंत्रालय में उपमत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री मुहीउद्दीन

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री—श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री—श्री पूने शे० नास्कर

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

शिक्षा मंत्रालय में उपमत्री—श्रीमती सौंदर्म रामचन्द्रन्

प्रतिरक्षा मत्रालय में उपमंत्री—श्री दा० रा० चव्हाण

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री—श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री श्रीमती चन्द्रशेखर

अर्थ तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में उपमंत्री—श्री जगन्नाथ राव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमत्री—श्री शाम नाथ

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री—डा० द० स० राज

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दिनेश सिंह

विधि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री विबुधेन्द्र मिश्र

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमत्री—श्री भगवती

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री श्यामधर मिश्र

इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री—श्री प्रकाश चन्द्र सेठी

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री र० कि० मालवीय

सभा-सचिव

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव—श्री शिन्दे

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव—श्री डा० एरिंग

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव—श्री स० चु० जमीर

सिंचाई और विद्युत मंत्री के सभा-सचिव—श्री सै० अ० मेहदी

खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव—श्री डोडा तिम्मया

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव—श्री मं० रं० कृष्ण

लोक-सभा

मंगलवार, १३ अगस्त, १९६३

२२ श्रावण १८८५ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

†**अध्यक्ष महोदय** : सचिव उन सदस्यों के नाम पुकारें जो संविधान के अन्तर्गत शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के लिए आये हैं और उस के बाद संसद् कार्य मंत्री सदन को उन सदस्यों का परिचय दें ।

सचिव : श्रीमती श्यामकुमारी देवी :

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, मुझे श्रीमती श्यामकुमारी देवी का, जो श्रीमती केसर कुमारी देवी की मृत्यु के कारण हुए रिक्त स्थान पर मध्य प्रदेश के रायपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं, आप से और आप के द्वारा सदन से परिचय कराते हुए बड़ी प्रसन्नता है।

श्रीमती श्यामकुमारी देवी (रायपुर) :

सचिव : श्री जे० बी० कृपालानी ।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : श्रीमान्, मुझे श्री जे० बी० कृपालानी का, जो श्री हिफजुर रहमान की मृत्यु के कारण हुए रिक्त स्थान पर उत्तर प्रदेश के अमरोहा निर्वाचन-क्षेत्र से चुने गए हैं, आप से और आप के द्वारा सदन से परिचय कराते हुए बड़ी प्रसन्नता है ।

श्री जे० बी० कृपलानी (अमरोहा) :

सचिव : डा० राम मनोहर लोहिया :

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : श्रीमान्, मुझे डा० राम मनोहर लोहिया का, जो श्री मूलचन्द दुबे की मृत्यु के कारण हुए रिक्त स्थान पर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद निर्वाचन-क्षेत्र से चुने गए हैं, आप से और आप के द्वारा सदन से परिचय कराते हुए बड़ी प्रसन्नता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : शपथ लेने से पहले मुझे आप तीन वाक्य कह लेने दीजिये . . .

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप शपथ न लें तब तक आप इस हाउस में कुछ नहीं कह सकते हैं । पहले शपथ लें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : शपथ तो मैं ले लेता हूं । लेकिन मेरे मन में जो रुकावट है वह मुझ को आप बता लेने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : रुकावट का सवाल नहीं है । शपथ जो प्रैसक्राइब्ड शब्दों में है, जो लिखी हुई है, इस को आप लेने को तैयार हैं । जब आप इस को ले लेंगे और दस्तखत कर देंगे तब आप एक मैम्बर समझे जायेंगे । उस वक्त आपको हक पैदा होगा कि जो चाहें कहें ।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) :

सचिव : श्री राजदेव सिंह ।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : श्रीमान्, मूझे श्री राजदेव सिंह का, जो श्री ब्रह्मजीत सिंह की मृत्यु के कारण हुए रिक्त स्थान पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं, आप से और आप के द्वारा सदन से परिचय कराते हुए बड़ी प्रसन्नता है ।

श्री राजदेव सिंह (जौनपुर) :

सचिव : श्री एम० आर० मसानी ।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : श्रीमान्, मुझे श्री मी० रु० मसानी का, जो श्री उ०न० ढ़ेबर के पदत्याग के कारण हुए रिक्त स्थान पर गुजरात के राजकोट निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं, आप से और आप के द्वारा सदन से परिचय कराते हुए बड़ी प्रसन्नता है ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) :

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चीनी

+

श्री श्रीनारायण दास :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती विमला देवी :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री वासुदेवन नायर :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री वारियर :
श्री मणियंगाडन
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हेम राज :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री कोया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
†*१. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वाजी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री दे० द० पुरी :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री महेश्वर नायक :
श्री शिवमूर्त्ति स्वामी :
श्री बड़े :
श्री दलजीत सिंह :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० स० तिवारी :
डा० श्रीनिवासन :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलों के पास चीनी का स्टाक, देश के विभिन्न भागों में उसकी उपलब्धि तथा विभिन्न स्थानों में उसके मूल्य की स्थिति के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले तीन महीनों में देश के विभिन्न भागों में कीमतें बहुत बढ़ गयी हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) केन्द्र और राज्यों द्वारा उठाये गये कदम कहां तक कारगर साबित हुए हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) ३१ जुलाई, १९६३ को देश के विभिन्न भागों में फैक्टरियों के पास चीनी के स्टाक तथा उपलब्धता की स्थिति और विभिन्न स्थानों पर मूल्यों की स्थिति दो विवरणों में दी गई है जो सभा-पटल पर रखे जाते हैं।

विवरण संख्या १

राज्य	मात्रा (टनों में)
उत्तर प्रदेश	३,३२,८०६
बिहार	८०,७०४
आसाम	१,७०८
पश्चिम बंगाल	६,०४३
पंजाब	१८,८५०
उड़ीसा	१,६५२
राजस्थान	४,३१४
मध्य प्रदेश	११,९१३
महाराष्ट्र	१,४५,०६२
गुजरात	१०,१३७
पांडिचेरी	२,८५०
मद्रास	२३,१३२
केरल	३,६३२
मैसूर	४०,६९१
आन्ध्र प्रदेश	५६,७८५
अखिल भारत	७,४०,२७९*

*इसमें निर्यात के लिये आवश्यक लगभग एक लाख टन सम्मिलित है।

†मूल अंग्रेजी में

विवरण संख्या २

मुख्य मुख्य मंडियों में चीनी के फुटकर मूल्य

जून–जुलाई, १९६३

	रु० न०पै० (प्रति किलोग्राम)
देहली	१.१८
जालन्धर	१.१८
कानपुर	१.१६
इन्दौर	१.१७
पटना	१.२०
कलकत्ता	१.२२
बम्बई	१.१९
मद्रास	१.१६
नागपुर	१.२४
बंगलौर	१.१८
हैदराबाद	१.१८
अहमदाबाद	१.२४

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) १७ अप्रैल, १९६३ से चीनी के मूल्य तथा वितरण को नियंत्रित कर दिया गया है और जो कदम उठाये गये हैं वे देश भर में चीनी का समन्याय्य वितरण करने और मूल्यों को नियंत्रित करने में काफी कारगर साबित हुए हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मई और जून के महीनों में सरकार को ये सूचनायें मिली थीं कि देश के अनेक भागों में चीनी या तो उपलब्ध नहीं थी या बहुत ऊंचे दामों पर बेची जा रही थी और यदि हां, तो किन स्थानों से ये सूचनायें प्राप्त हुई थीं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी ने बताया है, नियंत्रण १७ अप्रैल, १९६३ को लागू किया गया था । स्वाभाविक है कि विभिन्न निर्दिष्ट स्थानों पर ताजा स्टाक पहुंचने में कुछ समय लग गया । तथापि, बाजार में एक लाख टन से ज्यादा ऐसी चीनी थी जिसे निश्चय ही तत्काल उपभोग प्रयोजनों के लिये प्रयोग किया जा सकता था । यह ठीक है कि कुछेक जगहों पर चीनी के उपलब्ध न होने की कुछ सूचनायें आई हैं । जब कभी हमें कठिनाइयों के बारे में बताया गया है हमने रेल आदि द्वारा चीनी भेजने के तुरन्त प्रबन्ध किये हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को उपयुक्त योजनायें अपनाने का सुझाव दिया है ताकि भविष्य में ऐसे हालात पैदा न हों ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस :** वितरण का सवाल अधिकतर राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया गया है। फिर भी हमने इस बारे में सामान्य संकेत दिए हैं कि वितरण किस प्रकार होना चाहिये। अब अधिकतर राज्यों में, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में, फुटकर वितरण पहचान पत्रों द्वारा किया जा रहा है। इसलिये वितरण का काम अब न्यूनाधिक सन्तोषजनक ढंग से हो रहा है।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या यह बात माननीय मंत्री के ध्यान में आई कि बड़े बड़े नगरों में चीनी के उचित संभरण और वितरण के लिये जबकि प्राधिकारियों द्वारा हर कोशिश की जाती है, गांवों में इसके समुचित प्रबन्ध नहीं किये जाते जिसका नतीजा यह होता है कि गांव के बहुत से लोगों को या तो चीनी के बिना ही गुजारा करना पड़ता है या चोरबाजार में अधिक दाम देकर चीनी लेनी पड़ती है....

†**अध्यक्ष महोदय :** अनुपूरक प्रश्नों में किन्हीं निष्कर्षों या तर्कों को लाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न सीधे, छोटे और सादा होने चाहियें।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** मैं सीधे तौर पर ही प्रश्न करूंगा। चीनी के संभरण और वितरण के संबंध में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इस असमानता को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

†**श्री अ० म० थामस :** विभिन्न क्षेत्रों को जो अभ्यंश आवंटित किये जा रहे हैं वे उन अभ्यंशों पर आधारित हैं जो गत नियंत्रण अवधि के बाद के भाग अर्थात् सितम्बर १९६१ और पिछले महीनों में दिये गये थे। यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा शहरी क्षेत्रों तथा मुफस्सल क्षेत्रों में भेद किया जा रहा है क्योंकि यह स्वाभाविक है कि शहरी क्षेत्रों में चीनी की खपत ज्यादा होती है। जो कुछ भी है यह काम राज्य सरकारों का है कि हमने उन्हें जो अभ्यंश आवंटित किये हैं उसके अन्दर-अन्दर ही वे इसका निर्णय करें। अब जो हमने अभ्यंश आवंटित किये हैं वे पर्याप्त हैं और हमें आशा है कि उनसे आश्यकतायें पूरी हो जायेंगी।

†**श्री भागवत झा आजाद :** सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बावजूद चीनी या तो मिलती ही नहीं है या बहुत मुश्किल से मिलती है। इसलिये देश में सभी को चीनी उपलब्ध कराने के लिये कौन से उपाय अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं?

†**श्री अ० म० थामस :** इस बारे में मैं सदन को विश्वास में लाता हूं। हमने सभा-पटल पर जो विवरण रखा है उसके अनुसार अगले तीन महीनों के लिये हमारे पास लगभग ७.४० लाख टन का स्टाक है। फिर, अगले दो महीनों में दक्षिण में अल्पावधि फसल से हम ६०,००० से ६५,००० टन और पैदा करेंगे। अत: सब मिला कर हमारे पास कोई ८ लाख टन होंगे जिस में से हमें लगभग एक लाख टन का निर्यात करना पड़ेगा। इसलिये अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर के तीन महीनों के लिये हमारे पास ७ लाख टन अथवा प्रति मास दो लाख टन से अधिक चीनी बच गई है। मेरे विचार में इससे सामान्य आवश्यकतायें और त्यौहारों के महीनों की मांगें भी पूरी हो जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री गणपाल सिंह।

---

†मूल अंग्रेजी में

कई माननीय सदस्य उठे.....

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं तो सदन के हाथों में हूं। वे जो भी चाहते हैं खुद फैसला कर सकते हैं। यह सवाल क्योंकि किसी न किसी तरह बहस के लिये सदन के सामने आ रहा है, हमें अब ज्यादा वक्त लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज यह है कि प्रश्नकाल के दौरान एक ही सवाल के ऊपर सभी सदस्यों को, जो चालीस के करीब हैं, मौका देना मेरे लिये संभव नहीं होगा इसलिये प्रत्येक माननीय सदस्य को मौके के लिये जोर नहीं देना चाहिये।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** हमने जब इन प्रश्नों की सूचना दी थी तो वर्तमान स्थिति सदन के सामने नहीं थी।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं तो यह कह रहा हूं कि इसके चर्चा के लिये सदन क सामने आने की संभावना है। श्री यशपाल सिंह।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश के ५२ जिलों में प्रोड्यूसर के लिए आधा किलो चीनी तय की गई है और कंज्यूमर के लिए एक किलो चीनी तय की गई है? यदि हां तो क्या यह उत्पादक के साथ अन्याय नहीं है?

†**श्री अ० म० थामस :** उत्तर प्रदेश के संबंध में अभ्यंश २०,००० टन है और सितम्बर में यही अभ्यंश था.....

†**अध्यक्ष महोदय :** वह एक राय के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री सरजू पाण्डेय : क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस बात की प्रार्थना की है चीनी का दाम बढ़ा दिया जाय? यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या हुई?

†**श्री अ० म० थामस :** कारखाने के मूल्यों को बढ़ाने के सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार तथा दक्षिणी बिहार में हमने १ रुपया प्रति मन की सामान्य वृद्धि कर दी है, इसका अर्थ यह है कि कारखाने के मूल्य उस सीमा तक बढ़ते रहे हैं।

†**श्री वारियर :** मैं जानना चाहता हूं कि कौन से राज्यों ने अधिक अभ्यंश की मांग की है और क्या सरकार उन्हें अधिक अभ्यंश देने के लिये तैयार है।

†**श्री अ० म० थामस :** दक्षिणी राज्यों में स्थिति सन्तोषजनक है और वे उन्हें दिये गये अभ्यंश से सन्तुष्ट हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा चीनी कांड की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त करने की संभावना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री स० का० पाटिल) :** मेरे विचार में कोई कांड नहीं है और कोई आयोग नियुक्त नहीं किया जाना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : कृषि मंत्री के इस दृढ़ निश्चय की, जो कि उन्होंने खाद्यान्नों पर कंट्रोल न लगाने के सम्बन्ध में किया है, हृदय से सराहना करते हुए मैं जानना चाहता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : इस कमेन्ट की क्या जरूरत है ? आप सवाल पूछिये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि चीनी के सम्बन्ध में क्या मंत्री महोदय आज संसद् के द्वारा यह बतलाने की स्थिति में हैं कि निकट भविष्य में ऐसी स्थिति हो जायेगी जब चीनी के ऊपर से कंट्रोल समाप्त हो जायेगा? यदि हां, तो कब तक, और इसके लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल :** कंट्रोल तो केवल एक्स फैक्ट्री प्राइस पर है। और चीजों पर कंट्रोल नहीं है। रेगुलेशन बगैरह होगा क्योंकि जो बटवारा है वह स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा होता है। आइन्दा इस प्रकार का इन्तजाम हो रहा है क्योंकि पूरी चीनी हमारे लिये रहेगी। पांच लाख टन तो हम एक्स्पोर्ट करेंगे क्योंकि चीनी का अच्छा दाम आता है। करीब २ लाख टन का स्टाक हमारे पास रहेगा जिससे कि दो तीन वर्षों में स्टाक पांच लाख टन तक बढ़ जाये ताकि प्राइस ऊपर न चढ़ सकें।

†**श्री दे० द० पुरी :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वितरण की प्रणली सभी राज्यों में एक जैसी है और क्या केन्द्रीय सरकार वितरण प्रणाली पर कोई नियंत्रण रख रही है ?

†श्री स० का० पाटिल : जहां तक किसी खाद्यान्न के वितरण का सम्बन्ध है भारत सरकार के लिये इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना असंभव है क्योंकि इन चीजों को लाखों लोगों को बांटा जाना होता है। हमें राज्य की व्यवस्था का ही प्रयोग करना पड़ता है और हम सामान्य हिदायतें देते हैं। राज्य सरकारों का कर्त्तव्य है कि वे इन हिदायतों के अनुसार यह काम करें।

उर्वरक वितरण निगम

\+

†*२. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री बसुमतारी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उरर्वक वितरण निगम बनाने की कोई योजना सिद्धान्त रूप में स्वीकृत की गई है ; और

(ख) यदि हां,"तो उस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). बंरक विपणन निगम स्थापित करने का एक स्ताव विचाराधीन है। योजना की मुख्य-मुख्य बातें उसे अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही ज्ञात होंगी।

श्री रामेश्वर टांटिया : जब फर्टिलाइजर कारपोरेशन पहले से है तो फिर नया फर्टिलाइजर कारपोरेशन बनाने की क्या आवश्यकता है ?

डा० राम सुभग सिंह : फर्टिलाइजर कारपोरशन पहल से नही है जो फर्टिलाइजर कारपोरेशन है वह उस के उपादन की देख रेख करता। दूसरे एक है खाद्य और कृषि मंत्रालय में सेंट्रल फर्टिलाइजर पूल।! स सेंट्रल फर्टिलाइजर पूल के द्वारा विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर की खरीद होती है और उसका वितरण होता है।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह ठीक है कि आज देई देश में जो फर्टिलाइजर का उत्पादन होता है वह आवश्यकता से कम है ? अगर हां, तो जो फर्टिलाइजर का डिस्ट्रिब्यूशन होगा वह किस प्रकार से किया जायेगा जिसमें आगे चल कर शिकायत न हो।

डा० राम सुभग सिंह : असल में अभी भी फर्टिलाइजर के डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में कोई शिकायत नही है क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा,फ र्टिलाइजर का स्ट्रिब्यूशन खाद्य और कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, और राज्यों में सहकारी समितियां अधिकांश रूप से उसका वितरण करती हैं। सन् १९६५–६६ तक नाइट्रोजन के टर्मस में ८ लाख टन फर्टिलाइजर पैद किया जाने वाला था, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें केवल पांच लाख टन पैदा किये जाने की उम्मीद है। इस के बावजूद भी उस के वितरण में कोई शिकायत नहीं है जिस की माननीय सदस्य ने चर्चा की।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मैं जान सकती हूं कि किस उद्देश्य को लेकर सरकार ने यह निगम बनाया है और सभी मुख्य बातों को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : निगम बनाने की हमें कोई जल्दी नहीं है क्योंकि कोई अन्तिम निर्णय करने से पहले हमें कितने ही पहलुओं की जांच करनी होगी। परन्तु जिस मुख्य बात के कारण एसा सोचा जाने लगा है वह यह है कि हम भिन्न भिन्न प्रकार के उर्वरकों का उत्पादन कर रहे हैं और इस वर्ष भी हम ने २५ करोड़ रुपये की लागत का उर्वरक आयात किया है तथा अगले वर्ष लगभग ३५ करोड़ रुपये की लागत का उर्वरक आयात करने की योजना है। अतः जब हम एक एसी चीज का प्रबन्ध करने जा रहे हैं जो परमावश्यक है और जिसका बड़ा मूल्य होगा, यह जरूरी है कि इस मामले के कुछ वाणिज्यिक पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। हम एसे ही विचार कर रहे हैं। परन्तु किसी अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिय हमें योजना आयोग, वित्त मंत्रालय आदि से परामर्श करना होगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि इस कारपोरेशन की स्थापना का सूत्रपात किस ने किया था, मंत्रालय ने या किसी और संस्था ने? यदि किसी और संस्था ने किया था तो इस में क्या सुझाव दिये गये थे ?

डा० राम सुभ ग सिंह : सुझाव यह था कि एक कमेटी बने और वह फर्टिलाइजर के वितरण के बारे में देख रेख करे कि क्या स्थिति है। तो उस ने जो रिपोर्ट दी वह खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की डिपार्टमेंटल कमेटी की रिपोर्ट थी। उसने रिपोर्ट दी कि बेहतर होता यदि एक कारपो रेशन

---

†मूल अंग्रेजी में

बनाया जाता जो कि कामर्शल ढंग से इस के वितरण को कर सकता। मगर बनाने के पहले भी काफी सोच विचार हम लोग कर रहे हैं। इस के पहले कि वह बन जाय, इस डिपार्टमेंट को भी काफी ऐक्टिवाइज किया गया है और इसका एक्स्टेंशन कर के वितरण की व्यवस्था की जाती है।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस फर्टिलाइजर के वितरण से पहले स्वायेल टेस्टिंग डिपार्टमेंट से कोई सलाह ली गई थी। यदि नहीं तो किन्हीं स्टेट्स में तो ढेर लग गये और किन्हीं में स्केअर्सिटी रह गई, इसकी क्या वजह है ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** स्वायेल टेस्टिंग का काम बहुत तेजी से चलाने का विचार है। अब भी २४ स्वायेल टेस्टिंग लेबोरेटरीज कायम की गई हैं। जितने कृषि कालेज या यूनिवर्सिटीज बढ़ती जायेंगी उतनी ही ज्यादा स्वायेल टेस्टिंग लेबोरेटरीज बढ़ेंगी। और फर्टिलाइजर के अलग अलग प्रकार के बारे में जो माननीय सदस्य ने कहा कि इस से पहले क्या किया, तो मैं कहना चाहता हूं कि वह भी किया गया। सारे भारत की जमीन जो है उस की देख रेख की गई है कि किस प्रकार के फर्टिलाइजर की किस हल्के में क्या जरूरत है। लेकिन आप जानते ही हैं कि वैज्ञानिक बातों के प्रचार के लिये हर फील्ड की टैस्टिंग की जरूरत होगी। उस को बहुत बड़े पैमाने पर अभी नहीं कर सकते। पर आगे करना पड़ेगा।

श्री कछवाय : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये कितनी पूंजी लगाई जायेगी और उसके मुख्य मुख्य स्थान किन किन राज्यों में होंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : मध्य प्रदेश में जहां से कि माननीय सदस्य आते हैं एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनाने की बात है। लेकिन पूंजी का वितरण किस प्रकार होगा यह मैं अभी नहीं दे सकूंगा।

†**श्री सोनावने :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उर्वरक वितरण निगम की प्रस्तावित स्थापना के परिणाम-स्वरूप उवरकों के मूल्य बढ़ा दिये जायेंगे और क्या इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि उर्वरकों के मूल्य में यह वृद्धि देखने की बजाय मूल्य घटाने की जरूरत आवश्यक है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** पहला भाग प्रश्न है और दूसरा भाग एक सुझाव।

†**डा० राम सुभग सिंह :** वास्तव में उर्वरक का मूल्य बढ़ाने का हम विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह एक एसी वस्तु है जिसकी कि हमारा कृषि उपादन बढ़ाने के लिय बहुत जरूरत है। सच तो यह है कि पिछले वर्ष हम ने केल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का मूल्य घटा कर २७८ रुपये प्रति टन कर दिया था और केल्शियम अमोनियम नाइट्रट तथा अमोनियम सल्फट 'पूल" मूल्य में ५२ रुपये का अन्तर है।

†**पं० शा० देशमुख :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा नियंत्रित वितरण बोर्ड के बारे में अन्तिम निर्णय करने से पहले इस वितरण के लिय किसानों का एक राष्ट्रीय सहकारी संघ स्थापित करने पर भी कोई विचार किया गया था क्योंकि सहकारिता को प्रोत्साहन देना हमारी नीति है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** जहां तक नियंत्रण का सम्बन्ध है, यह किसी और के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पं० शा० देशमुख** : नियंत्रण नहीं, मैंने वितरण के बारे में कहा था ।

†**श्री स० का० पाटिल** : इसे सरकार करेगी । निश्चय ही, यदि ऐसा कोई संघ बन जाता है तो वे दूसरों की अपेक्षा वरीय व्यवहार पा सकते हैं ।

चावल की कमी

†*३ **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री वारियर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० कु घोष :
श्री कपूर सिंह :
श्री केसर लाल :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री हेम बरूआ :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री हेडा :
श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्र० के० देव :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री पू० च० देवभंज :
श्री श्री नारायण दास :
श्री श्यामलाल सर्राफ़ :
श्री सिद्धनजप्पा :
डा० रानेन सेन :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मई में आसाम, पश्चिम बंगाल तथा अन्य निकटवर्ती इलाकों के चावल खाने वाले क्षत्रों में बड़े पैमाने पर चावल की कमी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था ;

(ख) क्या सरकार ने इस कमी के कारणों का अध्ययन किया है और यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) स्थिति का समाधान करने तथा उसे सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये हैं तथा इस समय की नवीनतम स्थिति क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) और (ख). इस वर्ष की पहली तिमाही के बाद आसाम, पश्चिमी बंगाल और अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में बाजार में पूर्ती कम होने लगी। इसका कारण यह था कि १९६२-६३ के मौसम मौसम में इन राज्यों में चावल का पैदावार कम हो गयी थी।

(ग) सस्ते दाम वाली दूकानों के जरिये सहायता प्राप्त दरों पर जावल और गेहूं का वितरण और बढ़ा दिया गया है और जहां जरूरत थी वहां उन दूकानों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि अनाज के जो व्यापारी मुनाफाखोरी या स्टाक इकट्ठा करने के अपराधी पाय जायें, उनके बिरुद्ध उचित कार्रवाई की जाये। पिछले कुछ हफ्तों में इस क्षेत्र में अनाज की कीमतें स्थिर रहने या कम होने की प्रवृत्ति दिखाई दी है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कितना चावल मांगा था और क्या यह सच है कि आधी से अधिक मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है और यदि हां, तो उस परिस्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाई करने का सरकार का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : माननीय सदस्य का कथन ठीक नहीं है। हमने अभी तक आसाम को ४०,३०० टन चावल भेजा है। २ अगस्त को अर्थात् पिछले सप्ताह, आसाम की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया था। उन्होंने बताया कि उन्हें ५४,००० टन चावल की और आवश्यकता होगी और यदि संपूर्ण मात्रा देना आवश्यक हुआ तो हम पूरी पूरी मात्रा देंगे।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : देश में सर्वत्र चावल की कमी को देखते हुए क्या योजना आयोग का यह विचार है कि गहूं की बजाय चावल के लिए एक पी एल करार किया जाय जैसा किजखाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने मांग की है ? क्या सरकार ने उस बारे में कोई निश्चय किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: चावल की सामान्य स्थिति यह है कि बहुतायत वाले दो राज्यों में, अर्थात् मध्य प्रदेश और उड़ीसा में १५ लाख टन की कमी हुई है और वह कमी किसी जादू से पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए जब तक नई फसल नहीं आ जाती तब तक अगले एक या दो महिनों में कुछ कठिनाई तो अवश्य ही होगी। इसलिय हम चावल के साथ साथ कभी कभी गहूं भी देते हैं। जिससे कि अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न न हो जाये। लेकिन जब तक नयी फसल नहीं आती तब तक इससे अधिक कुछ नहीं किया जा सकता।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि चावल का बफर स्टाक टाइम पर नहीं आ सका इसलिए स्कारसिटी हुई ?

†**श्री स० का० पाटिल** : अभी तक चावल के बफर स्टाक का कोई प्रश्न नहीं था। २० लाख टन चावल का बफर स्टाक इकट्ठा करने के उद्देश्य से ही मैं कई देशों में जाता रहा और इकट्ठा करने की कोशिश करता रहा जब तक कि हम अपने देश में उत्पादन से वह मात्रा इकट्ठी न कर लें। उसमें काफी समय लगेगा। लेकिन कठिनाई तत्काल की है और उसे तात्कालिक उपायों से ही दूर करनी होगी। लेकिन वह स्टाक अभी तक नहीं आया है।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या सरकार ने चावल का इस्तेमाल करने वाले क्षेत्रों के लोगों की खानपान विषयक आदतों को बदलने की दिशा में गेहूं और दूसरे अनाज का प्रचार करके कोई ठोस कदम उठाये हैं।

†**श्री अ० म० थामस** : उसका प्रचार किया जा रहा है। उदाहरणार्थ पश्चिम बंगाल के राज्य में इस वर्ष लगभग १० लाख टन की खपत होंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : बाजार में जो स्टाक उपलब्ध है उससे बफर स्टाक बनाने के बारे में माननीय खाद्य मंत्री की क्या राय है और क्या यह सच है कि इस बारे में योजना आयोग और उनके बीच मतभेद है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं योजना आयोग के बारे में नहीं जानता । मैं अपने मंत्रालय की कार्यवाही के लिए जिम्मेदार हूं। देश में चावल उपलब्ध कर के बफर स्टाक बनाने में कुछ समय लगेगा। इसलिए इस समय उपस्थित खतरे को दूर करने के लिए हमें बाहर से स्टाक लेना होगा लेकिन चावल एक ऐसी वस्तु है जिसकी हर जगह कमी है । इसलिए जब तक कि हम देश में ही वसूली कर के बफर स्टाक नहीं बना लेते तब तक हमें यह करना ही होगा ।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : देश में चावल के उत्पादन और देश की आवश्यकताओं में कितना अन्तर है और मंत्री महोदय वह अन्तर किस प्रकार दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह और बड़ा प्रश्न है। मैं वाद विवाद के दौरान किसी समय इसका उत्तर दूंगा । इस देश में किसी विशिष्ट वस्तु की खपत जानने में और दस साल लगेंगे क्योंकि हमारे उपभोग का ढांचा तेजी से बदलता जा रहा है । लोगों की आदतें तेजी से बदल रही हैं। वे अधिक अच्छी किस्म का आनज खा रहे हैं। इसमें समय लगेगा।

†**श्री प्रिय गुप्त** : आधा पेट खाते हैं . . . यह कथन आपत्तिजनक है ।

†**श्री स० का० पाटिल** : अधिक अच्छी किस्म से मेरा मतलब यह है कि मोटे अनाज की जगह हम अब अवश्य ही चावल आदि अच्छा अनाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक अच्छी निशानी है ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : मुझे इस पर आपत्ति है (**अन्तर्बाधा**) क्या बात कह रहे हैं । दस साल लगगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि आसाम और पश्चिम बंगाल में मोटा चावल ३५ रु मन और अच्छा चावल ८५ रुपया मन बिक रहा है, क्या सरकार ने मूल्य की कोई अधिकतम सीमा लागू की है या करन का विचार है और यदि लागू की है तो उसका क्या नतीजा निकला ?

†**श्री स० का० पाटिल** : ऐसी स्थिति में सरकार केवल सस्ते दाम वाली दूकानें खोलन के लिए जिम्मेदार हो सकती है । इन्हीं दूकानों पर चावल बिक रहा है और सारे देश में इन दूकानों पर चावल का भाव एकसा है । इन दूकानों की संख्या पहले लगभग १०,००० या १२,००० थी जो अब ५३,००० या ५४,००० के करीब है । मैं राज्यों को बताता रहा हूं कि यदि वे और एक हजार दूकानें भी खोलना चाहें तो मैं उन्हें चावल दूंगा जो मैं उन्हें दे रहा हूं। लेकिन आजकल जैसी परिस्थिति में जब वह वस्तु ही बाजार में न हो तब मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता जब तक कि नयी फसलें न आ जायें।

†**श्री प्रिय गुप्त** : इस कमी के लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सस्ते दाम वाली दूकानों में जो चावल दिया जा रहा है वह खाने योग्य है और वह यह क्यों मान लेते हैं कि यह कमी ऊंची कीमतों के कारण है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** वह तैयार कर रहे हैं। मैं ने उन्हें केवल अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए अनुमति दी है ।

†**श्री प्रिय गुप्त :** मैं यह जानना चाहता हूं कि जो चावल सप्लाई किया जा रहा है वह खाने योग्य भी है या नहीं।

†**श्री स० क० पाटिल :** वह बिलकुल खाने योग्य है और इस कारण किसी का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ा है ?

†**श्री हो० ना० मुकर्जी :** माननीय मंत्री ने कहा था कि यदि कीमतें किसी सीमा से आगे बढ़ जायें तो सरकार उन्हें नियंत्रण में नहीं ले सकेगी। जब मंत्रियों ने मूल्यों को स्थिर रखने के सम्बन्ध में आश्वासन दिये हैं तो उन्हें ध्यान में रखते हुए क्या यह कथन ठीक है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह अब बहस रहे हैं।

†**श्री हो०ना० मुकर्जी :** जी नहीं। उन्होंने एक वक्तव्य दिया था जिससे साफ जाहिर होता था कि मूल्यों को स्थिर रखने के सम्बन्ध में सरकार का कोई निश्चय नहीं है। क्या वह सरकार की नीति के अनुरूप है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री पे० वेंकटासुब्बया ।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी :** संसद के आरम्भ होते ही पहले दिन जब सरकार का या मंत्रि-मंडल का कोई मंत्री यह कहता है कि चावल के सम्बन्ध में सरकार कीमतों को कायम बनाये रखने में असमर्थ है तो क्या सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता कि वे सरकार को सभा के समक्ष दिये गये अपने वचन पूरे करने के लिय बाध्य करें ? और प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री को इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहिये।

†**श्री स० का० पाटिल :** मैं समझता हूं कि मैं ने यह कभी नहीं कहा . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने उत्तर देने के लिए माननीय मंत्री से नहीं कहा है । जब मंत्रियों का कोई वक्तव्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप नहीं होता तो सदस्य उन्हें जिम्मेदार ठहरा सकते हैं । लेकिन उस प्रयोजन के लिए नियमित रूप से कार्यवाही की जा रही है। इसलिए हम लोग इतने उतावले क्यों हो ?

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या देश में वसूली की असंतोषजनक प्रगति इस कारण है कि किसानों को लाभदायक कीमतें नहीं दी जा रही हैं और यदि हां, तो उन्हें लाभदायक मूल्य देने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** जब कमी हो तो वसूली के कोई आंकड़े नहीं हैं। इसलिए जो थोड़ा बहुत हम वसूल कर रहे हैं वह दूसरे स्टाक में जोड़ा जा रहा है । अगले पांच छः सप्ताह में हम शहरी और देहाती इलाकों में और ज्यादा सस्ते दाम वाली दूकानें खोल रहे हैं, और जैसा कि मैं ने बताया . . .

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** मैं चावल के बारे पूछ रहा हूं।

†**श्री प्रभात कार :** वह कहते हैं कि उन दूकानों में स्टाक नहीं है। (**अन्तर्बाधा**) ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहम्मद इलियास :** वह परस्पर विरोधी बातें कहते हैं। पिछले अधिवेशन में उन्होंने बताया था कि पर्याप्त स्टाक है। अब वह कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है...

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वे थोड़ा अपने पर नियंत्र रखें। हो सकता है कि विचारों में मतभेद हों, उत्तर संतोषजनक न हों लेकिन जब अनुपूरक प्रश्न पूछें जांय तो उचित ढंग अपनाये जाने चाहियें।

†**श्री बाजी :** क्या सरकार को मालूम है कि मध्य प्रदेश में मिल मालिकों के पास काफी चावल है और १० प्रतिशत कर भी वसूलनहीं किया जा सका है ? उसे वसूल करने और चावल को चोर बाजार में जान से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री अ० म० थामस :** वह सही नहीं हैं। मध्य प्रदेश की मिलों पर २५ प्रतिशत का कर लगाया गया है और उसमें से अधिकांश हम वसूल कर सके हैं। लेकिन अब उत्पादन में १० लाख टन से अधिक की कमी हुई है और हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वसूली ज्यादा होगी।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** विभिन्न राज्यों में, खासकर पश्चिम बंगाल में, कमी का निश्चित अनुमान सरकार ने लगाया है ? क्या उसने अलग अलग समय पर अलग अलग अनुमान प्रकाशित न करने और इस प्रकार बाजार में अभाव की धारणा उत्पन्न न करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में राज्य सरकार को राय देने के बावत विचार किया है ?

†**श्री अ० म० थामस :** मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने यह बात सामने रखी है। वास्तव में इन प्रश्नों से भी अनावश्यक ही आशंका उत्पन्न हो रही है। पश्चिम बंगाल में लगभग ३–४ लाख टन की कमी हुई है लेकिन वहां ११,००० सस्ते दाम की दूकानों के जरिय हम पर्याप्त सप्लाई पहुंचा सके हैं। उस राज्य में जुलाई के दूसरे हफ्ते में कीमतें ज्यादा से ज्यादा ऊंची हो गयी थीं। अब वह दो बिन्दु कम हो गयी हैं और प्रवृत्ति बदल गयी है क्योंकि इस मौसम में कीमतें बढ़ जाती हैं।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वतंत्रता–प्राप्ति के बाद प्रधान मंत्री और खाद्य मंत्रियों ने कितनी बार—कब कब और किस किस तारीख को—इस बात की घोषणा की है कि साद्यान्न के सम्बन्ध में देश आत्म निर्भर हो जायगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय किस प्रकार की घोषणायें पिछले वर्षों में करते रहे हैं, क्या यह घोषणा भी उसी तरह की होगी।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री (डा० राम सुभग सिंह) : माननीय सदस्य महोदय ने प्रधान मंत्री और खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के इस निश्चय की जो चर्चा की है कि देश खाद्यान्न के विषय में आत्म निर्भर हो जायगा, उसके सम्बन्ध में तृतीय पंच वर्षीय योजना का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि दस करोड़ टन खाद्यान्न पैदा किया जाय। उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ़ :** क्या कारण है कि उड़ीसा बहुतायत वाला राज्य होते हुए भी वहां पर अब कठिन स्थिति पदा हो गई है ? क्या वह गलत तरीके से वसूली के कारण है या और किसी कारणवश है ?

---

†मुल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल :** पिछले वर्ष उडीसा में अतिरिक्त अनाज नहीं था। पांच दस साल में एक बार ऐसा होता है जब कि प्रकृति हमारे पक्ष में नहीं होती ? इसलिये केवल इस वर्ष के लिए वह बहुतायत वाला राज्य नहीं रहा ।

†**श्री बसुमतारी :** चावल की कमी वाले इलाके के लोग गेहूं का इस्तेमाल करे इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? कुछ ऐसे क्षेत्र हैं . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** वह बहस कर रहे हैं। प्रश्न को वह पूछ चुके हैं। उसे समझाने की जरूरत नहीं है ।

†**श्री स० का० पाटिल :** हमने बताया है कि जहां कहीं चावल की कमी है वहां हम गेहूं भी दे रहे हैं। लेकिन निश्चय ही ऐसी कोई चीज नहीं की जायगी जिस से स्वास्थ्य पर असर पड़े ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार :** क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है, कि मद्रास राज्य में कमी होने की सम्भावना है, विशेष रूप से तंजोर जिले में जहां कि केवल २०,००० एकड़ कुरुवई फ़सल बोई गई है जब कि सामान्यतया वहां २ लाख एकड़ फ़सल बोई जाती है, और यदि हां, तो कुरुवई फ़सल में जो कमी होने की आशा है उसे पूरा करने के हेतु इसके संभरण में वृद्धि करने के लिये क्या सरकार कोई कदम उठायेगी ?

†**श्री अ० म० थामस :** कुरुवई फ़सल की कमी के सम्बन्ध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मद्रास में मानसून थोड़ी देर से आई है परन्तु मेरे विचार में समूची स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** माननीय मंत्री ने बताया था कि चावल का मूल्य २.५ प्रतिशत अथवा इसके लगभग गिर गया है, मैं सुन नहीं सकी थीं। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सच नहीं है कि फुटकर मूल्य कम नहीं हुआ है और यह अभी तक ३८ रुपये से लेकर ४० रुपये प्रति मन के ऊंचे स्तर पर ही है ?

†**श्री अ० म० थामस :** मेरे पास यह दर्शाने वाले आंकड़े हैं कि थोक मूल्य या तो स्थिर रहे हैं अथवा गिर रहे हैं।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** फुटकर मूल्यों के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ?

†**श्री अ० म० थामस :** सारे पश्चिम बंगाल में, गत दो सप्ताहों में लगभग दो पाइन्ट्स की कमी हुई है। फुटकर मूल्यों में दो पाइन्ट्स प्रति सैकड़ा की कमी होने में कुछ समय लगेगा । इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मेरा प्रश्न फुटकर मूल्यों के सम्बन्ध में है। उपभोक्ता ऊंचे मूल्यों पर खरीद रहा है। मूल्यों में कोई कमी नहीं हुई है। थोक मूल्यों को मुझे बताने से क्या लाभ है जब कि मुनाफ़ाखोर उस धनराशि को हड़प कर रहे हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, वहां के समस्त संकटोन्मुख जनसमुदाय का ध्यान रखा जाता है । उन्हें प्रतिसप्ताह १ किलो चावल और १ किलो गेहूं दिया जा रहा है और वह उनकी आवश्यकता के लिये पर्याप्त है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह एक बिल्कल गलत कथन है। सस्ता चावल तो उपलब्ध ही नहीं है।

†**श्री स० का० पाटिल** : माननीय सदस्या यह पूछ रही हैं कि इसके लिये क्या किया जाये कि थोक बाज़ार में मूल्यों की कमी का प्रभाव फुटकर बाज़ार मूल्यों पर भी पड़े। उसका उत्तर अब, कल अथवा परसों एक ही होगा, अर्थात् उचित मूल्य की अधिक दूकाने खोली जायेंगी। इसका और कोई भी उत्तर नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उचित मूल्य की दूकानों में सस्ता चावल उपलब्ध नहीं होता।

†**श्री स० का० पाटिल**: वह मिलता है। हम इस से संतुष्ट हैं और हमें राज्य सरकार से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि सस्ता चावल उचित मूल्य की दुकानों में उपलब्ध नहीं है।

श्री विभति मिश्र : क्या यह सही है कि पिछले साल बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम में एक जैसा पानी हुआ और एक जैसा धान हुआ और क्या यह सही है कि बंगाल, उड़ीसा और आसाम में चावल ट्रेड वालों ने छिपा कर रखा है, जिस से स्केर्सिटी पैदा हो गई है ?

†**श्री अ० म० थामस** : जहां तक व्यापारियों द्वारा छिपा कर रखने का सम्बन्ध है, तो अनुज्ञा से प्राप्त थोक व्यापारियों से हमें जो माल मिलता है और बाज़ार में जो माल आता है उसकी सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि व्यापारियों द्वारा अनुचित रूप से बहुत सा माल छिपा कर नहीं रखा गया है। ऐसे समाचार मिले हैं कि उत्पादनकर्ताओं द्वारा कुछ चावल छिपा कर रखा जा रहा है।

†**श्री रंगा** : हमें उचित रूप में देखना चाहिये। क्या यह सच नहीं है कि, आसाम और बंगाल के दो राज्यों को छोड़कर जो कि स्वयं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, अधिकांश अन्य राज्यों में स्थिति इतनी संतोषजनक नहीं है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मुझे बताया गया है कि दक्षिणी राज्यों में तो मूल्य बिलकुल भी नहीं बढ़े हैं। यह प्रश्न केवल कुछ उन राज्यों का है, और उनके निकटवर्ती राज्यों का, जैसे कि बंगाल का, ही है, जहां कि इस मंदी के मौसम में चावल की कमी रही है। पांच अथवा छः सप्ताह में जब नई फ़सल बाज़ार में आ जायेगी तो यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री बागड़ी** : अध्यक्ष महोदय मेरा सवाल बहुत जरूरी था।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य माफ करें। मैं उन को अगली बार मौका दूंगा।

श्री बागड़ी : मैं बीस दफ़ा खड़ा हुआ था।

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : प्रश्न संख्या ४ और ११ सहकारी कृषि के सम्बन्ध में हैं। यदि आप अनुमति दे तो मैं दोनों ही उत्तर पढ़ दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह दोनों का उत्तर दे सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहकारी कृषि समितियां

†*४. **श्री यशपालसिंह :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में संसद् सदस्यों के अध्ययन दलों ने सहकारी कृषि-समितियों के कार्यकरण का अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) जी हां ।

(ख) अध्ययन दलों के अवलोकनों की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एल० टी० १३६८–६३]**

(ग) सिफ़ारिशें उचित कार्यवाही के लिये राज्य सरकारों के ध्यान में ला दी गई है ।

\+

सहकारी खेती

†*११. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सहकारी खेती को प्रोत्साहन देने के लिए अग्रिम परियोजनाएं संगठित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) कृषकों की अपनी ही स्थितियों में होने वाले सहकारी खेती के लाभों को उनको दिखाने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक जिले में एक अग्रिम परियोजना प्रारम्भ की जायेगी । सहकारी खेती में भूमि का एक जगह इकट्ठा किया जाना और संयुक्त खेती आवश्यक रूप से सम्मिलित हैं । सदस्यों और उनके परिवारों को पूरे पूरे रोज़गार की व्यवस्था करने के लिये कृषि उद्योग को भी इस में मिलाया जा सकता है । इन समितियों के लिये उपयक्त वित्तीय सहायता तथा प्रविधिक मार्ग दर्शन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है ।

श्री यशपालसिंह : इन टीम्स में कांग्रेस अर्थात् रूलिंग पार्टी के अलावा और किस किस पार्टी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था ?

श्री श्यामधर मिश्र : इन टीम्स में क़रीब क़रीब सभी दलों वालों को बुलाया गया था । जो हमारी इनफारमल कंसलटेटिव कमेटी के एम० पी० मैम्बर्स हैं जिनकी तादाद ३८ है, उनमें करीब करीब सभी पार्टीज़ के सदस्य हैं । उनकी लिस्ट एनैक्सर—१ में दी हुई है जो कि एक स्टेटमेंट के साथ हाउस की टेबुल पर रक्खा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपालसिंह : उस में स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ को क्या प्रतिनिधित्व दिया गया था ?

श्री श्यामधर मिश्र : कोई पार्टी वाइज़ रिप्रेंजेटेशन नहीं दिया गया था। सब को इनवाइट किया गया था और उस में ३८ मैम्बर्स लिये गये जो कि स्टडी टूर पर जाना चाहते थे ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह भी सही है कि कोआपरेटिव फार्मिंग से जो पैदावार हुई है वह प्राइवेट इंटरप्राइज़ के मुक़ाबले में बहुत कम है ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह सही नहीं है बल्कि सही तो यह है कि कोआपरेटिव फार्मिंग अच्छे तरीक़े से चल रही है और उस में काफ़ी कामयाबी हुई है और हो रही है । उस में २५ से ३० फ़ीसदी तक पैदावार बढ़ गयी है ।

श्री यशपाल सिंह : कितनी कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ चल रही हैं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : क्या अध्ययन दलों ने यह कहा है कि भूमि की चकबन्दी की कमी भी सहकारी खेती की संतोषजनक प्रगति के लिय होने वाली अनेक बाधाओं में से एक है और यदि हां, तो क्या राज्यों में भूमि की चकबन्दी के लिये सरकार का और आबंटन करने का विचार है ?

श्री श्यमनधर मिश्र : इन दलों ने यह सिफ़ारिश तो की थी कि सहकारी फार्म बनाये जाने से पहले चकबन्दी की जानी चाहिये परन्तु यह कोई ऐसी कठोर शर्त नहीं है कि इसके बिना सहकारी खेती सफल ही नहीं हो सकती । फिर भी, हम उसके लिये भी प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सहकारी खेती के लिये सरकारी भूमि आवंटित की जानी चाहिये ।

†**श्री शा० ना० चतुर्वेदी :** क्या इन दलों ने ऐसा कोई अनुमान लगाया है कितने प्रतिशत सहकारी फार्म लाभ पर कार्य कर रहे हैं तथा कितने हानि पर ?

†**श्री श्यामधर मिश्र :** आठ अध्ययन दल की और उन्होंने लगभग ६० समितियों के विषय में कहा है तथा उनकी उपत्तियां सभा–पटल पर रखे गये प्रतिवेदन में दी गई हैं। उनके अनुमान के अनुसार पंजाब तथा महाराष्ट्र में यह समितियां सफल रही हैं जबकि मैसूर तथा उत्तर प्रदेश में केवल ५०–६० प्रतिशत ही समितियां अच्छी थीं।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में राज्यों के सम्मुख किस प्रकार की कठिनाइयां आई और उनमें राज्य सरकारों की सहायता करने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठाती है ?

†**श्री श्यमधर मिश्र :** कठिनाइयां अनेक प्रकार की हैं; वित्तीय, संगठनात्मक तथा राजनीतिक भी ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** भारत में राज्यवार कितनी अग्रिम परियोजनायें संगठित की गई हैं।

†**श्री श्यामधर मिश्र:** मेरे पास ऐक सूची है। ९९४ अग्रिम समितियाँ और ९४९ अग्रिम समितियां संगठित की गई हैं। राज्य वार आंकड़े मेरे पास हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** वह उन्हें सभा-पटल पर रख सकते हैं।

†**श्री कपूर सिंह :** क्या सरकारी खेती का मूल उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि प्राप्त करना है अथवा देश में एक सामाजिक क्रान्ति लाना ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जा सकता...

†**श्री कपूर सिंह :** उनका उद्देश्य क्या है ? मैं यह जानना चाहता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें वह प्रश्न उसी रूप में पूछना चाहिये।

†**श्री कपूर सिंह :** क्या उनका मूल उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है अथवा देश में एक सामाजिक क्रान्ति लाना ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री (श्री सु० कु० डे) :** यदि मैं ऐसा कह सकता हूं तो दोनों ही को प्राप्त करना इसका उद्देश्य है।

†**श्री बड़े :** क्या यह बात सच है कि जिन देशों में कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज चलती है और कल्टीवेशन कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज के जरिए करने की पद्धति है वह फेल हो गई है और वे देश जिस तरीके से हिन्दुस्तान में पहले से प्राइवेट तौर पर खेतीबाड़ी होती आई है उसको अपने यहां चालू कर रहे हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह कहना कि कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज फेल हुई है सही नहीं है। वे फेल नहीं हुई हैं लेकिन यह भी सही नहीं होगा कि एकदम सभी असफल रही हैं। उनके नाकामयाब होने के कारण जैसा मैंने बतलाया बहुत से हैं और उस नाकामयाबी में पोलिटिकल पार्टीज का भी एक कंट्रीब्यूशन है।

श्री रामेश्वरानन्द : जब दो भाई भाई की खेती सम्मिलित नहीं होती, बाप-बेटे की खेती सम्मिलित नहीं होती तो सारे गांव का मिल कर सरकारी ढंग पर खेती करना कैसे सम्भव हो सकेगा ?

†**श्री रंगा :** इन अग्रिम सरकारी योजनाओं पर सरकार का कितना रुपया व्यय करने का विचार है और प्रति एकड़ कितनी दर से ?

†**श्री श्यमधर मिश्र :** सहकारी खेती समितियों को सहायता के लिये हमने तृतीय योजना में कुल १२ करोड़ रुपये रखे हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकारी बैंक, शिखर बैंक, भूमि बन्धक बैंक तथा खेती से सम्बन्धित अन्य संस्थायें भी सहायता करेंगी।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय मैंने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर।

श्री रामेश्वरानन्द : आर्डर मैंने आपका मान लिया। लेकिन मैं अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुश्किल मेरी यह है, स्वामी जी, कि फैसला मैंने करना है कि आया सवाल जिस शक्ल में रक्खा गया है उसका कोई उत्तर आना चाहिए या नहीं और चूंकि

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं आगे चला गया था उसका मतलब यह था कि इसका कोई उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

श्री रामेश्वरानन्द : अब यहां हम लोग जो जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिये बैठे हुए हैं तो वह भी तो ध्यान में रखना चाहिए। अब यह क्या बात हुई कि जो आपके जी में आयेगा उसका जवाब दे दिया जायगा और बाकी को इस तरह से बगैर जवाब के छोड़ दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरी प्रार्थना सुन लीजिये।

जब भाई, भाई की खेती सम्मिलित नहीं होती, पिता, पुत्र की सम्मिलित खेती नहीं होती तो फिर सारा गांव कैसे सहकारी पद्धति से मिल कर खेती कर सकेगा ? क्या देश इस से भूखे नहीं मरेगा ? मेरा जो प्रश्न है उसको जरा गहराई से समझा जाय।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या मैं आदरपूर्वक, आपकी अनुमति से, यह निवेदन कर सकता हूं कि स्वामी रामेश्वरानन्द वास्तव में यह जानना चाहते हैं कि ...

†**अध्यक्ष महोदय** : स्वामी रामेश्वरानन्द की बात के सम्बन्ध में कोई व्याख्या सुनना नहीं चाहता। मैंने उनकी बात सुनी है और मैं उसे समझ भी सकता हूं। जो मैं समझता हूं, मैंने उसका निर्नयन किया है। यह एक ऐसा अनुपूरक प्रश्न नहीं है जिसकी मैं अनुमति दे सकूं।

†**श्री फिरोडिया** : ग्रामदान के गांवों में सहकारी खेती की कितनी प्रगति हुई है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : लगभग ४,७३८ ग्रामदान गांव हैं जहां कि २९९ समितियां हैं। इनमें लगभग १०० कृषि समितियां हैं तथा लगभग २०० सेवा सहकारी समितियां। जहां कहीं भी सहकारी खेती प्रारम्भ की गई है साधारणतया वह सफल रही है।

मछली उत्पादन

†*५. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के ६ ००० चुने हुए सामुदायिक विकास खंडों में मछली उत्पादन के लिये एक योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है तथा उसके कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) ६०० चुने हुए सामुदायिक विकास खण्डों में मछली उत्पादन को तीव्रता से बढ़ाने के लिये एक योजना फरवरी, १९६३ में राज्य सरकारों को परिचालित की गई थी।

(ख) योजना की एक संक्षिप्त रूपरेखा सभा-पटल पर रखे विवरण में दी गई है। ५ राज्यों तथा ५ संघ राज्य क्षेत्रों ने स्थानीय रूपभेदों के साथ यह योजना स्वीकार कर ली

---

†मूल अंग्रेजी में

है। इसकी क्रियान्विति की वास्तविक प्रगति को इतनी शीघ्र नहीं बताया जा सकता है।

विवरण

योजना स्थल

(क) आसाम, बिहार जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल, और हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, नेफा तथा नागालैंड के सीमावर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ५० पहाड़ी खण्ड।

(ख) आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों और दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में ४५० सामान्य खण्ड।

(ग) आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मद्रास महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल, और गोआ तथा पांडिचेरी के समुद्रतटीय राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में १०० तटीय खण्ड।

कार्यक्रम

(क) प्रत्येक पहाड़ी खण्ड में १००० फिंगरलिंगस्[1] प्रति एकड़ की दर पर ५० एकड़ के जल क्षेत्र का बनाना तथा उसका सुधार और मछली पकड़ने के लिये आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने में लगभग ५० मछेरों को सहायता देना।

(ख) प्रत्येक सामान्य खण्ड में १००० फिंगरलिंग्स प्रति एकड़ की दर पर १०० एकड़ के जल-क्षेत्र का बनाना तथा उसका सुधार और मछली पकड़ने के लिये आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने में मछेरों की सहायता करना।

(ग) चुने हुए तटीय खण्डों में नावें, सुधारे हुए जाल इत्यादि जैसे मछली पकड़ने के साज सामान को लगभग १०० मछुआरों को संभरण करना, मछलियों के इलाज के लिए सुविधाओं का स्थापित करना, नमक तथा अन्य परिष्करण सह सामग्री का संभरण।

(घ) चुने हुए खण्डों में आवश्यक प्रविधिक मार्गदर्शन तथा देखभाल को उपलब्ध करना।

वित्त

(यदि किन्हीं, अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है तो इस पर व्यय के अतिरिक्त) योजना की लागत विद्यमान विभागीय निधियों तथा योजनाओं द्वारा पूरित खण्ड विधियों से ही पूरी की जायेगी।

†**श्री रा० गि० दुबे** : क्या मैं जान सकता हूं कि देश में वर्तमान मछली उत्पादन कितना है और जब इस योजना को कार्यरूप दे दिया जायेगा तो उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : मैं चाहता हूं कि मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना दी जाये।

†**श्री रा० गि० दुबे** : समद्री जल के अतिरिक्त और कौन से अन्य स्त्रोत हैं जहां से मछलियां पकड़ी जाती हैं ; जैसे कि अंतर्देशीय जल, झीलें इत्यादि ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Fingerlings.

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : अन्तर्देशीय जल, विशेष रूप से नदियां ।

†**श्री शिवाजीराव पां० देशमुख** : क्या मीन क्षेत्रों के विकास की इस योजना में दूसरों के क्षेत्र में मछली मारने के कार्य का विकास तथा मीन क्षेत्रों के उसी भूमि खंड में साथ साथ ही चावल की खेती करना भी सम्मिलित है, जैसी कि कुछ प्रविधिओं द्वारा सलाह दी गई थी ?

†**श्री ब० सु० मूर्ति** : यह केवल मछली उत्पादन के कार्य को तीव्र करने से ही सम्बन्धित है ।

पी एल० ४८० करार

†*६. श्री सुरेन्द्रपालसिंह :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री द्वारका दास मन्त्री :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कपूर सिंह :
श्री यशपालसिंह :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बाल्मीकी :
श्री हेडा :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्रीमती रेणुका बड़करकी :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयक्त राज्य अमेरिका के अपने हाल के दौरे में खाद्य तथा कृषि मंत्री ने पी० एल० ४८० करार को एक वर्ष के लिए और बढ़ाने के लिए अमरीकी सरकार से औपचारिक प्रार्थना की थी ।

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई; और

(ग) इस अवधि को बढ़ाने से संयुक्त राज्य अमेरिका से गेहूं तथा चावल के आयात पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)**: (क) चालू पी० एल० ४८० करार के अधीन गेहूं के नौ-भरण की अवधि को एक वर्ष के लिए और बढ़ाने की अमरीकी सरकार से प्रार्थना की गई थी क्योंकि यह आशा की जाती थी कि १ करोड़ ६० लाख टन गेहूं की पूरी मात्रा का नौ-भरण जून, १९६४ के अन्त तक पूरा नहीं किया जा सकता । तदापि, चावल के नौ-भरणों की इस तिथि तक पूरा हो जाने की आशा है ।

(ख) अमरीकी सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) आयात की जाने वाली कुल मात्रा पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । इससे केवल चालू पी० एल० ४८० करार के अन्तर्गत खरीदे जाने वाले गेहूं की लगभग १ करोड़ ६० लाख टन की कुल मात्रा के नौ-भरण एक वर्ष बाद, अर्थात् जून, १९६५ तक, पूरे किये जा सकेंगे ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि भारत इस दर पर माल नहीं उठा सका है जितना कि पी० एल० ४८० करार में उपबन्ध था और खाद्यान्नों का वास्तविक आयात उस मात्रा से बहुत ही कम हुआ है जिसमें कि वह किया जाना चाहिए था। क्या मैं इसके कारण जान सकता हूं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री स० का० पाटिल)** : पी० एस० ४८० करार के अनुसार चार वर्षों में १ करोड़ ६० लाख टन गेहूं लाया जाना चाहिये था—जिसका अर्थ है कि औसतन ४० लाख टन प्रति वर्ष । यहां जो एक बात ध्यान में रखी जानी है वह यह है कि इसमें ४० लाख टन का रक्षित-भण्डार भी सम्मिलित है । रक्षित-भण्डार केवल आधनिक भाण्डारगृहों में ही रखा जा सकता है । इसलिये इसमें कुछ समय लगा क्योंकि हम यह नहीं चाहते थे कि यह रक्षित-भण्डार उन भाण्डारगृहों में सड़े जो कि समुचित रूप से अथवा आधनिक ढंग में सज्जित नहीं हैं । यह एक कारण था । दूसरा कारण यह था कि हमने यह सोचा कि यदि हम कम मात्रा से ही अपना कार्य चला सकते हैं तो हम अधिक मात्रा में लेने के लिए शीघ्रता क्यों करें । संसद् के भी विचार में यह बात थी । अतएव, जब कि तीन वर्षों में हमें १ करोड़ २० लाख खरीदना चाहिए था हमने केवल ८० लाख टन ही खरीदा । इसलिए, ४० लाख टन अभी खरीदना शेष रहता है और यह चार वर्ष पश्चात् आ जायेगा और इसमें कोई हानि भी नहीं है ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि खाद्यान्नों के मूल्यों को स्थिर करने के अलावा पी० एल० ४८० करार से हमें कृषि उत्पादन में आत्म-निर्भरता के अपने उदेश्य को प्राप्त करने में सहायता मिली है अथवा नहीं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : आत्म-निर्भरता के अतिरिक्त आपातकाल में भी रक्षित-भण्डार बहुत उपयोगी होते हैं और मेरा विचार है कि निस्संदेह यह दिखा दिया गया है कि इस वर्ष तथा गत वर्ष खाद्यान्नों के अभाव-काल में इस के बिना इस कठिनाई को दूर नहीं कर सकते थे ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह प्रार्थना केवल शेष भाग को लाने के लिए की गई थी अथवा सरकार ने पी० एल० ४८० के अधीन कुछ अतिरिक्त मात्रा के लिये भी प्रार्थना की थी ।

†**श्री स० का० पाटिल** : पी० एल० ४८० के अन्तर्गत अतिरिक्त मात्रा में माल लेने का प्रश्न एक वर्ष के पश्चात् ही उठेगा, क्योंकि यह करार जून, १९६४ तक चलेगा । अतः वह प्रश्न नहीं उठता । किन्तु मैंने चावल का स्टाक जमा करने का प्रबन्ध किया है, लगभग

---

†मूल अंग्रेजी में

२० लाख टन, जिस के सम्बन्ध में बातचीत की गई थी और इसके लिये बचन भी दिया जा चुका है । यह आएगा ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : मा० मंत्री ने अभी बताया है कि वह इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या वह १६० लाख टन से कम माल के साथ प्रबन्ध कर कर सकते हैं । अब जब कि उन्होंने पूरी १६० लाख टन माल मांगी है, तो क्या हम यह समझें कि वह देश में पर्याप्त अन्न पैदा करने में असफल रहे हैं और इसी कारण वह यह मांग कर रहे हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मा० सदस्य ने मेरा आधा उत्तर ही सुना है । मैं यह कह रहा हूं कि जो बचेगा वह हम अगले वर्ष में ले जाएंगे । इसका यह अर्थ नहीं कि हमारे पास पर्याप्त अनाज नहीं है, किन्तु हमें यह उस गति से प्राप्त नहीं हो रहा, जिसकी हमें आशा थी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : देश के सामने क्या प्रत्याशा है ? क्या हमें पी० एल० ४८० आयात लंबी अवधि के लिये मिल रहा है; यदि हां, तो हमें ये आयात कितने अधिक वर्षों तक मिलेंगे ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह बहुत से तत्वों पर निर्भर है—प्रकृति, हम और खेती करने की स्थिति--(**अन्तर्बाधा**) ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : तब हम योजना क्यों करते हैं ? योजना करने का क्या लाभ है ?

†**श्री कपूर सिंह** : क्या सरकार ने पी० एल० ४८० की सुविधाओं के एकदम बन्द हो जाने पर विचार किया है, यदि हां, तो ऐसी कठिन स्थिति का मकाबला करने के लिये सरकार के मन में क्या योजना है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हम यह सोच रहे हैं कि इनको तो समाप्त होना ही है और हमें इनके लिए काम चलाना है ऐसी बात नहीं कि ये सुविधायें पहले प्राप्त थीं, और अब रोक दी गई हैं । यदि ये सुविधायें हमें प्राप्त थीं तो ये धीरे धीरे घटती जाएंगी और आखिरकार समाप्त हो जाएगी । हमें अपने संसाधनों से ही व्यवस्था करनी होगी ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : १६० लाख टन का जो सौदा हुआ है उसमें कितना गेहूं है और कितना चावल ? क्या अभी हाल में चावल की कमी को देखते हुए खाद्य मंत्री ने अपनी हाल की अमरीकी यात्रा में १६० लाख टन के अन्दर चावल का अनुमान बढ़ाने का प्रयत्न किया है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : १६० लाख टन गेहूं है । मैंने चावल का जिक्र नहीं किया । केवल १० लाख टन अतिरिक्त चावल है जो अभी आएगा । हम ने चावल के लदान में शीघ्रता की है और उस का लाभ मा० सदस्य के राज्य को प्राप्त होगा ।

श्री यशपाल सिंह : हम अमरीका के ऊपर निर्भर न रहें, इसके लिए कितनी सबसिडी हिन्दुस्तान के काश्तकार को दी गई है ?

श्री स० का० पाटिल : सबसिडी की बात नहीं है । हम जो प्राइस दे रहे हैं, वह आप को मालूम ही है । गेहूं की चौदह रुपये और चावल की सोलह रुपये मिनिमम प्राइस हम ने रखी है । यह पहले नहीं था । अभी गवर्नमेंट ने किया है ताकि काश्तकार ज्यादा प्रोडयूस करने की कोशिश करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० राम मनोहर लोहिया : पी० एल० ४८० के किस बरस तक का अनाज अभी तक सरकारी गोदामों में पड़ा है और किस बरस तक का बेचा गया है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इसकी पूर्व सूचना चाहिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : एक सवाल और कर लूं, अगर आप इज़ाज़त दें।

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमैंटरी एक हो सकता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : चूंकि मंत्री महोदय ने नोटिस मांगा है, इसलिए क्या आगे इस पर बहस हो सकेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह तब देखा जाएगा।

श्री वारियर : क्या स्वीकृत मूल्य विश्व बाजार भाव से कम होगा या अधिक ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह विश्व बाजार भाव के बराबर होगा।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : हम देश में जो बफर स्टाक बनाने वाले हैं क्या उसके लिये पी० एल० ४८० के अन्तर्गत चावल का आयात करने के संबंध में अन्तिम निर्णय किया जा चका है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया क्योंकि चावल किसी भी देश में फालतू नहीं, क्योंकि समूचे विश्व में फालतू चावल की मात्रा ५० लाख टन से अधिक नहीं । होगी जब कि गेहूं इस से पांच या छ गुना फालतू बचता है । अत: चावल प्राप्त करना कठिन होगा, क्योंकि यह उस देश विशेष में फसल पर निर्भर होता है। मुझे आशा है कि दो या तीन वर्षों में हम २० लाख से ३० लाख टन चावल का स्टाक कर सकेंगे ।

†**श्री वासप्पा** : जैसा योजना आयोग ने कहा है पी० एल० ४८० पर यह निर्भरता न्यूनतम की जानी चाहिये, इस संबंध में क्या कार्यवाई की गई है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हम भी इसके लिये उत्सुक हैं, दूसरों की अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं। किंतु समय आना चाहिये और बहुत शीघ्र । इस वर्ष जो कठिनाई या खतरा हुआ है, वह नहीं होना चाहिये । इसी कारण बफर स्टाक अधिक आवश्यक हो गया है ।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या पी० एल० ४८० ने खाद्यान्नों को स्थानीय भावों को कम करने और देश में उत्पादन पर असर डालने में सहायता की है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : बिल्कुल नहीं । हम सहायित दामों पर बेचते हैं और वह भी अपनी उचित मूल्य दुकानों में। हम चावल, गेहूं और जवार आदि अनाजों की न्यूनतम कीमत निश्चित कर सकें हैं, और यदि ये दाम अधिक नहीं, तो उनके गुजारे के लिये पर्याप्त हैं ।

श्री विभूति मिश्र : माननीय मंत्री जी कहते हैं कि विदेशों पर अन्न के मामले में हमारी जो डिपेंडेंस है, वह खत्म हो जाए और हमें बाहर से मंगाना न पड़े। मगर हम मंगाते ही जाते हैं। क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है कि बाहर से या अन्दर से कर्ज़ लेकर अपने यहां सिंचाई और खाद का इंतज़ाम कर दिया जाए जिस से हम सैल्फ-सफिशेंसी प्राप्त कर सकें ? इस के लिये क्या कोई टारगेट मुकर्रर किया गया है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह चीज़ बारबार सदन के सामने आ चुकी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत-पाकिस्तान-इंग्लिस्तान यूरोप नौवहन सम्मेलन[1]

+

†*(श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मुरारका :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पाकिस्तान-इंग्लिस्तान यूरोप नौवहन सम्मेलन में एक प्रतिनिधि मंडल ने भाड़ा दरों में वृद्धि के मामले पर भारत सरकार के साथ बातचीत की है ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन किन मुख्य बातों पर जोर दिया ; और

(ग) इस मामले में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) सम्मेलन ने भारत सरकार से नहीं, भारत के समुद्रतटीय भाड़ा आयोग के साथ बातचीत की थी।

(ख) पश्चिम जाने वाले माल पर १५ % तक भाड़ादर बढ़ाने के अपने प्रस्ताव के समर्थन में सम्मेलन ने निम्न बातों पर जोर दिया :

(१) भाड़ा दरों में पहले १९५७ में संशोधन हुआ था।

(२) तब से संचालन व्यय में काफी वृद्धि हो गयी है।

(३) पूर्व जाने वाले माल पर भाड़ा दरों में वृद्धि हो चुकी है।

(४) बहुत से सम्मेलनों ने अपनी दरें बढ़ा दी हैं।

(ग) अन्तिम निर्णय सरकार को नहीं करना, किन्तु इसने आयोग की सिफ़ारिशें स्वीकार कर ली हैं कि कुछ ऐसे पदार्थों को छोड़ कर जिन के भाव जल्दी जल्दी बढ़ते घटते हैं, ७ ½ परसेंट तक वृद्धि सीमित होनी चाहिये। यह बात सम्मेलन को बता दी गई थी और तब सम्मेलन ने १२ ½ प्रतिशत तक भाड़ा बढ़ाने का फैसला किया हालांकि प्रारंभ में वे १५ प्रतिशत तक बढ़ाना चाहते थे।

श्री विशन चन्द्र सेठ : मैं जानना चाहता हूं कि इस देश को कितना लास हर साल फ्रेट में होने की सम्भावना है ?

श्री राज बहादुर : यह अंदाज़ा लगाया गया है कि लगभग १ करोड़ ५० लाख था। उससे ऊंची रकम फ्रेट रेट्स बढ़ जायेंगे और देश को इस से विदेशी मद्रा में एक करोड़ रुपये के लगभग नुकसान होगा। लेकिन अभी ये आंकड़े स्टडी किए जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]Indo-Pakistan-U.K Continent Shipping Conference.

श्री बिशन चन्द्र सेठ : क्या गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि हम खद इसका प्रबन्ध कर लें ताकि एक्स्ट्रा फ्रेट खर्च न करना पड़े ?

श्री राज बहादुर : हमारे देश को भिन्न भिन्न कारगोज़ के लिए अलग अलग तरह के जहाजों पर निर्भर रहना पड़ता है और जो कान्फ्रेंस है, उससे भी काम लेना पड़ता है । हमारी कोशिश यह है कि किसी भी हालत में हमारा जो एक्सपोर्ट है, उसको हानि न पहुंचे।

श्री यशपाल सिंह : फ्रेट रेट्स साढ़े बारह परसेंट बढ़ने से हम को एक्सपोर्ट ट्रेड में कितना फायदा या नुक्सान होगा ?

श्री राज बहादुर : जो कमोडिटी एक्सपोर्ट होती हैं, उनका ज्यादा भाड़ा देना पड़ेगा इसका असर उस पर पड़ेगा । इस से नुक्सान की सम्भावना हैं, यह तो स्पष्ट विदित है।

श्री रघुनाथ सिंह : जो सैंसेटिव कारगो हैं, इसको भेजने की क्या कोई योजना आप के पास है ?

श्री राज बहादुर : सैंसेटिव कारगो को भेजने की योजना यही है कि अगर वे लोग अपने निर्यात को बनाये रखने के लिये या बढ़ाने के लिये चार्टर वगैरह की सुविधा मांगेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे । बहरहाल जैसा मैंने कहा है, किसी हालत में हमारी एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचे, ऐसी बात न होने देंगे ।

†**श्री मुरारका** : सरकार द्वारा नियुक्त समुद्रतटीय भाड़ा आयोग ने ७½ प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी । और इस सम्मेलन ने १२½ प्रतिशत की वृद्धि की है। इसलिये सरकार इस वृद्धि को १२½ से घटा कर ७½ प्रतिशत करने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**श्री राज बहादुर** : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, सम्मेलन स्वायत्तशासी है। अपना प्रशुल्कों के बारे में वे अपने निर्णय स्वयं करते हैं। हमें अपने निर्यात व्यापार के संरक्षणार्थ कुछ उपाय करने पड़ते हैं और विशेषकर इस उद्देश्य से कि हमारे निर्यात संवर्धन कार्यक्रम में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। विभिन्न उपायों द्वारा हम इस का प्रबंध करते हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : माननीय मंत्री ने जिन प्रस्तावित उपायों का संकेत किया है, क्या इन में से किसी उपाय की घोषणा, इस दृष्टि से कि इस देश के निर्यात व्यापार पर बहुत हानिकारक प्रभाव होने वाला है, सरकार द्वारा की जायगी ? क्या उदाहरणार्थ इंगलिस्तान की सरकार के साथ इस मामले में अग्रेत्तर बातचीत करने का कोई विचार है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं बता चुका हूं कि हमारा वास्तविक संबंध इस भाड़ा वृद्धि से है । जहां तक उपायों का संबंध है, उन के बारे में अब विचार किया जा रहा है । हम तुरन्त उनको नहीं कर सकते। सम्मेलन से कछ हानियां भी हैं। किन्तु मझे विश्वास है कि सम्मेलन का हमारे व्यापार के लिये कछ उपयोग अवश्य है । यह लक्ष्य नहीं है, यह साधन मात्र है। यदि उपयोगी सेवा उपयोगी सिद्ध नहीं होती, तो हमें अपने व्यापार के संरक्षण के लिये इस बात पर विचार करना पड़ता है कि क्या कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री कृ० च० पन्त : क्या यह सच नहीं कि भाड़ों में वद्धि करने के बारे में सम्मेलन ने जो कारण रखे हैं, वे जहाजों के जल्दी जल्दी आने जाने से न्यूनाधिक रूप में पूरे हो जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : बहुत सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, अर्थात् व्यापार में वृद्धि, चालू भाड़ा दरें, जहाजों का जल्दी जल्दी आना जाना आदि। इन बातों के आधार पर समुद्रतटीय भाड़ा आयोग ने यह फैसला किया था कि ७½ प्रतिशत वृद्धि सब आवश्यकताओं को पूरा कर देगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की भाड़ा दरें

†*८. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्रीमती विमला देवी :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० च० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने अन्तर्देशीय मार्गों पर किरायों की दरें बढ़ा दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां।

(ख) मुख्य मार्गों पर वृद्धि ७½ प्रतिशत के लगभग थी और प्रादेशिक मार्गों पर ५ प्रतिशत। अल्प व्यय सेवा कलकत्ता / अगरतला / खोवाई / कमालपुर / कैलाशहर के भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई।

पश्चिम तट सड़क

†*९. **श्री इम्बीचिबावा :**
श्री प० कुन्हन् :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री अ० ब० राघवन् :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पश्चिम तट सड़क चौड़ी करने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) अब तक इस पर कितना व्यय हुआ है; और

(ग) इस काम के कब तक समाप्त होने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)**: (क) सड़क को चौड़ा करने का काम केरल राज्य में १९८ मील लम्बी सड़क में १५५ मील तक पूरा हो गया है।

(ख) ३१ मार्च, १९६३ तक १७४ लाख रुपये व्यय हुए थे। इस में न केवल सड़क को चौड़ा करना अपितु उस पर तारकोल बिछाने और पुलों एवं पुलियों का निर्माण कार्य भी शामिल है।

(ग) केरल में सड़क के भाग के लिये ५·६९ करोड़ रुपये के संशोधित प्राक्कलन में से लगभग ३ करोड़ रुपये की लागत के कार्य तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति तक पूरे होने की आशा है और शेष कार्य चौथी योजना में लिया जायेगा ।

दूसरा जहाज निर्माण कारखाना

†*१०. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री मुरारका :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे जहाज निर्माण कारखाने के बारे में जापानी दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का सार क्या है; और

(ग) काम के कब तक शुरू हो जाने की आशा है ?

†**परिवहन तथा सचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

मैसर्स मितसुबिशी जहाज निर्माण तथा इंजीनियरी कंपनी समिति, जापान द्वारा भेजे गए विशेषज्ञों के दल ने अप्रैल, १९६३ में दूसरे जहाज निर्माण कारखाने के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की । रिपोर्ट की मुख्य बातें निम्न हैं :—

जहाज निर्माण कारखाने की क्षमता	१,२०,००० डी डब्ल्यू टी या ८९,००० जी आर टी प्रति वर्ष
लागत	१६ करोड़ रुपये
विदेशी मुद्रा	४·३५ करोड़ रुपये
निर्माण काल	नौ वष, चार प्रक्रमों में
उत्पादन का आरम्भ	निर्माण के तीसरे वर्ष में
बनाये जाने वाले जहाजों की किस्म	१५००० टन खुराक माल वाहक जहाज फुटकर व्यापार के लिये और ३०००० टन इकट्ठा माल ले जाने वाले जहाज / टैंकर
प्रति वर्ष बनाये जाने वाले जहाजों की संख्या	छः १५,००० टनर और एक ३०,००० टनर
बर्थों / डाकों की संख्या	मरम्मत गोदी समेत ५

†मूल अंग्रेजी में

जहाज निर्माण कारखाने में बनाये जाने वाले जहाज का अधिकतम आकार	५०,००० डी डब्ल्यू डी
परियोजना के लिये अपेक्षित भूमि का क्षेत्र	१५० एकड़ (भावी विस्तार के लिये ३० एकड़ मिला कर)
जलवर्ती गोदी की लम्बाई	१७०० मीटर
अन्ततोगत्वा लगाये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या	३४१०
पूर्ण उत्पादन की प्राप्ति	निर्माण आरम्भ होने के ११ वें वर्ष में
जहाज निर्माण कारखाने द्वारा लिये जाने वाले अतिरिक्त काम	जहाज की मरम्मत और ढांचे वाले इस्पात पदार्थों का निर्माण

२. रिपोर्ट कुछ मूलभूत अनुमानों पर आधारित थी जो आगामी दशाब्दि में भारत नौवहन की आवश्यकताओं के बारे में है, वर्तमान जहाज निर्माण कारखानों की उत्पादन योजनाएं, कोचीन की स्थानीय स्थिति, भूमि तथा इर्नाकुलम चैनल में स्थान की उपलिब्ध ।

३. दल पुनः मई १९६३ में भारत में आया और अपनी पहली रिपोर्टों में किये गये अनुमानों का पुनरीक्षण करने के लिये लगभग छः सप्ताह तक ठहरा । वे नई दिल्ली, बम्बई, कोचीन, मद्रास और विशाखापटनम गये तथा भारत सरकार, केरल सरकार, हिन्दुस्तान शिपयार्ड समिति और कुछ जहाज मालिकों के साथ बातचीत की, जिनके परिणामस्वरूप, दल के प्रतिवेदन का संशोधन किया जा रहा है और उनका अन्तिम प्रतिवेदन आने वाला है ।

४. जापानी दल ने सरकार को सूचित किया कि उन की फर्म परियोजनाओं में समता भागिता में दिलचस्पी रखती है । जैसा उन्हों ने चाहा, उन्हें बोर्ड की शर्तें बता दी गई हैं जिन पर विदेशी फर्म द्वारा परियोजना में समान भागिता पर सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है । इन शर्तों पर आधारित परियोजना में वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग के प्रस्ताव और उनकी अन्तिम रिपोर्ट मिलने वाली है ।

५. परियोजना में वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग के समझौता पूरा हो जाने के पश्चात् काम आरम्भ किया जाएगा ।

खाद्यान्नों में राज्य व्यापार

†*१२. **डा० उ० मिश्र :**
श्री बीनेन भट्टाचार्य :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री विश्वनाथ राय :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों में राज्य व्यापार के लिये एक संगठन स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि योजना आयोग और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय संयुक्त रूप से व्यवस्था कायम करेंगे; और

(ग) यदि हां, तो योजना का क्या ब्यौरा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठत ।

तूतीकोरिन बन्दरगाह

†*१३. **श्रीमती विमला देवी :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री सेझियान :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तूतीकोरिन बन्दरगाह विकास परियोजना के कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने इस पर चिन्ता व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तूतीकोरिन पत्तन परियोजना की प्रगति संतोषजनक है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि उत्पादन में वृद्धि न होना

†*१४. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :**
श्री मणियंगाडन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री वारिवर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री पु० र० पटेल :
श्री बड़े :
श्री हेम राज :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादन में वृद्धि न होने के कारणों की जांच के लिये विभिन्न राज्यों का दौरा करने वाले केन्द्रीय दलों की क्या सिफारिशें हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) जिन केन्द्रीय दलों ने विभिन्न राज्यों का दौरा किया है उन की प्रमुख सिफारिशों का संक्षेप देने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया / देखिये संख्या एल० टी १३६६/६३]**

(ख) केन्द्रीय दलों की अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशें, जिन पर चालू खरीफ़ ऋतु में राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही की जा सकती थी, उन को विचारार्थ एवं कार्यान्विति के निमित्त मई और जन के महीनों में सिफारिशें भेज दी गई थीं। केन्द्रीय दलों के पूर्ण वृत्त राज्यों के मुख्य सचिवों को जुलाई १९६३ में भेजे गये हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि उनकी मंत्रीमंडल एवं सचिवालय स्तर की प्रशासकीय समन्वय समितियों द्वारा इन पर विचार करके शीघ्र कार्य किया जाये।

आसाम के लिये विशिष्ट सड़क परिवहन संगठन

†*१५. **श्री सुबोध हंसदा : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसाम की आवश्यक वस्तुओं के सम्भरण के लिये विशेष सड़क परिवहन संगठन ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या उक्त संगठन इस प्रयोजनार्थ १०० ट्रक चलाने में समर्थ हो सका है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी, हां। इस संगठन ने २३ नवम्बर, १९६२ से कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

(ख) १०० गाड़ियों के लिए आर्डर दिए जा चुके हैं। तथापि संगठन को अभी तक केवल ६९ ट्रक मिले हैं। इन में से दस का उपयोग पूर्णतया बिचार में सड़क निर्माण के लिये किया जा रहा है और शेष ५९ आसाम में लगाए गए हैं।

(ग) क्योंकि शेष ३१ चैसियों में कुछ अतिरिक्त सामान लगाना वांछनीय समझा गया था, और वह सामान उपलब्ध नहीं था। उनको सड़क पर लाने में कुछ विलम्ब हुआ है। तथापि सामान के बिना ही गाड़ियां तुरन्त लेने का फैसला किया गया है और संभरणकर्ताओं को आवश्यक हिदायतें जारी की जा चुकी हैं।

खण्ड विकास अधिकारियों के राजस्व सम्बन्धी कार्य

†१६. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री द्वारकादास मंत्री :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि खण्ड विकास अधिकारियों से राजस्व का काम ले कर किसी दूसरी ऐजेंसी को सौंपा जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय पर कब अमल किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) व (ख). माननीय सदस्य शायद बिहार के बारे में पूछ रहे हैं। जहां राजस्व और विकास कार्य केवल खण्ड विकास अधिकारी को सौंपे हुए हैं। राज्य सरकार ने सिद्धान्त रूप से इन्हें अलग अलग करना स्वीकार कर लिया है। इसे जल्दी से कार्य रूप देने के लिए राज्य सरकार विस्तृत विवरण तैयार कर रही है।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये एवरो-७४८ विमान

†*१७. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३० अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच इस बारे में निर्णय कर लिया गया है कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपो, कानपुर से इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये कितने एवरो–७४८ विमान खरीदे जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है।

विशेष निर्यात गाड़ियां

†*१८. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि निर्यात व्यापार संगठनों द्वारा यह मांग की गयी है कि उन बन्दरगाहों तक, जहां से माल जहाजों में लादा जाता है, विशेष निर्यात गाड़ियां चलाई जायें; और

(ख) यदि हां, तो निर्यातकों की इस मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जाने का विचार है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) और (ख). रेलवे को निर्यात व्यापार संगठनों और अन्य व्यापारियों से, ब्लौक रेकों में या डिब्बों में निर्यात के लिये अपना माल भेजने के लिये इंडैंट प्राप्त होते हैं। अतः मांगें उच्चतर प्राथमिकता अथवा कार्यक्रमित आधार पर पूरी की जाती हैं और सामान्यतः अभ्यंश सीमाओं और संचालन सम्बन्धी प्रतिबन्धों से मुक्त होती हैं।

अन्तर्देशीय पत्र तथा एयरोग्राम

†*१९. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्देशीय पत्रों तथा एयरोग्रामों के कागज की किस्म तथा रंग में सुधार करने का है;

(ख) क्या भारतीय कागज मिलों द्वारा दिये गये बढ़िया किस्म के कागज की सीक्योरिटी प्रिंटिग प्रैस में जांच कर ली गई है; और

(ग) इस दिशा में आगे क्या कार्यवाही की गई है और नये डिजाइन को कब चालू किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) कुछ नमूनों की जांच की गई और कुछ की अब भी जांच की जा रही है।

(ग) समूचा प्रश्न विचाराधीन है और अन्तिम निश्चय करने में कुछ समय लगेगा ?

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के डकोटा के साथ दुर्घटना

†*२०. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री राम सेवक यादव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हेम राज :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री रा० बरुआ :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री कपूर सिंह :
श्री गुलशन :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री केसर लाल :
श्री अ० व० राघवन :
श्री वारियर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री सिद्धनंजप्पा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० के० देव :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब ३ जून, १९६३ को पठानकोट के पास इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का डकोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उस के २५ यात्री और ४ कर्मचारी मारे गये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां।

(ख) एक जांच न्यायालय दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहा है।

पंचायती राज

†*२१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती राज के कार्य संचालन का अध्ययन करने के लिये विभिन्न राज्यों को दल भेजे गये थे;

(ख) इन जांचों द्वारा संगठनात्मक रूप से कार्य करने में कौन सी मुख्य कठिनाइयों का पता चला; और

(ग) राज्य सरकारों को कौन कौन से उपचारी उपाय सुझाये गये तथा उन को कहां तक कार्य रूप दिया गया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : पंचायती राज के मुख्य पहलुओं का अध्ययन करने के लिए निम्न तीन अध्ययन दल बनाये गये : —

(१) ग्राम सभा संबंधी अध्ययन दल ।

(२) पंचायती राज संस्थाओं की आय-व्ययक तथा लेखा प्रक्रिया संबंधी अध्ययन दल ।

(३) पंचायती राज संस्थाओं के वित्त संसाधन संबंधी अध्ययन दल ।

(ख) और (ग) संसाधन तथा वित्त संबंधी अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्टें ३१-७-६३ को प्रस्तुत की और वह विचाराधीन है ।

अन्य दो दलों की रिपोर्टें संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं। वे राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं और हाल में विकास आयुक्तों तथा राज्य मंत्रियों ने उसपर विचार भी किया था। राज्य प्रतिनिधियों ने ग्राम सभा सम्बन्धी अध्ययन दल की रिपोर्ट की जांच करने के लिए अधिक समय मांगा। उन्होंने आय-व्यय तथा लेखा प्रक्रिया सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशों से सामान्य तथा सहमति प्रकट की। इन दो दलों की मुख्य सिफारिशों का संक्षेप सभा पटल पर रखा जा रहा है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १३७०/६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

कासगंज के निकट रेलगाड़ी में डकैती

*२२. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ मई, १९६३ को प्रातःकाल कासगंज सिटी और सोरों स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच पांच डाकुओं के एक गिरोह ने सेकिंड क्लास के एक डिब्बे में घुस कर दो आभूषण पुरुष और एक नव बधु, जो हाथरस से बरेली आ रहे थे, से घड़ियां, नकद रुपया तथा २५ तोले के आभूषण छीन लिये;

(ख) क्या गाड़ी के साथ कोई पुलिस दल चल रहा था; और

(ग) यदि हां, तो पुलिस डकैतों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में किन कारणों से असफल रही ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस के असिस्टेन्ट इन्स्पैक्टर जनरल इस मामले की जांच कर रहे हैं।

पश्चिमी बंगाल का गहरे समुद्र में मत्स्यग्रहण सम्बन्धी एकक

*†२३. **श्री गो० महन्ती** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने पश्चिम बंगाल का गहरे समुद्र में मत्स्यग्रहण सम्बन्धी एकक अपने नियंत्रण में ले लेने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बताया जा सकता है कि भविष्य में यह एकक किस क्षेत्र में कार्य करेगा ; और

(ग) इस सम्बन्ध में बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

(क) से (ग)

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : पश्चिमी बंगाल सरकार का गहरे समुद्र में 'मत्स्यग्रहण बोर्ड पांच मछली पकड़ने वाले जहाजों का प्रयोग कर रहा है। इन में से तीन जापानी 'बुल ट्रालर' (मछली पकड़ने के जहाज) हैं जो टी० सी० एम० के सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत मिले हैं। टी० सी० एम० अब अमरीकी ए० आई० डी० कहलाता है। दो डेन्मार्क के मछली पकड़ने के जहाज हैं जो राज्य सरकार ने प्राप्त किये हैं। यह निश्चय किया गया है कि तीन 'बुल ट्रालर' (मछली पकड़ने के जहाज) उन पर काम करने वाले कर्मचारियों सहित भारत सरकार के गहरे समुद्र में मत्स्यग्रहण संगठन को प्राप्त करने चाहियें।

उन में आवश्यक मरम्मत करके उन्हें समुद्र में प्रयोग किये जाने योग्य बनाने के बाद भारत सरकार जहाजों को खोज तथा प्रयोगात्मक मत्स्यग्रहण के अपने प्रोग्राम की समय समय पर आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोग करेगी।

कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालयों का एकीकरण

२४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या कृषि तथा सिंचाई मंत्रालयों के एकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय हुआ है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों का भी परामर्श लिया गया था ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

इण्डियन एयरलाइन्स के विमान

†*२५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स के विमानों की इस समय क्या स्थिति है; और

(ख) इस का किस प्रकार पुनर्गठन करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन):** (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स के पास प्रयोग होने वाले निम्न विमान हैं: —

वाइकाउन्ट	१३
स्काईमास्टर	३
फाकर फ्रन्डशिप	१०
डकोटा	३८
	[इन में ९ मालवाहक डकोटा हैं।]

केन्द्रीय सरकार की अनुमति से निगम ने ३ कार्वेल जैट विमानों के लिये फ्रांस के मैसर्स सूद एवियेशन को क्रयादेश दिया है। ये विमान मार्गों पर प्रयोग के लिये जनवरी, १९६४ के आरम्भ से उपलब्ध होंगे। कार्वेल विमानों के आने पर और १० डकोटा विमान निगम के पास फालतू हो जायेंगे। जहाज़ों की संख्या बढ़ने से निगम को आशा है कि वह वर्तमान यातायात की मांग, विशेषकर, ट्रक मार्गों के यातायात की मांग पूरा कर सकेगा।

राजस्थान रेगिस्तान का नियन्त्रण

†*२६. **श्री कर्णीसिंहजी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान राज्य में रेगिस्तान का विस्तार रोकने के लिये वर्ष १९६२-६३ में जो रेगिस्तान अनुसन्धान योजना तथा राजस्थान रेगिस्तान कृष्यकरण तथा नियंत्रण योजना लागू की थीं, उन में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) किन किन क्षेत्रों में कार्य किया गया था ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह):** (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १३७१/६३]**

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गदरा रोड, बीकानेर, जोधपुर, झुनझुनूं, जैसलमेर, बीचवाल, पाली, अजमेर, सिकार, नागौर, चूरू और बारमेर ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास

†*२७. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ख) केन्द्र द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए इस मंत्रालय की तीसरी योजना में लगभग ६८.७ करोड़ रु० की लागत की योजनायें सम्मिलित की गई हैं । इन योजनाओं को लागू करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) ७७.३६ लाख रुपये ।

खंडसारी और गुड़ के व्यापारियों को लाइसेंस देने की व्यवस्था

†*२८. **श्री अ० ना० विद्यालंकार:**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे चीनी के ढंग पर गुड़ और खंडसारी के थोक व्यापारियों को लाइसेंस दिया करें;

(ख) क्या सरकार ने सामान्य रूप से गुड़ और खंडसारी के उद्योग पर इन कार्यवाहियों की संभव प्रतिक्रिया की जांच की है; और

(ग) गुड़ और खंडसारी के मूल्य में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) इन पण्य वस्तुओं के प्रयोग में वृद्धि तथा मांग की अपेक्षा उपलब्धि कम । यह असन्तुलन पिछले महीनों में चीनी का उत्पादन कम होने से और भी बढ़ गया है ।

सामुदायिक विकास का योजनाबद्ध विकास

†*२९. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री बसुमतारी :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक विकास के योजनाबद्ध विकास के बारे में राजस्थान द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धति से क्या परिणाम निकले हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए अन्य राज्य सरकारों को अपने कार्य-क्रमों को समायोजित करने के बारे में क्या परामर्श दिया गया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) सामुदायिक विकास खण्डों के योजनात्मक आय-व्यय तथा कर्मचारी-पद्धति के परिवर्तनों को राज्य सरकार ने प्रायः जून, १९६३ से लागू किया है। अतः अभी परिणाम का पता नहीं लग सकता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गन्ने का न्यूनतम मूल्य

†*३०. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने का विचार कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मूल्य में यह वृद्धि भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होगी; और

(ग) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां। यह निर्णय किया गया है कि गन्ने के १.६२ रुपये प्रति मन न्यूनतम भाव का १९६२–६३ की फसल में ९.८ प्रतिशत चीनी की उपलब्धि से सबन्ध जोड़ने के बजाय। १९६३-६४ की आने वाली फसल में ९.४ प्रतिशत चीनी की उपलब्धि से सम्बन्ध जोड़ा जाए। इस से गन्ने के भाव में ६ नये पैसे प्रतिमन की आम बढ़ोतरी हो जाएगी।

(ख) और (ग) भाव कारखाने के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं और प्रत्येक कारखाने की भाव वृद्धि उसकी चीनी की उपलब्धि पर निर्भर करेगी। अलग अलग कारखानों द्वारा गन्ने के देय न्यूनतम भावों का हिसाब लगाया जा रहा है और गन्ना पेरने की फसल के आरम्भ होने से काफी समय पहले घोषित कर दिये जायेंगे।

उड़ीसा में धान की खेती

†१. **श्री जेना :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार से कहा है कि वह राज्य में जहां भी पिछले वर्ष सूखा के कारण हुई खाद्यान्न की भारी कमी को पूरा कर सके वहां बड़े पैमाने पर खण्ड कर्मचारियों की सलाह तथा मार्गदर्शन से दलुआ धान की खेती करे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो ऐसी खेती कुल कितने एकड़ भूमि में की गई और राज्य में किन खण्डों ने, दलुआ धान की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए भारी दिलचस्पी दिखाई; और

(ग) खेती सहित इस पर कुल कितना व्यय हुआ और कुल कितने मूल्य का उत्पादन हुआ ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) केन्द्रीय दल ने अप्रैल, १९६३ में उड़ीसा राज्य की अपनी यात्रा में मत व्यक्त किया कि राज्य सरकार ने १९६२-६३ की रबी फसल में एक विशेष आन्दोलन चलाया है जिसका उद्देश्य दोहरी फसल उगाने का विस्तार करना है और इसमें दलुआ धान की खेती सम्मिलित है। राज्य में नहर के पानी से सींचे जाने वाले क्षेत्रों में दोहरी फसल उगाने को बढ़ावा देने की अधिक गुंजाइश होने के कारण केन्द्रीय दल ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि वह इस कार्यक्रम को और गहन बनाये और आगामी वर्ष में दोहरी फसल और अधिक भूमि में कराये जिस में दलुआ धान की खेती भी सम्मिलित है।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर पटल पर रख दी जायेगी।

शन पेंपाने वाले रेलवे कर्मचारी

†२. **डा० श्री निवासन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेन्शन पाने वाले रेलवे कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि होगी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) पेन्शन पाने वाले रेलवे कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता नहीं मिलता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिवेंद्रम-तिरुनेलवेली लाइन

†३. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित त्रिवेन्द्रम-तिरुनेलवेली लाइन का इंजीनियरी सर्वेक्षण आरम्भ हो गया है; और

(ख) क्या लाइन का निर्माण तीसरी पंचवर्षीय योजना में होगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां।

(ख) प्रस्तावित लाइन तीसरी योजना काल में नई लाइनों के निर्माण के रेलवे कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।

केले की खेती का विकास

†४. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान निगम द्वारा दक्षिण भारत में, जिसमें केरल, मद्रास, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश होंगे, केले की खेती का विकास करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या केला का निर्यात करने की संभावना का पूरी तरह पता लगा लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिं** (क)

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) हां, [illegible] में केला उगाने वाले क्षेत्र के सर्वेक्षण से पता लगा है कि दक्षिण से "पूवन" किस्म महाराष्ट्र और गुजरात से [illegible]बसराई" किस्म, के केलों का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा सकता है। केला के बाजार का पता लगाने के लिए पश्चिम एशियाई देशों और यूरोप के देशों तथा ब्रिटेन को एक केला प्रतिनिधि मंडल भेजा जा रहा है ।

रक्सौल हवाई अड्डा

†५. श्री **राम सहाय पाण्डेय** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्सौल हवाई अड्डे का निर्माण पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह प्रयोग किये जाने के लिए तैयार हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) टर्मिनल भवन को छोड़ कर सभी बड़े बड़े कार्य पूरे हो गये हैं ।

(ख) जी हां, प्रयोग के लिये धवन-मार्ग तैयार है ।

बागबानी का विकास

†६. श्री **राम चन्द्र उलाका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२–६३ में बागबानी के लिए उड़ीसा सरकार को ऋण तथा अनुदान के रूप में कितना धन दिया गया; और

(ख) उस काल में उस राज्य में कितना धन प्रयोग किया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) निम्नांकित बागबानी योजनाओं के लिए १९६२–६३ में उड़ीसा सरकार को निम्न राशियां दी गई :––

योजना	ऋण रु०	अनुदान रु०	योग रु०
१. मालियों का प्रशिक्षण	——	१८,५००	१८,५००
२. प्रजनक बाटिकाओं तथा फलोद्यानों की स्थापना	——	३२,५००	३२,५००
३. उद्यान बस्तियों की स्थापना	५०,०००	५,५००	५५,५००
योग	५०,०००	५६,५००	१,०६,५००

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसी अवधि में राज्य सरकार ने निम्न धन राशियां प्रयोग कीं :—

योजना	ऋण रु०	अनुदान रु०	योग रु०
१. मालियों का प्रशिक्षण	—	१४,०००	१४,०००
२. प्रजनक वाटिकायों तथा फलोद्यानों की स्थापना	—	२०,४५०	२०,४५०
३. उद्यान बस्तियों की स्थापना	—	३,२००	३,२००
योग		३७,६५०	३७,६५०

उड़ीसा में सहकारी आन्दोलन

†७. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत पांच वर्षों में सहकारी आन्दोलन को तैयार करने के लिए उड़ीसा सरकार को केन्द्र द्वारा कोई ऋण अथवा सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र):** (क) और (ख) जी हां। सहकारी विकास की योजनाओं की क्रियान्विति के लिए उड़ीसा सरकार को निम्नलिखित सहायता दी गई थी :—

(लाखों रुपये में)

वर्ष	ऋण	सहायता	जोड़
१९५८–५९ . .	४.२५०	३.४०५	७.
१९५९–६० .	१३.६१३	३.६६६	
१९६०–६१	०.९४०	७.३८३	
१९६१–६२ .	८.८०४	४.४०७	
१९६२–६३ .	१०.६८०	७.३५०	
जोड़ .	३८.२८७	२६.२११	६४.९८

दुर्लभ जड़ी बूटियों का विदोहन[1]

†८. **श्री रामचन्द्र उलाला :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तीसरी योजनावधि में उड़ीसा में दुर्लभ जड़ी बूटियों का विदोहन करने में कोई गति हुई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

[1]Exploitation of rare herbs.

(ख) यदि हां तो उसके ब्यौरे क्या हैं तथा अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रा० सु० सिंह) (क) राज्य सरकार में एसा कोई कार्यक्रम चालू नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में स्वचालित टेलीफोन

†९. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितने स्वचालित टेलीफोन हैं ; और

(ख) १९६३–६४ में ऐसे कितने टेलीफोन लगाये जायेंगे तथा उड़ीसा में यह किन स्थानों पर लगाये जायेंगे ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) १३१९ ।

(ख) ६३–६४ में लगने वाले टेलीफोनों की संख्या तथा स्थानों के नाम नीचे दिये जाते हैं :—

(१)	बालूगांव . . .	३५
(२)	सखीगोपाल . . .	२५
(३)	नायागढ़ हर माढ़ी . .	१०
(४)	चंडवाली . . .	२५

पानपोश स्टेशन पर रेल दुर्घटना

†१०. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या रेलवे मंत्री १९ फरवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने १७ दिसम्बर, १९६२ को रूरकेला के निकट (दक्षिण-पूर्व रेलवे) पानपोश स्टेशन पर ५०२ डाउन गुड्स ट्रेन के इंजन के साथ दुर्घटना के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की उपपत्तियों की इस बीच जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) दुर्घटना 'रेलवे कर्मचारियों' की गलती से हुई थी

आलू का उत्पादन

†११. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में देश में आलू का कितना उत्पादन था ;

(ख) क्या यह उत्पादन गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में कम हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). १९६२–६३ में आलू के अखिल भारतीय अन्तिम प्राक्कलन अभी उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उनमें १९६२–६३ के क्षेत्र तथा उत्पादन तथा १९६१–६२ के पुनरीक्षित आंकड़े दिए जायेंगे। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार जो राज्यों द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों पर आधारित हैं, यह मालूम होता है कि १९६२–६३ में आलुओं का उत्पादन १९६१–६२ से अधिक होगा। १९६१–६२ में उत्पादन २.७२३ लाख टन था।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन में गैर चालन व्यय

धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का गैर चालन व्यय कितना है ;

(ख) क्या यह व्यय पहले वर्ष से बढ़ गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बढ़ोतरी के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) १९६२–६३ में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के गैर चालन व्यय के ब्यौरे नीचे दिये जाते हैं :—

	१९६१–६२ रुपये	१९६२–६३ रुपये
१. पुर्जों के अप्रचलन के लिए अतिरिक्त उपबन्ध .	१०,४९,३६१	–
२. पाकिस्तानी मुद्रा के अवार्हण मूल्य के कारण हानि .	२,८५,५६१	५,७१,१२२
३. विकास छट रिजर्व . .	—	४०,००,१०००
जोड़ रुपये .	१३,३४,९२२	४५,७१,१२२

१९६२–६३ में गैर चालन व्यय में वृद्धि इस कारण से हुई क्योंकि निगम ने पहले वर्ष के समान १९६२–६३ में विकास छट रिजर्व के लिए ४० लाख टन रुपये का उपबन्ध नहीं किया था।

एयर इंडिया का बुकिंग

†१३. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, १९६२ से अब तक एयर इंडिया निगम का कितना बुकिंग हुआ है; और

(ख) क्या बुकिंग में कोई वृद्धि हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) एयर इंडिया द्वारा अक्तूबर, १९६२ से मार्च १९६३ तक की अवधि में इसकी सेवाओं में कुल ७८५६९ यात्रियों ने यात्रा की।

(ख) जी हां। बुकिंग में वृद्धि १६.४ प्रतिशत थी, जब कि अक्तूबर, १९६१ से मार्च, १९६२ तक की अवधि में ६७,४६९ यात्री ले जाये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में टेलीफोन राजस्व

†१४. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में कुल कितना टेलीफोन राजस्व बकाया है ;

(ख) इसे वसूल करने में सरकार ने क्या पग उठाये हैं या उठा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) ३०–९–६२ तक जारी किये गये बिलों के सम्बन्ध में ३१–३–६३ को २.५२ लाख रुपये की रकम बकाया थी ।

(ख) टेलीफोन राजस्व लेखापाल कार्यालय कलकत्ता से कटक ले जाया जा रहा है । कार्यालय के स्थानान्तरण के बाद काया रकम करने के लिये विशेष कदम उठाये जायेंगे ।

उड़ीसा में टेलीफोन प्रणाली

†१५. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि १९६३–६४ और १९६४–६५ में उड़ीसा में किन किन स्थानों पर टेलीफोन प्रणाली जारी की जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** सामान उपलब्ध होने पर १९६३–६४ और १९६४–६५ में निम्न स्थानों पर टेलीफोन केन्द्र और पी० सी० ओ० खोलने का विचार है :—

१९६३–६४ में

केन्द्र	पी० सी० ओ०
१. बानपुर, बालगांव	१. ओल
२. सोर	२. जोरोंडा
३. बेतनाती	३. राजकिशोर नगर
४. चांदवली	४. छेंदी पड़ा
	५. राय झेरन
५. सखीगोपाल	६. सारंगी
६. जोडा	७. बोयरानी
७. पारादीप	८. उपरकोट

१९६४–६५ में

केन्द्र	पी० सी० ओ०
१. नयागढ़, इतमाती	१. सुराडा
२. केन्द्रापाड़ा	२. कला पथेर
३. कुनिंडा	३. बागडिया
४. रिजखोल	४. झेरपाड़ा

†मूल अंग्रेजी में

५. सोनपुर	५. गोंडिया
६. नवपारा टोनवांट	६. गोबिन्दपुर
७. गुनुपुर	७. टिगिरिया
८. बिसरा	८. बारम्भा
९. ब्रजराजनगर	९. नरसिंहपुर
१०. राजगंगपुर	१०. राजवनिका
	११. टेलकोय
	१२. पटांगी

'जल राजेन्द्र' में अग्निकांड

१६. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद†: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मालवाहक जहाज "जल राजेन्द्र" में कुछ समय पहले आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में यह घटना हुई;

(ग) इस से कितनी हानि हुई; और

(घ) क्या सारी बातों की जांच की गई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). यह जहाज इस समय यू० के० में है । आग लगने का कारण और उस से हुई क्षति जहाज के भारत लौट आने पर प्रारम्भिक जांच के बाद ही मालूम होगी ।

गोसंवर्द्धन परिषद को अनुदान

१७. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद् को १९६१–६२ में कितना अनुदान दिया गया और उस में से कितना रुपया किन मुख्य मदों में खर्च किया गया ;

(ख) परिषद् को १९६२–६३ में कितना अनुदान दिया गया और वह किन मदों में खर्च किया गया;

(ग) १९६३–६४ के लिए अनुदान की स्वीकृत राशि क्या है; और

(घ) क्या परिषद् के कार्यों का कभी मूल्यांकन किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :(क)और(ख). दो विवरण संलग्न हैं । **[पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० १३७२/६३]** ।

(ग) खाद्य और कृषि मंत्रालय के बजट में ८,८५,००० रुपये की व्यवस्था कर ली गई है, इस में से ३,५०,००० रुपये अब तक परिषद् को दे दिए गए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) १९६० में जब कि इस की रचना तथा इस के कार्यों को विस्तृत करने का निर्णय किया गया था, सरकार ने परिषद् के कार्यों पुनर्विलोकन किया था। परिषद् के कार्यों का वर्ष में कम से कम ३ बार पुनर्विलोकन कार्य समिति द्वारा तथा कम से कम २ बार साधारण सभा द्वारा किया जाता है, जिस में कि पशु पालन विभाग से सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्री तथा कृषि और वित्त मंत्रालयों के सचिव या उन द्वारा मनोनीत व्यक्ति अथवा दूसरे सलाहकार और गैर-सरकारी व्यक्ति प्रतिनिधित्व करते हैं।

रत्नगिरि में बारह मास खुला रहने वाला बन्दरगाह

१८. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य के रत्नगिरि जिले में एक ऐसा बन्दरगाह बनाया जाने वाला है जो हर मौसम में चालू रह सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो यह बन्दरगाह किस स्थान पर, कितनी लागत से और कब तक बनेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) प्रदेश सरकार का विचार मिरया बे (रत्नगिरि) पर हर मौसम में चालू रहने वाला बन्दरगाह बनाने का है।

(ख) प्रदेश सरकार ने इस काम के लिए निम्नलिखित खर्चे का अनुमान लगाया है :

(१) सुरक्षित लंगरगाह के लिए १.५ से २ करोड़ रुपये तक।

(२) पूरी योजना के लिए ६ से ७ करोड़ रुपये तक।

पूरी योजना के मंजूर होने के बाद इस में लगभग तीन वर्ष लगेंगे।

कटक में टेलीफोन केंद्र

†**१९. श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक में माल गोदाम के समीप एक और टेलीफोन केन्द्र खोलने के सुझाव प्राप्त हुए हैं, ताकि टेलीफोन उपभोक्ताओं और अन्य लोगों को अधिक सुविधायें मिल सकें, और

(ख) यदि हां, तो उस का विस्तार और सरकार की प्रतिक्रिया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां।

(ख) ८३,६०० रुपये के अनुमानित व्यय से एक किराये की इमारत में ३०० लाइनों वाला एक अस्थायी केन्द्र खोलने की मंजूरी दी गई है या केन्द्र और वर्तमान मुख्य केन्द्र नये स्वचालित केन्द्र के चालू होने पर बन्द कर दिये जायेंगे।

चावल

†**२०. श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : इस समय देश में चावल की (१) कुल वार्षिक आवश्यकता और (२) उत्पादन कितना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : भारत में जहां बहुत से उपभोक्ता स्वयं उत्पादक भी हैं चावल के उपभोग का सही अनुमान लगाना कठिन है। तथापि उत्पादन के औसत आंकड़े और १९६१–६२ में समाप्त होने वाले त्रिवर्षीय अवधि में चावल के औसत शुद्ध वितरण को जमा कर के चावल का औसत कुल उपभोग प्रति वर्ष ३३,२००,००० टन है।

१९६१–६२ को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में चावल का औसत वार्षिक उत्पादन ३२,७४४,००० टन था।

उड़ीसा को दी गई चीनी और गेहूं

†२१. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में संघ सरकार ने उड़ीसा राज्य को कितनी चीनी और गेहूं दिया।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : १९६२–६३ (अप्रैल से मार्च) में केन्द्रीय सरकार के संग्रह से उड़ीसा की आय मिल और उचित मूल्य की दुकानों को ४१.५ हजार मीट्रिक टन गेहूं जारी किया गया था।

चीनी का वर्ष १ नवम्बर से ३१ अक्तूबर तक गिना जाता है।

१ नवम्बर १९६२ से २२ जुलाई, १९६३ तक की अवधि में उड़ीसा के स्थानों के लिए २७.२ हजार मीट्रिक टन चीनी भेजी गई थी।

खुर्दा रोड और नेरगुन्डी के बीच रेलवे लाइन

†२२. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुर्दा रोड से नेरगुन्डी (उड़ीसा) तक प्रस्तावित दोहरी लाइन के निर्माण में, जो कि डी० बी० के रेलवे परियोजना द्वारा बनाई जा रही है; क्या प्रगति हुई है;

(ख) परियोजना कब समाप्त हो जायेगी; और

(ग) परियोजना का कुल अनुमानित व्यय ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) ४० प्रतिशत।

(ख) जून, १९६६।

(ग) ८०३ लाख रुपये।

बड़ी लाइनें

†२३. **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री बसुमतारी :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी खंड में रेलवे लाइनों को दोहरा करने और मीटर गेज़ को बड़ी लाइन में बदलने के लिये कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ख) उस को क्रियान्वित करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख) आसाम में सिलीगुडी से जोगीघोपा तक एक नई बड़ी लाइन बनाने का निर्णय किया गया है। इस काम में (१) सिलीगुड़ी से हलदीबार तक मीटर गेज़ लाइन को बदलना (२) रानीनगर (सिलीगुडी हलदी वाडी शाखा) से जोगीघोपा तक एक नयी बड़ी लाइन बनाना शामिल है ।

इन निर्माण कार्यों के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण और अन्तिम स्थान सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गई है और ये जारी है। लाइन बनाने के प्रारम्भिक प्रबन्ध भी किये जा रहे हैं।

मद्रास जाने वाली हावड़ा एक्सप्रेस की टक्कर

†२४. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री अ० ब० राघवन :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २५ मई, १९६३ को बिजयवाड़ा के समीप नकाबपेलम और ताडें-पल्ली गुडम के बीच एक बिना चौकीदार के समपार पर मद्रास जाने वाली हावड़ा एक्सप्रेस के साथ एक ट्रेक्टर की टक्कर हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना में हताहतों की संख्या क्या है ; और

(ग) दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां, २५ मई, १९६३ ।

(ख) एक व्यक्ति घटनास्थल पर मर गया था और ट्रेक्टर के तीन व्यक्तियों को गहरी चोटें आईं। उन में से दो अस्पताल में मर गये थे। तीसरा संतोषजनक रूप से अच्छा हो रहा है।

(ग) २५-५-६३ से ०२.३२ बजे जब कि नम्बर ३७ अप एक्सप्रेस हावड़ा-मद्रास, जब कि वह नवाबपेलम और टाडेपल्लीकुडेम के बीच चल रही थी एक बिना चौकीदार के समपार पर एक ट्रेक्टर से टकरा गई थी, जो कि इंजन की बिसलों और हैडलाइट्स के होते हुए भी लाइन पर आ गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

समपारों (लेवल क्रांसिग्स) पर दुर्घटनायें

†२५. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले ४ महीनों में समपारों (लेवल क्रासिंग्स) पर कितनी दुर्घटनायें हुईं ।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : मार्च, १९६३ से जून, १९६३ तक की अवधि में ६६ समपार दुर्घटनायें हुई थीं ।

पर्यटक यातायात

†२६. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री बसुमतारी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० के० देव :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पर्यटन विभाग ने भारत में पर्यटन यातायात में कमी होने के कारणों की जांच की है जब कि भारत में पर्यटकों की रुचि के बहुत से विशेष और अभिन्न साधन हैं ;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर)** (क) और (ख). वरिष्ठ अधिकारियों की एक तदर्थ समिति इस मामले की जांच के लिए स्थापित की गई है जो कि पर्यटन यातायात को बढ़ाने के लिए सिफारिशें करेगी । समिति का प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

गेहूं की खरीद

†२७. श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री क० न० तिवारी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ६ अप्रैल, १९६३ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल्य स्थैर्य योजना[1] के अन्तर्गत सरकार ने कितना गेहूं खरीदा और किस मूल्य पर;

(ख) इस प्रकार की और क्या योजनायें शुरू की जानी हैं और यदि हां, तो किन कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में; और

(ग) किन कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में ऐसी मूल्य स्थैर्य योजनायें चालू हैं ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):** (क) मूल्य स्थैर्य योजना के अन्तर्गत इस वर्ष ३४.८३ प्रति क्विंटल से ४०.१९ प्रति क्विंटल तक निम्नतम मूल्यों पर सरकार ने ३९६२ टन गेहूं खरीदा है ।

(ख) और (ग). गेहूं के अतिरिक्त चावल ज्वार और कच्चे पटसन के मामले में मूल्य स्थैर्य की नीति अपनाई गई है । गन्ने के सम्बन्ध में चीनी मिलों को दी जाने वाली चीनी के लिए निम्नतम मूल्य निर्धारित किया गया है । कच्ची कपास के लिये निम्नतम तथा अधिकतम मूल्य हर वर्ष निर्धारित किये जाते हैं । तिलहन के बारे में निम्नतम स्थैर्य मूल्य निर्धारित नहीं किए गए । तम्बाकू लाख और इलायची इन के लिये निम्नतम निर्यात मूल्य निर्धारित किये गये हैं; ताकि वे लाभप्रद हो सकें, अन्य कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में जैसा कि नारियल, सुपारी, काजू और गरम मसालों आदि के सम्बन्ध में मूल्य स्थैर्य की नीति अभी लागू करने का विचार नहीं है ।

सिलीगुडी–जोगीघोपा लाइन

†२८. श्री बसुमतारी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री प्र० के० देव :
श्री स्वैल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच बिहार, तूफान गंज, बकिसहाट, बसबारी, खोक्साघाट, बिलासीपारा, सालकूचा, छपर और काछूडोला से हो कर, या किसी अन्य रास्तों से सिलीगुड़ी जोगीघोपा बड़ी लाइन बनाने के लिए कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रविधिक कारणों से यह निर्णय किया गया है कि इस लाइन का रास्ता इस प्रकार होना चाहिये :—

(१) सिलीगुड़ी से कूचबिहार तक डोमोहानी और फालाकाटा से हो कर ।

(२) कूचबिहार से उत्तर में मुड़ कर अलीपुर द्वार को ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Price Support Scheme.

(३) अलीपुर द्वार से बोंगेगांव को वर्तमान मीटर गेज लाइन के रास्ते और इसके दक्षिण में

(४) और फिर दक्षिण में जोगीघोपा को ।

यह रास्ता न केवल सस्ता होगा, बल्कि अन्य रास्तों की अपेक्षा जल्दी बनाया जा सकेगा ।

टेलीफोन की डायलिंग प्रणाली

†२९. **श्री प्र चं० बरूआ :**
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० न० स्वामी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री बालगोविन्द वर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के अन्तर्गत सभी राज्यों की राजधानियों को और अन्य महत्वपूर्णशहरों को टेलीफोन की डायलिंग प्रणाली द्वारा नई दिल्ली से मिलाने की कोई योजना है

(ख) क्या पहले कदम के रूप में दिल्ली और आगरा और लखनऊ और कानपुर के बीच एसा संबंध स्थापित किया गया है; और

(ग) क्या ऐसा काम अन्य शहरों के लिए किया जा रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) इस प्रकार की प्रणाली तीसरी योजना के दौरान नई दिल्ली और कुछ राज्यों की राजधानियों के बीच शुरू करने का विचार है । अन्य राजधानियों के बारे में यह काम चौथी योजना में शुरू किया जायेगा ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

चन्दौसी में रेलवे प्रशिक्षण स्कूल

†३०. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि चन्दौसी के रेलवे प्रशिक्षण स्कूल में रेलवे कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में वे परिवर्तन शामिल नहीं है जो भारतीय रेलों में पुनर्गठन के बाद शुरू किये गये थे ; और

(ख) यदि हां तो पाठ्यक्रमों को नवीनतम बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**:(क) ये परिवर्तन चन्दौसी के क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हैं

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गेहूं का रक्षित भंडार (बफर स्टाक)

३१. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने गेहूं का ४० लाख टन का स्टाक संग्रह करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां तो इसका विवरण क्या है ; और

(ग) पी०एल० ४८० करार पर इसका क्या असर पड़ेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां

(ख) और (ग) .पी०एल० ४८० करारों के अधीन हमने जो अन्न आयात किये हैं उनसे हमारी वर्तमान उपभोग की आवश्यकतायें पूरी हुई हैं और कुछ मात्रा रक्षित भण्डार में भी रखी गयी है। आशा है कि वर्तमान पी० एल० ४८० करार के अधीन संयुक्त राज्य अमरिका से लगभग १६० लाख टन गेहू का आयात किया जाएगा। वर्तमान करार की समाप्ति पर एक नया पी० एल० ४८० करार करने का प्रश्न भी इस समय विचाराधीन है। अनुमान है कि इन पी० एल ४८० करारों के अधीन जो गहूं आयात होगा उससे हम ४० लाख टन का रक्षित भण्डार बना पायेंगे।

सामुदायिक विकास कार्य

†*३२. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्य की सहायता और उसके अनुपूरण के लिये भारत स्काउटस द्वारा बनाई गई योजना को मंजूर कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना पर सरकार कुल कितनी राशि व्यय करेगी ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति)**:(क) जी नहीं। ग्रामीण क्षत्रों में स्काउटिंग के प्रोत्साहन के लिये एक योजना, जो कि भारत स्काउटस् और गाइडस् असोसिएशन ने तैयार की थी और जिसका कार्यान्वयन ३,००० सामुदायिक विकास खंडों में शिक्षा मंत्रालय और सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय मिल कर करेंगे, हाल ही हुई सामुदायिक विकास संबंधी वार्षिक सम्मेलन और सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन के सामने रखी गई थी। सम्मेलन ने सिफारिश की कि शिक्षा मंत्रालय और भारत स्काउटस् और गाइडस संगठन पंचायतें जो सहायता कर सकें उसके साथ ग्रामीण क्षेत्रोंमें स्काउटिंग को प्रोत्साहन दें। वर्तमान प्राथमिकताओं के प्रसंग में, सम्मेलन ने सोचा कि खंड कर्मचारियों पर ऐसे कार्यक्रमों के नये उत्तरदायित्वों न लादे जायें।

नेफा के लिये वायरलैस उपकरण

†३३. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेफा राष्ट्रीय टेलीफोन ट्रंक के जाल के साथ सीधा जुड़ा हुआ नहीं है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उसे टेलीफोन द्वारा शेष देश से मिलाने के लिये वहां बड़ी शक्ति का वायरलैस सामान लगाने का विचार है; और

(ग) काम समाप्त करने के लिये कितना समय लगेगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) हां।

(ख) नेफा और शिलौंग विमान मुख्यालयों के बीच रेडियो टैलीफोन सर्किटों की व्यवस्था करने के लिये कम शक्ति के पारेषक लगाने की प्रस्थापना है। बौमडीला और जीकों को तेजपुर और उत्तरी लखीमपुर में से नैशनल टैलीफोन ट्रंक नैटवर्क के साथ जोड़ने के लिए एक प्रस्थापना स्वीकार की जा चुकी है।

(ग) लगभग दो वर्ष।

वन और लकड़ी से राजस्व

३४. श्री नवल प्रभाकर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह में राजस्व आय का मुख्य स्रोत वन और इमारती लकड़ी है ; और

(ख) यदि हां तो इस आय वृद्धि के लिए तथा इमारती लकड़ी का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में राजस्व आय मुख्यतः इमारती लकड़ी के मुख्य भूमि को होने वाले निर्यात पर निर्भर करती है। वर्तमान कार्य आयोजना के अनुसार दक्षिण तथा मध्य अन्देमान से अन्देमान वन विभाग पहले ही ५४,००० टन इमारती लकड़ी की अधिकतम मात्रा प्राप्त कर रहा है और इमारती लकड़ी की इस वार्षिक प्राप्ति को बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। जहां तक इमारती लकड़ी के निर्यात का प्रश्न है, स्थानीय मांग को पूरा करने के पश्चात् मुख्य भूमि को इसका निर्यात करने के लिये हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं। इमारती लकड़ी के निर्यात की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के मार्ग में मख्य कठिनाई शिपिंग की है। इस समय शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया ने जो शिपिंग टनेज दिया हुआ है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर एक लोडर लेकर उसे बढ़ाने का प्रस्ताव है। सर्वश्री आर० सेन० एंड कम्पनी, जिन्होंने कि हाल ही में मुख्य भूमि को अन्देमान की इमारती लकड़ी लाने के लिये एक लोडर प्राप्त किया है, से एक करार के बारे में बातचीत चल रही है। आशा है कि इस करार से शिपिंग की स्थिति कुछ हद तक सुधर जायेगी। इन व्यवस्थाओं के पूरा होने पर अन्देमान से मुख्य-भूमि को इमारती लकड़ी का निर्यात बढ़ जायेगा और इससे अतिरिक्त राजस्व भी बढ़ जायेगा।

दक्षिणी अन्दमान के रेवेन्यू रेंज फोरिस्टस की ३,००० एकड़ भूमि के उन अति-परिधि वाले वृक्षों से—जिन्होंने अभी तक काम में नहीं लाया गया है—के विक्रय के लिये टेन्डर मांग कर अतिरिक्त राजस्व उपार्जन के लिए भी कदम उठाये गये हैं। जहां तक संभव हो सके, अव्यापारिक इमारती लकड़ी से कुछ धन प्राप्त करने के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अन्दमान में मछली उद्योग

३५. श्री नवल प्रभाकर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान में मछली उद्योग के अन्तर्गत वर्ष में कितने टन मछली पकड़ी जाती है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह वहां की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क)

वर्ष	परिणाम
१९५९	१२३ मीट्रिक टन
१९६०	१२९ ,, ,,
१९६१	१३१ ,, ,,
१९६२	१५५ ,, ,,

(ख) नहीं ।

अन्दमान में गाय-भैंस

३६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) अन्दमान में लोगों की दूध की आवश्यकता को देखते हुए क्या वहां गाय और भैंसों की संख्या बढ़ाने का सरकार का विचार है; और

(ख) क्या इस के लिये वहां कोई सहकारी समितियों की स्थापना करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी हां । एक ऐसी योजना तैयार की गई है जिस का उद्देश्य प्रजनन तथा दूध सम्भरण का विस्तार करने के लिए मुख्य भूमि से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु खरीदकर जरूरतमन्द व्यक्तियों को देना है । पशुओं का मूल्य तथा आकस्मिक खर्च एक मध्यावधि ऋण माना जायेगा । प्रति भैंस ७०० रुपये तथा प्रति गाय पर ४५० रुपये से अधिक होने वाला खर्च अनुग्रह-पूर्वक माना जायेगा ।

(ख) जी हां, पोर्टब्लेयर में निकटवर्ती ग्रामों की कुछ पोषक समितियों सहित एक दुग्ध-संघ के संगठन का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

अन्दमान में विकास कार्य

३७. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १४ नवम्बर, १९५७ के बाद से पश्चिमी अन्दमान के विकास खंडों के विकास कार्य में हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या इस के वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस का क्या कारण है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १३७३/६३ ।]

(ख) विकास की कुछेक योजनाओं के लक्ष्य पूर्ण नहीं हुए थे ।

(ग) वार्षिक लक्ष्यों में कमी के मूख्य कारण निम्न हैं :—

(१) प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी ; और

(२) कार्यक्रमों में लोगों ने कोई अधिक उत्साहपूर्ण भाग नहीं लिया क्योंकि इस पिछड़े क्षेत्र में अभी तक लोगों का यह रवैया है कि उन के लिए सब काम सरकार ही करे ।

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में विकास खंड

३८. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के विकास खंडों में कितने गांव आते हैं; और

(ख) इन खंडों द्वारा किये जाने वाले विकास का स्वरूप क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) ९८ ।

(ख) कार्यक्रमों में उन्नत कृषि के तरीके जैसे उन्नत बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं और उन्नत औज़ारों का प्रयोग फल और सब्जियों की बुआई, लघु सिंचाई, मुर्गी पालन का विकास, डेरी फार्मिग, ग्रामीण कलाएं, सहकारी समितियों का विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और ग्राम सफाई की योजनायें, प्राथमिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा, युवक और महिला मण्डलों का गठन और सड़कों व पुलियों का निर्माण शामिल हैं ।

अन्दमान के आसपास मछलियां पकड़ने के स्थान

†३९. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र-वर्णना के विशेषज्ञों के एक भारतीय दल ने अन्दमान के आस पास मछलियां पकड़ने के अच्छे स्थान मालूम किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो मछली पकड़ने के स्थानों का वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). इस समय भारतीय समुद्र-शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय समुद्र अभियान में भाग ले रहे हैं । यह कहना समय से पूर्व होगा कि अन्दमान के आस पास अच्छे मछली पकड़ने वाले स्थान हैं परन्तु प्रारम्भिक वैज्ञानिक अवलोकन से ऐसे स्थानों की सम्भावना की ओर संकेत मिलता है ।

त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी के बीच रेलवे लाइन

†४०. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी में रेलवे लाइन बनाने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केरल सरकार ने तीसरी योजना में नई लाइनों की अपनी प्रास्थापनाओं में त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी लाइन को शामिल किया था और उसे प्रथमिकता दी। तीसरी योजना में नई लाइनें बनाने के रेलवे के कार्यक्रम में यह प्रस्थापना शामिल नहीं की गई थी। वर्तमान वर्ष में तिरुनेलवेली और त्रिवेन्द्रम को मिलाने वाली रेलवे लाइन जिस की ब्रांच लाइन कन्याकुमारी को जाएगी, का प्रारम्भिक इंजीनियरी सर्वेक्षण मन्जूर कर दिया गया है।

तीसरा टेलीफोन कारखाना

†४१. **श्री प० कुन्हन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने उस राज्य में प्रस्तावित तीसरा टेलीफोन कारखाना स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार का क्या रवैया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) केरल सरकार से केरल राज्य में दूसरा टेलीफोन कारखाना स्थापित करने की प्रार्थना भारत सरकार को मिली है;

(ख) भारत सरकार की यह राय है कि नए सामान का निर्माण बंगलौर में वर्तमान टेलीफोन कारखाने में अधिकतर लाभदायक होगा।

समुद्री मछली का उत्पादन

†४२. **श्री इम्बीचिबावा** :
श्री प० कुन्हन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में समुद्री मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ;

(ख) क्या इन कदमों के उठाने से उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां तो किस हद तक; और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक कितना व्यय हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : तीसरी योजना में समुद्री मछली के उत्पादन का लक्ष्य १२ लाख टन है जो कि मुख्यत: ४००० मशीनीकृत बेड़ों के बढ़ाने से और संश्लिष्ट मछली पकड़ने वाले जालों जैसे आधुनिक मछली पकड़ने वाले सामान के संभरण से पूरा किया जाएगा। फिर भी विदेशी मुद्रा की कमी के कारण, वार्षिक औसत ८०० समुद्री डीजल इंजनों की आवश्यकता होते हुए पहले दो वर्षों में कुल आयात ७०० से कम हुआ है। मछेरों और मछेरों की सहकारी समितियों को सहायता मशीनीकृत किश्तियां हासिल करने के लिए वित्तीय सहाय्य और ऋण के रूप में तथा मछली उत्पादन योजनाओं के लिए सरकारी समितियों को ऋण के रूप में दी जाती है।

(ख) और (ग). तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में समुद्री मछली के उत्पादन में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि पश्चिमी तट पर दो बड़े मीन क्षेत्रों अर्थात् सारडिने और मैकरैल, जिन में वक्रीय फेर बदल होता है, में असफलता रही।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इन विशिष्ट योजनाओं पर अब तक हुए व्यय के आंकड़े तैयार उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि ये योजनायें विभिन्न समुद्रीय राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

संग्रह धारिता

†४३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल खाद्यान्न संग्रह धारिता कितनी है; और

(ख) इस समय इस में से कितनी का उपयोग किया जाता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) सरकार के पास कुल संग्रह धारिता ३०.५५ लाख टन की है जिस में से १६.४७ लाख टन सरकार की है और शेष किराए पर ली हुई है। आवश्यकता पड़ने पर खाद्यान्नों के संग्रह के लिए सरकार केन्द्रीय भाण्डार निगम और राज्य भाण्डार निगम के भाण्डगारों का भी प्रयोग कर लेती है।

(ख) जून के अन्त में २१.६९ लाख टन की संग्रहधारिता खाद्यान्नों, उपहार पार्सलों, गिन्नियों और अन्य वस्तुओं ने फेर ली थी। शेष में से, कुछ संग्रहधारिता उर्वरकों और चीनी के लिए सुरक्षित कर ली है, कुछ की मरम्मत हो रही है, कुछ पण्नों के लिए बन रही है और कुछ जो अभी पूरा किया गया है अभी ग्रहण किया जा रहा है।

देहली में सड़क पुर्घटनायें

†४४. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री प्र० के० देव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) १९६३ के पहले अर्ध भाग में देहली के संघ राज्य क्षेत्र में मोटर गाड़ियों के साथ कितनी दुर्घटनायें हुई। उन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मरे और कितने घायल हुए;

(ख) १९६२ की उसी कालावधि के मुकाबले में ये आंकड़े कितने हैं; और

(ग) कितनी दुर्घटनायें दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों के साथ हुईं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) माननीय सदस्यों द्वारा जिक्र की गई कालावधि में दिल्ली में मोटर गाड़ियों के साथ ३,३२० दुर्घटनायें हुईं। १०८ व्यक्ति मारे गये और १,४०१ व्यक्ति इन दुर्घटनाओं में जख्मी हुए।

(ख) क्रमशः ३,३३५,९४ और १,२४८।

(ग) देहली पुलिस द्वारा जो अभिलेख रखे जाते हैं उन के अनुसार १९६३ के पूर्वावधि में ८४४ डी० टी० यू० की बसें दुर्घटनाग्रस्त हुईं। १९६२ में उसी कालावधि के आंकड़े ९०० थे।

उपभोक्ता कोआपरेटिव स्टोर

†४५. **श्री प्र० कु० घोष** :
श्री कपूर सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उपभोक्ता कोआपरेटिव स्टोरों को महत्वपूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं

---

†मूल अंग्रेजी में

के संभरण को सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)**: (क) जी हां ।

(ख) खाद्यान्नों और चीनी के लिए उचित मूल्य वाली दूकानें खोलने में उपभोक्ता सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने का परामर्श राज्य सरकारों को दिया गया है । हाल ही में इस बात का निर्णय किया गया है कि सभी उपभोक्ता सहकारी समितियों को खाद्यान्न और चीनी का वितरण करने की इजाजत दी जानी चाहिए ।

देश में सूती कपड़े के कारखानों द्वारा बनाए गए सूती कपड़े का १० प्रतिशत उपभोक्ता सहकारी समितियों और उचित मूल्य की दूकानों को कारखाने की कीमत और ४ प्रतिशत पर उपलब्ध होगा । इस बात की कोशिश की जा रही है कि यह कपड़ा केवल कारखाने की दर पर ही उपभोक्ता सहकारी समितियों को दिया जाए ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किए गए लौंग और काफूर की कुछ मात्रा उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा वितरण के लिए अलग से निर्धारित की गई है । नैशनल ऐग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन को खजूर, खुश्क फल और हींग का आयात मूलतः इनका वितरण उपभोक्ता सहकारी समितियों को करने की इजाजत दी है ।

हाल ही में इस बात का निर्णय किया गया है कि उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा खरीदी गई सभी उपभोक्ता वस्तुओं को रेल द्वारा ले जाने के लिए 'सी' वर्ग मिलना चाहिए ।

उपभोक्ता सहकारी समितियों को तत्सम्बन्धी आयात व्यापार में भाग लेने की इजाजत के लिए शर्तों में रियायत देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

कुछ मशहूर फर्मों ने जो कि उपभोक्ता वस्तुएं और औषधियां बनाते हैं अपनी वस्तुएं उपभोक्ता सहकार समितियों को लगातार थोक की कीमतों पर देने का प्रबन्ध करना स्वीकार कर लिया है ।

सहकारी क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रमों द्वारा निर्मित उपभोक्ता सामान के लगातार संभरण को सुनिश्चित करने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है । जहां तक हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड द्वारा बनाये गये नमक का सम्बन्ध है राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि इस कम्पनी के नियमों के अनुसार नमक प्राप्त करने के लिए थोक उपभोक्ता स्टोरों को अपने मनोनीत प्रतिनिधि नियुक्त करें । इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई है कि थोक उपभोक्ता स्टोर इंडियन आयल कम्पनी के मिट्टी के तेल के उप वितरक का काम भी करें ।

उर्वरक प्रदर्शन योजना

†४६. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक प्रदर्शन योजना १९६२–६३ में सभी राज्यों में जारी रखी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों को उर्वरकों की कुल कितनी मात्रा अनुपत दी गई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या ये उर्वरक सरकारी प्रदर्शन खेतों में इस्तेमाल किए गए या गैर सरकारी भूमि में ; और

(घ) क्या इन खेतों से उत्पादन के बारे आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) १९६२–६३ में उर्वरक प्रदर्शनों के लिए कुल ४५५२ मैट्रिक टन उर्वरक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मुफ्त दिया गया था ।

(ग) गैर सरकारी भूमि (किसानों के खेतों) पर प्रदर्शनों में इस्तेमाल के लिए ये उर्वरक निर्धारित किए गए थे ।

(घ) १९६२–६३ में किए गए कुछ प्रदर्शनों के आंकड़े मद्रास और उड़ीसा राज्यों से प्राप्त हुए हैं । अन्य राज्यों से आंकड़ों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

सहकारी खेती

†४७. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने राज्यों को खाद्यान्नों की कमी को दूर करने के लिए सहकारी खेती के कार्यक्रम को तेज करने के लिए जो सुझाव दिए थे उनका सभी राज्य सरकारों ने पालन किया है ;

(ख) यदि हां, तो आपातकाल से सहकारी आधार पर कितने खेत स्थापित किए हैं; और

(ग) सहकारी खेतों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में किन राज्यों ने अधिकतर प्रगति की है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) जी हां । इन सुझावों के प्रति प्रतिक्रिया और प्रगति एक जैसी नहीं है ।

(ख) अक्टूबर १९६२ से ९१० सरकारी खेत स्थापित किए गए ।

(ग) यद्यपि प्रत्येक राज्य ने अग्रिम परियोजनायें आरम्भ की हैं परन्तु महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मैसूर में प्रगति उत्साहप्रद है ।

जीवन बीमा की किस्तें

†४८. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत जीवन बीमा निगम की ओर से डाकखानों द्वारा किस्तों के लिए जाने के प्रयोगात्मक तरीके को आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन सर्किलों में ;

(ग) क्या यह प्रयोग लोकप्रिय है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह सभी सर्किलों में आरम्भ की जाएगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) राजस्थान सर्किल ।

(ग) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इसका निरीक्षण किया जा रहा है ।

पोस्ट कार्ड बेचने वाली मशीन

†४९. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोस्टकार्ड बेचने वाली मशीन जो कि बम्बई टेलीफोन कारखाने में बनाई गई है का परीक्षण कर लिया गया है ; और

(ख) क्या बेचने वाली मशीन की कार्यप्रणाली को आसान बनाने के कार्य में कोई प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) बम्बई टेलीफोन वर्कशाप्स में बनाई गई मशीन के अतिरिक्त दो और जगह बनाई गई मशीनों का जिनकी कार्यप्रणाली आसान है परीक्षण किया गया था । वे सन्तोषजनक थीं ।

(ग) जी हां ।

समुद्र पर जीवन की सुरक्षा

†५०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार समुद्र पर जीवन की सुरक्षा के बारे में १९६० के अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय को मंजूर करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : समुद्र पर जीवन की सुरक्षा के बारे में १९६० के अभिसमय की स्वीकृति का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

तेल द्वारा समुद्री पानी का गन्दा होना

†५१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि क्या सरकार समुद्री पानी को तेल के द्वारा गंदा होने से रोकने के लिये १९५४ के अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय[1] को स्वीकार करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : १९५४ के तेल द्वारा समुद्रपानी को गंदा होने से रोकने संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुसमर्थन करने का प्रश्न १९५४ में लंदन में इसके स्वीकार किये जाने के बाद से ही भारत सरकार के विचाराधीन है । तथापि भारत सरकार इस अभिसमय का अनुसमर्थन नहीं कर सकी क्योंकि न तो जहाजों पर ही और न ही बन्दरगाहों पर आवश्यक सुविधायें उपलब्ध नहीं थीं । तदनुसार बड़े बन्दरगाहों के अधिकारियों और विभिन्न नौवहन समवायों से आवश्यक सुविधायें देने के संबंध में प्रार्थना की गई थी । बन्दरगाहों और नौवहन समवायों से प्राप्त तथ्यपूर्ण सूचना पर विचार करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि उपर्युक्त अभिसमय को पुनरीक्षण करने के लिये अप्रैल, १९६२ में लन्दन में होने वाले सम्मेलन के बाद इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया जाये ।

अभिसमय में किये गये संशोधनों पर इस समय बन्दरगाह के अधिकारियों और नौवहन समवायों के परामर्श के अनुसार विचार किया जा रहा है, जिनके उत्तरों की अब भी प्रतीक्षा की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Convention.

वातानुकूलित डिब्बे[1]

†५२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल फूड टेक्नोलोजिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, मैसूर ने नष्ट होने वाले पदार्थों को मार्ग में सड़ने से बचाने के लिये वातानुकूलित डिब्बों में ले जाने की व्यवहार्यता के संबंध में रेलवे बोर्ड के पास एक प्रतिवेदन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके संबंध में बोर्ड की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). नष्ट होने वाले पदार्थों को प्रयोग के रूप में एक ऐसे वातानुकूलित डिब्बे में, जिसमें पार्सल ले जाने के अनुरूप परिवर्तन कर दिये गये थे, ले जाने का प्रयत्न रेलवे ने सेन्ट्रल फूड टेक्नोलोजिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, मैसूर की सहायता से, जिसने ऐसे डिब्बों में नष्ट होने वाले पदार्थों के ले जाने के प्रभावों को जानने के विषय में परीक्षण किये थे, किया था। परीक्षणों से इस बात की पुष्टि हुई कि इस प्रकार के वातानुकूलित डिब्बों में ले जाने से नष्ट होने वाले पदार्थ सामान्य पार्सल ले जाने वाले डिब्बों से अपेक्षाकृत अधिक अवस्था में और कम क्षति के साथ निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच सकते हैं।

वातानुकूलन उपकरण द्वारा ठंडे किये गये पार्सल के डिब्बों और उपयुक्त प्रशीतित[1] डिब्बों में और अधिक प्रयोग करने का प्रश्न विचाराधीन है।

नवयुवकों में नेतृत्व की भावना

५३. **श्री बाल्मीकी** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों में नेतत्व की भावना पैदा करने के हेतु सरकार ने क्या-क्या सक्रिय कदम उठाये हैं ; और

(ख) उसका क्या परिणाम रहा ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) देश भर में २०,००० युवक कार्यकर्ताओं, जिनमें दोनों लड़के और लड़कियां हैं, को ग्राम सेवकों और ग्राम सेविकाओं के प्रशिक्षण केन्द्रों में १२ दिनों के प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षित करने के कार्य-क्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है। इन शिविरों में सामूहिक क्रियाओं द्वारा नेतृत्व के गुणों का बिकास करने के लिए सैद्धांतिक पृष्ठ भूमि और व्यावहारिक अवसर सुलभ किए जाने हैं।

(ख) राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों से पता चला है कि २२४ शिविर लगाए गए जिनमें ५,९८४ युवक कार्यकर्त्ताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

ग्राम सहायक प्रशिक्षण शिविर

५४. **श्री बाल्मीकी** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई १९६३ तक कितने ग्राम सहायक प्रशिक्षण शिविर देश में लगाये गये ;

(ख) सब से अधिक किस राज्य में ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Refrigerated.

(ग) इन शिविरों का ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा ?

सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) ३१-३-६३ तक १,२७,५४९/१ अप्रैल से ३१ जुलाई १९६३ तक की अवधि की जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

(ख) उत्तर प्रदेश (४५२९२ शिविर)

(ग) १९६०-६१ के दौरान में इस कार्यक्रम के बारे में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के प्रतिवेदन के अनुसार, जिसकी प्रति लोक-सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है, ग्राम सहायक कार्यक्रम ने सुधरे तरीकों के अपनाये जाने के बारे में काफी सफलता पाई । इन तरीकों को न केवल उन व्यक्तियों ने ही अपनाया जिन्हें शिविरों में प्रशिक्षित किया गया था बल्कि दूसरे ग्रामीणों के समूहों ने भी अपनाया जिनसे उक्त व्यक्ति बाद में मिले थे । साधारणत: यह कार्यक्रम कृषि विस्तार कार्यक्रम के रूप में सफल रहा ।

अनुभव के आधार पर अब ग्राम सहायकों, युवक कार्यकर्त्ताओं और महिला कार्यकर्ताओं के लिए ग्राम, खण्ड और जिला स्तरों पर इन्टिग्रटिड प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने का विचार है ।

अस्थायी कर्मचारी

†५५. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९६२-६३ में कुल कितने अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाया गया ;

(ख) उन अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनका सेवा काल तीन वर्ष से अधिक का हो चुका है ; और

(ग) उनको स्थायी न बनाने के प्रमुख कारण क्या हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) ३७,२१६ ।

(ख) ५१,९३४ ।

(ग) स्थायी पदों का अभाव और कर्मचारियों को अयोग्य होना ।

आंध्र प्रदेश में तार घर

†५६. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में आन्ध्र प्रदेश में कितने तार घर खोलने का विचार था ;

(ख) इनमें से जुलाई, १९६३ के अन्त तक कितने तार घर वास्तव में खोले जा चुके हैं ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती):** (क) ४६, बशर्ते कि सामग्री उपलब्ध हो ।

(ख) दो ।

(ग) विभाग ने (ख) के अनुसार तार घर खोलने में २६८८ रुपये व्यय किये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीप्रिंटर

†५७. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास के टेलीप्रिंटर कारखाने में टेलीप्रिन्टरों का निर्माण करने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ग) इसके पूर्ण उत्पादन क्षमता तक पहुंचने की कब तक संभावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) जुलाई १९६३ के अंत तक कारखाने में १,१५९ टेलिप्रिन्टरों का निर्माण किया जा चुका है। यह प्रगति संतोषजनक मानी गई है ।

(ख) सरकार ने अब तक इस परियोजना पर ११० लाख रुपये व्यय किये हैं जिसमें से ७५ लाख रुपये समवाय की अंश पूंजी में लगाये गये हैं और ३५ लाख रुपये की राशि समवाय को उधार के रूप में दी गई है ।

(ग) पुर्जे जोड़ कर टेलिप्रिन्टर तैयार करने की पूर्ण निर्धारित क्षमता मार्च १९६४ तक और स्वदेशी उत्पादन की पूर्ण निर्धारित क्षमता दिसम्बर १९६४ तक प्राप्त करने की आशा है।

टेलीफोन कारखाना

५८. **श्री भक्त :**
श्री बालकृष्ण वासनिक :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २६ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि टेलीफोन का दूसरा कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में और क्या प्रगति हुई है और उस कारखाने के कब तक स्थापित कर दिये जाने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : वर्तमान स्थिति यह है कि जिन विदेशी जानकारों के सहयोग से क्रास-बार स्विचिंग उपस्कर (इक्विपमेंट) का निर्माण शुरू किया जा सकता है उन से बातचीत चल रही है। ऐसा समझा जाता है कि बंगलौर स्थितटेली-फोन कारखाने में ही नये उपस्कर का निर्माण आरम्भ करना अधिक लाभदायक होगा।

अन्तर्राज्यिक ठग-गिरोह

५९. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **रेलवे** मंत्री ३० अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५५० के उत्तर के सम्बन्ध में

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के अपराध विभाग ने जिस अन्तर्राज्यिक ठग-गिरोह का पता लगाया था उस से सम्बन्धित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर के दण्ड दिलाने में कहां तक सफलता मिली है; और

(ख) भविष्य में रोक-थाम के लिये इस सम्बन्ध में कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जिन ४ अभियुक्तों को पहले गिरफ्तार किया गया, था, उनके अलावा एक अभियुक्त और गिरफ्तार किया गया और इस तरह हैअब तक कुल ५ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है और सारे गिरोह का पता लगाने की कोशिश कर रही है ।

(ख) जिस क्षेत्र में यह गिरोह काम करता था, वहां के यानान्तरण स्थानों और गन्तव्य स्टेशनों पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दे दिया गया है। रेल-प्रशासनों से कहा गया है कि वे इस तरह की गतिविधियों के बारे में वाणिज्य बिभाग के कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस को सतर्क कर दें, और इन की रोक-थाम के लिए मिल जुल कर उपाय करें ।

रेगिस्तान में खेती

६०. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेगिस्तान की कृषि सम्बन्धी समस्याओं के अनुशीलन और अनुसन्धान के लिये कौन-कौन सी संस्थायें केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के अधीन कार्य कर रही हैं ?

(ख) इन संस्थाओं के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिये क्या विधियां और प्रक्रियायें प्रयोग में लाई जाती हैं ; और

(ग) क्या इस विषय में किसी नये प्रस्ताव का प्रारूप विचाराधीन है और यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेगिस्तानी क्षेत्रों में कृषि की समस्याओं के सम्बन्ध में अनुसंन्धान करने के लिये खाद्य और कृषि मंत्रालय ने जोधपुर में केन्द्रीय रूक्ष क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान की स्थापना की है।

इस के अतिरिक्त झांसी में एक-घास-भूमि तथा चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना के प्रश्न पर भी खाद्य और कृषि मंत्रालय सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। यह संस्थान घास, चारा-भूमि तथा चारा फसलों—जिनका सम्बन्ध पशु पोषक-आहार, भूमि उर्वरता, फसल उत्पादन तथा भूमि और जल संरक्षण से है—के विषय में मौलिक तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार का अनुसंधान करेगा। यह रेगिस्तानी क्षेत्रों के घास तथा चारे के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान करेगा।

रेगिस्तानों में कृषि की समस्याओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिए किसी भी राज्य सरकार ने कोई अनुसन्धान संस्थान स्थापित नहीं किया है ।

(ख) और (ग). इस समय रेगिस्तानों में कृषि समस्याओं का अध्ययन तथा अनुसन्धान करने वाली केन्द्रीय रूक्ष क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान ही एकमात्र संस्था है। घास-भूमि तथा चारा अनुसन्धान संस्थान की स्थापना हो जाने पर आवश्यक समन्वय का कार्य मंत्रालय के स्तर पर किया जायेगा।

ज्वार-बाजरे का उत्पादन

†६१. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्वार-बाजरे का उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में पैकेज प्रोग्राम की प्रविधियों और सुविधाओं का विस्तार पश्चिमी राजस्थान के किसी जिले में किये जाने पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किस जिले में, किस तरह और किस सीमा तक ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख) हां; पाली जिले में फोर्ड फाउन्डेशन की सहायता से सघन कृषि जिला कार्यक्रम आरम्भ करने के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सघन बाजरा कृषि कार्यक्रम के लिये पश्चिमी राजस्थान में निम्न-लिखित दो जिले चुने गये हैं।

(१) जोधपुर; और

(२) जालौर ।

कार्यक्रम की कार्यान्विति के लिये अपनाई जाने वाली प्रविधियां :

राज्य सरकार से कहा गया है कि जहां सम्भव हो, सूची कृषि की प्रणालियां अपनाने के अतिरिक्त, सुधरे हुये बीजों का भी उपयोग करे। यह यदि प्रणालियां अपनाई गईं तो उत्पादन में १० से २० प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकेगी । पहले वर्ष २० प्रतिशत, दूसरे वर्ष ४० प्रतिशत और तीसरे वर्ष ६० प्रतिशत क्षेत्र पर कार्य करने का विचार है ।

दी जाने वाली सुविधायें :

(१) ज्वार, बाजरे और दालों के लिये खण्डों में विस्तार कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, और

(२) कृषि औजारों के लिये २५ प्रतिशत राज्य सहाय्य जिले पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार वहन करेगी ।

उपर्युक्त दो प्रोत्साहनों के अतिरिक्त तृतीय योजना के अन्दर कीटनाशक, छिड़कने के यंत्र और झाड़न और फासफोटस युक्त उर्वरकों के लिये उपलब्ध २५ प्रतिशत राज्य सहाय्य का भी उपयोग किया जा सकता है ।

कोयला क्षेत्रों के विकास के लिये रेलवे लाइन

†६२. **श्री हेडा** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला क्षेत्रों के विकास के लिये कौन सी रेलवे लाइनें बिछाई जा चुकी हैं और बिछाई जा रही हैं ;

(ख) इसी प्रयोजजना के लिये कितने मील लम्बी लाइनों को दुतरफा कर दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कोयले के शीघ्र व..न के लिये अभी कुल कितनी लम्बी लाइनें बिछाई जानी शेष हैं ; और

(घ) उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट योजनाओं में कुल कितना व्यय होगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—१३७४/६३।**]

आंध्र प्रदेश में बड़े बन्दरगाह

†६३. **श्री हेडा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री य: बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक बड़े बन्दरगाह का विकास करने के ध्येय से आन्ध्र प्रदेश के ब्रह्मपटनम क्षेत्र का सर्वेक्षण कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ध्यान आन्ध्र प्रदेश के योजना तथा संचार मंत्रियों द्वारा, उनके उस क्षेत्र का पृथक-पृथक दौरा और सर्वेक्षण करने के बाद, जारी किये गये विवरणों की ओर गया है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार के पास से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) बड़े बन्दरगाहों के अतिरिक्त अन्य बन्दरगाहों का विषय संविधान की समवर्ती सूची में दिया हुआ है। उनके विकास का कार्यपालन सम्बन्धी उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। आन्ध्र प्रदेश की सरकार से मालूम हुआ है कि अभी उन्होंने ब्रह्मपटनम क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया है। राज्य सरकार द्वारा किये गये एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण से मालूम हुआ है कि वहां समुद्री पहुंच मार्ग बनाने में व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आयेंगी।

(ख) और (ग). जी नहीं।

स्वास्थ्यवर्धक स्थान

†६४. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रीष्म ऋतु मे देश के सभी सुविज्ञात और सुप्रतिष्ठित हिल स्टेशनों पर जाना लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) इन स्वास्थ्यवर्धक स्थानों के प्राचीन आकर्षणों को बनाये रखने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या भूमिका अदा कर रही है और इन स्थानों को अच्छी हालत में रखने के लिए राज्य सरकारों को कहां तक सहायता दी गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). हिल स्टेशनों के पर्यटन यातायात में वृद्धि करने का उत्तरदायित्व मुख्यत: राज्य सरकारों का है क्योंकि विदेशी पर्यटक कुछेक हिल स्टेशनों को छोड़ कर और कहीं नहीं जाते। पर्यटकों के सम्मख प्रमुख कठिनाई हिल स्टेशनों पर उपयुक्त और सस्ते आवास के अभाव के कारण है। हिल स्टेशनों पर पर्यटन यातायात को लोकप्रिय बनाने के ध्येय से जो कि मौसमी है, केन्द्रीय सरकार और साथ ही राज्य सरकारों ने पर्यटक बंगले छुट्टियों के लिये घर आदि के रूप में अतिरिक्त आवास

†मूल अंग्रेजी में

की व्यवस्था करने का कार्य आरम्भ कर दिया है। इन योजनाओं के लिये वित्त की व्यवस्था योजना में पर्यटन के लिये आवंटित राशि में से की जायेगी। जब कि कुछ बंगलों की अर्थ व्यवस्था, जिन्हें पर्यटक बंगले (श्रेणी १) कहा जाता है, जैसे कुल्लू और मनाली में, पूर्णरूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। कई बंगले, जिन्हें पर्यटक बंगले (श्रेणी २) कहा जाता है राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार से ५० प्रतिशत राज्य सहाय्य प्राप्त करके बनाये जा रहे हैं। कई पर्यटक बंगले राज्य सरकारों द्वारा पूर्णरूप से अपने ही कोष से बनाये जा र हैं।

आसाम, बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, पंजाब और राजस्थान की सरकारें भी अपने अपने राज्यों में हिल स्टेशनों पर विभिन्न सुविधाओं, जैसे, गोल्फ़, नौकाविहार सुविधाओं, अतिरिक्त स्नानागार और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार करने पर विचार कर रही हैं। उपर्युक्त कार्यों की वित्त व्यवस्था या तो राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र से ५० प्रतिशत राज्य सहाय्य प्राप्त करके अथवा पूर्णतः योजना में उपलब्ध अपने ही कोष से की जा रही है।

जम्मू तथा काश्मीर सरकार की इस सम्बन्ध में विस्तृत योजना है; इसमें अतिरिक्त झोंपड़ियों और अन्य प्रकार के आवास का निर्माण, विभिन्न पार्कों, बगीचों, कैम्पिग राउण्ड, खच्चरों और मजदूरों के शेडों में सुधार और महत्वपूर्ण स्थानों जैसे पहलगांव, मट्टल, तंग मार्ग, चश्मा शाही, गुलमर्ग आदि स्थानों में जल तथा विद्युत् संभरण आदि में सुधार सम्मिलित हैं।

२. पर्यटन विकास परिषद् द्वारा इसके १९६१ और १९६२ में हुए अन्तिम अधिवेशनों में की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित दिशाओं में कार्यवाही करने के विषय में राज्य सरकारों से प्रार्थना की है :

(१) विभिन्न पड़ौसी राज्यों में छुट्टियों को आगे पीछे करना जिससे छुट्टियों का काल इस समय वर्ष में दो अथवा तीन महीनों के लिए एक साथ होने के स्थान पर अधिक लम्बा हो सके ;

(२) पर्यटकों को अपने पसन्द का आवास प्राप्त करने में सहायता देने के लिए एक आवास कार्यालय स्थापित करना; और

(३) नगरपालिका उपविधियों का संशोधन जिससे मकान कर केवल उसी अवधि के लिए लगाया जाये जब उसमें कोई रह रहा हो।

राज्य सरकारें इन सिफारिशों पर विचार कर रही हैं।

३. मसूरी, नैनीताल और शिमला जैसे हिल स्टेशनों पर नगरपालिकायें और राज्य सरकार के अन्य अधिकारीगण अपने अपने हिल स्टेशनों पर अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के ध्येय से समारोह सप्ताहों का आयोजन करते हैं। ये साधारणतया सब से अधिक भीड़-भाड़ के दिनों में आयोजित किये जाते हैं।

जाड़े के मौसम में अतिरिक्त आकर्षण के रूप में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कुफरी (शिमला के निकट) में "स्काईंग' के लिए सुविधायें देने के विषय में कदम उठाया है।

४. भारत के स्वास्थ्यवर्धक स्थानों का प्रचार करने के लिए पर्यटक विभाग ने, और कुछ राज्य सरकारों ने, भारत में और भारत के बाहर वितरित करने के लिये इश्तिहार, पुस्तिकायें और पर्चियां प्रकाशित की हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहकारी कृषि संस्थायें

†६५. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सरकार व सहकारी कृषि संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने की नीति में संशोधन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई विशेष राशि निर्धारित की गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) गैर-अग्रिम परियोजना क्षेत्रों में स्थापित सहकारी कृषि संस्थाओं के लिये केन्द्रीय सहायता राज्य योजना की सीमा के बाहर थीं। कुछ राज्यों के गैर-अग्रिम संस्थाओं की स्थापना को अग्रिम क्षेत्रों की संस्थाओं से अधिक अच्छा समझा। अग्रिम परियोजना क्षेत्रों की समुचित प्रगति को सुनिश्चित करने के ध्येय से सहायता के स्वरूप में संशोधन कर दिया है और अग्रिम और गैर-अग्रिम संस्थाओं के विभेद को समाप्त कर दिया है।

(ग) इस प्रयोजन के लिये तीसरी योजना में पहले से ही निर्धारित की गई १० करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जायेगा।

मलाबार क्षेत्र में हवाई अड्डा

†६६. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री कोया :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में केरल में मलाबार क्षेत्र में एक हवाई अड्डा बनाने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या स्थान के सम्बन्ध में अन्तिम चुनाव का अनुमोदन कर दिया गया है और

(ग) कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). मलाबार क्षेत्र में हवाई अड्डे के लिये उपयक्त स्थान चुनने के लिये विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है और केवल सर्वेक्षण समाप्त हो जाने के बाद ही हवाई अड्डा बनाने के सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास और कोचीन के बीच मालगाड़ियां

†६७. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास और कोचीन के बीच मालगाड़ियां खींचने के लिये डीजल इंजन लगाने का विचार है; और

(ख) इस प्रदेश में वर्तमान यातायात समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां।

(ख) मद्रास और कोचीन के बीच इस समय कोई यातायात समस्या नहीं है।

विल्लिपुरम से तिरुचि तक के बीच बिजली से रेल गाड़ियां चलाया जाना

†६८. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विल्लिपुरम से तिरुचि तक विद्युत्कर्षण के विस्तार के विषय में कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, क्या यह योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में आरम्भ कर दी जायेगी?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सार्वजनिक टेलीफोन

†६९. **श्री अ० व० राघवन्** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान प्राप्त करने में कठिनाईयों के कारण सुदूर क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन सेवा उपलब्ध करने में विलम्ब हुआ है;

(ख) प्रत्येक राज्य में वर्ष १९६३–६४ के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं; और

(ग) प्रत्येक पोस्टल सर्कल की मांग कहां तक पूरी हुई है?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). संलग्न विवरण में दिये गये ३६ सुदूर स्थानों के लिये सार्वजनिक टेलीफोन अनुमोदित किये गये हैं। अभी तक इनमें से कोई भी खोला नहीं गया। आवश्यक ताल लगाने के सामान को प्राप्त करने तथा सम्भरीत करने के लिये कार्यवाही की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

राज्य का नाम	*वर्ष १९६३–६४ में सुदूर स्थानों में खोले जाने वाले प्रस्तावित सार्वजनिक टेलिफोनों की संख्या
१. आंध्र	२
२. आसाम	२
३. बिहार	१
४. गुजरात	३
५. जम्मू और काश्मीर	—
६. केरल	—
७. मद्रास	४
८. मध्य प्रदेश	६
९. महाराष्ट्र	४
१०. मैसूर	—
११. उड़ीसा	—
१२. पंजाब	—
१३. राजस्थान	९
१४. उत्तर प्रदेश	२
१५. पश्चिम बंगाल	३
१६. हिमाचल प्रदेश	—
१७. मनीपुर	—
१८. नागालैंड	—
१९. नेफा	—
२०. त्रिपुरा	—

*सामान के उपलब्ध होने पर।

सफेद शेर

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :

†मूल अंग्रेजी में

†७०. श्रीमती सावित्री निगम :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डे :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रीवा के महाराजा द्वारा अपने महल में रखे हुए ८ सफेद शेरों की देख रेख के लिये करार के निबन्धन और शर्तों को अन्तिम रूप दे दिया गिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी विशिष्ट शर्तें क्या है; और

(ग) क्या कुछ सफेद शेरों के विदेशी खरीदारों को बेचे जाने के लिये महाराजा को निर्यात पर्मिटों का आश्वासन दिया गया है ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां,

(ख) करार की विशिष्ट शर्तें निम्न प्रकार हैं ;

(१) ८ सफेद शेरों में से ४ शेर (दो जोड़े) रीवा के महाराजा ने दिल्ली के चिड़िया घर को उपहार के रूप में दे दिये हैं। दो लाल शेरनियां भी उपहार के रूप में दी गई हैं।

(२) उपहार के रूप में दिये गये शेरों में से एक जोड़ा जो दिल्ली के चिड़िया घर का एक भाग होगा, रीवा में रखा जायगा ताकि सफेद शेरों के प्रचार के लिये महाराजा की मंत्रणा, का लाभ उठाया जा सके।

(३) दूसरा जोड़ा तथा दो लाल साधारण शेरनियां, दिल्ली चिड़िया घर, नई दिल्ली, में रखे जायेंगे ।

(४) दिल्ली के चिड़िया घर को उपहार के रूप में दिये गये दो जोड़ों के बच्चों को भारत की सरकार तथा रीवा के महाराजा द्वारा बराबर बराबर बांटा जायगा बशर्ते कि प्रथम मादा बच्चा महाराजा के हिस्से में आयेगा ।

(५) शेष ४ शेर महाराजा की सम्पति के रूप में उन्हीं के पास रहेंगे, और जब तक वह उन्हें बेच न दें उन की देख भाल और खुराक का भार उन्हीं पर होगा।

(ग) करार के समय जो ४ शेर महाराजा के पास रह गये थे, यदि वह भारत से बाहर किसी चिड़ियाघर को बेचे जायें, तो उन के निर्यात के लिये महाराजा रीवा की ओर से अनुरोध करने का बचन भारत सरकार ने दिया है ।

रेलों में रिजर्व की हुई सीटों का रद्द किया जाना

†७१. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी श्रेणियों में रिजर्व की हुई सीटों तथा बर्थों के रद्द किये जाने पर वापिस किये

†मूल अंग्रेजी में।

जाने पर वापिस किये जाने वाले किराये संबंधी नियमों का पुनरीक्षण करने का निश्चय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में तथा किस तिथि से वह प्रभावी होंगे, और

(ग) जिस गाड़ी के लिये एक टिकट मान्य है उसके प्रस्थान के पश्चात् किन परिस्थितियों में किराया वापिस किया जायेगा ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री से० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग), रिज़र्वेशन वाले टिकटों के रद्द किये जाने पर किराया वापिस किये जाने संबंधी नियम १-७-६३ से पुनरीक्षित किये गये हैं। जिस रूप में यह पुनरीक्षित किये गये हैं यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। जब संबंधित रेलवे प्रशासन के मख्य कार्यालय में किराया वापिस करने के आन्दोलन पर विचार किया जायेगा तो उन टिकटों के किराये को वापिस करने की अनमति नहीं होगी जो कि गाड़ी छूटने के निश्चित समय के पश्चात् वापिस किये गये हों । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १३७५/६३]**

राष्ट्रमण्डल चीनी करार

†७२. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री केसर लाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपनी हाल की लन्दन यात्रा के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार को बताया कि भारत राष्ट्रमण्डल चीनी करार में शामिल होने का इच्छुक है ; और

(ख) यदि हां, तो ब्रिटिश सरकार की इस प्रस्ताव के प्रति क्या क्या प्रतिक्रिया थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) तथा (ख) जी हां । ब्रिटिश सरकार ने इस समय भारत के राष्ट्रमंडल चीनी करार में प्रवेश के बारे में मजबूरी ज़ाहिर की है, परन्तु वह इस मामले पर वर्ष १९६६ में विचार करने को तैयार होगी जब कि इस करार का पुनर्विलोकन किया जाना है ।

बांदा में रेलवे डाक सेवा

७३. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांदा में रेलवे डाक सेवा क्यों समाप्त कर दी गई है ; और

(ख) इसे पुनः चालू करने में कितना समय लगेगा ?

परिवहन तथा संचार मन्त्राय में उपमन्त्री (श्री भवगती) : (क) बांदा में रेल डाक सेवा समाप्त नहीं की गई है । केवल बांदा डाक कार्यालय के २ सेटों में एक सेट को इस कारण समाप्त कर दिया गया है ; कि क्योंकि झांसी -बांदा रेल डाक सेवा खंड की गश्त को झांसी-मानिकपुर तक बढ़ा देने के परिणामस्वरूप बांदा रेल डाक सेवा के सेट १ का काम वापस ले लिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) समाप्त किये गए सेट को फिर से चालू करने का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि पहले जो काम उस सेट द्वारा किया जाता था वह बांदा–मानिकपुर के बीच काम करने वाली खंड—एक्स ६ की बढ़ी हुई गश्त में ही किया जा रहा है ।

गन्ने के बीज

†७४. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि ऊंची और अच्छी किस्म के गन्ने के बीज प्राप्त करने में किसानों को बहुत कठिनाई हो रही है और

(ख) क्या विभिन्न दवाईयों से यक्त उच्च किस्म के गन्ने के बीज उपलब्ध करने के लिये सरकार का कोई योजना तैयार करने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी हां ।

(ख) उन्नत किस्मों के गन्ने के अच्छे और स्वस्थ बीजों के सम्भरण के लिये बीच रोपणियां बनाने की योजनाओं पर पहले ही राज्यों में कार्य हो रहा है। हाल ही में इस कार्यक्रम में तीव्रता लाने का निश्चय किया गया है ।

छोटी सिंचाई

†७५. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१–६२ में छोटी सिंचाई पौष्टिक पदाथ तथा आहार-विहार के लिये एफ० ए० ओ० की सहायता से कौन सी मुख्य योजनायें कार्यान्वित की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) :** वर्ष १९६१–६२ में एफ० ए० ओ० की सहायता से छोटी सिंचाई के लिये कोई योजना कार्यान्वित नहीं की गई ।

तथापि वर्ष १९६१–६२ में, एफ० ए० ओ० ने दो विशेषज्ञ भारत में नियत किये थे और पौष्टिक पदार्थ तथा भोजन-व्यवस्था में विदेशों में प्रशिक्षण के लिये एक अधिछात्रवृति प्रदान की थी ।

ग्लाइडिंग क्लब्स

†७६. **श्रीमती सावित्री निगम : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त देश में ग्लाईडिंग क्लबस के कुल कितने सदस्य हैं और

(ख) सरकार इन क्लबों को अनुदान सदस्यता के आधार पर अथवा तदर्थ आधार पर दे रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) : ३१ मई, १९६३ को समस्त देश में ग्लाईडिंग क्लबों की सदस्य संख्या २३१९ थी, जैसा कि विवरण में दिया गया है ।

(ख) सरकार केवल तीन क्लबों को अनुदान दे रही है, अर्थात् दिल्ली ग्लाईडिंग क्लब, बिड़ला ग्लाईडिंग क्लब और देवलाली ग्लाईडिंग क्लब, जिसे वित्तीय सहायता योजना में सम्मिलित किया गया है । अनुदान इस रूप में है :

(१) १५,००० रुपये की निश्चित वार्षिक वित्तीय सहायता, और (२) प्रत्येक उड़ान पर ३ रुपये सहायता । सहायक अनदान का सदस्यता से संबंध नहीं है । वित्तीय सहायता योजना में प्रवेश के लिये निर्धारित शर्तों पर पूरा करने पर अन्य क्लबें भी सरकारी अनुदान प्राप्त करने की हक्कदार हो जायेंगी ।

विवरण

विभागीय ग्लाईडिंग केन्द्र :

१. ग्लाडिंग केन्द्र, पूना, ...	५४१
२. ग्लाईडिग केन्द्र, अलाहाबाद . . .	२००
ग्लाईडिंग केन्द्र, बंगलौर	२८३
योग . .	१०२४

ग्लाईडिंग क्लब्स—

१. दिल्ली ग्लाईडिंग क्लब	६३२
२. बिड़ला ग्लाईडिंग क्लब	१३४
३. देवलाली ग्लाईगिं क्लब . .	४५
४. वनस्थली विद्यापीठ	२३९
५. अहमदाबाद ग्लाईडिंग एन्ड फलांईंग क्लब	८२
६. नर्दर्न इंडिया फ्लाईंग क्लब	६०
७. राजस्थान क्लाईंग क्लब	१०३
योग	१,२९५
कुल योग	२,३१९

सहकारी समितियों में विनियोजन

†७७. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगरपालिकाओं, स्थानीय निकायों तथा शिक्षा संस्थाओं को यह सुझाव देते के लिए कि वह अपनी फालतू धनराशियों के सहकारी समितियों में विनियोजन पर वर्त्तमान प्रतिबन्धों को हटा दें कोई कार्यवाही की गई है ?

†मूल अंग्रजी में

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : जी हां। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वह वर्तमान स्थिति का पुनर्विलोकन करें और नगरपालिकाओं स्थानीय निकायों शिक्षा संस्थाओं, निगमों आदि की फालतू धनराशियों के सहकारी समितियों में विनियोजन में प्रतिबन्धों की, यदि कोई हो तो, हटाने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करें। महाराष्ट्र की सरकार द्वारा किये गये पुनर्विलोकन सम्बन्धी एक टिप्पण राज्य सरकारों की सूचनार्थ तथा ऐसे ही पुनर्विलोकन करने के लिए परिचालित कर दिया गया है।

गन्ने की खेती

†७८. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री दे० द० पुरी :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में सघन गन्ना विकास योजना के अन्तर्गत गन्ने की उन्नतिशील खेती करने का कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो यह किन-किन राज्यों में कार्यान्वित हो रहा है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार इस योजना में क्या सहायता करेगी ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थॉमस) : (क) जी हां।

(ख) यह योजना उत्तर प्रदेश में आरम्भ हो गई है। ऐसी योजनायें पंजाब और बिहार में भी शीघ्र ही आरम्भ होने की सम्भावना है।

(ग) केन्द्रीय सरकार कुल व्यय का १/३ हिस्सा देगी और शेष खर्च राज्य सरकार और हिताधिकारियों में बांटा जाएगा।

कच्चे लोहे का परिवहन

†७९. **श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के महेन्द्रगढ़ जिले में कच्चा लोहा काफी मात्रा में पाया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बड़ी लाइन की परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण इस का वहन नहीं किया जा सकता ; और

(ग) यदि हां, तो क्या पंजाब तथा राजस्थान की सरकारों ने इसके निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा है, और केन्द्रीय सरकार की इस के प्रति प्रतिक्रिया क्या है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) वर्ष १९५५ में भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण के अनुमान के अनुसार पंजाब के महेन्द्रगढ़ जिले में छपरा, अंत्री, बिहारीपुर में कच्चे लोहे के निक्षेप २०.३ लाख टन के थे और उसी जिले में धनोत्ता और फनचोली में यह निक्षेप ५०८,००० टन के थे। भूतत्वीय सर्वेक्षण २६-२-१९६२ से निक्षेपों का विस्तृत अनुमान लगाने के लिये अंत्री-बिहारीपुर में निक्षेपों को खुदाई का काम कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी नहीं। कच्चा लोहा भेजने के लिये रेलवे को निज़ामपुर में दिया जाता है जोकि पश्चिम रेलव के मीटर गज सैक्शन पर निकटतम रेलवे स्टेशन है ; इस स्टेशन की मांग को पूर्ण रूप में पूरा किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वैगनों से कोयले का गिरना

†८०. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २४ मई, को कलकत्ता के 'जनसेवक' में प्रकाशित इस सूचना की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि १६ मई की शाम के ३.३० बजे एक माल गाड़ी, जो रानाघाट से बोनग्राम की ओर जा रही थी, दरवाज़ा संख्या २३ पर खड़ी हो गई और कोयले से भरे वैगनों में से लगभग दो ट्रक कोयले के गिरा दिये ;

(ख) बड़ी संख्या में लोग उस स्थान पर आये जिन्होंने कोयला उठा लिया ;

(ग) इस लाईन पर ऐसा बहुधा होता है और पहले से किये गये प्रबन्ध के अनुसार किया जाता है; और

(घ) क्या इसे रोकने के लिये कोई प्रबन्ध है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां। सही बात इस प्रकार है कि कुछ शरारती लोगों ने माल गाड़ी संख्या ७२१ अप के खुले कोयला वैगनों में से कोयला चोरी करने का प्रयत्न किया जब कि यह बंगावं के बाहरी सिगनल पर रोकी गई थी। एक पुलिस कांस्टेबुल के मौके पर शीघ्र ही पहुंच जाने पर उन का प्रयास विफल कर दिया गया था। उस पुलिस कांस्टेबुल ने तुरन्त स्थानीय पुलिस को बता दिया जो मौके पर पहुंच गई और अपराधियों में से एक को गिरफ्तार कर के लगभग ६० मन कोयला बरामद कर लिया।

(ख) जी नहीं। बहुत थोड़े से लोग आये थे।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस स्टेशन पर ऐसी चोरियां बहुधा नहीं होतीं। परन्तु, क्योंकि इस प्रकार की घटना सामने आई है इस लिये उपयुक्त निराधक उपाय किये गये हैं।

कालीकट के समीप थिरुवांगूर में "हाल्ट" स्टेशन

†८१. **श्री कोया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थिरुवांयर गाड़ी रुकने के स्थान को, जो १९४२ आन्दोलन में जला दिये जाने के पश्चात बन्द कर दिया गया था, फिर से खोलने के लिये रेलवे विभाग को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उस अभ्यावेदन पर रेलवे प्रशासन ने क्या निर्णय किया है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव का निरीक्षण किया गया था परन्तु समुचित कारणों के अभाव में इसे स्वीकार नहीं किया जा सका।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि कालेज

†८२. **श्री सूरज पांडेय :**
श्री ज० ब० सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ३ अप्रैल १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में नये कृषि कालेजों की स्थापना की योजना विचाराधीन है; और

(ख) क्या उत्तर प्रदेशीय सरकार ने किसी नये कालेज की स्थापना के लिए केन्द्र से सलाह की है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) उस समय महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मद्रास तथा गुजरात राज्यों की सरकारें अपने अपने राज्यों में नये कृषि महाविद्यालय खोलने के प्रस्तवों पर विचार कर रही थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने कोल्हापुर में एक नया महाविद्यालय खोला है।

(ख) जी नहीं ।

पोस्टकार्ड

८३. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोस्टकार्ड पर एक नये पैसे का मूल्य बढ़ाये जाने के बाद अब नये ६ पैसे के कार्ड केवल बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली में ही उपलब्ध हो सकेंगे; और

(ख) देश के अन्य स्थानों पर कार्डों की उपलब्धि कब तक संभव हो सकेगी ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) तथा (ख). शुरुआत करने के लिए ६ न० पै० वाले इकहरे और १२ न० पै० वाले जवाबी नए पोस्टकार्डों की सप्लाई चार केन्द्रों , यथा बम्बई कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली तक ही सीमित रखी गई थी। ज्योंही और स्टाक उपलब्ध हुआ उन्हें समूचे भारत के अन्य केन्द्रों को भी भेज दिया गया। २७ मई को उन्हें पहली बार सप्लाई किया गया था और जुलाई के पहले सप्ताह तक उनकी सप्लाई देश भर में उपलब्ध करा दी गई। फिर भी अंतरिम अवधि के दौरान १ न० पै० के अतिरिक्त टिकट के साथ ५ न० पै० वाले पोस्टकार्ड उपलब्ध थे।

उत्पादकों को गन्ने के मूल्य का भुगतान

८४. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न मिलों पर उत्पादकों के गन्ने के मूल्य के रूप में करोड़ों रुपये बकाया पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो बकाया राशि का विस्तृत विवरण क्या है, और ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का इरादा है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) अतेर (ख). १९६२-६३ में चीनी कारखानों ने जो गन्ना खरीदा था १६ जुलाई १९६३ को उसका बकाया भुगतान १.०४ करोड़ रुपये या उत्तर प्रदेश के चीनी कारखानों द्वारा दिये जाने वाले कुल मूल्य ३६.२४ करोड़ रुपये का लगभग ३ प्रतिशत देना था।

(ग) राज्य सरकार से कहा गया है कि बकाया राशि के शीघ्र भुगतान के लिये कार्यावाही करें।

पटना के निकट गाड़ी का पटरी से उतर जाना

८५. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **रलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना से ५० मील पर पूर्व रेलवें के **मोरे और मोकामा** स्टेशनों के बीच इंजन और कुल डिब्बे १६ मई, १९६३ को पटरी से उतर गये थे ;

(ख) यदि हां तो उसका विस्तृत विवरण ; और

(ग) घायलों की संख्या क्या है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) केवल गाड़ी का इंजन पटरी से उतरा।

(ख) १६-५-६३ की शाम को लगभग ७ बजकर ५५ मिनट पर, जब ३८४ डाउन दानापुर-मोकामा सवारी गाड़ी मोर और मोकामा स्टेशनों के बीच ब्लाक सेक्शन में जा रही थी तो ड्राइवर हैं देखा कि पांच भैंसें पास के खेतों से निकल कर अचानक पटरी पर आ अयीं। भैंसों को पटरी पर से भगाने के लिए ड्राइवर ने सीटी बजायी और गाड़ी को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन एक-एक करके भैंसें गाड़ी के नीचे आगयीं और इस तरह लाइन पर रुकावट हो गई। भैंसों की लाशें ईंजन के पहियों में फंस गयीं जिसकी वजह से इंजन के अगले दो पहिये पटरी से उतर गये।

(ग) कोई नहीं।

ग्राम रक्षा दल

८६. **श्री मोहन स्वरूप** :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री ओंकार लाल बैरवा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हेम राज :
श्री द० जी० नायक :
श्रीमती रेणुका बटकटकी :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम रक्षा दल में देशव्यापी स्तर पर राज्यवार कितने व्यक्ति सम्मिलित हो चुके हैं और उनमें महिलाओं की संख्या क्या है ;

(ख) ग्राम रक्षा दल के कार्य की प्रगति क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दल के सदस्यों, दलपतियों और उप-दलपतियों के प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) (ख) व (ग). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १३७६/६३]**

फार्म का उत्पादन बढ़ाने के लिये परियोजनायें

†८७. **श्री रा० बरुआ :**
श्रीमती विमला देवी :
श्री वीनन भट्टाचार्य :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन परियोजनाओं के लिये लक्ष्य निर्धारित करने के लिये कोई प्रस्ताव है जिस से फार्म का उत्पादन तेजी से बढ़ सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) इस में क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). कृषि कार्यक्रमों को जो पहले ही कार्यान्वित किये जा रहे हैं उनका वर्तमान आपात के प्रसंग में, उन उपायों पर विशेष बल देते हुये जिनको शीघ्र ही तैयार किया जा सके और पूरा किया जा सके ताकि कृषि उत्पादन में अधिक वृद्धि हो सके, पुनर्नवीकरण किया गया है।

गहन खेती जिला कार्यक्रम (पैकेज प्रोग्राम) के हाल के अनुभव से पता चला है कि सारे देश में प्रयास करने की बजाय, उत्पादन अधिक बढ़ाने की दृष्टि से, ध्यान को अधिक उत्पादन शील क्षेत्रों में केन्द्रित करना चाहिये। मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये हाल ही के चावल, बाजरा और दालों के अधिक उत्पादन के लिये नये कार्यक्रमों को सावधानी से चुने गये क्षेत्रों में पैकेज सिद्धांत के अनुसार देखा गया है। कार्यक्रम चावल के लिये ४० चुने गये जिलों, और बाजरे और दालों के लिय १०० जिलों तक लागू होता है। इन जिलों में कुल एकड़ों का २० प्रतिशत प्रथम वर्ष में ४० प्रतिशत द्वितीय वर्ष में और ६० प्रतिशत तृतीय वर्ष में पूरा किया जायगा। सम्बद्ध खेती में तृतीय योजनाकाल के अन्त तक २५ प्रतिशत अतिरिक्त उत्पादन होने की आशा है।

यह कार्यक्रम पहले १५ चुने हुये जिलों में आरम्भ किये गये पैकेज प्रोग्राम के अतिरिक्त है। इस कार्यक्रम में गेहूं, चावल, बाजरा, दालें और विभिन्न नकद खेतियां जो जिलों में होती हैं, भी शामिल हैं। सम्बद्ध खेतियों के उत्पादन में आधार वर्ष से ५० प्रतिशत अधिक उत्पादन करना है। अब तक प्राप्त परिणामों से उत्पादन के बढ़ने का निश्चित लक्षण प्रतीत होता है और इस आधार पर यह आशा की जाती है कि अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त हो जायेंगे।

दुर्गापुर एक्सप्रेस राजपथ

†८८. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परियोजनानुसार दुर्गापुर एक्सप्रेस राजपथ के निर्माण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या दुर्गापुर राजपथ के निर्माण को कलकत्ता के लिये मास्टर प्लैन की कार्यान्विति के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या इस राजपथ के लिये चिन्ह लगाने का काम और प्राथमिक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ; और

(घ) इस परियोजना के लिये धन लगाने के लिये क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से कोई बातचीत चल रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (घ) दुर्गापुर एक्सप्रेस राजपथ परियोजना एक राज्यीय योजना है। इसलिये इस परियोजना का संबंध मुख्यतः पश्चिम बंगाल सरकार का है। आवश्यक जानकारी, जो कि राज्य सरकार से मांगी गई है, यथा-संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चावल उत्पादन

†८९. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :**
श्री पे० वेंकटासुब्बय्या :
श्री दे० जी० नायक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में देश में चावल का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) देश में इस वर्ष चावल की कमी का क्या कारण है ;

(ग) सरकार ने जनता को उचित मात्रा में चावल का संभरण करने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या सरकार चावल की कमी के कारणों का पता लगाने तथा उसके उपचार सुझाने के लिये सरकार एक उच्च शक्ति युक्प समिति के गठन पर विचार करेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) पिछले पांच वर्षों में चावल का कुल उत्पादन इस प्रकार था :—

वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
१९५७–५८	२५,१२२
१९५८–५९	३०,५४१
१९५९–६०	३०,९६३
१९६०–६१	३३,६५९
१९६१–६२ (अन्तिम अनुमान)	३३,६१०

(ख) १९६२–६३ के दौरान देश में चावल के उत्पादन के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र

†अल अंग्रेजी में

प्रदेश में वर्षा के अपर्याप्त और विषय वितरण के कारण तथा आसाम में बाढ़ के कारण चालू वर्ष का उत्पादन कम होने के संकेत मिले हैं।

(ग) सरकार जनता के गरीब वर्गों के लाभ के लिये सस्ती आनाज की दुकानों पर उचित कीमत में चावल बेच रही है। गेहूं की निकासी भी अधिक बढ़ा दी गयी है जिससे कि उपभोक्ता को दूसरा खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके।

(घ) केन्द्रीय दलों ने जिन्होंने राज्यों का दौरा किया था कुछ सिफारिशें की हैं ये सिफारिशें राज्य सरकारों को बता दी गयी हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि वे उन्हें क्रियान्वित करें।

टेपिओका के मूल्यों को स्थिर रखने के लिये उपाय

†९०. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की सरकार ने केन्द्र को यह अभ्यावेदन दिया है कि टेपिओका के मूल्यों को स्थिर रखने के लिये उपाय निश्चित किये जायें ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निश्चय किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खांडसारी का उत्पादन

†९१. **श्री विभूति मिश्र :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, १२ जून, १९६३ को स्टेट्समैन में प्रकाशित इस समाचार की ओर भी आकर्षित हुआ है कि खांडसारी के उत्पादन में प्रतिबन्ध लगाया जाने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ग) सरकार खांडसारी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करने का विचार कर रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार चीनी और खांडसारी निर्माण एकको के बीच, चीनी उत्पादन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर गन्ने के संभरण का विनियमन करने के तरीकों पर विचार कर रही है। ऐसा करते हुये खांडसारी उपभोक्ताओं के हितों पर पूरी तरह ध्यान दिया जायेगा।

गाड़ी में डकैती

†९२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ जून, १९६३ को पूर्वोत्तर रेलवे के १४ डाउन आगरा–लखनऊ एक्सप्रैस गाड़ी में गंगदन द्वारा और चटियाली के बीच सशस्त्र डाकुओं ने यात्रियों को लुट लिया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना की कोई जांच की गयी है, यदि हां, तो उसका क्या फल निकला है ; और

(ग) विशेषत: उस रेलगाड़ी में तथा सामान्यत: सभी रेलगाड़ियों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) पुलिस मामले की जांच कर रही है । चार अपराधी व्यक्तियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चका है ।

(ग) यात्री गाड़ियों में अपराधों को रोकने का दायित्व राज्य सरकार की पुलिस का है, वे रेलवे प्रशासन तथा रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से इस बराई को दूर करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं । पूर्वोत्तर रेलवे में रात को चलने वाली महत्वपूर्ण गाड़ियों में चलने के लिये विशेष पुलिस दल नियुक्त किये गये हैं । रेलवे प्रशासन ने निम्नलिखित तरीके भी अपनाये हैं :

(१) गाड़ियों में सुरक्षा कलें लगायी गयी हैं, जिससे कि अवांछनीय व्यक्ति डिब्बों में प्रवेश न कर सकें ।

(२) अभी हाल से एक नयी व्यवस्था यह की गयी है कि जिससे कि महिला डिब्बे में एक बटन को दबाने से निकटवर्ती डिब्बे तथा गार्ड के कक्ष में घंटी बजने लगेगी तथा डिब्बे के बाहर भी एक लाल बत्ती जलने लगेगी जिसका यह आशय होगा कि तत्काल सहायता की आवश्यकता है । यह व्यवस्था कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों के महिला डिब्बों में कर दी गयी है ।

(३) कन्डक्टर गार्ड और टी० टी० ईयों को यह अनुदेश दिये गये हैं कि वे महिला यात्रियों का विशेषत: अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं का विशेष ध्यान रखें ।

(४) ऊंचे दर्जे में यात्रा करने वाली महिलाओं को, रात्रि के समय तीसरे दर्जे का टिकट लेकर एक सेविका को साथ ले जाने की अनुमति है ।

(५) नोटिसों तथा लाउडस्पीकरों के द्वारा यात्रियों को यह घोषित किया जाता है कि वह जेब कतरों तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों से सावधान रहें ।

(६) अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचने का दंड बढ़ा कर २५० रु० कर दिया गया है ।

(७) यह अनुदेश जारी किये गये हैं कि रात्रि को चलने वाली सभी गाड़ियों का उनके प्रस्थान स्टेशन पर अधिकारियों द्वारा जांच की जाये विशेषत: इस दृष्टि से कि महिलाओं के लिये सुरक्षित ऊंची श्रेणी के डिब्बों के पाखानों या सीटों के नीचे कोई छिपा न हो ।

(८) रेलवे सुरक्षा बल की खुफिया शाखा को यह अनुदेश दिये गये हैं कि वे रेलगाड़ियों पर काम करने वाले डिब्बों पर पूरी नजर रखें तथा अपनी जानकारी सरकारी रेलवे पुलिस को बतायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(९) खतरनाक खंडों में पुलिस व रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य गाड़ियों के साथ चलते हैं ।

(१०) अपराधग्रस्त यार्डों तथा रेलवे लाइनों में निगरानी रखने के लिये रेलवे सुरक्षा बल के सशस्त्र व्यक्तियों की व्यवस्था की गयी है ।

गन्ने के मूल्य का भुगतान

९३. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ में १६ जून, १९६३ तक किसानों ने विभिन्न चीनी मिलों को जो गन्ना सप्लाई किया उसका कितना भुगतान अभी बकाया है ; और

(ख) सरकार ने किसानों को गन्ने का मूल्य शीघ्र दिलवाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) देश में विभिन्न चीनी कारखानों ने १९६०–६१ और १९६१–६२ के वर्षों में और १९६२–६३ में १६ जून १९६३ तक गन्ने के मूल्य का निम्न बकाया देना था :—

	(लाख रुपये)
१९६०–६१	२.५५
१९६१–६२	२७.०६
१९६२–६३ (१६ जून, १९६३ तक) . . .	३३६.५६

१९६१–६२ के बकाया में से कुल ४.८० लाख रुपये और १९६२–६३ के बकाया में से १०७.०५ लाख रुपये का और भुगतान १५ जुलाई, १९६३ तक कर दिया गया है ।

(ख) राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि चीनी कारखानों से गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करवाने का प्रबन्ध करें ।

चीनी का लागत मूल्य

†९४. **श्री दे० द० पुरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशुल्क आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों के लिये चीनी का लागत मूल्य क्या निश्चित किया है ;

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में चीनी के मूल्यों में आज तक क्या वृद्धि हुई है ; और

(ग) संविहित रूप से क्या मूल्य निश्चित किये गये थे ?

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) प्रशुल्क आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों के लिये चीनी का कोई लागत मूल्य नहीं निकाला है। उन्होंने चार क्षेत्रीय लागत अनुसूचियां बनायी हैं जिनके आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में चीनी का लागत मूल्य निकाला जा सकता है। प्रशुल्क आयोग द्वारा य: अनुसूचियां चीनी का लागत मूल्य गठन तथा चीनी उद्योग को मिलने वाली उचित कीमत संबंधी १९५९ के प्रतिवेदन में प्रकाशित हुई हैं। उन्हें चार वर्षों की अवधि १९५८–५९ से १९६१–६२ तक उचित समझा गया। सरकार ने इस अनुसूची का प्रयोग उत्तरी क्षेत्र के लिये, उत्तर प्रदेश तथा बि ार में १९५९–६० और १९६०–६१ के दौरान कारखाने से निकलने वाली चीनी की कीमत निश्चित करने के लिये किया।

(ख) १९६२–६३ में चारों क्षेत्रों में, आयोग की अनुसूची की तुलना में, प्रतिमन चीनी के लागत मूल्य में जो वृद्धि करने की अनुमति दी गयी है व, इस प्रकार है :—

	रु० न० पैसे
उत्तरी क्षेत्र . . .	१.०९
मध्य प्रदेश और राजस्थान क्षेत्र	१.०७
बम्बई क्षेत्र .	१.२२
दक्षिण क्षेत्र	१.१९

उक्त वृद्धि १० प्रतिशत वापिसी और १२० दिन की अवधि से संबंधित है।

(ग) १९५९–६० और १९६०–६१ में उत्तर प्रदेश और बिहार के लिये, संविहित आई० एस० एस० डी–२९ ग्रेड की चीनी के कारखाने पर कीमत रु० ३७.८५ नये पैसे प्रतिमन निश्चित की गयी। पंजाब व दक्षिण बिहार में चीनी की प्रतिमन दर ३८.३५ प्रतिमन निश्चित की गयी।

विभिन्न क्षेत्रों के चीनी कारखानों के लिये निश्चित किये गये कारखाना मूल्य संलग्न विवरण में दिये गये हैं :

क्षेत्र	प्रति क्विंटल कारखाना मूल्य रुपयों और नये पैसों में
पश्चिम उत्तर प्रदेश	१०८.५०
पूर्व उत्तर प्रदेश	१११.२०
उत्तर बिहार	१११.२०
दक्षिण बिहार	११२.५०
पंजाब .	१०९.८५
पश्चिम बंगाल	१११.२०
आसाम .	११३.८५

†मूल अंग्रेजी में

क्षेत्र	प्रति क्विटल कारखाना मूल्य रुपयों और नये पैसों में
उड़ीसा	११०.५०
राजस्थान	१०६.८५
मध्य प्रदेश	१०६.८५
महाराष्ट्र	१०६.८५
गुजरात	११२.५०
आंध्र प्रदेश	१०६.८५
मद्रास	१११.२०
मैसूर	१११.२०
केरल	१११.२०
पांडिचेरी	१११.२०

कृषि योग्य बंजर भूमि

†९५. **श्री वारियर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ के बाद से कितनी कृषि योग्य बंजरभूमि को वर्षवार और राज्यवार कृषि योग्य बनाया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: राज्यों में भूमिकृत्यकरण तथा भूमि विकास योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है । कृषि योग्य बनायी गयी बंजरभूमि के संबंध में पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १३७७/६३]

भेड़ पालन

९६. **श्री [illegible]श्वर प्रसाद** :
श्री प्र० ६० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऊन की पैदावार को बढ़ाने के लिये राजस्थान और मैसूर में बड़े चरागाह बना कर भेड़ पालने की योजना बनायी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

सिक्किम से स्लीपर

९७. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम से भारत को रेलों के लिये स्लीपर देने के लिये समझौता हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह भारत को स्लीपर कब से भेजना शुरू करेगा ; और

(ग) किस शत पर ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) आशा है स्लीपरों की सप्लाई जल्द शुरू हो जायेगी ।

(ग) सिक्किम सरकार साल में ११,६५० स्लीपर सप्लाई करेगी । अलग अलग माप के अनुसार इन स्लीपरों की दर ६ रु० ५० न० पैसे से लेकर १० रु० २५ न० पै० प्रति घन फुट तक है । ठेके के अनुसार सिक्किम सरकार भारत के सिलीगुड़ी स्टेशन पर रेल तक निष्प्रभार स्लीपर पहुंचाने की व्यवस्था करेगी । ९० प्रतिशत रकम का भुगतान स्लीपर रवाना होने और रेलवे रसीद जारी होने पर किया जायेगा । बाकी रकम का भुगतान माल पाने वाले द्वारा माल की पावती देने पर या माल भेजने की तारीख से ९० दिन बाद (इनमें से जो भी पहले हो) किया जायेगा । सभी भुगतान भारतीय रुपयों में किये जायेंगे ।

नागपुर हवाई अड्डा

†९८. **श्री प्र० के० देव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर हवाई अड्डे को ढ़ाबया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यय पर और किस प्रयोजन के लिये ; और

(ग) क्या नागपुर को आने जाने वाले इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमानों की संख्या में वृद्धि हो गयी है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी हां ।

(ख) नागपुर देश के मध्य में स्थित है तथा टेक्नीकल दृष्टि से धावन मार्ग को बढ़ाबा अनिवार्य हो गया है ।

निर्माण के व्यय का अन्तिम रूप से पता नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

विदेशी पर्यटकों के लिये होटल

†९९. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से विदेशी पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये देश में होटलों की एक श्रंखला खोलना चाहती है ; और

(ख) क्या कोई राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) राज्य सरकारों के सहयोग से देश में होटलों की एक श्रंखला खोलने का कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है, तथापि बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये होटलों के स्थान को बढ़ाने पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। सरकारी क्षेत्र में होटलों के निर्माण की संभावनाओं पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय होटल

†**१००. श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में एक अन्तर्राष्ट्रीय होटल की स्थापना का विचार है जिसमें एयर इंडिया सहयोग करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) मैसर्ज ईस्ट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली की ओर से बम्बई में एक अन्तर्राष्ट्रीय होटल की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। उसमें एयर इंडिया ने सहकारिता करने की इच्छा प्रकट की है।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हो सकी है इसका कारण यह है कि भारत के अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने नई दिल्ली, बम्बई और आगरा में निर्मित होने वाले होटलों के लिये ऋण स्वीकार करते समय यह शर्त रखी है कि बम्बई और आगरा में बनने वाले ऋण की राशि तभी दी जायेगी जब नई दिल्ली की होटल योजना सफलतापूर्वक समाप्त हो जायेगी। अभी तक नई दिल्ली की होटल परियोजना के पूर्ण न होने के कारण क्योंकि एयर इंडिया केवल बम्बई की परियोजना में दिलचस्पी रखती है, अतः इस संबध में अग्रेतर प्रगति नहीं हुई है। दूसरी कठिनाई यह है कि मैसर्ज ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड इस परियोजना के लिये बम्बई में कोई उचित स्थान प्राप्त नहीं कर सके हैं।

बम्बई बन्दरगाह के फ्लोटिला कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

†**१०१. श्री महेश्वर नायक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई बन्दरगाह के फ्लोटिला कर्मचारियों ने अभी हाल हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, किस आधार पर; और

(ग) बन्दरगाह में सामान्य कार्य स्थिति लाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) बम्बई पत्तन प्रन्यास फ्लोरिल्ला के कर्मचारी २५ जून की अर्द्धरात्रि से २७ जून, १९६३ तक के ७ बजे तक हड़ताल पर रहे।

(ख) पिछले वर्ष बड़े पत्तन कर्मचारी संघों ने सरकार को यह अभ्यावेदन दिया था कि सरकारी संकल्प संख्या २३ पी० एल० ए० (९१)/५८ दिनांक २३ अगस्त, १९५८ द्वारा नियुक्त बड़े

†मूल अंग्रेजी में

पत्तनों के कर्मचारियों के लिये नियुक्त त्रिपक्षीय वर्गीकरण और श्रेणीकरण समिति द्वारा निश्चित किये गये वेतन-क्रमों में कुछ विषमतायें हैं।

सरकार ने संघों को यह सलाह दी थी कि वे इन विषमताओं पर पत्तन स्तर पर चर्चा करें। संघों को यह आश्वासन दिया गया था कि यदि कोई सच्ची विषमता होगी तो उस पर ध्यान दिया जायेगा। बम्बई, कलकत्ता प्रन्यास अधिकारियों और संघों के बीच इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा भी हुई थी। कुछ मामलों का निपटारा भी हो गया था। तथापि संघों का यह कहना था कि अधिकांश मामले मध्यस्थता द्वारा तय किये जायें। सरकार ने इन मामलों की जांच करने के उपरान्त यह लिखा कि इन मुद्दों पर मध्यस्थता या न्याय निर्णयन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तथापि बम्बई में एक मुलाकात के दौरान मन्त्री ने, संघ के एककों के प्रतिनिधियों से सरकार के उत्तर पर अपनी राय भेजने को कहा तथा यह कहा कि यदि वे चाहें तो अवशेष मामलों पर भविष्य में किसी बैठक चर्चा की जा सकती है। १५ जून, १९६३ को जबकि संघ के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही थी, संघ की एक इकाई, बम्बई पत्तन प्रन्यास सामान्य कर्मचारी संघ ने सरकार को यह लिखा कि उन्होंने बम्बई पत्तन प्रन्यास अग्नि शमक कर्मचारी तथा फ्लोटिल्ला कर्मचारी की हड़ताल करने का फैसला किया है। यदि वेतन क्रम वाली विषमताओं को तत्काल न्याय निर्णयन के लिये नहीं दिया जायेगा। आश्वासनों की क्रियान्विति पर, विलम्ब तथा स्थानीय आदेशों का भी उसमें उल्लेख किया गया था। संघ को तत्काल यह बताया गया कि १५ अप्रैल, के पत्र पर फैडरेशन के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। सरकार उनका उत्तर पाने पर तत्काल कार्यवाही करेगी तथापि पत्तन प्रन्यास फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने २३ जून से हड़ताल कर दी और फ्लोटिल्ला के कर्मचारियों ने २५ जून से हड़ताल कर दी।

(ग) २७ जून १९६३ को नौवहन मन्त्री तथा अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ के बीच हुई बातचीत के फलस्वरूप हड़ताल उठा ली गई तब से बम्बई पत्तन का कार्य सामान्य रूप से चल रहा है।

असम में बाढ़ें

†१०२. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में जून में जो बाढ़ें आईं उनसे रेलवे को कितनी क्षति पहुंची; और

(ख) सामान्य रेलवे सेवा फिर से चालू करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जून १९६३ में असम के क्षेत्र में कुछ स्थानों पर तट कट गये, बांधों के ऊपर से पानी बह गया तट बह गये और बस्ती में बाढ़। अनुमानतः १.३३ लाख रुपये की हानि निर्धारित की गई है।

(ख) अधिकांश स्थानों पर सामान्य रेलवे सेवा में बाधा पैदा नहीं हुई और पत्थर लगा कर तथा रेलवे लाइन आदि की मरम्मत करके सेवा को चालू रखने के लिए तुरन्त संरक्षात्मक कार्यवाही की गई थी। केवल रंगपुर उत्तर तेजपुर ब्रांच लाइन पर २८-६-६३ को रेल सेवा २४ घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी थी।

मृत पशुओं का मांस

१०३. **श्री रामेश्वरा नन्द** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस प्रकार जीवित पशु का वध करके उसका मांस भोजन के उपयोग में लाया जाता है

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या उसी प्रकार मृत पशु के मांस को भी वैज्ञानिकों ने अन्वेषण करके भोजन योग्य उपयुक्त समझा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी कोई खोज करा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) मृत पशुओं का मांस मानव भोजन के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है और समस्त उन्नत उन्नत देशों में मांस-निरीक्षण नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित कारणों से इस पर रोक लगी हुई है :—

(१) एक ऐसे पशु के शव को जिसकी स्वाभाविक मत्यु हुई हो जब खोला जाता है तो उससे खून नहीं निकलता जिसके फलस्वरूप मांस लाल और तरबतर दिखाई देता है जिसे देख कर घृणा हो जाती है और इसीलिए उपभोक्ता उसे पसन्द नहीं करते । खून के रुके रहने के कारण ऐसे पशु-शवों को अधिक समय तक रक्खा भी नहीं जा सकता क्योंकि जीवाणुओं की तीव्र वृद्धि के कारण उसमें दुर्गन्ध तुरन्त आ जाती है ।

(२) जब किसी पशु की स्वाभाविक मत्यु हो जाती है तो उसकी मत्यु का ठीक कारण जानना कठिन हो जाता है । कभी-कभी पशु ऐसे रोगों के कारण मर जाते हैं जिनसे उनका मांस मानव-भोजन के लिए खतरनाक बन जाता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए अनुसन्धान कराना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

बल्लारी होसपेट से गडग तक स्थानीय गाड़ी

†१०४ **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल्लारी होसपेट और गडग के लोगों से कोई अभ्यावेदन मिला है कि बेल्लारी होसपेट से गडग तक एक और स्थानीय गाड़ी चालू की जाए; और

(ख) यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) नवम्बर १९६२ में इस सैक्शन में रेलवे सेवा का प्रयोग करने वाले यात्रियों की गणना की गई थी जिससे पता लगा था कि कुछ गाड़ियों में अत्यधिक भीड़ होती है जबकि दूसरी गाड़ियों में उपलब्ध क्षमता को पूरा उपयोग में नहीं लाया जाता । अतः निकट भविष्य में और दो गाड़ियां चालू करना यातायात की दृष्टि से उचित नहीं है और इसके अतिरिक्त नई गाड़ियां चालू करने के लिए अपेक्षित इंजन भी इस समय उपलब्ध नहीं हैं । किन्तु इस प्रश्न पर पुनः विचार किया जाएगा जब आवश्यक संसाधन उपलब्ध होंगे ।

दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के लिए क्वार्टर

†१०५. **श्री बूटा सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग क्वार्टर रखे जाते हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस समय इन क्वार्टरों में से कितने क्वार्टर म .निदेशक डाक तार के कार्यालय और अन्य कार्यालयों में काम करने वाले अधिक रियों के पास हैं जो सम्पदा निदेशक द्वारा नियन्त्रित सामान्य विकास पुंज में शामिल हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि ये सब क्वार्टर दिल्ली टेलीफोन जिला की आवश्यकताओं से अधिक है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) डिस्ट्रिक्ट के लिए निर्धारित क्वार्टरों मे से पांच क्वार्टर इस समय दो असिस्टेंट चीफ इंजीनियरों, मन्त्री के निजी सचिव और म .लेखापाल केन्द्रीय राजस्व तथा डाक तार बोर्ड के सदस्य के पास है । दूसरी ओर निदेशालय के पांच क्वार्टर जो राजसम्पत्ति अधिकारी द्वारा नियन्त्रित क्वार्टरों में से हैं दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों के पास हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उज्जैन-आगर लाइन

१०६. श्री बड़े : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उज्जैन-आगर नैरोगेज लाइन के बीच वाले सभी स्टेशनों पर संडास की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक व्यवस्था की जा रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त सभी स्टेशनों पर वर्षा ऋतु में यात्रियों के संरक्षण हेतु पर्याप्त स्थान नहीं है और जो थोड़ा बहुत स्थान है उसमें भी यात्रियों के बचने हेतु आड़ नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो यह व्यवस्था शीघ्र ही किये जाने हेतु क्या किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) इन स्टेशनों पर टट्टियां और पेशाबघर बनाने का प्रस्ताव रेल उपयोक्ता सुविधा समिति के सामने रखा जायेगा, जो इस पर विचार करके इस काम को भविष्य में किये जाने वाले निर्माण-कार्यों में शामिल करेगी, बशर्ते इसके लिए धन उपलब्ध हो ।

(ग) जी नहीं । उज्जैन-आगर सेक्शन पर इस समय जितना यात्री यातायात होता है, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उस सेक्शन पर प्रतीक्षालय की वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त हैं । जाफरी की व्यवस्था आवश्यक नहीं समझी जाती ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के वाईकाउंटों के लिए रडार

†१०७. **श्री बूटा सिंह** :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कजरोलकर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन में चलाये जाने वाले कितने वाइकाउण्टों में रडार

---

†मूल अंग्रेजी में

लगा दिये गये हैं और उनमें से अभी कितने हैं जिनमें रडार नहीं लगाये गये ; और

(ख) रडार विहीन वाइकाउण्टों में रडार लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के सारे के सारे १३ वाइकाउण्टों में रडार उपकर लगाये जा चुके हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फिश प्लेटों का आयात

†१०८. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे ने अमरीका से १२,५०० टन फिश प्लेटें मंगाने का आदेश दिया है ;

(ख) यदि हां तो किन शर्तों पर और क्या इनका सम्भरण पूरा हो चुका है ; और

(ग) भारतीय रेलवे कहां तक फिश प्लेटों के आयात पर निर्भर करती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) मूल्य तथा भाड़े के आधार पर । प्रति दस लाख टन फिश प्लेटों का मूल्य विभिन्न भारतीय पत्तनों के लिए इस प्रकार भिन्न भिन्न है :—

(१) १०५ पाउण्ड फिश प्लेटों के लिए २०२.५३ से २०४.४७ डालर ।

(२) ९० पाउण्ड फिश प्लेटों के लिए २१४.६१ से २१६.५५ डालर ।

(३) ६० फाउण्ड फिश प्लेटों के लिए २२२.२६ से २२४.८२ डालर । सम्भरण पूरा हो चुका है ।

(ग) १९६२-६३ के आरम्भ से देश में फिश प्लेटें बनाने की क्षमता का विकास किया गया है । देश में छड़ों से रोलिंग फिश प्लेटें बनाने की वर्तमान क्षमता से हमारी वर्तमान आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं । यदि इस्पात कारखाने पर्याप्त मात्रा में देशी छड़ों का सम्भरण न कर सके तो यथास्थिति छड़ें या तैयार फिश प्लेटें आयात करने के लिए सम्भावित कमी के अनुसार प्रबन्ध किया जाएगा ।

तेजपुर रंगिया सेक्शन पर बम-विस्फोट

†१०९. **श्री बड़े** : क्या **रेलवे** मन्त्री ९ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के तेजपुर रंगिया सेक्शन में हुए बम विस्फोट के बारे में जो जांच आरम्भ की गई थी वह पूरी हो गई है ;

(ख) यदि नहीं तो वह जांच किस स्तर पर विचाराधीन है ; और

(ग) इस मामले में कितने गवाहों की जांच की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) अभी नहीं श्रीमन् ।

(ख) भारत सरकार के विस्फोट विभाग के रसायन परीक्षक की विशेषज्ञ राय के अनुसार यह बम हाथ से चलाया जाने वाला संख्या ३६ का बम था । यह घटनास्थल पर कैसे पहुंचा इस बारे

†मूल अंग्रेजी में

में तथा अन्य प्रासंगिक विवरण के बारे में पुलिस जांच कर रही है और उनका विचार है कि यह संयोग-वश हुआ है न कि विध्वंसक कार्य के कारण ।

(ग) नौ ।

पंजाब में कुएं

†११०. **श्री दर्शन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय नलकूप संगठन ने पंजाब के होशियारपुर जिले में कितने नलकूप खोदे हैं ;

(ख) १९६३–६४ में कितने नलकूप खोदने का विचार है ; और

(ग) कितने कुएं खोदे जा रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के अधीन प्रयोगात्मक नल कूप संगठन राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर चुने हुए क्षेत्र में भूमि तक में पानी खोजने का काम करती है । पंजाब राज्य सरकार ने होशियारपुर जिले में किसी जगह पर पानी खोजने का सुझाव नहीं दिया ।

प्रयोगात्मक भूछेदन के दौरान जब किसी सूराख से पर्याप्त पानी निकलता है तो उसे नलकूप में बदल दिया जाता है तथा सिंचाई और सम्बन्धित प्रयोगों के लिए राज्य सरकारों को दे दिया जाता है । होशियारपुर जिले में निरुला के स्थान पर ऐसा एक नलकूप बनाया गया है और दिसम्बर १९६० में उसे पंजाब सरकार को दे दिया गया था । उसे राज्य सरकार कृषि प्रयोजन के लिए प्रयोग में ला रही है ।

गेहूं का नष्ट होना

†१११. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री प्र० चं० दरुआ :
श्री कछवाय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली के निकट नरैना के सरकारी गोदाम में १००० बोरी गेहूं नष्ट हो गया है ;

(ख) यदि हां तो क्या इस घटना की जांच की गई है ; और

(ग) जांच का क्या परिणाम निकला ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) आयात किये गये गेहूं की कुछ मात्रा जो डिब्बों से उतारी गई थी और उसे गोदाम के अन्दर पहुंचाया जा रहा था जबकि ११ और १२ जून, १९६३ को अकस्मात् वर्षा हो जाने से वह नष्ट हो गया है। खराब हुआ गेहूं सम्भाल लिया गया है और उसमें से जितनी मात्रा मानव उपयोग के अनुपयक्त है उसे पशुओं और मुर्गी के चारे के लिए प्रयोग किया जा रहा है ।

(ख) जांच की गई है ।

(ग) जांच अधिकारी ने रिपोर्ट की है कि यह हानि इस कारण हुई कि माल लादने और उसके परिवहन के ठेकेदार ने काफी श्रमिक नहीं दिये और इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे पुल

†११२. श्री **रा० बरुआ** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक जापानी फर्म से भारत में रेलवे पुलों के उपकरणों का सम्भरण करने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो वे पुल कहां कहां पर हैं ; और

(ग) यह कार्य कब आरम्भ करने की सम्भावना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी हां। दक्षिण उत्तर रेलवे में कमजोर गडरों के स्थान पर लगाने के लिए १७,१५० स्पेन ब्रिज गडर :

(ख) (१) गोयलकेरा और पोसीना स्टेशनों के बीच।

(२) दक्षिण पूर्व रेलवे के बिल्हा और निमेकिन स्टेशनों के बीच शिवनाथपुल संख्या २।

टिप्पण : इस्पात के वर्तमान गर्डर कमजोर हो गये हैं अतः नये गर्डर लगाने की आवश्यकता है।

(ग) मार्च १९६४ तक।

राप्ती नदी पर पुल

११३. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री २१ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्नसंख्या ६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजपथ संख्या २८ के राप्ती के पुल के मेहराब गिर जाने के कारणों की जांच करने के लिए जो समिति नियुक्त की थी उसका कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं। अभी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

बेगमपेट में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का अड्डा

†११४. **श्री प० चं० देवभंज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर कारपोरेशन ने बेगमपट में अपना अड्डा बन्द कर देने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां तो उसके कारण क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) तथा (ख). हैदराबाद का अड्डा डकोटों की मरम्मत के लिए कलकत्ता का फाकरों तथा स्काईमास्टरों के लिए और दिल्ली का वाईकाउण्टों के लिए है। कारपोरेशन ने ३ कारवेल्ज जेट विमान मंगाये हैं जो १९६३–६४ की सर्दियों में मिलेंगे। कारपोरेशन ने समिति की सिफारिशों के आधार पर यह निश्चय किया है कि बम्बई में कारवेलजों की मरम्मत का अड्डा स्थापित किया जाए।

---

†मूल अंग्रेजी में

डकोटों के संचालन में उत्तरोत्तर कमी और कारवेल्ज विमान मिल जाने पर उसमें और कमी हो जाने के कारण डकोटा की मरम्मत का काम काफी कम होता जा रहा है। जिससे हैदराबाद के अड्डे की आवश्यकताओं के अनुसार वहां के कर्मचारी फालतू हो जाएंगे। बम्बई के अड्डे के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और साथ ही हैदराबाद के फालतू कर्मचारियों को काम दिलाने के लिए यह निश्चय किया गया है कि हैदराबाद के २५० कर्मचारियों को बम्बई स्थानान्तरित कर दिया जाए। शेष ३७५ कर्मचारी हैदराबाद के डकोटा अड्डे पर रहेंगे। कारपोरेशन यह भी विचार कर रही है कि डकोटा के सभी उपकरणों की मरम्मत का काम हैदराबाद में केन्द्रित किया जाए। बेगमपेट की वर्कशाप को बन्द करने का निश्चय नहीं किया गया।

शिलांग हवाई अड्डा

†११५. **श्री स्वैल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिलांग में एक हवाई अड्डा बनाने का विचार छोड़ दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्माण कार्य आरम्भ होने की सम्भावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). इस पर अधिक खर्च होगा इस कारण यह प्रस्ताव छोड़ दिया गया है।

खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता

†११६. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में अमरीका में कहा था कि भारत पांच वर्ष के भीतर खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मुख्यत: क्या कार्य करने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) संघ सरकार के खाद्य तथा कृषि मन्त्री ने हाल ही में वाशिंगटन के दौरे में कहा था कि भारत के कृषि क्षेत्र में जो प्रगति की गई उससे अगले ५ से १० वर्ष के भीतर भारत को अमरीका से खाद्यान्न मंगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी ;

(ख) खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो उपाय किये गये हैं वे नीचे दिये जाते हैं :

१. निम्नलिखित पर अधिक बल दिया गया है :—

(क) छोटी सिंचाई योजना ;

(ख) सिंचाई क्षमता का अधिक उपभोग ;

(ग) मिट्टी संरक्षण ;

(घ) उर्वरक और खाद का सम्भरण ;

(ङ) बीज बढ़ाना और उसका वितरण ;

(च) पौधा संरक्षण तथा कृषि की अन्य सुधरी हुई प्रथाओं और उपकरणों को लोकप्रिय बनाना; और

---

†मूल अंग्रजी में

(छ) गहन खेती जिला कार्यक्रम ।

२. चुने हुए जिलों में चावल, बाजरा, दालों और अन्य सहायक खाद्यान्न के गहन उत्पादन का कार्यक्रम आरम्भ किया है । इस प्रयोजन के लिए विस्तार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का विचार है अर्थात् ४,००० एकड़ कृषि भूमि के लिए एक ग्राम सेवक और प्रत्येक खण्ड के लिए दो कृषि विस्तार अधिकारियों की व्यवस्था की जानी है ।

३. कृषि कार्यक्रमों के समन्वय के लिए प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ बनाई जा रही है । खाद्य तथा कृषि मन्त्री के सुझाव पर कृषि कार्यक्रमों के विभागों के कार्य में समन्वय हेतु मन्त्रि स्तर और अधिकारी स्तर पर दो समितियां राज्य सरकारें स्थापित कर रही हैं ।

४. ग्राम सेवकों को एक ही काम सौंपा गया है अर्थात् कृषि विस्तार, संभरण, ग्राम पंचायत तथा सहकारी समितियों को सहायता देना, और गांव की कृषि उत्पादन योजनाएं तैयार करना ।

५. कृषि की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामुदायिक विकास बजट को आधुनिक रूप दिया गया है ।

६. खाद्य तथा कृषि और सामुदायिक विकास और सहकारिता मामलों के प्रतिनिधियों को संयुक्त केन्द्रीय दलों के सब राज्यों का दौरा करके प्रशासनिक समन्वय की व्यवस्था को विभिन्न स्तरों पर सुधारने और सम्भरण तथा ऋण के अवरोध को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं ।

७. राज्यों के साथ सम्पर्क के लिए व्यवस्था की गई है । कृषि विभाग तथा सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को दो दो राज्य सौंपे गये हैं जहां वह समय समय पर जाकर न केवल कार्य की प्रगति का पता लगायेंगे बल्कि यदि राज्यों को कोई कठिनाइयां होंगी तो उन्हें भी हल करेंगे ।

उड़ीसा को चावल का सम्भरण

११७. **श्री किशन पटनायक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में उड़ीसा में खाद्याभाव की पूर्ति के लिए अभी तक कितना चावल भेजा जा चुका है ;

(ख) यह परिमाण कब उड़ीसा पहुंचा है ; और

(ग) कितना भेजना बाकी है, और कब भेजा जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग). एक सामान्य वर्ष में उड़ीसा राज्य में चावल की उपज वहां की आवश्यकता से अधिक होती है और १९६१ तथा १९६२ के वर्षों में तीन लाख मीट्रिक टन से अधिक चावल और धान (चावल के बराबर) उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल को व्यापारियों द्वारा भेजा गया । इस वर्ष उड़ीसा में चावल की उपज कुछ कम हुई है । इस वर्ष उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल को चावल और धान का निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा काफी कम रहा है । १ जनवरी, १९६३ से केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को कुल ४२ हजार मीट्रिक टन चावल देना स्वीकार किया है । २१ जुलाई तक उनके पास लगभग ३६ हजार मीट्रिक टन पहुंच चुका था । बाकी मात्रा या तो भेजी जा रही है या मार्ग में है ।

दिल्ली में यमुना पर नाव का पुल

११८. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री २६ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान रेलवे पुल के निकट नावों का जो अस्थायी पुल बनाया गया था बरसात में उसके तोड़े जाने के बाद यातायात के निकास के लिए क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ख) क्या बरसात के बाद नावों के उस स्थायी पुल का फिर से निर्माण करने का विचार है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) सूखे मौसम में जब नदी में बाढ़ नहीं होती रेल और सड़क के मिले जुले पुल में यातायात की भीड़ कम करने के लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में नावों का पुल बनाया गया था। नावों के अस्थायी पुल को तोड़ने के बाद कोई दूसरी व्यवस्था सम्भव नहीं है। सारा यातायात मौजूदा रेल और सड़क के मिले जुले पुल द्वारा होता है।

(ख) जी हां।

रेलवे में टाइपिस्ट

†**११९. श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में टाईपिस्टों को क्लर्कों की श्रेणी में मिला देने के बारे में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश को रेलवे बोर्ड ने अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें स्टेनोग्राफरों की तरह क्या प्रोत्साहन दिया जाता है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां।

(ख) प्रशासनिक कारणों से टाइपिस्ट की पदाली को अलग रखने का निश्चय किया गया था।

(ग) टाइपिस्टों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे श्री देवेन्द्रनाथ कार्जी, जो वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे, डा० रघुवीर जो भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, श्री जे० के० भोंसले जो प्रथम लोकसभा के सदस्य थे और वर्ष १९५२ से १९५७ तक पुनर्वास उपमन्त्री थे और कुमारी एनी मस्करीन के, जो भारत की संविधान सभा और प्रथम लोकसभा की सदस्या थीं, दुखद निधन की सूचना सभा को देनी है।

श्री देवेन्द्रनाथ कार्जी की मृत्यु ३१ जुलाई, १९६३ को कूच बिहार में, डा० रघुवीर की १४ मई, १९६३ को कानपुर में, श्री जे० के० भोंसले की १४ मई, १९६३ को सारिस्का अलवर में और कुमारी एनी मस्करीन की १९ जुलाई, १९६३ को त्रिवेन्द्रम में मृत्यु हुई।

हमें इन मित्रों की जुदाई का गहरा दुःख है।

[इसके पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिये मौन खड़े रहे।]

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे वायस आफ अमेरिका के प्रश्न के सम्बन्ध में श्री त्रिदिब कुमार चौधरी, श्री अ० क० गोपालन और बहुत से अन्य सदस्यों के, जो कि सभा के दोनों पक्षों के हैं, कई स्थगन प्रस्तावों की सूचना मिली है। क्या मानीय प्रधान मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : मेरा अनुरोध है कि अविश्वास प्रस्ताव को प्रश्नों के तुरन्त बाद लिया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप अध्यक्ष के निदेशों को देखें । वहां पर दिया गया है कि कार्य किस क्रम में लिया जाना है। मैंने उसे देख लिया है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी हां। मुझे एक वक्तव्य देना है। विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में मुझे बहुत से वक्तव्य देने हैं। सामान्य प्रथा के अनुसार एक दिन में एक वक्तव्य ही दिया जाता है। आज मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं और आगामी दो अथवा तीन दिनों में भी इस विषय पर मैं एक वक्तव्य दूंगा। यह वक्तव्य मैं अभी दे रहा हूं। कल मैं सीमा समस्या और चीनी फौजों के जमाव के ऊपर एक वक्तव्य दूंगा। वह अधिक महत्वपूर्ण है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह १६ तारीख को दिया जा सकता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं १६ तारीख तक इसे रोक लूंगा। सभा पटल पर रखे गये पत्र ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : एक औचित्य का प्रश्न ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि जो भी नियम हैं उनका निर्वाचन कर दिया गया है और इस बारे में अध्यक्ष के निदेश भी हैं कि कार्य किस क्रम में लिया जाना है। यदि आप चाहे तो मैं इन्हें पढ़ सकता हूं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या मैं यह समझ लूं कि वायेस आफ अमेरिका सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त सभी स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हो गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। आप जानते हैं कि बहुत सी बातें अब सामने आ रही हैं। इन के परिणाम देखने के पश्चात् ही मैं अन्य प्रस्तावों के बारे में, जो लम्बित हैं, निर्णय लूंगा; और फिर मैं घोषित करूंगा कि कौनसा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार्य है और कौनसा अस्वीकार्य ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैंने अपना स्थगन प्रस्ताव इस लिये रखा है क्योंकि मैं कुछ मंत्रियों में अविश्वास प्रकट करना चाहता था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। मुझे यह मालूम है। आपको यह भी मालूम होना चाहिये कि यदि किसी विषय पर सभा में चर्चा होनी है तो उसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती। पहले मुझे यह मालूम हो जाय कि किन विषयों पर यहां चर्चा हो रही है फिर मैं विचार करूंगा कि कोई अन्य मामला लिया जा सकता है कि नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : एक काम रोको प्रस्ताव तो वायेस आफ अमेरिका के सम्बन्ध में था और एक प्रस्ताव मैंने बम्बई के मजदूरों के. . . .

अध्यक्ष महोदय : आनरेबल मेम्बर यहां इतने अर्से तक रहे और मैं भी बार बार विनती करता रहा कि अगर किन्हीं मेम्बर साहब को किसी बात की शिकायत हो तो वे मेरे पास आ जायें, मुझे समझा दें तो मैं उसे यहां लाने के लिये तैयार हूं ।

श्री राम सेवक यादव : मुझे इस की कोई सूचना ही नहीं मिली ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप को सूचना नहीं मिली तो मैं आप के पास सूचना पहुंचवा दूंगा। आप मेरे पास आ जायें, बैठ जायें । मुझे समझा दें । मगर इस वक्त मैं उसे नहीं ले सकता ।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : बम्बई में बड़ी विस्फोटक स्थिति हो गई है । बम्बई थम गई है, फट रही है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप तशरीफ रखें, मैंने आप से विनय की है ।

"जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें नीचे उल्लिखित सभा के समक्ष कार्य की श्रेणियों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता निम्नलिखित क्रम में होगी, अर्थात् :—

(१) शपथ अथवा प्रतिज्ञान

(२) प्रश्न

(३) निधन सम्बन्धी उल्लेख

(४) पटल पर रखे जाने वाले पत्र

(५) राष्ट्रपति से सन्देशों की सूचना

(६) राज्य सभा से सन्देशों की सूचना यह सब दिया हुआ है । और फिर,

अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव ।"

यह उन सब के पश्चात् आता है । यह दैनिक कार्य समझा जाता है । ठीक किसी एक दिन का कार्य नहीं । इसे पहले निबटाना होता है । इसलिये मैंने इसे निदेशों के अनुसार लिया है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवनराम)** : मैं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उपधारा (५) के अन्तर्गत, दिनांक २० अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६७३ में प्रकाशित भारतीय टेलीग्राफ (प्रथम संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १३४८/६३**]।

भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ की धारा ५५ के परन्तुक के अन्तर्गत, दिनांक २४ जून, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर०

---

†मूल अंग्रेजी में

१०७३ में प्रकाशित भूमि अर्जन (समवाय) नियम, १९६३, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १३४९/६३]**

मोटर गाड़ी अधिनियम, आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं

(१) दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक २१ मार्च, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२ (२०८)/६२-पी० आर० (टी) ।

(ख) दिनांक ४ अप्रैल, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२ (२१३)/६२–पी० आर० (टी) ।

(ग) दिनांक ४ अप्रैल, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२ (१७६)/६२–पी० आर० (टी)।

[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये संख्या एल० टी० १३३६/६३]

मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २० अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११०८ में प्रकाशित मोटर गाड़ी (भारत और पड़ौसी देशों के बीच व्यापारिक यातायात चलाना) नियम, १९६३ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १३३७/६३]

वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक १२ जून, १९५४ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १९६५ में प्रकाशित व्यापारी बेड़े में मास्टरों और मेटों को योग्यता के प्रमाण-पत्र देने का विनियमन करने सम्बन्धी नियमों में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २० अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६६८ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १३३८/६३]

(२) मैं वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक १६ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४५५ में प्रकाशित वणिक नौवहन (नौवहन कार्यालय प्रपत्र) नियम, १९६३ ।

(ख) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी एस० आर० ५०३, जिसमें पाल वाले जहाज (निरीक्षण) नियम, १९६२ दिये हुए हैं ।

(ग) दिनांक ४ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७७०, जिसमें जीवन रक्षा नौका वाहकों की योग्यतायें और प्रमाण-पत्र नियम, १९६३ का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

[पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्वा एल० टी० १३५१/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ के अन्तर्गत अधिसूचनायें

मैं दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली मोटर गाड़ी एक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उप धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक २८ मार्च, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/१४६/५४–६२/ट्रांन्सपोर्ट ।

(ख) दिनांक २ मई, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० २० (२)/६३ पी० आर० (टी) ।

[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये संख्या एल० टी० १३५१/६३]

मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, त्रिपुरा मोटर गा ी नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १६ फरवरी, १९६३ के त्रिपुरा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ७(६)–ट्रांस/६२ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एल० टी० १३५२/६३]

दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम १९६२ के अन्तर्गत अधिसूचना

मैं दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, १९६२ की धारा २३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २७ मार्च, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित आधिसूचना संख्या एफ-२१(१)/६३ पी० आर० (टी) की एक प्रति जिसमें दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण नियम, १९६३ दिये हुए हैं, सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १३५३/६३]

भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति और भारतीय केन्द्रीय लाख उपकर समिति के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :—

(एक) वर्ष १९६१–६२ के लिये भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति के लेखे का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १३५४/६३]

(दो) वर्ष १९६१–६२ के लिये भारतीय केन्द्रीय लाख उप-कर समिति का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १३५५/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम और संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से विमुक्ति) संशोधन नियमों के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची तीन में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३० मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५१५ ।

(ख) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची तीन में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १३ अप्रैल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ६०७ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १२५१/६३]

संविधान के अनुच्छेद ३२० के खंड (५) के अन्तर्गत, दिनांक ६ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५७८ में प्रकाशित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, १९६३ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय सख्या एल० टी० ११९८/६३]

अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १९५७ शस्त्र अधिनियम, १९५९ और मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत अधिसूचनायें

(२) मैं अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८७२ में प्रकाशित महाप्रशासक, बम्बई (पुनर्गठन) आदेश, १९६३ ।

(ख) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८७३ में प्रकाशित शासकीय प्रन्यासी, बम्बई (पुनर्गठन) आदेश, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १३५६/६३]

शस्त्र अधिनियम, १९५९ की धारा ४४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ११ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२८३ में प्रकाशित शस्त्र (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३ ।

(ख) दिनांक १ जून, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस०ओ० १४७० में प्रकाशित शस्त्र (तीसरा संशीधन) नियम, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १३५७/६३]

मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५२ की धारा ११ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २१ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८८५ में प्रकाशित मंत्रियों के भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार) दूसरा संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १३५८/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम और छोटी सिंचाई योजनाओं के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ९८८ के उत्तरों को शुद्ध करने वाले वक्तव्य के अन्तर्गत अधिसूचना

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण, अधिनियम, १९६० की धारा ३८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २२ जून, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १६९७ में प्रकाशित पशु कल्याण बोर्ड (प्रशासन) संशोधन नियम, १९६३।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १३५९/६३]

(दो) छोटी सिंचाई योजनाओं के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ९८८ पर सर्वश्री पी० वेंकटसुब्बया, मानसिंह पी० पटेल, पी० आर० पटेल, एच० वी० कामत एवं गौरी शंकर कक्कड़ द्वारा २३ अप्रैल, १९६३ को पूछे गये अनुपूरक उत्तरों को शुद्ध करने वाला वक्तव्य ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १३६०/६३]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ और सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० मती तारकेश्वरी सिन्हा)**: मैं विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम १९४७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक १४ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४६१ में प्रकाशित विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन), नियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर फिर से रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १२५३/६३]

मैं सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, १९५९ की धारा १२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३० मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५३४ में प्रकाशित डाक-घर बचत प्रमाण-पत्र (प्रथम संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १३६२/६३]

रोजगार दफ्तर (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, १९५९, व्यक्तिगत चोट (आपातकालीन उपबन्ध) अधिनियम, १९६२ और औद्योगिक [रोजगार (स्थायी) आदेश] अधिनियम १९४६ के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)**: मैं रोजगार दफ्तर (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, १९५९ की धारा १० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १६ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४५० में प्रकाशित रोजगार दफ्तर (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १३६३/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(२) मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (क) व्यक्तिगत चोट (आपातकालीन उपबन्ध) अधिनियम, १९६२ की धारा ३ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत, दिनांक ११ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १३२२ में प्रकाशित व्यक्तिगत चोट (आपातकालीन उपबन्ध) संशोधन योजना, १९६२ ।

(ख) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ की धारा १५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक ६ जुलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६६ में प्रकाशित औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये सख्या एल० टी० १३६४/६३]

तकावी ऋण का सरकारी उधार संबंधी समिति का प्रतिवेदन

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : मैं तकावी ऋण तथा सरकारी उधार सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १३६५/६३]

संसदीय समितियां—कार्यवाही सारांश

†**सचिव** : १६ अप्रैल, १९६२ से ३१ मई, १९६३ तक की अवधि के बारे में 'संसदीय समितियां —कार्य का साराशं' की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : मैं गत अधिवेशन में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और ६ मई, १९६३ को सभा को दी गई अन्तिम रिपोर्ट के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अधिलाभ–कर विधेयक, १९६३ ।

(२) बंगाल वित्त (बिक्रीकर) दिल्ली संशोधन) विधेयक, १९६३ ।

(३) विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९६३ ।

(४) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६३ ।

(५) विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६३ ।

राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयक सभा पटल पर रखे गये

†**सचिव** : मैं गत अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और ६ मई, को सभा को दी गई अन्तिम रिपोर्ट के बाद, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों की प्रतियां, राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) राजभाषा विधेयक, १९६३ ।

(२) संघ राज्य-क्षेत्र शासन विधेयक, १९६३ ।

(३) अनिवार्य जमा योजना विधेयक, १९६३ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६३-६४

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १९६३-६४

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

बडे पत्तन न्यास विधेयक

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** : (शिमोगा) : मैं भारत के कुछ बड़े पत्तनों के लिये पत्तन अधिकारी के गठन के लिये और उन प्राधिकारियों में ऐसे पत्तनों के प्रशासन , नियंत्रण तथा प्रबन्ध को निहित करने के लिये और इस से सम्बद्ध अन्य मामलों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** : मैं भारत में कुछ बड़े पत्तनों के लिये पत्तन अधिकारी के गठन के लिये और उन प्रधिकारों में ऐसे पत्तनों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्ध को निहित करने के लिये और इससे सम्बद्ध अन्य मामलों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

भारत-पाकिस्तान वार्ता के बारे में वक्तव्य

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधान मंत्री अब अपना वक्तव्य दे सकते हैं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जो वक्तव्य मैं देना चाहता हूं वह काफी लम्बा है । यदि आप चाह तो मैं इसे पढ़ सकता हूं . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वक्तव्य लम्बा है तो इसे सभा पटल पर रख दिया जाय । मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि इसकी प्रतियां सदस्यों को मिल जायें ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं भारत-पाकिस्तान वार्ता पर एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

पिछली ७ मई को मैंने सदन में एक बयान दिया था जिसमें मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच काश्मीर और उससे सम्बद्ध दूसरे मामलों पर दोनों देशों के बीच जो बातचीत चल रही थी उसका ज़िक्र किया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस बातचीत की शुरूआत उस मिले-जुले बयान से हुई थी जो २० नवम्बर, १९६२ को पाकिस्तान के राष्ट्रपति और मैंने दिया था और जिसमें हम दोनों ने अपनी सहमति प्रकट की थी कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच काश्मीर और अन्य मामलों को सुलझाने के लिए नए सिरे से कोशिश करेंगे ताकि दोनों देश परस्पर शान्ति और मित्रता के साथ रह सकें। ३० नवम्बर को मैंने सदन में उस मिले-जुले वक्तव्य के बारे में एक बयान दिया और उस बातचीत का जिक्र किया जो यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रमंडल सम्पर्क मंत्री श्री डंकन सैंड्स और अमरीका के सहायक विदेश मंत्री और मेरे बीच हुई थी।

इस मिले-जुले वक्तव्य के आधार पर ही रेल मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में हमारे प्रतिनिधिमंडल ने उक्त बातचीत के छह दौरों में हिस्सा लिया। इन छहों दौरों में, जो करीब पांच महीने चले, पाकिस्तान काश्मीर के सिवा किसी और मसले पर बातचीत करने को तैयार नहीं हुआ।

जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, भारत की नीति सदा ही यही रही है और अब भी है, कि पाकिस्तान के साथ मित्रता और सहयोग के सम्बन्ध रहें। दोनों देशोंके बीच इस प्रकार के सम्बन्धों का न होना बदकिस्मती ही न होगी बल्कि इससे दोनों देशों के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध भी टूट जायंगे, जो एक युग से दोनों देशों के बीच बने हैं। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि दोनों देशों के लिये एक मात्र उचित रास्ता यही है कि दोनों देश आपस में मित्रता और सहयोग विकसित करें और अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें। दोनों देशों के व्यापक हित की दृष्टि से हमने काश्मीर समेत भारत और पाकिस्तान के बीच सभी विवादों को विवेक और वास्तविकता के आधार पर सुलझाना चाहा है। और इसी लिए हम बातचीत के लिए राजी हो गये थे, लेकिन जैसा कि सदन को मालूम ही है, न्यायसंगत और सम्मानजनक समझौते पर पहुंचने की सरदार स्वर्ण सिंह की हर कोशिश के बावजूद यह बातचीत विफल रही।

शुरू से ही पाकिस्तान सरकार ने ऐसे कदम उठाये जो समझौते के रास्ते में रुकावट बने। जिस दिन इस बातचीत का पहला दौर रावलपिंडी में शुरू होने वाला था उससे पहली शाम को पाकिस्तान ने काश्मीर की सिक्यांग से मिलने वाली सीमा के बारे में चीन के साथ तथाकथित सिद्धान्त-रूप में समझौते का एलान कर दिया। जाहिर है कि इस ऐलान का ऐसा समय इस इरादे से चुना गया था कि भरत भड़क जाए और दूसरे दिन सवेरे बातचीत करने से इन्कार कर दे। हमने यह महसूस किया कि बातचीत के भविष्य के लिए यह एक अपशकुन था। फिर भी, चूंकि हम दिल से समझौता चाहते थे इसलिए हमने बातचीत जरी रखी।

पहली पूरी बैठक में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने काश्मीर को छोड़ कर भारत-पाकिस्तान के बीच के किसी अन्य मतभेद पर बातचीत करने की अनिच्छा दिखाई और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि काश्मीर का सवाल सब से पहले हल किया जाना चाहिए। सरदार स्वण सिंह ने अपने प्रारम्भिक भाषण में उन विषयों की सूची दी जिन पर विचार-विमर्श होना चाहिए था। लेकिन श्री भुट्टो ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वे सिर्फ काश्मीर पर ही बातचीत करेंगे। पाकिस्तान की ज़िद की वजह से काश्मीर के मामले में जनमत संग्रह के पुराने विचार पर दोस्ताना लेकिन फिजूल बातचीत में काफी समय लग गया, जब कि यह विचार, मुख्य रूप से पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र कमीशन के प्रस्तावों पर अमल न करने और उसमें अड़चन डालने की कारवाइयों की वजह से पहले ही अव्यावहारिक सिद्ध हो चुका था ख़ास कर पिछले १५ वर्षों की अपरिवर्तनीय हालतों को देखते हुए।

इसके बाद पाकिस्तान ने चीन-पाकिस्तान समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसमें पाकिस्तान ने लगभग दो हजार वर्गमील का हमारा इलाका चीन को दे दिया। यह तथ्य है कि पाकिस्तान ने

यह सब उस समय किया जब कि हमारी बातचीत चल रही थी। यह इस बात का सूचक है कि उसने इस बातचीत को कितना महत्वहीन समझा। यह एक बड़ी असाधारण बात थी कि जिस समय यह बातचीत चल रही थी उसी समय पाकिस्तान हमारे प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा चीन को देने में व्यस्त था, जिसने हमारी धरती पर आक्रमण किया था। पाकिस्तान का साफ साफ यही उद्देश्य था कि जम्मू-काश्मीर के हमारे इलाके के एक हिस्से के बारे में हमें कुछ कहने का अधिकार न हो और राज्य के बाकी हिस्से के बारे में वह अपने हाथ खुले रखे। अगर हम बातचीत वहीं ख़त्म कर देते तो भी हमारा कोई दोष न होता, लेकिन अपना कड़ा विरोध प्रकट करने के बाद हमने बातचीत जारी रखी।

पाकिस्तान के चीन के साथ प्रारम्भिक समझौता कर लेने के बावजूद रावलपिंडी की बातचीत दोनों प्रतिनिधि-मंडलों के नेताओं की इस अपील के साथ ख़त्म हुई कि आपस में एक दूसरे की कटु आलोचना न की जाए।

दोनों देशों के प्रतिनिधि-मण्डलों के नेताओं ने अभी दिसम्बर में यह अपील की थी कि पाकिस्तान ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अपने ज़िम्मेदार अफसरों द्वारा योरोप की राजधानियों में भी भारत को निन्दित करने का अभूतपूर्व आन्दोलन शुरू कर दिया। इस तरह शुरू से ही यह साफ हो गया कि पाकिस्तान की दिलचस्पी न तो मौजूदा मतभदों को दूर करने में है और न काश्मीर समस्या को ही सुलझाने में। वह तो बस भारत पर चीनी हमले से उत्पन्न स्थिति का लाभ उठाना चाहता है।

पाकिस्तान का प्रतिनिधि-मंडल जब जनमत संग्रह की निरर्थक बातचीत से हट कर संभव राजनीतिक हल पर विचार करने पर आया तो उसने बड़े आश्चर्यजनक प्रस्ताव रखने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने जम्मू और काश्मीर में सिंध, चनाब और झेलम—इन तीन पश्चिमी नदियों के जलग्रह क्षेत्रों और जल विभाजन रेखाओं पर इस बिना पर अपना अधिकार बताया कि सिन्ध जल सन्धि मे ये नदियां पाकिस्तान को ही दी गई हैं। हमारे प्रतिनिधि मंडल ने यह स्पष्ट कर दिया कि सिन्ध जल सन्धि में पाकिस्तान के हितों की पूरी सुरक्षा की गई है और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी बिना पर पाकिस्तान जम्मू और काश्मीर के किसी इलाके पर इसलिए दावा करे कि वह उन नदियों के पानी का इस्तेमाल और उनका विकास करता है। अगर नदी के निचले भाग का मालिक ऊपरी भाग के मालिक के इलाके पर पानी की अपनी आवश्यकताओं के आधार पर दावा करने लगे तो संसार के अनेक देशों के नक्शों में जबंदस्त रद्दोबदल करनी पड़ेगी। इस हिसाब से तो निचले हिस्से का मालिक तिब्बत पर भी दावा कर सकता है, क्योंकि सिन्ध और ब्रह्मपुत्र तो तिब्बत ही से निकलती हैं। पाकिस्तान ने जो दूसरा दावा जम्मू और काश्मीर पर किया वह उतना ही बेतुका था जितना कि पहला। उनका दावा था कि अपनी ग्रैंड ट्रंक रोड और रेलवे लाइन की रक्षा करने के लिए उन्हें यह राज्य चाहिए ही और जैसा कि हमारे प्रतिनिधि मंडल को बताया गया, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर लेना अनिवार्य था, पाकिस्तान—इसे "गहराई में रक्षा" कहता है। अन्त में, पाकिस्तान ने मुसलमानों की अधिक जनसंख्या के आधार पर काश्मीर पर अपना दावा जताया। यह एक बहुत ही दूषित साम्प्रदायिक दृष्टिकोण था जो कि उस भावना के एकदम प्रतिकूल था जो स्वतन्त्रता के हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के समय व्याप्त थी, उसकी प्रेरक थी ; साथ ही यह हमारे संविधान के, तथा राज्य और व्यक्ति के सम्बन्ध की समस्या के प्रति दृष्टिकोण के भी विपरीत है।

साफ़ है कि पाकिस्तान का उद्देश्य समस्या का विवेकपूर्ण और वास्तविक हल ढूंढना नहीं था। वे पूरे के पूरे जम्मू और काश्मीर राज्य पर ही दावा करने पर उतारू थे और भारत के पास धुर-दक्षिण में कठुआ जिले के पास एक महत्वहीन इलाका छोड़ना चाहते थे। इतनी उदारता भी शायद

उन्होंने भूल से कर दी थी। उनका यह प्रस्ताव और भी ज्यादा आश्चर्यजनक था कि पाकिस्तान घाटी में छः महीने या एक साल के लिए अन्तरिम प्रबन्ध करने के लिए तैयार है ताकि भारत चीन के साथ मामला निबटा ले ; स्पष्ट है कि वे इस बात के प्रति पूरी तरह सजग थे कि भारत को चीन से लद्दाख की रक्षा करनी है। इस सब का यही मतलब हो सकता था कि भारत चीनी खतरे से लद्दाख की रक्षा करने में अपनी जनशक्ति और साधन लगा दे और जब उसके प्रयत्न और त्याग से लद्दाख मुक्त हो जाए तो भारत जम्मू और काश्मीर पाकिस्तान को दे दे। एक दूसरा प्रस्ताव था घाटी के तथाकथित अन्तर्राष्ट्रीयकरण का, यह भी छह महीने के लिए, जिसके बाद लोगों की इच्छा जानने का कोई तरीका अपनाया जाए। यह जनमत संग्रह का पुराना और अस्वीकृत विचार था जिसकी आड़ में पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र भारत-पाक कमीशन के प्रस्तावों की शर्तों पर अमल न करना पड़ता।

यह अवरोध आ जाने पर, जब कि आखिरी दिन बातचीत बिल्कुल टूटती दिखाई दी, हमारे प्रतिनिधि मंडल ने युद्ध न करने का समझौता करने की पेशकश की। साथ ही तुरन्त अपनी-अपनी फौज हटा लेने का व्यावहारिक प्रस्ताव भी किया। इस तरह हमने अपने पड़ोसी को फिर यह आश्वासन दिलाने की आशा की थी कि चीनी आक्रमण के ख़िलाफ़ हम जो अपनी रक्षा-व्यवस्था मज़बूत कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं।

हमारा कहना था कि युद्ध न करने के समझौते में यह बात भी खास तौर पर शामिल की जा सकती थी कि दोनों देश समस्या का शान्तिपूर्ण हल खोजने का प्रयत्न करते रहेंगे क्योंकि हम समस्या को गर्त में डाल देना नहीं चाहते थे। इस तरह के समझौते को संयुक्त राष्ट्र में भी रजिस्टर कराया जा सकता था ताकि उसे अन्तर्राष्ट्रीय आधार मिल जाए। पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया उसका प्रतिनिधिमंडल इस बात पर राजी नहीं हुआ कि फिर से विचार करने और शान्तिपूर्ण समझौते की दिशा में समुचित कदम उठाने के लिए मामला दोनों देशों की सरकारों को ही सौंप दिया जाए। इस तरह पाकिस्तान वहां पहुंच गया जहां वह शुरू से ही पहुंचना चाहता था यानी समझौता न करना और उस सब में अवरोध खड़ा कर देना जो 'काश्मीर और अन्य सम्बद्ध मामले' के अन्तगत आ सकता था। यहां आकर पाकिस्तान के साथ मंत्रि-स्तर की बातचीत ख़त्म हो गई।

मई के पहले पखवाड़े में अमरीका के विदेश मंत्री श्री डीन रस्क और श्री डंकन सैंड्स दिल्ली आए। बातचीत में काश्मीर का सवाल भी उठा। हम ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिलाया कि हम दिल से समझौता चाहते हैं बशर्ते कि समझौता उचित और न्यायसंगत हो। अपनी इच्छा की सच्चाई के सबूत में हम ने कहा कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की मध्यस्थता स्वीकार करने को भी तैयार होंगे जो दोनों पक्षों को मंजूर हो। हालांकि पहले हम ने एक ऐसा ही प्रस्ताव नामंजूर कर दिया था। फिर भी, पाकिस्तान बिल्कुल असंभव मांगें पेश करता रहा। जून के पहले हफ्ते में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने सरगोधा में कहा कि इस तरह के तरीके अपनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान के दूसरे प्रवक्ता असंभव शर्तों का सुझाव देते रहे। वे चाहते थे—एक अवधि निश्चित कर दी जाय, इस अवधि में भारत को शस्त्रास्त्र न दिए जाएं, आदि आदि।

हम से बहुत से मित्र, जिन में पाकिस्तान के नेता भी हैं, कहते रहे कि दोनों देशों की संयुक्त रक्षा की दृष्टि से काश्मीर पर समझौता हो जाना परम आवश्यक है। एक बार पाकिस्तान ने यह शिकायत की कि उस ने हमारे सामने संयुक्त रक्षा का प्रस्ताव रखा लेकिन हम उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। पाकिस्तान का संयुक्त रक्षा का यह प्रस्ताव प्रोपेगेन्डा के अतिरिक्त और कुछ नहीं था—यह अब पाकिस्तान के नेताओं के बयानों से बिल्कुल साफ़ हो गया है। उन्हों ने खुले आम यह ऐलान कर दिया है कि अगर काश्मीर का मामला दोस्ताना ढंग से सुलझ गया तो भी पाकिस्तान

चीन के खिलाफ़ न तो भारत की रक्षा को जायगा और न ही पेकिंग के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात ख़त्म करेगा। बताया जाता है कि पिछली १७ जुलाई को श्री भुट्टो ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेम्बली में कहा है कि "अब पाकिस्तान पर भारत का आक्रमण पाकिस्तान की सुरक्षा और प्रादेशिक अखंडता तक ही सीमित नहीं है" बल्कि "यह एशिया के सब से बड़े राज्य की प्रादेशिक अखंडता और सुरक्षा का सवाल है"। उन्हों ने यह भी कहा कि अगर भारत ने अपनी बंदूकें पाकिस्तान की ओर कीं तो इस संघर्ष में पाकिस्तान अकेला नहीं होगा। ज़ाहिर है कि वह चीन का ज़िक्र कर रहे थे। यह तथ्य भुला दिया गया कि भारत की ये मंशा हरगिज़ नहीं है कि वह पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए किसी तरह का कोई खतरा पैदा करे या अपनी बंदूकें उस की ओर करे। युद्ध न करने का समझौता करने का हम ने जो बार-बार प्रस्ताव किया वह भी भुला दिया गया। आज पाकिस्तान का बस एक ही उद्देश्य है कि भारत को बदनाम किया जाय और जैसे भी बन पड़े हमारा नुकसान किया जाय। वे नहीं चाहते कि हम इतने मजबूत हों कि चीन का मुकाबला कर सकें। वे तो यही चाहते हैं कि चीन के खतरे के सामने हम निर्बल और असहाय बने रहें। वे इस बात को सुनना भी नहीं चाहते कि भारत को हथियारों की जो सहायता दी जा रही है उस का काश्मीर से कोई सम्बन्ध नहीं है।

हम ने यह बात साफ़ कर दी है कि हम यह चाहते हैं, और हमेशा की तरह यही चाहेंगे, कि पाकिस्तान और भारत की समस्याएं विवेक और वास्तविकता के आधार पर सुलझ सकें, लेकिन घाटी का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने या उस का बंटवारा करने या काश्मीर पर संयक्त नियंत्रण रखने अथवा इसी तरह के किसी अन्य प्रस्ताव पर विचार करने का कोई सवाल नहीं उठता। अगर कभी कोई समझौता हुआ तो वह स्पष्ट रूप से शांतिपूर्ण होना चाहिए और उस से जो प्रगति अब तक हुई उस पर और काश्मीर की स्थिरता पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आनी चाहिए और इस से भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच दोस्ती बढ़नी ही चाहिए। बिना किसी समझौते का कोई मतलब नहीं है।

पाकिस्तान की मित्रता प्राप्त करने और दोनों देशों के बीच लाभदायक सहयोग का एक नया अध्याय शुरू करने की आशा से बातचीत के दौरान हम ने न केवल संयम और सहनशीलता से काम लिया बल्कि उदार रियायतें भी उन्हें दीं, लेकिन सब बेकार। यों तो हमें अब भी आशा है किन्तु जब तक पाकिस्तान भारत के विरुद्ध विवेकशून्य शत्रुता का रवैया अपनाये है तब तक समझौते की बहुत कम संभावना है। हम ने पाकिस्तान को जो रियायतें देने को कहा था, वे अब उस के लिए नहीं हैं ; हम उन्हें वापस लेते हैं। हम यह नहीं चाहते कि पड़ोसी के प्रति हमारे मन में जो उदारता और उस से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखने की हमारी जो कामना है उसे पड़ोसी सरकार और अधिक दावों के लिए आधार बना ले। बातचीत का बीच में टूट जाना बड़े खेद की बात तो है, लेकिन तथ्यों को तो हमें स्वीकार करना ही होगा और पाकिस्तान के साथ अपने सभी मतभेदों का समाधान करने के लिए अधिक उपयुक्त समय का इन्तज़ार करना होगा।

समिति के लिये निर्वाचन

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया गथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३११ के उप-नियम (१) के साथ पठित नियम २५४ के उप-नियम (३)

---

†मूल अंग्रेजी में।

द्वारा अपेक्षित रीति से डा० क० ल० राव के स्थान पर, जो मंत्री नियुक्त होने पर प्राक्कलन समिति के सदस्य नहीं रहे, ३० अप्रैल, १९६४ को समाप्त होने वाली शेष अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३११ के उप-नियम (१) के साथ पठित नियम २५४ के उप-नियम (३) द्वारा अपेक्षित रीति से डा० क० ल० राव के स्थान पर, जो मंत्री नियुक्त होने पर प्राक्कलन समिति के सदस्य नहीं रहे, ३० अप्रैल, १९६४ को समाप्त होने वाली शेष अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भण्डागार निगम (संशोधन) विधेयक

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि भाण्डागार निगम अधिनियम, १९६२, में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : यह विधेयक भाण्डागार निगम के कार्यालय की दिल्ली से बाहर ले जाने के लिए लाया गया है । मैं श्री पाटिल से जानना चाहूंगा कि इस विधेयक को यहां लाने से पूर्व क्या यह निश्चय कर लिया गया है कि इस कार्यालय को बाहर भेजा जायगा ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: यह एक समर्थकारी विधेयक है जिस से सरकार को अधिकार मिल जायगा और यदि आवश्यक समझा गया तो मुख्य कार्यालय को बाहर भेजा जायगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भाण्डागार निगम अधिनियम, १९६२ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे नियम १९८ के अन्तर्गत मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के ७ प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रथम सूचना श्री उ० मू० त्रिवेदी और श्री बड़े ने दी है। क्या श्री उ० मू० त्रिवेदी उसे प्रस्तुत कर रहे हैं ?

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : जी नहीं। जिस प्रस्ताव की सूचना मैं ने दी है उसे मैं वापिस लेना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरे प्रस्ताव की सूचना श्रीमती रेणु चक्रवर्ती और श्री स० मो० बनर्जी ने दी है। यह इस प्रकार है कि :

"यह सभा मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रकट करती है।"

इस के साथ कुछ कारण भी दिये गये हैं। यद्यपि पहले जब सूचना आई थी तो अध्यक्ष ने निर्णय दिया था कि इन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अब मैं उन दिये गये कारणों को भी पढ़ रहा हूं। यह इस प्रकार हैं :—

"वायस आफ अमेरिका के साथ करार ; भारत में विदेशी हवाई सुरक्षा ; बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में असफलता ; बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने और विदेशी तेल समवायों और निर्यात/आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ; सोने का चौचर्मानियन समाप्त करना; थोड़े से हाथों में पूंजी का संकेन्द्रण; अनिवार्य जमा योजना और अत्यधिक करारोपण"।

यह कारण दिये गये हैं यद्यपि यह प्रस्ताव के भाग के रूप में नहीं हैं। प्रस्ताव स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है ।

अब मैं माननीय सदस्य से अनरोध करूंगा कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति मांगें ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (बैरकपुर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति चाहती हूं कि :

"यह सभा मंत्रि परिषद् में अविश्वास प्रकट करती है।"

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रस्ताव को पढ़ूंगा जो इस प्रकार है :

"यह सभा मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रकट करती है।"

जो सदस्य इस प्रस्ताव के लिए अनुमति दिए जाने के पक्ष में हैं वह कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जायें। ३६ माननीय सदस्य खड़े हुए हैं। यह संख्या ५० से कम है। इसलिए अनमति नहीं दी जाती ।

तीसरी सूचना श्री रामसेवक यादव ने दी है।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) एक प्रस्ताव कृपालानी जी का आ रहा है। हम सब लोग उस का समर्थन करेंगे। इसलिए मैं उस को प्रेस नहीं करना चाहता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक अन्य सूचना श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने दी है। क्या वह भी उसे वापिस लेते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : एक मोशन श्री मनीराम बागड़ी जी ने भी दिया है । चूंकि मुझे उन का खास लिहाज है, इसलिए उन से अलाहिदा मालम करना चाहता हू . . .

श्री बागड़ी (हिसार) : कारण पढ़ कर सुना दिए जाएं ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप मूव नहीं करते हैं तो कारण पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूं ।

श्री बागड़ी : कृपालानी जी के प्रस्ताव का मैं समर्थन करूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं छठे प्रस्ताव को लेता हूं जिसकी सूचना श्री कृपालानी ने दी है, यह इस प्रकार है:

"यह सभा मंत्रि-परिषद में अविश्वास प्रकट करती है ।"

एक और सातवां प्रस्ताव श्री बिशन चन्द्र सेठ का है । क्या यह इसे प्रस्तुत करेंगे?

श्री बिशन चन्द्र सेठ (एटा) : चूंकि कृपालानी जी मोशन पेश कर रहे हैं इसलिए मैं अपना प्रैस नहीं करना चाहता । मैं उनका समर्थन करूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री कृपालानी से अनुरोध करूंगा कि वह सभा की अनुमति प्राप्त करें ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम) : मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

नियम १९८ में दिया हुआ है कि यदि कोई सदस्य अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहे तो उसे सभा की बैठक आरम्भ होने से पहले उसकी सूचना देनी होगी । इस मामले में जिस सदस्य ने इस प्रस्ताव की सूचना दी है उन्होंने सभा की बैठक आरम्भ होने के पश्चात शपथ ली है । जब तक यह शपथ नहीं लेते तब तक क्या वह सभा के सम्मुख एक प्रस्ताव ला सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्य हो वह तभी बनता है जब वह यह स्थान ग्रहण करता है परन्तु एक सदस्य को यह विशेषाधिकार दिया गया है कि वह शपथ लेने से पूर्व सभी प्रकार के प्रस्तावी प्रश्नों आदि के लिये सूचनायें दे सकते हैं ।

सभा में स्थान ग्रहण तभी किया जायगा जब वह शपथ ले लेंगे परन्तु जहां तक अन्य विशेषाधिकारों का संबंध है वह निश्चय ही उसे मिलते हैं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : अभी आज ही श्री लोहिया शपथ लेने से पूर्व कुछ कहने के लिये उत्सुक थे परन्तु आपने उन्हें वैसा नहीं करने दिया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने वैसा किया था और माननीय सदस्य इसमें भी जो भेद है उसे भलि भांति समझते हैं । मैं इसकी अधिक व्याख्या करने की जरूरत नहीं समझता । श्री कृपालानी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री कृपलानी** (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, लोक–सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम १९८ के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं :

"कि यह सभा वर्तमान मंत्रि–परिषद में अविश्वास प्रकट करती हैं।"

†**अध्यक्ष महोदय** : जो सदस्य इस प्रस्ताव के लिये अनुमति दिये जाने के पक्ष में है वह कृपया अपने स्थानों में खड़े हो जायें।

७२ सदस्य खड़े हुए हैं। चूंकि यह संख्या ५० से अधिक है, इसलिये सदस्य को अनुमति दी जाती है। अब मुझे समय निर्धारित करना पड़ेगा। क्या सरकार बता सकती है कि इस विषय पर चर्चा के लिये कौनसा समय उनके लिये सुविधाजनक होगा?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यदि आप उचित समझें और यदि सभा को आपत्ति नहीं तो इस विषय पर चर्चा आगामी सप्ताह के आरम्भ में ही सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : संसद-कार्य मंत्री विरोधी पक्ष वालों से परामर्श कर लें और साथ ही साथ सरकार का विचार भी प्राप्त करें, और फिर मुझे बतायें।

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं आपको बताऊंगा।

अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

जैसा कि संविधान के अनुच्छेद ३१२ में उपबन्धित है, तीन अखिल भारतीय सेवायें गठित करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाला एक संकल्प ६ दिसम्बर, १९६१ को राज्य सभा द्वारा पारित किया था। एक भारतीय इंजीनियरिंग सेवा है (सिंचाई, और विद्युत्, भवन तथा सड़कें); दूसरी, भारतीय वन सेवा है और तीसरी भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा है। ऐसा अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम की धारा २ का संशोधन करके किया जायगा। अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम की धारा २ में "भारतीय पुलिस सेवा शब्दों के पश्चात "धारा २ क में उल्लिखित कोई अन्य सेवा" शब्द रखे जायेंगे। इस अधिनियम के अनुसार केवल दो सेवायें ही अखिल भारतीय सेवायें थीं, अर्थात्, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। धारा २ क, जोड़ कर इनके साथ तीन अन्य सेवायें भी जोड़ दी जायेंगी, अर्थात्:

"उस दिनांक से जिसे केन्द्रीय सरकार इस संबंध में राजकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे, निम्नलिखित अखिल भारतीय सेवायें

---

†मूल अंग्रेजी में

गठित होंगी, और विभिन्न सेवाओं के लिए विभिन्न तिथियां निर्धारित की जा सकेंगी, अर्थात्:—

(१) भारतीय इंजीनियर सेवा (सिंचाई, विद्युत्, भवन और सड़कें)

(२) भारतीय वन सेवा

(३) भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा।"

विनियमन के लिये नई सेवाओं का ढांचा उसी प्रकार का होगा, और भर्त्ती के लिये उपबन्ध नियमों द्वारा होगा, क्योंकि धारा ३ नई सेवाओं पर लाग होगी, ताकि भरती और सेवा की शर्तों का विनियमन नियमों और विनियमों द्वारा होगा।

धारा ३३ के अन्तर्गत, इस धारा के अन्तर्गत बनाये गये सभी नियम संसद के समक्ष रखे जायेंगे और संसद द्वारा संशोधन करके उनमें रूपभेद किये जा सकेंगे। यह विधेयक का साधारण ढांचा है।

इन सेवाओं के प्रशासन के लिये राज्य सरकारों के काफी सहयोग की आवश्यकता होगी। वास्तव में, जहां तक भारतीय वन सेवा का संबंध है, लगभग सभी केडर राज्य केडर होंगे परन्तु भारतीय इंजीनियरी सेवा के लिये हमें एक केन्द्रीय केडर की आवश्यकता होगी क्योंकि केन्द्रीय सरकार में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन ऐसे बहुत से पद हैं। इसी प्रकार, अन्य सेवाओं के लिये भी केन्द्रीय केडर की आवश्यकता होगी, परन्तु बहुदा राज्य केडर ही होंगे जिनमें भरती प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा होगी और राज्य सेवाओं से भी होगी। इनका अनुपात क्या होगा यह राज्य सरकारों से विचार और परामर्श के पश्चात निर्धारित होगा। कई एक विचार व्यक्त किये गये हैं। एक विचार यह है कि यह अनपात २५ प्रतिशत होना चाहिए। दूसरा विचार यह है कि इस अनुपात की प्रतिशत अधिक होनी चाहिए। इन सभी विषयों पर राज्य सरकारों से बातचीत हो रही है और जब हमें उनकी सहमति प्राप्त हो गई हम नियम और विनियम बनायेंगे, और जब वह पूरे हो गये तो यह सेवायें अस्तित्व में आयेंगी।

भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में स्थिति इस प्रकार हैं विधि मंत्रियों के सम्मेलन में एक निर्णय किया गया था। विधि मंत्रियों ने सामान्यतया इस प्रस्ताव का अदुमोदन नहीं किया था। परन्तु मुख्य न्यायाधिपतियों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ है।

सामान्यतया सरकार अखिल भारतीय सेवाओं की रचना के पक्ष में रहती है। अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के बारे में हम विचार कर रहे हैं और इस क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की है गो हम पूर्ण रूप में अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके। परन्तु कुछ राज्यों को अब भी कुछ आपत्तियां हैं।

यह एक छोटा सा विधेयक है। मैं सभा से अनरोध करता हूं कि इसे स्वीकार किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : मैं इस विधेयक पर बहुत संक्षिप्त रूप से बोलना चाहता हूं। वास्तव में इसे बहुत पहले लाया जाना चाहिये था। राज्य पुनर्गठन आयोग के इन तीन सेवाओं को शीघ्रता से स्थापित करने की सिफारिश की थी और इसके लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रैंक एथनी[

कुछ सेवा की शर्तों पर बहुत जोर दिया था। प्रांतीयता की भावना को हटाने के लिए उस ने कहा था कि कम से कम ५० प्रतिशत नये भर्ती किये जाने वाले उम्मेदवार राज्य से बाहर के होने चाहिये। किन्तु इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की नीति ढीली और विलम्बकारी रही है। मुझे डर है कि कांग्रेस के मुख्य मंत्रियों की प्रांतीयता की भावनाओं के दबाव से इन तीन सेवाओं का एकीगरण का प्रभाव नष्ट हो जायेगा। मुझे भय है कि इस विधेयक की क्रियान्विति में यह एक धोखा बन कर रह जायेगा और ये अखिल भारतीय सेवाओं के नाम से राज्य सेवाएं ही बन कर रह जायेंगी।

एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा बनाने का प्रस्ताव, जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण है, राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने रद्द कर दिया है : मैं नहीं समझ सकता कि ऐसी सेवा के बिना सांस्कृतिक या भावनात्मक एकता कैसे उत्पन्न हो सकती है।

मेरा शिक्षा से काफी संबंध रहा है और मैं देखता हूं कि इस समय शिक्षा के क्षेत्र में देश में बहुत गड़बड़ी फैली हुई है, शिक्षा में भी प्रांतीयता और प्रादेशिकता की भावना घर करती जा रही है। इतिहास की किताबों में भी प्रादेशिक साम्प्रदायिकता आती जा रही है और विश्व विद्यालय स्तर पर भी यही कुछ हो रहा है। कई विश्वविद्यालययों में तीन साल का पाठ्यक्रम है और कई में चार साल का। अंग्रेजी के होते हुए भी विद्यार्थी और अध्यापक एक प्रदेश से दूसरे में नहीं जा सकते। मैं शिक्षा मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वे राज्य पुनर्गठन आयोग की इस सिफारिश से कि ५० प्रतिशत भरती होने वाले राज्य से बाहर के होने चाहियें, सहमत हैं या नहीं ? यदि वे इसे नहीं मानते तो विधेयक निरर्थक होगा। दूसरा प्रश्न यह है कि अखिय भारतीय शिक्षा सेवा के बारे में उनकी क्या नीति है।

†**श्री वासुदेवन नायर** (अम्बलपुंजा) : केन्द्रीय सरकार के बारे में मेरी शिकायत और आलोचना यह है कि राज्यों की स्वायत्तता की अपेक्षा केन्द्रीयकरण पर अधिक जोर देना चाहती है। मैं नहीं समझ सका कि इन तीन सेवाओं की स्थापित कर देने से हमें देश की विभिन्न भागों के लिए योग्य व्यक्ति कैसे मिल जायेंगे। इन सेवाओं का रूप प्रशासनिक होगा और इन में काम करने वाले व्यक्ति प्रशासन का नित्य का काम करेंगे अत : यह नहीं कहा जा सकता कि उन की योग्यता से भारत के सभी भागों को लाभ पहुंचेगा।

दूसरी बात जिस के कारण मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं यह है कि इससे पदाधिकारियों को एक ऊंची श्रेणी बन जायेगी, जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। इस प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्ति अधिक श्रेणियां बढ़ाने से राष्ट्रीय एकता से कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा। इन दो कारणों से मैं समझता हूं कि प्रशासनीय सेवा और पुलिस सेवा के अतिरिक्त सरकार का अन्य अखिल-भारतीय सेवाएं बनाना की आवश्यकता नहीं है और न ही यह सरकार के लिए वांछनीय अथवा लाभप्रद है।

†**श्री दी० च० शर्मा** (गुरदासपुर) : विधेयक पर जो भाषण हुए हैं, उन्हें सुनकर मैं समझता हूं कि यह विधेयक लाभप्रद होगा। न ही इस से राज्यों की स्वायत्तता कम होगी और न ही प्रांतीयता की भावना बढ़ेगी।

केन्द्रीय सरकार ने कभी अपनी इच्छा राज्यों पर थोपने की कोशिश नहीं की और यह विधेयक भी राज्यों के साथ परामर्श कर के बनाया गया है और दोनों ओर गुणदोष देख कर बनाया गया है। इस में सरकार ने किसी संकोच या ढीलेपन से काम नहीं लिया।

---

†मूल ग्रेजी में

मैं उन लोगों में से हूं जो चाहते हैं कि अखिल-भारतीय शिक्षा सेवा शीघ्र से शीघ्र स्थापित की जाये। किन्तु मैं चाहता हूं कि राज्यों की मर्जी के बिना उन पर कोई चीज़ थोपी न जाये। उन के बीच कोई संघर्ष हीं होना चाहिये। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और समझता हूं कि यह देश की प्रजातंत्रीय परम्पराओं और प्रथाओं के अनुकूल है।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि अखिव-भारतीय सेवाएं स्थापित करने से एक ऊंची क्षेणी का विशेषाधिकार प्राप्त गुट पैदा हो जायेगा। मैं उन से सहमत नहीं हुं। सेवाओं के साथ, चाहे वे श्रेणी १ हो, या श्रेणी २ या श्रेणी ३ या ४, कोई विशेषधिका संलग्न नहीं है। वे सब सरकारी सेवायें हैं और उन के सब सदस्यों को जनता का सेवक समझना चाहिये। फिर इन में भरती प्रतियोगिता की परीक्षाओं द्वारा की जाती है। देश के उचित प्रशासन के लिए सेवाओं की विभिन्न पदालियों का होना आवश्यक है और विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का होना भी आवश्यक है। भारत में हर प्रकार की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है सिंचाई और विद्युत और वनों के मामलों में भारत के सभी राज्यों को एक ही समझना चाहिये और इन से संबंधित विषयों का रूप प्रादेशिक नहीं बल्कि अखिल भारतीय होना चाहिये। वन देश का बहुत बड़ा धन है और इन्हीं से ही भारत को जीवन मिलता है। इन के बारे में एक ही योजना होनी चाहिये और यह तभी हो सकता है जबकि एक अखिल भारतीय वन सेवा बनाई जाए। डाक्टरी और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी यहीं बात लागू होती है।

शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम ने शीघ्र सुधार न किया, तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत हानि पहुंचेगी। मुझे शिक्षा के माध्यमों की चिन्ता नहीं है। उन्हें अपनी मातृ भाषा के अलावा हिन्दी और अंग्रेजी भी पढ़नी चाहिये। मैं समझता हूं कि अखिल-भारतीय शिक्षा सेवा जितनी शीघ्र स्थास्थापित हो जाये, उतना ही अच्छा है। ऐसा करने से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा मिलेगा मैं समझता हूं कि अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की तरह इस का अनुभव भी हमारे लिए संतोषजनक होगा।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, अगर मैं भूलता नहीं हूं तो सितम्बर १९६१ को चेट्टियार साहब का प्रश्न था और उस सवाल के जवाब में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि इस के लिए हम एक अलग बिल ला रहे हैं। इससे हम लोग मुतमयिन थे कि कोई नया बिल आएगा। लेकिन इस अमेंडमेंड को देख कर यह ख्याल हुआ कि वही पुरानी शराब है जो नई बोतलों में भर दी गयी है। कोई अधिक फायदे का यह बिल नहीं आया है।

आज तक तो सरकार यह चिल्लाती रही है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, विकेन्द्रीकरण करेंगे, और इस बिल से, जो कि सामने आया है, यह जाहिर होता है कि और ज्यादा सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है। आज के बदलते हुए युग में, जनतंत्र के युग में पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव सरविस के जितने लोग थे, आई० सी० एस० या आई० पी० एस० वे उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहे। आई० पी० एस० तो नाकारा साबित हो चुके हैं इसलिए कि भारत की ९० फी सदी गरीब जनता की आवाज उन तक नहीं पहुंचती। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सरविस के लोग हैं, चाहे वे डिप्टी कमिश्नर हों, कलक्टर हों या ए० डी० एम० हों, उनका एक ही काम रह गया है। जब मिनिस्टर लोग पहुंचते हैं तो वे उनको रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। कोई काम उनका नहीं रह गया है। अपनी जगह इंजीनियर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यशपाल सिंह]

काम करते हैं, अपनी जगह ओवर सियर काम करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सरविस का कोई आदमी सिवय आराम तलबी के कोई काम नहीं करता। दो चार एक्सेप्शनों को छोड़ कर वे काम नहीं करते। मैंने इस चीज को खुद देखा है। मैं ने उत्तर प्रदेश के ५२ जिलों का दौरा किया है और मैं लोगों से मिला हूं। मैं ने देखा है कि जितने ऊंची सरविसेज के आदमी हैं उतने ही वे ज्यादा आराम तलब हैं।

हमसे यह वायदा किया गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को बढ़ाया नहीं जाएगा बल्कि करटेल किया जाएगा। जब डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है तो हर राज्य में अपनी भाषा में काम होगा और हर राज्व की अपनी अलग रीजनल लेंग्वेज है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का एक नवयुवक आन्ध्र प्रदेश में भेजा जाता है और आंध्र प्रदेश वाले उसकी भाषा को नहीं समझते और आन्ध्र प्रदेश वालों की भाषा को वह नही समझता तो इसका नतीजा यह होगा कि वहां पर एक डिक्टेटरशिप कायम हो जाएगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सरविसेज को कम करके राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं। लेकिन यह तो उल्टा काम हो रहा है।

मुझे क्षमा किया जाय जब मैं यह कहूं कि नेफा से हमारा एक सिपाही भाग कर नहीं आया, एक सूबेदार भाग कर नहीं आया। लेकिन भाग कर आया तो कौन? वहां डिप्टी कमिश्नर भाग कर आया। इंडियन एडमिनिस्ट्रटिव सरविस का एक आदमी जो वहां इन्तिजाम के लिए था वह भाग कर आया। तो जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकारों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाएं और खास तौर से एजूकेशन और फारेस्ट की ओर ध्यान दिया जाए। हम से वायदा किया गया था कि हम देश को निःशुल्क शिक्षा देंगे लेकिन अभी तक हिन्दुस्तान की एक चौथाई आबादी को फ्री एजूकेशन नहीं दी गई है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि इस बिल को रोक कर राज्य सरकारों के हाथ मजबूत किए जाएं।

मैं कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को छोड़ कर—क्योंकि अवामुलनास उनकी शक्ल से वाकिफ हैं—कैबिनेट का कोई मिनिस्टर किसी डिप्टी कमिश्नर के यहां जाए और उसको पता न चले कि यह यूनियन गवनमेंट के मिनिस्टर हैं, फिर देखिए उनके चपरासियों के नखरे और देखिए उन अफसरों की आराम तलबी का आलम। मैंने उस को अपनी आंखों से देखा है। एक बार देहात के हजारों लोग इकट्ठा होकर डिप्टी कमिश्नर के दरवाजे पर गए और कहा कि चालीस मील में जो हमने फस्ल बोयी थी वह ओले की वजह से मारी गई है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि तुम बिना एपाइंटमेंट किए हुए मेरे मकान पर आ गये हो और तुम ने मेरे आराम में खलल डाला है, इसलिय मैं तुम सब को जेल में डलवा दूंगा। यह नौकरशाही जनता का खून पीती रही है। इसको कम किया जाए। जरूरत इस बात की है कि इस बिल को खत्म किया जाए। यह नौकर शाही जनता को सरकार से दूर कर देगी। यह आज जनता और सरकार के बीच एक बहुत बड़ी खाई है।

मैंने जो अपनी आंखों देखा है वह बतलाता हूं, अखबार की खबर पर राय कायम नहीं करता। एक आई० सी० एस० के आफीसर शिकार खलने गए। मैंने उनको तीन दिन तक सी० आई० डी० बन कर देखा क्योंकि यह मेरा कर्त्तव्य था। उन तीन दिन तक तमाम रास्ते बन्द कर दिए गये। गन्ना काटने वालों का आना जाना बन्द कर दिया, फसल बोने वालों और काटने वालों का आना जाना बन्द कर दिया गया। सब लाइसेंसदारों को बुलाया गया कि साहब शिकार खेलेंग। तीन दिन में ३७ हजार रुपया खर्च हुआ। जब डिप्टी कमिश्नर साहब खड़े हुए तो वह हलते थे, उनको सुनाई भी कम देता था और दिखाई भी कम देता था: उनको सहारा दे कर खड़ा किया

गया। एक एस० डी० ओ० ने उनकी बन्दूक को पकड़ा और उनके हिलने को रोका। तब उन्होंने बन्दूक से छर्रा चला कर एक तीतर को घायल किया। एक तीतर को जख्मी करने के लिए ३७ हजार रुपया खर्च किया गया। आज जरूरत इस बात की है कि अंग्रजों के वक्त की इस नौकरशाही को खत्म किया जाए। आज जनता का राज है, जनता के बेटे आवें। आज जो आई० ए० एस० और दूसरी सर्विसेज में अफसर आते हैं व लखपति और करोड़ पतियों के लड़के होते हैं जो कि जनता की आवाज को नहीं समझते। मेरी दरख्वास्त है कि इस बिल को वापस लिया जाए और राज्य सरकारों के हाथों को मजबूत किया जाए और उन लोगों को सरविसेज में लिया जाए जो कि जनता की बात को सुनें। मैं मानता हूं कि आज सरविसेज में दो चार ऐसे लोग हैं जो जनता की आवाज सुनते हैं लेकिन उनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जो कि जनता से बात करना पसन्द नहीं करते। इनको यह ट्रेनिंग दी गई है कि जनता से अपने को अलग रक्खो। "नो" कहना सिखलाया गया है, जनता के लिए "यस" कहना सिखलाया ही नहीं गया है। उनको काले आदमी से बात न करने से बात न करने की ट्रेनिंग दी गई है। इन सर्विसेज में ऐसे लोग लिये जाने जाहिएं जो जनता के साथ सच्चे दिल से मिल सकें जो जनता के साथ मिल न सके; ऊनको इन में न लिया जाय। जो हंसते हुए चेहरे से जनता के साथ नहीं मिलते हैं वे इन नौकरियों के लिए डिसक्वालिफाइड समझे जायं। संसार की यह सबसे बड़ी डिसक्वालिफिकेशन है कि वे अशिष्टाचारी हैं, बदअख़लाक हैं और डिसकर्टियस हैं।

"न हो जिसमें अदब और हो किताबों से लदा फिरता,
"जफर" उस आदमी को हम तसव्वुर बैल करते हैं।"

अब यह साबित हो चुका है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग जनता के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलना पसन्द नहीं करते। इसलिये आपके द्वारा मेरी मंत्री जी से यह दरख्वास्त है कि इस बिल को ख़त्म करके स्टेट गवनमेंट्स के हाथ मजबूत किये जांय।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : जहां तक देश में एकता की भावना को बढ़ाने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार के प्रस्ताव का स्वागत होना चाहिए। इन तीन सेवाओं से देश में अच्छा वातावरण पैदा होगा। बहुत से लोगों की ओर से यह शिकायत की गई है कि भारतीय प्रशासनीय सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की पदालियों से केन्द्र द्वारा राज्यों से लिए गये पदाधिकारियों को लौटाया नहीं गया ह। इसके विपरीत जम्मू और काश्मीर में यह शिकायत है कि वहां इन सेवाओं के अधिकारियों को केन्द्र या किसी अन्य राज्य में नहीं भेजा गया। इस बात की भी जांच करने की आवश्यकता है। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को देश के विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र में काम करने का अवसर मिलना चाहिये, ताकि उन्हें मालूम हो सके कि सारे देश में क्या हो रहा है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।]

श्री एन्थनी और श्री शर्मा ने शिक्षा के विषय का उल्लेख किया है अभी तक सरकार ने अखिल भारतीय शिक्षा सेवा बनाने के प्रश्न का निणय नहीं किया। मैं समझता हूं कि जैसे अन्य सेवाओं का एकीकरण किया गया है, इसी तरह शिक्षा सेवाओं का भी एकीकरण होना चाहिए। मैं देखता हूं कि देश में शिक्षा के सम्बन्ध में पूरा उत्साह नहीं पैदा किया जा रहा है। अब समय आ गया है जब कि शिक्षा की सेवाओं का, जो कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्तरों पर हैं, किया जाये।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्याम लाल सर्राफ]

जहां तक राष्ट्रीय वन नीति को क्रियान्वित करने का सम्बन्ध है इस के परिणाम नगण्य हैं। अखिल भारतीय वन सेवा कायम करने से और पदाधिकारियों को एक राज्य से दूसरे में तबदील करने से ऐसा हो सकेगा और अन्यथा भी बहुत लाभ होगा। यह बात इञ्जीनियरिंग सेवाओं पर और सिंचाई पर भी लागू होती है। जब इन सेवाओं का एकीकरण हो जायेगा, तो सारे राज्य सिंचाई आदि की समेकित योजनाएं बना सकेंगे। अतः मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) संविधान में ऐसे उपबन्ध हैं जिनके अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्यों की शक्तियां और कृत्य निर्धारित किये गये हैं। किन्तु यह देखा गया है कि राज्यों के प्रशासक अपने आपको शेष राष्ट्र से अलग समझने लगे हैं। पिछले दो वर्षों में, मैंने यह देखा है कि जब भी दो राज्यों के बीच कोई झगड़ा पैदा हुआ है उनके नेता तथा प्रशासक मिल कर इस का निपटारा नहीं कर सके। इस बात पर केन्द्रीय सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। यद्यपि यह विधेयक एक छोटा विधेयक है, फिर भी मैं समझता हूं कि इससे देश में एक नई सेवा श्रेणी बनेगी जिससे राज्यों में एकीकरण की भावना को ठोस रूप से पैदा किया जा सकेगा। कुछ और अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने से, विभागों को चलाने वालों में एक नया राष्ट्रीय दृष्टिकोण पैदा होगा, जो कि इस समय अत्यावश्यक है। यह विधेयक उस दिशा में पहला कदम है।

दुर्भाग्यवश यह देखा गया है कि राज्यों के बहुत ही कम मुख्य मंत्रियों में सच्चा राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। ऐसी हालत में यह संघ सरकार का कर्तव्य है कि वे राज्यों के पदाधिकारियों का ठीक मार्ग-दर्शन करें। इन दो तीन सेवाओं के अलावा अखिल भारतीय शिक्षा सेवा भी शीघ्र इस सूची में जोड़ दी जानी चाहिए, मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं।

†**श्री व० वा० गांधी** (बम्बई-मध्य दक्षिण) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस से, अन्य बातों के अलावा, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा इन तीन सेवाओं के बन जाने के बाद, सब से पहले अखिल भारतीय शिक्षा सेवा बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। श्री रामी और अन्य वक्ताओं ने इसके महत्व पर जोर दिया है। जब हम राज्यों की स्वायत्तता और अधिकारी को इतना महत्व देते हैं तो इन सेवाओं को बनाते समय हमें उन्हें बता देना चाहिए कि इससे उनकी कोई शक्तियां कम नहीं होंगी। अखिल भारतीय सेवा बनाने का अर्थ यह नहीं है कि वह विषय राज्य सूची से संघ सूची में आ जायेगा। राज्यों का उसके संचालन पर पूरा नियन्त्रण होगा।

श्री एन्थनी ने जिन शंकाओं का उल्लेख किया है, वह निराधार हैं। मुझे इन सेवाओं के लाभों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है। सांझी भरती, सांझी सेवा की शर्तों और केन्द्र तथा राज्यों के बीच पदाधिकारियों के आदान प्रदान से इनकी क्षमता में और भी वृद्धि होगी। एक और लाभ यह भी है कि राज्यों में बाहर के पदाधिकारियों की उपस्थिति से विषम समस्याओं को शीघ्र हल करने में सहायता मिलेगी।

इन शब्दों के सार्थ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक के लिये १ घंटे का समय रखा गया था। पहले ही २५ मिनिट से ऊपर हो चुके हैं। मैं प्रत्येक सदस्य को ५ मिनट का समय दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : श्रीमान् अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ का संशोधन सभा के सम्मुख है। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने वालों के मन में कुछ सी बातें हैं ऐसी इसके उद्देश्यों में नहीं बताई गई। मेरा निवेदन है कि इसके कारण कुछ अतिरिक्त व्यय करना होगा और मैं यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आपात के इस काल में क्या यह उचित होगा जबकि व्यय में कटौती करना अत्यावश्यक है।

दूसरी बात यह है कि इस विधेयक को पेश करने के बहुत पहले भारत सरकार ने बहुत सी सेवायें समाप्त कर दी थीं। उस समय ब्रिटिश सरकार थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया यह जानना आवश्यक है।

माननीय मंत्री तीन प्रकार की सेवाओं पर अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम १९५१ लागू करना चाहते हैं। वे भारतीय इंजीनियर सेवा (सिंचाई, विद्युत् इमारतें और सड़कें) भारतीय वन सेवा और भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा है। पहली सेवा के विषय में मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके अधीन सब विषयों का पाठ्यक्रम और प्रतियोगिता की कसौटी क्या होगी और मैं यह भी चाहूंगा कि माननीय मंत्री भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा की संयुक्त सेवाओं की अर्हताओं और पाचता के विषय को भी स्पष्ट करें।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस समय राज्य और कन्द्र के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को अखिल भारतीय सेवा में लाने के बाद उनकी क्या स्थिति होगी।

एक और बात मैं कहना चाहूंगा। पदों पर सीधी नियुक्ति होती है। किन्तु चिकित्सा विभाग में अनुभव की आवश्यकता होती है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिये पदोन्नति का विभागीय कोटा बढ़ा दिया जाना चाहिये। द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को भी पहली श्रेणी के अधिकारियों के समान ही समझना चाहिये।

यह भी कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवायें स्थापित करने से भावनात्मक एकता को बल मिलेगा। किन्तु लोगों में यह गुण लोगों के और सरकार के उच्चाधिकारियों के व्यवहार से ही लाया जा सकता है। नई सेवाओं के निर्माण से यह कार्य नहीं किया जा सकता।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इससे कार्य-कुशलता में वृद्धि होगी और लोगों के गुणों का अधिक ध्यान रखा जायेगा।

हमें यह मानना पड़ेगा कि ये संस्थायें हमारी राष्ट्रीय संस्थाओं, जिनमें सेवायें भी सम्मिलित हैं, में अधिक एकता लाने के लिये स्थापित की जा रही हैं और ऐसा ही होगा भी।

मुझे खेद है कि इस विधेयक को और अधिक सेवाओं पर लागू नहीं किया गया। हमें हर्ष होता यदि अखिल भारतीय शिक्षा सेवा और अखिल भारतीय व्यापार प्रबन्ध सेवा की भी स्थापना की गई होती। इससे व्यापार प्रबन्ध के कार्यों में जिनका स्तर विशेष कर राज्यों में गिरता जा रहा है कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाती।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

इन सेवाओं को छोड़ कर सरकार ने स्थिति के महत्व की उपेक्षा की है। मेरा विचार है कि सरकार को चाहिये कि स्थिति का पुनरीक्षण करके एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करे।

राज्यों के अधिकारों को लेकर जो शोर मचाया जा रहा है वह भ्रामक है। राज्यों की सेवायें इतनी कार्यपटु नहीं हैं जितनी सेंटर की और वहां के विधान मंडलों का नियंत्रण भी इतना सशक्त नहीं है जितना यहां के।

मुझ खेद है कि वित्तीय ज्ञापन अनुपयुक्त है । नवम्बर १९६२ में कहा गया था कि ब्यौरा तैयार किया जा रहा है, इसलिये व्यय का ठीक-ठीक अनुमान अभी नहीं बताया जा सकता। तब से १० माह व्यतीत हो चुके हैं। अब तक ब्योरा तैयार कर लिया होगा। इसलिये सरकार को उचित है कि व्यय की अनुमान की जानकारी सभा के सम्मुख रखे। सभा का यह विशेषाधिकार है कि उसे विधयकों के वित्तीय परिणामों की जानकारी दी जाये।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा): उपाध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय सेवा संशोधन विधेयक १९६२ आज हमारे सामने है । उसका मुख्य उद्देश्य तीन नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करना है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने जब संविधान बनाया और अपने देश में संघीय शासन, संघात्मक शासन का निर्माण किया तो विभिन्न राज्यों के संवैधानिक अधिकार निर्धारित कर दिये गये। केन्द्रीय सरकार के अधिकार व कार्यक्षेत्र और विभिन्न राज्यों के कार्यों की सीमाएं निर्धारित कर दी गई।

जिस समय हमने अपना संविधान बनाया उस समय दो अखिल भारतीवर्षीय सेवाएं थीं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस। अब संविधान बनाने वालों ने यह सोचा कि एक समय आ सकता है जब और भी अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण जरूरी हो जायगा इसीलिए उन्होंने संविधान में इस बात का भी निर्णय कर दिया कि जब कभी इस बात की जरूरत हो तो इसकी व्यवस्था की जा सकती है। राज्य सरकारों का तो खास कर निर्णय नहीं है लेकिन राज्य सरकारों की जो प्रतिनिधि राज्य सभा है, उसमें जब बहुमत से अर्थात दो तिहाई से अधिक सदस्यों द्वारा इस तरह का प्रस्ताव पास किया जायगा तब नई सेवाओं का निर्माण हो सकता है । जैसा कि अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि अभी देश की आवश्यकता है और देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कई आल इंडिया सर्विसेज के निर्माण करने की आवश्यकता है, इसीलिए तो राज्य सभा, जो विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में केन्द्रीय व्यवस्थापिका में निर्मित है, उसने यह करीब करीब बहुमत से ही इस बात को पास किया है कि तीन नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाई जायं। वे तीन सेवाएं हैं :—

१. भारतीय इंजीनियर सेवा (सिंचाई, विद्युत्, इमारतें और सड़कें),

२. भारतीय वन सेवा, और

३. भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा

जैसा कि हम सभी जानते हैं सरकार के तीन मुख्य अंगों में एक मुख्य अंग एक्जीक्यूटिव है। प्रजातन्त्र में यद्यपि व्यवस्थापिका का बहुत ज्यादा महत्व है फिर भी जिस तरीके की डेमोक्रेसी का संचालन हम कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि जितने भी कानून बनते हैं, उन कानूनों के बनाने में भी अन्तिम तौर पर तो हमारा अधिकार है लेकिन आरम्भिक तौर पर सारे का सारा अधिकार हमारी एक्जीक्यूटिव के हाथ में है। एक्जीक्यटिव जिस रूप में हमारे सामने रखती है उसका मैं थोड़ा बहुत संशोधन करके उसको आगे पास करती है लेकिन जितने भी हम कानून बनाते हैं उन काननों के बनाने में कम हाथ हमारी एक्जीक्यूटिव का नहीं रहता है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि एक्जीक्यूटिव सक्षम हो, शासन योग्य हो और वह शासन को अच्छे पैमाने पर चलाये जिससे प्रजातंत्र का जो जनता के अधिकार को सुरक्षित रखने का मकसद होता है वह पूरा हो सके। जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए काम हो सके। यह चीज ज्यादातर एक्जीक्यूटिव पर निर्भर करती है। जुडिशिएरी और लेजिस्लेटिव का भी महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन जुडिशिएरी और लेजिस्लेचर के मुकाबले में मैं समझता हूं कि एक्जीक्यूटिव का अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। एक्जीक्यूटिव जैसी सक्षम होगी जैसी क्वालिफाइड होगी वैसे ही हमारा प्रजातंत्र अच्छे तरीके से चलेगा।

इस बात को मद्देनजर रखते हुए और इस बात का भी खयाल करते हुए कि हमने जो संविधान बनाया वह संघात्मक संविधान है, हमने विभिन्न राज्यों को अधिकार दिये हैं और उनके अधिकारों में हम हस्पक्षेप नहीं करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैं ने अभी बताया राज्य सभा में मैं ने इस प्रस्ताव को बहुमत से पास किया और सरकार ने विभिन्न राज्यों की राय ले ली तब जा कर इन तीन नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी आवश्यकता पहले चाहे न भी रही हो लेकिन इसकी आवश्यकता अब है। लेकिन जैसा कि अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि ऐसा मान लेना कि इन आल इंडिया सर्विसेज के निर्माण करने से ही राष्ट्रीय एकता को हम अपने समक्ष एक मूर्त्त रूप दे सकेंगे, ठीक न होगा। आल इंडिया ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अभी भी है, इंडियन पुलिस सर्विस अभी भी है तो इस बात पर जोर देना कि आल इंडिया सर्विसेज के हो जाने से ही हमारे देश में राष्ट्रीय एकता कायम हो जायेगी, मैं समझता हूं कि यह बहुत फार फैच्ड चीज है। यह एक ऐसी कल्पना है जिसमें कोई सार नहीं है। अलबत्ता सार इस बात का है जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने बताया कि सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण या वन विभाग यह सब विषय ऐसे हैं जिन्हें कि हमें एक प्लांड तरीके से एक योजना बद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है। ऐसी हालत में इन विषयों की अगर प्रांतीय सेवाएं हों तो हमारी प्रांतीय सेवाओं में जो काम करने वाले अधिकारी होंगे वे इन कामों को बड़े राष्ट्रीय पैमाने पर, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस तरह का कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की गई है। सरकार ने जो कदम उठाया है मैं समझता हूं कि वह अभिनन्दन करने और स्वागत करने योग्य है।

जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य को छोड़ कर सब ने इस कदम का स्वागत किया, हालांकि मैं इससे इंकार नहीं करता कि उनके कथन में कुछ सार नहीं है। कुछ सार अवश्य है लेकिन देश की वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए अब इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि इस तरह का कदम उठाना नहीं चाहिए। विभिन्न राज्यों के जो प्रतिनिधि हमारी राज्य सभा में बैठे हुए हैं उन की बहुमत से राय इस तरह की अखिल भारतीय

[श्री श्रीनारायण दास]

सेवाओं के निर्माण की है । उनकी राय है कि अगर हम अखिल भारतीय सेवाओं का अधिक से अधिक निर्माण करें तो हमारे देश का प्रशासन सक्षम होगा, हमारे देश का प्रशासन योग्य होगा और वह अच्छी तरह से चलेगा ।

अब जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने बतलाया कि शिक्षा के लिए भी अखिल भारतीय सेवा का निर्माण होना चाहिए । जैसा कि माननीय सदस्य, डा० सिंहवी, ने कहा है, देश में एक आल-इंडिया इकानोमिक सर्विस का निर्माण करने की भी बहुत आवश्यकता है । इस के बारे में कई वर्ष पहले से बातचीत चलती रही है । हम देखते हैं कि राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक कामों को अपने हाथ में लेती जा रही है और हमने अपने देश के औद्योगीकरण का निर्णय कर लिया है । ऐसी हालत में देश में एक आल इंडिया इकानोमिक सर्विस बनाना बहुत जरूरी है, जिस में विजिनेस मैनेजमेंट वगैरह भी आते हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करे और यदि राज्य सरकारें राजी न भी हों, तो भी वह स्वयं आल-इंडिया इकानोमिक सर्विस का निर्माण करे ।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि संविधान में राज्यों को जो अधिकार दिए हुए हैं, उन का परिपालन करते हुए और उन की राय से हम धीरे-धीरे सब महत्वपूर्ण विषयों के संचालन और प्रशासन के लिए अखिल-भारतीय सेवाओं का निर्माण करें, ताकि इस देश के विकास और प्रगति में सहायता मिले ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री हजरतवीस** : मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति, जिन्होंने इस उपाय का समर्थन किया है, अपना अत्यधिक आभार प्रदर्शित करता हूं । इस विधेयक के आधारभूत सिद्धांतों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा जा सकता है, उन्होंने कह दिया है ।

तथापि कुछ प्रश्न पूछे गये हैं जिनका उत्तर मुझे देना चाहिये । श्री फ्रैंक एन्थनी ने पूछा था कि क्या ५० प्रतिशत अधिकारियों को बाहर से लेने के सम्बन्ध में दी गई राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को कार्यान्वित किया जा रहा है । मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि भारतीय प्रशासनीय सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के सम्बन्ध में पूरी तरह इसे कार्यान्वित किया जा रहा है । जहां तक हम इस समय सोच सकते हैं, जब तक इस बात को न करने के लिये कोई बाध्यकारी कारण न हो । इस विधेयक के गठित होने के बाद लागू होने वाली सेवाओं में भी हम वही अनुपात बनाये रखना चाहते हैं । अब तक हम ने ऐसे किसी कारण के विषय में नहीं सुना ।

इसके बाद उन्होंने हमें इस बात के लिये दोषी ठहराया कि हमने अखिल भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना के विषय में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया । अन्य माननीय सदस्यों ने भी यही इच्छा व्यक्त की है । राज्य और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि निरन्तर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं । हम भी इस विषय में उत्सुक हैं कि बिना किसी विलम्ब के, यदि सम्भव हो, तो दूसरी सेवाओं के साथ ही एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा की भी स्थापना की जाये । किन्तु कुछ विकट कठिनाइयां हैं । जिन पर विजय पानी है । मेरा विचार है कि श्री एन्थनी उन कठिनाइयों को अधिकाधिक हल्का कर रहे थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पहली बात तो यह है कि शिक्षा विभाग में दो विंग हैं, एक संगठन सम्बन्धी विंग और दूसरा अध्यापन शाखा। संघटन सम्बन्धी अथवा प्रशासकीय शाखा और अध्यापन शाखा के बीच अधिकारों के समायोजन का कार्य कठिन है। कुछ राज्यों में इन दोनों शाखाओं में निरन्तर एक से दूसरी में स्थानान्तरण होता रहता है जबकि अन्य राज्यों में शिक्षा विभाग की प्रशासनीय शाखा में कार्य आरम्भ करने वाला व्यक्ति विभाग के ठीक सर्वोच्च प्रशासनीय पद तक जाता है। किन्तु वास्तविक कठिनाई विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में है। हम में से सब लोग, जिनका शिक्षा से सम्बन्ध है, इस बात को जानते हैं कि अपने स्वायत्तशासन को बनाये रखने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों में कितनी स्पर्धा है। सरकार भी इस विषय में चिन्तित है कि य स्वायत्तशासन बना रहे। यदि अधिकाधिक विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षा आरम्भ कर रहे हैं तो स्नातकोत्तर विभागों के उन अध्यापकों को अखिल भारतीय सेवा में लगाने के प्रश्न पर भी विचार करना होगा। क्या उन्हें छोड़ दिया जायेगा? यदि ऐसा किया गया तो क्या अखिल भारतीय शिक्षा सेवा प्रशासकीय शाखा तक ही सीमित रहेंगी?

हमारे सामने इस प्रकार की कठिन समस्यायें हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सब राज्यों के बीच कोई समझौता हो जायेगा, शीघ्र ही इन समस्याओं के हल हो जाने की आशा है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जो कुछ भी करना है राज्यों की स्वैच्छिक सहमति से ही किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार की प्रांतीय स्वायत्तशासन में दखल देने की कोई इच्छा नहीं है।

श्री प्रियगुप्त ने कहा था कि चूंकि ब्रिटिश सरकार बहुत प्रवीण है हमें उनका अनुसरण करना चाहिये। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि १९२० और १९३५ के बीच में विद्यमान अखिल भारतीय सेवायें समाप्त कर दी गई थी और उन्होंने पूछा था कि जब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें समाप्त कर दिया तो क्या कारण है कि हम उन्हें फिर से चालू करने का प्रयत्न कर रहे हैं? मैं नहीं जानता कि उस समय सरकार के मन में कौनसी विचार था, किन्तु मैं यह जानता हूं कि १९२० और १९३५ के बीच जिस बात के लिये प्रयत्न किया गया था वह यह थी कि यथासम्भव अधिक प्रांतीय स्वायत्तशासन कायम किया जाये। उस समय यह नहीं सोचा गया था कि केन्द्र में प्रजातंत्रीय व्यवस्था व्यवहारिक रूप से संभव है किन्तु यह सोचा गया था कि प्रांत के हाथों में इतना अधिक प्रजातंत्रीय नियंत्रण हो जितना संभव है। इस कारण राज्य सरकारें इस विषय में चिन्तित थीं कि अखिल भारतीय सेवायें इस प्रकार न चलाई जायें कि वह केन्द्र के नियंत्रण में रहें और इस का एक उपाय यह था कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाये।

किन्तु अब, १९४६ के बाद से, मैं कहूंगा कि, सब जिम्मेदार क्षेत्रों ने लगभग एकमत से कहा है कि यथासंभव अधिक शाखाओं में अखिल भारतीय सेवायें चालू की जायें।

अखिल भारतीय सेवायें होने का यह अर्थ नहीं है कि वहां किसी प्रकार का केन्द्रीयकरण है। प्रमुख नियंत्रण राज्य सरकारों के हाथ में ही होता है। केवल बड़ी सजाओं और अपीलों की सुनवाई के संबंध में ही केन्द्रीय सरकार संघ लोक सेवा आयोग जैसे स्वतंत्र निकाय के साथ मिल कर अपने अधिकार का प्रयोग करती है। कठिनाई से ही केन्द्रीय सरकार संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को अस्वीकार करती है।

यह गठित की गई सेवायें अधिकतर तकनीकी सेवाय हैं। यदि अच्छा, सक्षम तकनीकी परामर्श आवश्यक है, तो यह भी आवश्यक है कि सेवाओं को किसी सीमा तक स्वतंत्रता और सुरक्षा प्राप्त

[श्री हजरनवीस]

हो : यदि वह तकनीकी और व्यवसाय संबंधी मत व्यक्त करना चाहें तो वह केवल इसीलिये न रुक जायें कि वह यह अनुभव करते है कि जिस सरकार की सेवा में वे लोग हैं उसके द्वारा उनकी पदोन्नति आदि के अवसरों पर संकट उपस्थित किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त एक लाभ यह भी है कि राज्यों में परस्पर और राज्यों और केन्द्रों के बीच सेवाओं के स्थानान्तरण से लगातार जानकारी और अनुभव संचित किये जा सकेंगे, लगातार परस्पर की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी, जिस से प्रमापों में एकरूपता भी आयगी और अनुभव में भी वृद्धि होगी। इन सब बातों का उल्लेख पहले किया जा चुका है। मुझे उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रिय गुप्त ने सेवा में प्रविष्ट होने की अर्हताओं और विद्यमान कर्मचारियों को सेवा में किस प्रकार सम्मिलित किया जायगा आदि बातों के बारे में कुछ प्रश्न पूछे थे। यह भी राज्यों के परस्पर परामर्श का विषय है। जैसा कि मैं ने पहले, विधेयक को प्रस्तुत करते समय कहा था, विचार यह है कि २५ प्रतिशत पद राज्य सेवाओं के व्यक्तियों के लिये रक्षित कर दिये जायें और ऐसा प्रस्ताव भी है कि यह ५० प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाय। हमें इन दोनों के बीच की स्थिति को स्वीकार करना होगा। जहां तक अर्हताओं का प्रश्न है, किस प्रकार वे सेवाओं आदि में प्रविष्ट होंगे। इन सब बातों का हल संघ लोक-सेवा आयोग के परामर्श द्वारा ही खोजा जायगा जो नियुक्तियों के संबंध में अधिकांश भार वहन करेगा।

जहां तक वित्तीय ज्ञापन का प्रश्न है। मैं यही कह सकता हूं कि हमने इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है। कि हम सभा के सम्मुख कौन सी जानकारी प्रस्तुत करें। यह विषय, यदि कुछ है तो, अनुच्छेद ११७(३) के अधीन आता है जिस में यह कहा गया है कि किसी भी उपाय पर जिस के कारण संचित राजस्व से व्यय होता हो, राष्ट्रपति की अनुमति ली जाय। वह हम ने ले ली है। इस पर नियम ६९ भी लागू होता है जिस में कहा गया है कि इसके बाद वित्तीय ज्ञापन निकाला जाय। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जहां तक संभव हो व्यय के संबंध में ठीक-ठीक अनुमान बतलाया जाय। यह हमारा दायित्व है। किन्तु, भली भांति विचार करने के बाद भी हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सके कि विधेयक के अधिनियम बन जाने पर कितना व्यय होगा। जैसा कि डा० सिंघवी, जो एक विशिष्ट वकील हैं, समझ सकते हैं, स्वयं इस विधयक के कारण कोई भी व्यय नहीं होगा। यह केवल समर्थ कारी उपाय है। केवल पदों का निर्माण करने के बाद ही व्यय करने की आवश्यकता होगी। और जब उसकी आवश्यकता होगी तब वह बजट में सम्मिलित कर लिया जायगा। मैं उनकी इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि जब तक विधान मंडल की मंजूरी प्राप्त न हो जाय तब तक सरकार कुछ भी व्यय न करे। मैं ने इस आपत्ति पर विचार किया था। क्योंकि यह एक अत्यंत गम्भीर आपत्ति है कि कोई भी कार्यपालिका संचित निधि से कोई भी राशि न निकाले जब तक उसे विधान मंडल की अनुमति प्राप्त न हो जाय। मैं पूर्णतया सहमत हूं कि यह हमारा दायित्व है, किन्तु यदि यह कानून बन जाय, तो स्वयं इसके कारण संचित निधि से कुछ भी व्यय नहीं होगा कितने पदों का निर्माण किया जायगा। राज्य सेवाओं के कितने व्यक्तियों को हम अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्त करेंगे, उनका वेतन और वेतन वृद्धि कितनी होगी, इन सब बातों का निश्चय केवल ब्यौरे के निश्चित हो जाने के बाद ही होगा और ये राज्य अथवा केन्द्र के बजट में सम्मिलित होंगे और तब यह प्रश्न विधान मंडल के सम्मुख आयेगा।

सदस्यों को उन के लगभग सर्वसम्मत समर्थन के लिये एक बार और धन्यवाद देते हुये मैं इसे प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ और ३ विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति ४,—

"1962" ["१९६२"] के स्थान पर "1963" ["१९६३"] रखा जाये । (२)

[श्री हजरनवीस]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति १,—

"thirteenth year ["तेरहवां वर्ष"] के स्थान पर "fourteenth year" ["चौहदवां वर्ष"] रखा जाये (१)

[श्री हजरनवीस]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री हजरनवीस** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रौद्योगिकीय संस्थायें (संशोधन) विधेयक

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रौद्योगिकीय संस्थायें अधिनियम, १९६१ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

इस विधेयक द्वारा इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के दिल्ली कालेज का दर्जा बढ़ा कर देश में पहले से ही विद्यमान प्रौद्योगिकी की चार उच्च संस्थाओं की संख्या और बढ़ा देने का विचार है।

इस देश में तकनीकी शिक्षा के लिये सुविधाओं को बढ़ाने और उन में सुधार करने की आवश्यकता के संबंध में इस सभा के सम्मुख कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस सभा ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि हमें इन सुविधाओं को बढ़ाना भी चाहिये और इन में सुधार भी करना चाहिये ।

१९४५ में सरकार समिति ने प्रौद्योगिकी की चार उच्च संस्थाओं को स्थापित करने का सुझाव दिया था और तदनुसार चार संस्थाओं की स्थापना की गई है । खड़गपुर संस्था, की स्थापना १९५० में, बम्बई संस्था की १९५८ में, मद्रास संस्था की १९५९ में और कानपुर संस्था की १९६० में हुई थी और अब तक इन के कार्य में काफी प्रगति हो चुकी है । खड़गपुर संस्था में इस समय अंडर-ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में पढ़ने वाले और अनुसन्धान कार्य करने वाले २००० से भी अधिक छात्र हैं । बम्बई संस्था के छात्रों की संख्या लगभग १६०० है । मद्रास में लगभग ८५० और कानपुर में लगभग ५५० छात्र हैं ।

वस्तुतः तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विस्तार हुआ है । लगभग पांच या छः वर्ष पूर्व इंजीनियरी कालेजों में प्रतिवर्ष लगभग ६००० छात्रों को प्रवेश मिलता था । इस वर्ष यह संख्या लगभग १८००० है । इस समय इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान करने वाले छात्रों के लिये कठिनाई से ही कोई सुविधा उपलब्ध थीं । इस समय यह संख्या ५०० के लगभग पहुंच रही है । इस स्थिति में १९६१ में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के दिल्ली कालेज की स्थापना की गई थी और विचार यह था कि इसे एक प्रादेशिक कालेज बनाया जाये । शीघ्र ही हमें ब्रिटिश सरकार और वहां के उद्योगों से सहायता मिल गई जो इस देश में तकनीकी की शिक्षा के प्रसार और सुधार में सहायता करना चाहते थे । उन्होंने काफी सहायता की, २,५०,००० पौंड और १०

---

†मूल अंग्रेज़ी में

ब्रिटिश कर्मचारी हमें दिये । उन्होंने १० भारतीय अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिये भी अपने को प्रस्तुत किया ।

बाद में ब्रिटिश सरकार और वहां के उद्योगों ने और भी अधिक रूचि दिखाई और इस शर्त पर अतिरिक्त सहायता देने के लिये कहा, कि इस संस्था का विकास भी उन चार उच्च प्रौद्योगिकीय संस्थाओं की ही दिशा में किया जाये। उन्होंने वास्तव में ही ६,५०,००० पौंड और १५ अध्यापकों को सहायता देने का वचन दिया है। उन्होंने इंगलैण्ड में भारतीय कर्मचारियों के लिये सुविधाओं में भी वृधि कर दी हैं। हमने यह अनुभव किया कि इस प्रस्ताव का लाभ उठाना और देश में प्रौद्योगिकी की एक और उच्च संस्था स्थापित करना वांछनीय होगा ।

जहां तक हमारे देश का संबंध है, इससे तकनीकी शिक्षा के मामले में हमारी स्थिति काफी लाभप्रद हो जाती है। खडगपुर संस्था का विकास प्रमुखत: भारतीय प्रयास से, यूनेस्को से मंगाये गये विश्व के कई डेशों के कई शिक्षकों के सहयोग से किया गया है। बम्बई संस्था का विकास प्रमुखत: रूस की सहायता से युनेस्को द्वारा भेज गये शिक्षकों द्वारा हुआ है। मद्रास संस्था का विकास फैडेरल रिपब्लिक जर्मनी के सहयोग और सहायता से और कानपुर संस्था का विकास अमरीकी सरकार की उदार सहायता से किया जा रहा है। इसलिये जब ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली इंजीनियरी कालिज को उच्च संस्था के रूप में विकसित करने में सहायता देने के लिये प्रस्ताव किया तब हमने इस प्रस्ताव का स्वागत किया। इस प्रकार हमारे पास यह पांच संस्था होंगी जिनका विकास विभिन्न देशों की सहायता से किया जायेगा। इस प्रकार हम इन प्रगतिशील देशों के उन्नत तरीकों का लाभ उठा सकते हैं। यहां भारत में इन विभिन्न परम्पराओं और विभिन्न प्रौद्योगिकियों का एक प्रकार से संगम हो रहा है जो हमारे छात्रों, भारतीय उद्योग और भारतीय प्रौद्योगिकी के लिये लाभप्रद होगा। मुझे विश्वास है कि सभा इस साधारण उपाय का स्वागत करेगी और इसे स्वीकार करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री यशपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना सुन्दर बिल इस हाउस के सामने रखा है ।

मैं उनके सामने कुछ सजैशन्ज़ ही रखना चाहता हूं। मेरा परामर्श यह है कि दिल्ली के अन्दर कोई भी एडमिशन बगैर कम्पीटीशन के नहीं होना चाहिये। यहां पर मैरिट की बात कही जाती है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह जरूरी नहीं है कि एक साल पहले जिस स्टुडेंट ने थर्ड डिविजन में पास किया था वह आज भी थर्ड डिवीज़नर ही रहे। एक साल में उसका माइंड डिवलेप हो सकता है, एक साल के अन्दर उसकी प्रतिभा भी बढ़ सकती है। इतिहास में हमें इस तरह के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। भारत के सब से बड़े आदमी महात्मा गांधी जी ने अपनी आटोबायोग्राफी में लिखा है कि वही कुछ समय बाद मुंसिफ के सामने, उसकी कोर्ट में एक केस को प्लीड नहीं कर सके थे। लेकिन हम देखते हैं कि वह संसार के सब से बड़े स्पीकर और थिंकर साबित हुए हैं। यह जरूरी नहीं कि एक साल पहले जिस लड़के ने ३३ परसेंट मार्क्स हासिल किए थे वह आज भी ३३ परसेंट मार्क्स ही हासिल करे। फेयर फील्ड एण्ड नो फेवर के सिद्धांत को माना जाना चाहिये मैं चाहता हूं कि एडमिशन ओपन कम्पीटीशन के जरिये होना चाहिये ।

जिस तरह से अमरीका में है उसी तरह हमारे यहां भी एज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिये। इंजीनियर्ज देश को बनाते हैं, देश का निर्माण करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ताल्लुक हिन्दुस्तान की ही नहीं बल्कि एशिया की सब से बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ है। वह यूनिवर्सिटी है,

---

†मूल अंग्रेजी

[श्री यशपाल सिंह]

रुड़की यूनिवर्सिटी। मेरी राय यह है कि रुड़की यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्टस हैं, उनको बुला कर उनसे इस संबंध में राय ली जाए। हम ने जो इंजीनियरज़ पैदा किये हैं, अगर व इंजीनियर्स न पैदा होते तो हमारा संगीत सूख जाता, हमारा सब शिल्प खंडहर हो जाता। हमारी सनत व हिर्फत मिट्ट जाती। यहां पर सनत व हिर्फत का नाम न रहता अगर हम इन इंजीनियर्स को पैदा न करते। उन्होंने हमारे देश का निर्माण किया है। अगर हमारे देश में इंजीनियर्स न होते तो इस दिल्ली शहर को हम दूर से खड़ा होकर देखा करते। इसलिये मेरी दख्वास्त है कि यहां से एज रेस्ट्रिक्शन हटाया जाय। जब हम कहते हैं कि कांस्टीट्यूशन में ईक्वल आपार्चुनिटीज हैं तो फिर क्या कारण है कि मैइंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के कम्पिटीशन में नहीं बैठ सकता ? हमारी जमींदारियों को गवर्नमेंट ने छीन लिया। हमारे पास जीविका का कोई साधन नहीं है। इस सोशलिस्टिक स्टट में जो २५ बीघे का किसान था उसे जालिम जमींदार कह कर मिटा दिया गया और टाटा साहब को इजाजत दी गई कि वह चार लाख रुपये बैंक में जमा करें। मैं चाहता हूं कि मुझको भी इजाजत दी जायें कि मैं इंजीनियरिंग कम्पिटीशन में बैठ सकूं। हर एक को इजाजत मिलनी चाहिये जो कि उसमें बैठ सकता है। वास्तव में चालीस साल के बाद आदमी में प्रतिभा सम्पन्न होती है। चालीस साल बाद आदमी की अपनी मेमोरी जगती है। हमारे गांधी जी ने भी कहा है कि इस बात को। "अशीति वर्षो युवा।" वात्सायन का मत है--हमारे शास्त्र कि मनुष्य अस्सी साल का जवान होता है। कम से कम चालीस साल बाद मनुष्य की प्रतिभा सम्पन्न होती है। आप देखें लें अब्राहम लिंकन चालीस साल की उम्र के बाद प्रैजिडेंट हुए। हमारे सम्पूर्णानन्द जी यू० पी० के चीफ मिनिस्टर थे। चालीस साल की आयु के बाद उन की प्रतिभा जगी। मैं खुद अपने अनुभव से कहता हूं कि २० साल पहले जितनी मेरी मेमोरी थी अब उस से चार गुणी ज्यादा है। हमारे मिनिस्टर साहब कोई सबक मुझे दे दें में उस को दस मिनट में याद कर के दिखला दूंगा। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर ओवर एज हो जाने के कारण लोग कम्पिटीशन में नहीं बैठेंगें तो इससे देश की हानि होगी क्योंकि इंजीनियर्स पैदा नहीं होंगे।

मैं दो-तीन सलाहें सरकार को देना चाहता हूं। हमारे रुड़की इंजीनियरिंग कालेज के एक्सपर्ट को बुला कर, वहां के वाइस चांसलर श्री जी० एच० पांड आज इंटरनेशनल फेम के मालिक हैं, उन को बला कर और उनके साथ दूसरे एक्सपर्टस को बुला कर इन चीजों को चलाया जाय। एज रेस्ट्रिक्शन हटाया जाय। दिल्ली के अन्दर कोई एडमिशन किया जाय तो वह बिना कम्पिटीशन न हो। जो थर्ड डिवीजनर लड़के थे उन को भी मौका दिया जाय। आज सरकार बहुमत को मानती है। चूंकि वह मेजारिटी की बात करती है तो मैजारिटी तो थर्ड डिवीजनर्स की है। सरकार उन्हें क्यों नहीं बुलाती ? उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिये कि वे आप के कम्पिटीशन में बैठें।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

†**श्री हिम्मतसिंहका** (गोड्डा) : मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं। इस समय देश में ऐसी अधिकाधिक संस्थायें होना आवश्यक हैं। छात्रों को प्रवेश पाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रवेश के इच्छुक छात्रों की संख्या इतनी अधिक है कि यह चार पांच संस्थायें पर्याप्त नहीं हैं। हमें चाहिये कि सामान्य कला कालेजों की स्थापना को निरुत्साहित करें और वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय कालेजों की स्थापना को प्रोत्साहन दें।

इसके साथ ही वर्तमान कालेजों का भी विस्तार किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि देश की जनसंख्या और विस्तार को देखते हुये यह कालेज पर्याप्त नहीं हैं। हमारे उद्योगों और सरकारी उपक्रमों में तकनीकी कर्मचारियों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकारी उपक्रमों में हमें कुछ कम प्रशिक्षित व्यक्ति भी रखने पड़ते हैं जिनके लिये वे उपयुक्त होते और इसलिये उन्हें खतरे और दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। इन लोगों को उच्च शिक्षा के लिये विदेश भेजा जाता है और वहां से उन्हें कम प्रशिक्षित होने के कारण वापिस भेज दिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति को सुधारा जाना चाहिये।

माननीय मंत्री इस बात पर भी ध्यान दें कि क्या विज्ञान के सब विभागों में समुचित प्रगति हो रही है या नही। दूसरे देशों में विकास के सब पहलुओं पर ध्यान रखा जाता है। यहां भी ऐसा ही किया जाना चाहिये। कालेजों की स्थापना भी, इसके स्थान पर कि वह कुछ हीं शहरों, कलकत्ता आदि में की जाये, अलग-अलग प्रदेशों में की जानी चाहिये।

दूसरा प्रश्न उपकरणों का है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्य संस्थायें विदेशों से सम्पर्क रखती हैं और उपकरणों, अध्यापकों आदि के विषय में वहां से सहायता प्राप्त करती हैं। किन्तु कुछ सस्थाओं को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। न तो उन्हें उपकरण देश में ही उपलब्ध होते हैं और न हीं उन्हें उसके लिये विदेशी मुद्रा ही मिलती है। कुछ संस्थाओं को उपकरण आयात करने के लिये लाइसेंस मिला हुआ हैं और वे मंगाते भी हैं किन्तु प्रशिक्षित अध्यापकों के अभाव के कारण बक्सों को खोला भी नहीं जाता।

तीसरी बात है प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी। कुछ लोगों को जो प्रौद्योगिकी की शिक्षा दे सकते हैं दूसरे पदों पर लगा दिया जाता है। इसका कारण यह है कि अध्यापकों को न ही पर्याप्त वेतन मिलता है और न ही लोगों में उनका सम्मान हीं होता है। मंत्रालय के प्रतिवेदन से ही हमें पता चलता है कि अध्यापकों के वेतन-क्रम के विषय में की गई सिफारिशों की कार्यान्विति कुछ ही राज्यों में की गई है।

सरकार गैर-सरकारी संस्थाओं की स्थापना की आज्ञा देती है ; लेकिन न तो इन लोगों के पास पर्याप्त पूंजी होती है, न पुस्तकालय, प्रयोगशाला और प्रशिक्षित अध्यापक ही। इन बातों की जांच की जानी चाहिए और ऐसी बातों को रोकने के लिये उचित सावधानी बरती जाए और इस बात का ध्यान रखा जाये कि इस प्रकार के गैर-सरकारी प्रबन्ध और संस्थाओं को कार्य करने की अनुमति न मिले।

इन में प्रवेश के लिये होने वाली प्रतियोगिता के बारे में सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है। इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोल बाला है। प्रोफेसरों के पास तक पहुंचा जाता है। और योग्य छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाता। सरकार को इस बात के लिये प्रयत्न करना चाहिए कि योग्य छात्रों को बिना किसी का सहारा प्राप्त किये ही प्रवेश मिल जाये, अन्यथा, निम्न स्तर के लोग ऊंचे उठ जायेंगे और इससे उद्योगों को ही नहीं देश को भी हानि पहुंचेगी।

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। आज हमें विज्ञान और तकनीक का महत्व समझाना बड़ा जरूरी है। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा देने वाले कालिजों का महत्व केवल देश व्यापी ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय भी है। अतः इन संस्थाओं में पढ़ने

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बासप्पा]

वाले छात्रों का बहुत बड़ा दायित्व है, उन्हें सारा काम बड़े परिश्रम से करना होगा। ऐसी संस्थाओं की संख्या को बढ़ाने की बात तो मंत्री महोदय ने स्वीकार की ही है। २५ राष्ट्रीय प्रयोग शालायें देश भर में काम कर रही हैं। अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की गई है। ठीक है कठिनाइयां हैं परन्तु हमें इन कठिनाइयों के बीच भी हमें काम तो करना है। हमें इस दिशा में काम कर रही संस्थाओं के कार्य का परस्पर समन्वय करना है। यह समन्वय राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्व की चीज है। इस दिशा में काम करते हुए हमें व्यापारिक उपयोगिता का भी ध्यान रखना है।

प्रवेश की मद को भी ध्यान में रखना है, और इस बारे में जो सम्भव सुधार हो उसे करना है। परन्तु मेरा निवेदन है कि एक ऐसे लड़के को भी प्रवेश नहीं मिला जिसके ३४१ अंक थे। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि प्रवेश का कार्य ठीक ढंग से नहीं चलता। इस ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना होगा। और अधिक कालिजों की भी व्यवस्था करनी होगी। यद्यपि मैं इस कार्य के राह में आने वाली कठिनाइयों को करता हूं। परन्तु इस बात को भी भूलाया नहीं जा सकता कि देश को स्वतन्त्रता के बाद इंजीनियरिंग की शिक्षा का महत्व देश में बढ़ गया है। अतः इंजीनियर ही नहीं, इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाले लोग भी तैयार करने चाहिए। इस के लिए विस्तार किया ही जाना चाहिए। छोटे छोटे कालिजों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस दिशा की छोटी बड़ी सभी संस्थायें अपना शानदार काम करके देश के गौरव को बढ़ायें।

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** (फतहपुर) : मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दिल्ली की यह हमारी संस्था राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की जा रही है। इस अवसर में मंत्री महोदय से इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि उन्हें इन इंजीनियरिंग कालिजों में प्रवेश पाने वालों की कठिनाइयों का अवश्य ध्यान रखना चाहिये। इसके प्रवेश में तो अब आई० ए० एस० तथा पी० सी० एस० की परीक्षाओं से भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरे विचार में यह इस बात का मुख्य कारण है कि हमें अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित इंजीनियर प्राप्त नहीं हो रहे। हमें इस बारे में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का कोई हल निकालना चाहिए।

इस क्षेत्र की गैर-सरकारी संस्थाओं की एक बोर्ड द्वारा छानबीन करनी चाहिए। यदि वे ठीक और अच्छा काम कर रही हो तो उन्हें भी सम्बन्द्ध कर लेना चाहिए। यदि यह सब ठीक ढंग से हो तो निश्चित ही हमें काफी संख्या में इंजीनियर उपलब्ध होने लगेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं इस विधेयक के लिए मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं और इसका हार्दिक समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय इस प्रकार की तकनीकी संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करने में लगे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। परन्तु संस्था की वृद्धि के साथ साथ हमें कार्य कोटि तथा अच्छे प्रशिक्षकों की भी व्यवस्था करनी है। केवल बजट व्यवस्था कर देने से ही यह समस्या हल होने वाली नहीं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा देने वाले कालिजों में केवल वही लोग जायें जो कि योग्य हो और इंजीनियर बन कर देश की तकनीकी सेवा कर सके। इसके साथ ही हमें प्रशिक्षकों

†मूल अंग्रेजी में

के लिए भी आदर और सरकार की भावना का वातावरण निर्माण करना है। संसार में प्रायः बहुत से काम धन, शक्ति तथा आदर के लिए किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के स्तर और योग्य को भी ऊंचा करना है। मंत्रालय को इस कार्य को अपेक्षित महत्व देना चाहिए। उन्हें अच्छे वेतन दिये जाने चाहिए।

प्रवेश के प्रश्न को लेकर मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि यह संरक्षण की बात ठीक है परन्तु इसके पर्दे में वास्तविक योग्यता की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। मेरे विचार में इस मामले में संरक्षण कुछ समय बाद समाप्त कर देना चाहिए। प्रदेश की कई प्रकार की कठिनाइयां मैं सुन और देख चुका हूं, अतः मझे प्रसन्नता है कि दिल्ली में इस प्रकार की एक संस्था की स्थापना हो रही है जिससे इस बारे में कठिनाइयां कुछ कम हो जायेंगी। मैं इस बात से भी सहमत हूं और इस पर जोर देना चहता हूं कि हमारे जो इंजीनियर और तकनीकी विशारद विदेशों में जा चुके हैं उन्हें वापिस बुलाया जाय। हमारे मंत्री महोदय ने इस बारे में क्या प्रयत्न किये हैं। इस बारे में उन्हें कुछ प्रकाश डालना चाहिए। इन शब्दों से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**डा० सरोजिनी महिषी** (धारवाड़-उत्तर): देश में उद्योग और तकनीकी प्रगति हुई है अतः हमें इंजीनियर की शिक्षा देने वालों की आवश्यकता है। इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाली संस्थाओं में परस्पर कोई सन्तुलन नहीं है। यह हर्ष की बात है कि दिल्ली की इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था बना कर ऊंचे उठाया जा रहा है।

प्रवेश के मामले में बहुत कठिनाइयां हैं। विभिन्न राज्यों के विभिन्न नियम हैं। फिर कुछ पिछड़े वर्ग को प्रोत्साहन देने के लिए संरक्षण है। पिछड़े वर्गों को पूरा प्रोत्साहन और आगे बढ़ने के लिए पूरे अवसर दिये जाने चाहिए। उनके लिए शिक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। परन्तु इस बावजूद इंजीनियरिंग और डाक्टरी के मामले में हमें योग्यता को ही कसौटी मानना चाहिए। अनुसूचित जाति के लोगों को छात्रवृत्तियां इत्यादि तो देनी चाहिए परन्तु प्रवेश के समय उनके साथ रियायत नहीं होनी चाहिये। इस तरह इस दिशा में योग्यता काफी पनप सकेगी।

हर्ष की बात है कि दिल्ली संस्था को ऊंचा उठाया जा रहा है और ब्रिटेन की सरकार उसमें रुचि ले रही है। और हमें कोलम्बो योजना के अन्तर्गत १० प्राध्यापकों की सेवायें भी प्राप्त हो रही हैं। समय आयेगा कि यह संस्था अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की संस्था बन जायेगी। ऐसी संस्थायें सारे देश में होनी चाहिए। हमें गैर सरकारी संस्थाओं की भी पूरी देखभाल करनी चाहिए और उन्हें केवल व्यापारिक दूकाने बनने से रोकना चाहिये। केवल उन्हीं लोगों को ही इंजोनियर बनने का सौभाग्य नहीं मिलना चाहिए जो अमीर हैं, गरीबों को भी अवसर मिलने चाहिए।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार): मैं मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं और इस विधेयक का स्वागत करता हूं। परन्तु इसके साथ ही कुछ बातों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करवाने का यत्न भी करूंगा। प्रवेश के लिये छात्रों की परीक्षा के परिणामों की प्रतीक्षा कर ली जानी चाहिए। आयु सीमा को तनिक ढीला किया जाना चाहिए शिक्षकों और डाक्टरों के स्तर को ऊंचा करना होगा। कई एक ऐसा कालिज हैं जो कि आर्थिक संकट के कारण चल नहीं रहे। सरकार को उनकी छानबीन करके उनकी सहायता करनी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रिम गुप्त]

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इन कालिजों का प्रबन्ध योग्य हाथों में होना चाहिए, जिन पर किसी प्रकार का अनैतिक दबाव कुछ भी प्रभाव न कर सके। मंत्री महोदय स्वयं प्रोफैसर हैं, और इन बातों को खूब जानते हैं अतः मेरा कहना है कि उन्हें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि लोग अपने आप को प्रोफैसर कहने में गौरव का अनुभव करें ।

†**श्री बसुमतारी** :(ग्वालपाड़ा): मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूँ। यह विधेयक बहुत ही ठीक समय पर प्रस्तुत किया गया है। इस समय देश में इंजीनियरिंग की शिक्षा की बहुत जरूरत है। हमें देश में विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के स्कूल और कालिजों में वृद्धि करनी होगी। ऐसे स्कलों और कालिजों में प्रवेश के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जाति लोगों से अन्याय होता है, यह बात बिलकुल गलत है। इन जातियों के छात्र अब पीछ रहने वाले नहीं, इनका रिकार्ड बहुत अच्छा है और उन्हें सब अवसर प्राप्त हो रहे हैं जो कि ब्रिटिश काल में उन्हें उपलब्ध थे। मेरे राज्य में २३ आई० ए० एस० अधिकारी है, और इनमें से १३ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के है। मुकाबल में व बहुत अच्छ रहे है। और उनके लिए संरक्षण की जो गारन्टी संविधान में है उसका ध्यान तो हमें रखना ही चाहिए। किसी प्रकार के मद और आतंक की बात नहीं है। हमें महात्मा गांधी जी के स्वप्न को चरितार्थ करना चाहिए।

इन शब्दों से मैं विधयक का समर्थन करता हूं।

†**डा० मेलकोटे** : (हैदराबाद):मुझे इस बात पर आपत्ति नहीं कि प्रवेश के मामले में हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जाति लोगों के लिए स्थान सुरक्षित कर दें, परन्तु ४५ अथवा ५० प्रतिशत से कम अंक लेने वालों को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। मैंने अपने अनुभव से देखा है कि कुछ लोग केवल छात्रवृत्ति के लालच में ही प्रवश तो ले लेते हैं परन्तु बाद में नितान्त असफल रहत हैं। इसके अतिरिक्त हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इन तकनीकी कालिजों में प्रवेश पाने वाले लोग आगे चल कर असफल न हो। प्रशिक्षण के लिए उचित ढंग के लोग मिलें इस महत्वपूर्ण तथा कठिन समस्या को भी हल करना होगा।

इस बात की भी व्यवस्था की जानी चाहिए कि इन कालिजों से निकल हुए छात्रों को बिना समय नष्ट किये काम भी मिल जाय। कइयों को काफी समय नष्ट करने पर भी काम नहीं मिलता ।

(श्री खाडिलकर पीठासीन हुए)

इन शब्दों से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और मंत्री महोदय को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं।

†**श्री हुमायून कबिर** : माननीय सदस्यों ने मंत्रालय की प्रशंसा में जो शब्द कहे है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। यह प्रसन्नता की बात है कि परस्पर मतभेद होते हुए भी हमारा देश के औद्योगिक विकास और तकनीकी प्रगति के बारे में दृष्टिकोण एक है। माननीय सदस्यों ने जो बातें कही है उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह जो अपनी मातृ संस्था रूड़की के बहुत भक्त है और वह दिल्ली की तकनीकी संस्था में प्रवेश पाने के इच्छुक है। वह आ सकते हैं, क्योंकि इसमें आयु का कोई प्रश्न नहीं है। और उनका कहना ठीक ही है कि प्रवश मुकाबले के आधार पर ही होना चाहिए। हमनें दिल्ली में ही नहीं सारे देश में ही इसी तरह की व्यवस्था की है। अतः मेरा कहना यह है कि उनका यह सुझाव पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। रूड़की से परामर्श करन वाली बात भी ठीक है, हम निश्चित रूप से परामर्श करेंगे, परन्तु मेरा निवेदन है कि देश में और भी बहुत सी संस्थायें है, उनका भी परामर्श लेना लाभदायक है। इसके साथ ही हम देश के बाहर के विशषज्ञों से भी परामर्श करने वाले हैं।

एक बात में मेरा मतभेद है कि आयु पर रोक होनी चाहिए। कालिजों में तो युवकों को छात्रों के रूप में लेना चाहिए। प्रौढ़ों के लिए और भी बहुत सी संस्थायें है यहां पर कि वे प्राइवट परीक्षायें दे सकते हैं। इन संस्थाओं में तो हमें अपने देश की आने वाली पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। अतः कम से कम और ज्यादा से ज्यादा की रोक ठीक और आवश्यक है। प्रवेश की कठिनाइयों के कारण संस्था का विस्तार कर दिया जाय। हमनें काफी विस्तार किया है। ६००० के स्थान पर हम १६,००० ले रहे है। अगले वर्ष हम उस लक्ष्य को पूरा कर जायेंगे जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित किया गया था। १९६६ में नहीं बल्कि १९६४ में ही हम उस लक्ष्य से आगे निकल जायेंग। यह अच्छी और तीव्र प्रगति की कहानी है। अब और विस्तार की बात करने से तो हमारा स्तर गिर जायगा। प्रवेश के प्रश्न के साथ और भी तो कई प्रश्न जुड़ हुए होत हैं। १९५० में देश में ६०,००० इंजीनियर थे, परन्तु १९६० में यह संस्था २५०,००० थी। चीन से मैंने इसका मुकाबला किया। चीन में १९६० में २१०,००० इंजीनियर थे। १९६० तक इस मामले में हम चीन से काफी आगे थे। यद्यपि चीन का यह प्रयत्न है कि वह सब मामलों में हमें पीछे छोड़ दे। हम अन्धाधुंध विस्तार नहीं करना चाहते। प्रत्येक दिशा और विभाग में हम देश की आवश्यकताओं को देख कर आग बढ़ेंग। हमें यह भी देखना है कि सिखाने की व्यवस्था क्या है। श्री हिम्मत सिंह जी का यह सुझाव मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि, क्योंकि छात्रों की संस्था बहुत है इसलिए नयी संस्था आरम्भ कर ली जाय।

उन्होंने इस प्रकार कहा कि जैसे पांच उच्च प्रौद्योगिक संस्थाएं ही ऐसी जगहें हैं जहां इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती हैं कि वह भूल गये है कि आजकल भारत में सो से अधिक इंजीनियरिंग कलेज हैं। हमने गत पांच वर्षों में इस संस्था में काफी वृद्धि की है और जैसा मैंने कहा कि प्रतिवर्ष १८,००० छात्र प्रवेश प्राप्त करते हैं और अगले वर्ष यह संख्या ५०,००० हो जाएगी।

मेरे माननीय मित्र श्री वारियर ने कुछ दिलचस्प बात कही थीं। उन्होंन ठीक ही इस बात पर बल दिया था कि प्रशिक्षण का स्तर अच्छा होना चाहिये अन्यथा हमें संभवतः निम्नस्तर के उम्मीदवार मिलेंगे। एक प्रकार से उसका भाषण श्री हिम्मत सिंहका के भाषण का उत्तर था और उन सदस्यों का उत्तर था जो तेज गति से विस्तार चाहते हैं। मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि हम कई प्रकार से स्तर में सुधार का प्रयत्न कर रहे है। पहले तो हम इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थाओं में अधिक अच्छे लोगों को अध्यापक के लिए आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें काफी सुधार हुआ है। मैं चाहता हूं कि और सुधार हो। किन्तु देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए १३ या १४ वर्ष के नवयुवक को ४१० रुपये का वेतन देना और यदि वह उपयुक्त हो और बुरा न हो

[श्री हुमायून कबिर]

तो उसके २५०० रुपये के वेतन तक पहुंचने की संभावना बुरी नहीं है। आजकल ४१० रुपये के वेतन से आरम्भ करने वाला व्यक्ति स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग कालेज का प्राध्यापक या उच्च प्रौद्योगिकी संस्था का निदेश बन सकता है और २५०० रुपये या ३००० रुपये के वेतन तक पहुंच सकता है। इस प्रकार ये वेतन क्रम इतने बुरे नहीं है जितने बुरे वे प्रायः कहे जाते हैं और मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें अधिक योग्य और अधिक प्रतिभाशाली लोगों को शिक्षा व्यवसाय में लेना चाहिये।

दूसरी बात हमने यह की है कि प्रशिक्षण की सुविधाएं देने लगे है। हमने लोगों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा है। हमने देश में भी प्रशिक्षण केन्द्रों का विकास किया है और इंजीनियरिंग के स्नातकों को बहुत उदार शर्तों पर छात्रवृत्तियां दी जाती हैं और उन्हें केवल यह वचन देना पड़ता है कि वे कुछ निर्धारित वर्षों के लिए अध्यापक रहेंगे। इन उपायों से सारी तो नहीं परन्तु कुछ हद तक कठिनाइयां हल हो गई हैं।

हमने तीसरा सुझाव यह दिया है कि सेवानिवृत्त अनुभवी इंजीनियरों को आंशिक काम के लिए अध्यापक के रूप में काम करने का अवसर दिया जाए। इनमें से कुछ इंजीनियरों की शिक्षा सम्बन्धी योग्यता बहुत ऊंची भले ही न हो किन्तु उनका अनुभव काफी है और वे आंशिक काल के लिए अध्यापक के रूप में निश्चित रूप सेसहायक हो सकते हैं। इस उद्योगों से भी लोगों को लेने का प्रयत्न कर रहे हैं और यदि किसी व्यवस्था द्वारा वे कभी कभी अपने अधिक योग्यता प्राप्त और विशषज्ञ लोगों को अध्ययन कार्य के लिए देंगे तो इससे देश इंजीनियरिंग के अध्यापन के स्तर में अवश्य सुधार होगा

श्री वारियर और अन्य अनेक सदस्यों ने इंजीनियरिंग के अध्यायन में विभिन्नता पैदा करने के लिए कहा था। अनेक सदस्यों ने इस प्रकार कहा कि जैसे देश में सिविल यांत्रिक और बिजली विभाग हैं। यह बात नहीं है। खड़गपुर जैसे स्थान पर पहले ही पन्द्रह विभाग है और कुछ अन्य विभागों को विकसित किया जा रहा है। वास्तव में आजकल सामान्य पद्धति यह है कि नये कालजों में जहां कहीं सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां इन तीन पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। किन्तु ये तीन मूश पाठ्यक्रम तो रहेंगे ही किन्तु उनमें भी दिलचस्प परिवर्तन आ रहा है। पांच वर्ष पहले भी सबसे अधिक छात्र सिविल इंजीनियरिंग में प्रवेश पाते थे किन्तु अब उच्च प्रौद्योगिकी संस्थाओं और नयी संस्थाओं में बहुत संख्या में छात्र मेकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग धातु-कार्मिक, तार संचार और कृषि इंजीनियरिंग और अन्य विभागों में प्रवेश पाते हैं। आज मेरा विचार है कि अधिकांश कालेजों में सिविल इंजीनियरिंग के छात्र २५ प्रतिशत से अधिक नहीं हैं और कुछ कालेजों में तो इससे भी कम हैं। इस प्रकार विभेदीकरण आरम्भ हो गया है।

किन्तु श्री वारियर का यह सुझाव है कि तुरन्त इस प्रकार की विशेषज्ञीकृत संस्थाएं स्थापित करनी चाहियें, अभी हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है। बम्बई में भारतीय प्रौद्योगिक संस्था जैसी बड़ी संस्था को स्थापित करते समय हमने रूसी प्राधिकारियों के साथ विस्तारपूर्वक बातचीत की थी किन्तु व विशेषज्ञीकरण का समर्थक होते हुए भी इस बात से सहमत हुए कि उनके देश की विशषज्ञीकृत संस्थाओं की बजाय इस देश की स्थिति अनुरूप बम्बई की इस तरह की संस्था स्थापित की जाए। रूसी अध्यापकों ने बम्बई

में जो अनुभव प्राप्त किया उसका लाभ अब रूस में भी प्राप्त किया जा रहा है। जब पिछली बार मैं रूस गया था तो मैंने सुना था कि वहां कुछ अध्यापक यह सोचने लगे हैं कि बम्बई में जिस पद्धति की संस्था खोली गई है उसके कुछ लाभ हैं और रूस की कुछ एक संस्थाओं में तदनुरूप परिवर्तन किये जायेंगे ताकि यहां प्राप्त किया अनुभव उनक लिए लाभदायक हो। इसलिए श्री वारियर का सुझाव अभी समय के अनुकूल नहीं है।

फिर श्री वारियर और कुछ अन्य मित्रों ने उपकरण और विदेशी मुद्रा के अभाव का उल्लेख किया था। एक सदस्य ने कहा था कि एक ओर तो उपकरणों का अभाव है दूसरी ओर कुछ संस्थाओं में उपकरण फालतू हैं। उपकरणों की कमी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाई के कारण है और हम ने इस प्रश्न को किया है। शीघ्र ही इसे हल कर दिया जाएगा।

इस सम्बन्ध में हम एक और प्रयत्न कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अधिकाधिक उपकरण देश में बनायें जायें। आजकल जहां तक पालीटेक्नीक संस्थाओं का सम्बन्ध है ८० प्रतिशत से अधिक उपकरण देश में उपलब्ध हो जाते हैं। इंजीनियरिंग कालेजों के ६० प्रतिशत देश में ही उपलब्ध हो सकते हैं। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि शेष उपकरण भी यथाशीघ्र देश में ही उपलब्ध हो जायें।

श्री वारियर ने अध्यापकों के अभाव और वेतन की असमानता का उल्लेख किया था। इन बातों के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। दूसरे उन्होंने गैर सरकारी संस्थाओं और उनके संसाधनों की दिलचस्प बात उठाई थी। उन्हें संभवतः पता नहीं कि कोई नया कालेज तब तक हमारी अनुमति से आरम्भ नहीं किया जा सकता जब तक वह कतिपय राशि की न्यूनतम गारंटी नहीं देता और उस पर सम्बन्धित राज्य सरकार के हस्ताक्षर नहीं होते। दूर दक्षिण में एक कालेज ने यह गारंटी दी थी किन्तु बाद में वे इसे पूरा न कर सके जिस पर राज्य सरकार को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया और उसने इसे राज्यिक संस्था के रूप में ले लिया।

कठिनाई तब पैदा होती है जब बिना अनुमति या किसी के ज्ञान के कालेज खोले जाते हैं। दुर्भाग्यवश एक राज्य में ऐसा हुआ है। सौभाग्य की बात है कि यह बुराई अन्य राज्यों में नहीं फैली। उस राज्य के मुख्य मंत्री के साथ बातचीत कर के हम ने कुछ समझौते किये हैं और वे मेरे सुझावों के साथ पूरी तरह सहमत हैं। भविष्य में इन कालेजों को भी काफी बड़ी राशि विश्वविद्यालय या राज्य सरकार के पास जमा करवानी पड़ेगी। अब आशा है भविष्य में ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होगी।

†**श्री रंगा** (तेनाली) : जब तक स्थानीय सरकार सहायता के लिए तैयार हो आशा है इस प्रकार के उपक्रम को रोका नहीं जाएगा।

†**श्री हुमायून कबिर** : माननीय मित्र को याद होगा कि मैं ने घोषणा की थी कि पांच वर्ष खुली नीति की जिसके अनुसार कोई भी गैर सरकारी अधिकरण कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करने पर कालेज खोल सकता था। इसी से दूसरी योजना में बहुत विस्तार हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हुमायून कबिर]

था। अब भी वही नीति है किन्तु उसे कुछ कठोर बना दिया गया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि यह विस्तार अनायोजित या असंतुलित हो। किन्तु जो भी कालेज इन शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार हों उन्हें पूरी अनुमति है।

श्री वारियर ने प्रतियोगिता और उच्च प्रौद्योगिकी संस्था में प्रवेश के प्रश्न का उल्लेख किया था। यह व्यवस्था पहले ही है।

श्री बासप्पा ने कुछ गैर सरकारी संस्थाओं के स्तर का प्रश्न उठाया था। मैं उन से सहमत हूं कि स्तर में सुधार होना चाहिये और हमने जिस स्तर का सुझाव दिया था और जिन्हें हम ने अपनाया है उन से आशा है यह कठिनाई दूर हो जायेगी।

उन्होंने यह इच्छा भी प्रकट की कि हमारी उच्च संस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप होनी चाहियें। उनमें पहले ही वह स्तर विद्यमान है। हमारे पास विदेशों के भी छात्र हैं और कभी कभी तो प्रगतिशील देशों के छात्र भी अध्ययन और गवेषणा के लिए उच्च प्रौद्योगिक संस्थाओं में आते हैं। उनके छात्र विश्व की किसी भी संस्था की तुलना में अच्छे हैं। मुझे विश्वास है कि वे इस स्तर को बनाये रखेंगी और अपने तथा देश के लिए ख्याति प्राप्त करेंगी।

श्री बासप्पा ने कुछ संस्थाओं में प्रशिक्षण के वाणिज्यीकरण का भी प्रश्न उठाया था जिसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं। उन्होंने इस आवश्यकता का भी उल्लेख किया कि प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिये जिससे छात्र तुरन्त औद्योगिक उपकरणों में लगाये जा सकें। प्रविधिक प्रशिक्षण का यही उद्देश्य है और शिक्षण तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण की अवधि से यह बात पूरी हो जाती है। कई वक्ताओं ने यह कहा कि हमारे नवयुवक इंजीनियर देश का बहुत औद्योगिक विस्तार कर रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जिनकी दस वर्ष पूर्व कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

श्री बासप्पा ने कहा कि इन संस्थाओं में प्रवेश उचित प्रकार से विनियमित होना चाहिये। ऐसा ही है और कठोर परीक्षा ली जाती है जिससे सभी प्रवेश नहीं पा सकते। परीक्षकों का किसी को पता नहीं होता और वे किसी का पक्षपात नहीं कर सकते। परीक्षा देश भर में प्रायः ८० या ७५ केन्द्रों में की जाती है। गत वर्ष ५०,००० छात्रों की परीक्षा ली गई थी। हमने इसके बारे में कोई शिकायत नहीं सुनी। जहां तक कुछ अनियमितताओं का प्रश्न है हम केवल राज्यिक संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं से कह सकते हैं। हम वहां अपनी पद्धति लागू नहीं कर सकते इस बारे में राज्य सरकारों के साथ चर्चा की गई थी उनमें से कुछ राज्य की सभी संस्थाओं में प्रवेश की समान शर्तों की वांछनीयता को अनुभव करते हैं।

श्री बासप्पा ने अपने प्रदेश के एक कालेज की बात उठाई थी। दूसरी योजना में आठ कालेज खोलने का निश्चय किया गया था किन्तु संसद् ने यह पारित किया कि १५ राज्यों में एक एक कॉलेज खोला जाए। ये प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज अखिल भारतीय हैं और उनमें बाहर के राज्यों के छात्र भी प्रविष्ट हुए हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैंने राज्यों के मख्य मंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों से बात की है और सुझाव दिया है कि वे इन कालेजों में कुछ अनुपात में अन्य राज्यों के छात्र भी लें। यह उस कालेज के लिए राज्य के लिए और देश के लिए अच्छा है। प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेजों में यही प्रथा है।

हमने इन प्रादेशिक कालेजों के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष निधि से कुछ वचन प्राप्त किये थे। पहले वारंगल को लिया जायेगा क्योंकि वह पहले स्थापित हुआ था दूसरा सूरतकाल है। एक एक कर के सभी प्रादेशिक कालेजों को अधिक कालेजों के रूप में विकसित किया जाएगा। कुछ समय के बाद प्रत्येक कालेज ५ उच्च प्रौद्योगिक संस्थाओं की तरह की संस्था बन जाएगा।

हमें देश की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना है। पांच वर्ष पूर्व कोई भी छात्र इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में गवेषणा कार्य नहीं करता था। अब उनकी संख्या ५०० तक पहुंच गई है। यदि सभी प्रादेशिक कालेज उच्च संस्थाएं बन जायें तो उनकी संख्या ५०० हो जाएगी। हम यह काम दो तीन वर्षों में नहीं कर सकते। हो सकता हैं पांच या दस वर्षों में काम हो जाए। उद्देश्य यह है कि पांच वर्ष में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी छेत्रों में गवेषणाकर्ताओं की संख्या दुगुनी की जाए किन्तु पांच वर्षों में यह संख्या दस गुना नहीं की जा सकती क्योंकि इस के गुण प्रकार को हानि पहुंचेगी। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि न केवल सूरतकाल कालेज के बल्कि सभी प्रादेशिक कालेजों के हितों का ध्यान रखा जायेगा।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ ने प्रवेश के प्रश्न का उल्लेख किया था जिसे मैं ले चुका हूं। हम अधिक तेजी से विस्तार नहीं कर सकते। हें संभवत: तीन या चार वर्षों में इंजीनियरिंग के छात्रों की संख्या ३०,००० हो जाये किन्तु इस से अधिक नहीं की जा सकती क्योंकि उससे गुण प्रकार को हानि पहुंचेगी और यह देश के हित में नहीं होगा ?

उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि स्कूलों को प्रविधिक संस्थाओं से सम्बद्ध किया जाए ताकि उस स्कूल से पास होने वाला छात्र बिना प्रतियोगिता के इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश पा ले। इससे तो इन संस्थाओं का प्रयोजन ही विफल हो जायेगा। वे अखिल भारतीय संस्थायें हैं जहां देश भर के छात्र खुली प्रतियोगिता द्वारा आते हैं। यदि ऐसे स्कूलों की शिक्षा अच्छी होगी तो वे स्वभावत: प्रतियोगिता में सफल हो जायेंगे। उच्च संस्थाओं की संख्या बढ़ जाने पर यह समस्या स्वत: हल हो जाएगी।

उन्हें यह भी भ्रम है कि देश में ऐसे ४ या पाच कालेज हैं। वस्तुत: वे १०० कालेजों से अधिक है।

अधिक योग्य अध्यापकों को आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु इसमें समय लगेगा। श्री रंगा मुझ से सहमत होंगे कि संभवत: इंजीनियरिंग कालेज इतना वेतन न दे सकें जितना उद्योग देते हैं। अत: कुछ सीमा तक आदर्शवाद की आवश्यकता है। खाली पेट आदर्शवाद का समर्थन नहीं किया जा सकता किन्तु जीवन की कुछ आवश्यकताओं की कुछ पूर्ति होने पर और कुछ सुविधा का प्रबन्ध होने पर आदर्शवाद को अपनाया जा सकता है। ४१० रुपये से २५०० रुपये तक का वेतन क्रम कम नहीं है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** अन्य प्रकार के आकर्षण पैदा करने चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून कबिर :** माननीय सदस्य को संभवतः विदित है कि हम और प्रलोभन दे रहे हैं किन्तु इसमें समय लगता है और इस समय सरकारी और गैर सरकारी उद्योग क्षेत्रों में उद्योगों और विभिन्न परियोजनाओं के लिए इतनी मांग है कि अधिक इंजीनियर उधर चले जाते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने एक और नई बात पैदा की है जिससे सहायता मिलेगी। इस वर्ष से ऋण छात्र-वृत्तियां आरम्भ की गई हैं और यह उपबन्ध किया गया है कि जो लोग प्रशिक्षण के उपरान्त अध्यापन कार्य करेंगे उन्हें अध्यापन के प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत ऋण माफ कर दिया जाएगा। यह बहुत बड़ा प्रलोभन होगा जिससे बहुत बड़ी संख्या में योग्य व्यक्ति अध्यापन व्यवसाय में आएंगे।

†**श्री रंगा :** कितने प्रतिशत अध्यापक पहले तीन चार वर्षों में ही अध्यापन कार्य छोड़ देते हैं क्योंकि उनके वेतन बहुत कम हैं।

†**श्री हुमायून कबिर :** मैंने बताया है कि भारत की परिस्थितियों में ४१० रुपये तक २३, २४ वर्ष के युवक के लिए वेतन क्रम बहुत आकर्षक है। अध्यापन कार्य छोड़ने वालों के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। सामान्यतः जो तीन चार वर्ष इस व्यवसाय में रहते हैं वे काम नहीं छोड़ते। हम काफी अनुपात में योग्य व्यक्तियों को सहायक प्रोफेसरों और प्रोफेसरों के पदों के लिए प्राप्त कर रहे हैं। कुछ उद्योगों से लौट कर भी आ रहे हैं किन्तु उनकी संख्या बहुत कम है।

श्री सर्राफ, श्रीमती महिषी, श्री बसुमतारी और डा० मेलकोटे ने प्रवेश में संरक्षण का प्रश्न उठाया था। अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् ने लगभग तीन वर्ष पूर्व ध्यनापूर्वक जांच के उपरान्त देश के लिए उपयुक्त नीति बनाई थी। वह यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए दस प्रतिशत संरक्षण की रियायत दी गई है। पांच वर्ष के बाद हर वर्ष इसमें १ प्रतिशत कमी की जाएगी और १५ या १६ वर्ष बाद कोई रियायत नहीं रहेगी। किन्तु इस रियायत के लिए भी काफी ऊंचा स्तर रखा गया है। सामान्यतः उच्च प्रविधिक संस्था में प्रवेश के लिए ६० प्रतिशत अंक होने चाहिएं और पिछड़ी जातियों के लिए यह स्तर ५० प्रतिशत अंक का रखा गया है।

ऐसे छात्रों के प्रवेश पाने के उपरान्त परिणाम अधिक भिन्न नहीं होते। हमने खड़गपुर में जो कि सब से पुरानी और कुछ हद तक सर्वाधिक विकसित तथा भारत में ही नहीं प्रत्युत एशिया में सब से अच्छी संस्था है। यहां के अध्ययन से पता लगा है कि ५० प्रतिशत अंक से प्रवेश पाने वाले छात्र दो या ३ वर्ष बाद उच्च अंक के छात्रों के साथ प्रतियोगिता कर सकते हैं। इन्हें पहले वर्ष वहां विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है और जिन विषयों में वे कमजोर होते हैं उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस अनुभव से इस बात की पुष्टि होती है कि जिसे हम अयोग्यता समझते हैं वह प्रवत्तिजन्य नहीं होती बल्कि अवसर की असमानता के कारण होती है। अवसर की समान व्यवस्था करने पर अयोग्यता समाप्त हो जाती है। व्यक्तिगत अन्तर तो सदा रहेगा। अत्यन्तः पिछड़ वर्गों में भी अत्यन्त प्रतिभाशाली लोग मिल जाते हैं।

पुराने उदाहरण के अनुसार एकलव्य की जाति इतनी अच्छी नहीं थी जितना वह प्रतिभाशाली था और महाभारत के अनुसार वह संभवतः युग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था। योग्यता का अन्तर व्यक्तिगत होता है। इसलिए हम कुछ समय के लिए संरक्षण दे रहे है जो अपने आप समाप्त हो जानी चाहिये क्योंकि जब तक अधिमानता समाप्त नहीं होती तो जातियां भी प्रयत्न नहीं करेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह अवधि पहले से निर्धारित होनी चाहिये ताकि इन वर्गों को पता हो कि १५ या २० वर्ष में उन्हें कमी को पूरा करना है। ऐसे विकास के लिए इतनी अवधि अपेक्षित है।

श्री सर्राफ ने वैज्ञानिकों की वापिसी का भी प्रश्न उठाया था। हमने इसकी जांच की थी और हाल ही में एक सम्मेलन में मैंने बताया था कि अभी इस देश को वैज्ञानिकों की अधिक हानि नहीं हो रही। मोटे अनुमान से लौटने वाले वैज्ञानिकों में से २ प्रतिशत असन्तुष्ट हो कर विदेश चले जाते है। जो यूरोपीय देशों की तुलना में कम है। विज्ञान के वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में हमें इस थोड़ी सी हानि के लिए तैयार रहना चाहिये। जिस तरह हम चाहते हैं कि अन्य देशों के लोग यहां आकर काम करें हमें अपने लोगों को भी दूसरे देशों में जाकर काम करने की अनुमति देनी चाहिये। हमें केवल यह निश्चय करना चाहिये कि यह आदान प्रदान दोनों ओर से बराबर हो। इसमें यदि हमें लाभ हो तो हम उसका स्वागत करते हैं। इस समय केवल अमरीका को लाभ हो रहा है। अन्य सब देशों कोहानि हो रही है और हमारी स्थिति अधिक बुरी नहीं है।

श्रीमती सरोजिनी महिषी ने कहा था कि कभी कभी इंजीनियरों को ओवरसियर पद पर नियुक्त किया जाता है। अतः यदि हम अन्धाधुंध इंजीनियरों की संख्या को बढ़ायें तो वह खतरनाक होगा। मैं उनसे सहमत हूं कि देश में इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण होना चाहिये।

श्री गुप्ता ने कहा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं भिन्न भिन्न समयों पर होती हैं और परिणाम भी अलग अलग समयों पर प्रकाशित होते हैं और छात्र इस प्रकार उच्च शिक्षा की सुविधा से वंचित हो सकते हैं। इन संस्थाओं के सम्बन्ध में वह जोखिम नहीं है क्योंकि परिणाम चाहे कब भी निकलें कोई भी छात्र चुनने की परीक्षा में बैठ सकते हैं। यदि वे विश्वविद्यालय की परीक्षा में फेल हो जाए तो संस्था को खेद प्रकट करना पड़ताहै। श्री गुप्ता ने आयु सीमा का भी उल्लेख किया। यह आयु सीमा वही है जिससे पूर्व लोग विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकते अतः न्यूनतम आयु की सीमा समाप्त करने के उनके सुझाव को मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

उन्होंने शिक्षा की ओर भारत सरकार के उदासीन रवैये का जिक्र किया। पता नहीं उन्हें यह ख्याल कहां से हुआ। हम सभी चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में अधिक काम किया जाए। मेरे विचार में पिछले १०–१५ वर्षों में विशेषकर पिछले ५ वर्षों में वैज्ञानिक और प्रविधिक शिक्षा में जो प्रगति हमारे देश में हुई है वह किसी अन्य देश से कम रही हो। यह इस ओर हमारी उदासीनता का प्रतीक नहीं है। वैज्ञानिक, प्रविधिक, और सामान्य शिक्षा के लिए अतिरिक्त व्यवस्था का जो समर्थन सदन के सभी भागों से मिला है मैं उसका स्वागत करता हूं। श्री गुप्त ने अध्यापकों के सम्मान का ज़िक्र किया। हमें सबको मिल कर उनके सम्मान को अधिकतर अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिये। सभी आन्तरिक मामलों में संस्थाओं को पूर्ण स्वायत्त प्राप्त है। एक सामान्य परिषद है जिसमें सभी पांचों संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं।

खेद है कि पहले वर्ष में सब से अधिक असफलतायें होती हैं। यह सभी देशों में होता है, क्योंकि जब सामान्य शिक्षा से लोग प्रविधिक शिक्षा की ओर आते हैं तो उन्हें अपनी योग्यताओं का नहीं पता होता। अच्छी संस्थाओं में नुक्सान बहुत कम होता है। पहले वर्ष के बाद नुक्सान और कम होता है। उन्होंने जिक्र किया कि कुछ विद्यार्थी जो कि ६० प्रतिशत नम्बर होने के कारण दाखिल किए गए थे असफल रहे और उन्होंने इसका कारण पूछा यह बड़ा अच्छा सुझाव है। मैं अखिल भारतीय परिषद को इस पर विचार करने के लिए कहूंगा। माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ संस्थाओं में अध्यापक सुस्त हैं। मेरे विचार में अध्यापकों की कमी होने के कारण उन्हें अधिक काम करना पड़ता है।

†**डा० मेलकोटे** : कई संस्थाओं में अध्यापकों को पूरा काम नहीं मिलता ।

†**श्री हुमायून कबिर** : यदि माननीय सदस्य ऐसी संस्थाओं का ब्योरा मुझे दें तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा । मैं उनकी पड़ताल करवाऊंगा ।

मैं माननीय सदस्यों का क्रियात्मक सुझावों के लिए धन्यवादी हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि प्रौद्योगिकीय संस्थायें अधिनियम, १९६१ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस पर कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ७, अधिनियम सूत्र, और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से ७, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री हुमायून कबिर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

महाप्रशासक विधेयक

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभूधेन्द्र मिश्र)** : श्री अ० कु० सेन की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि महाप्रशासक के पद और कर्त्तव्यों सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

यह विधयक विधि आयोग के १९वें प्रतिवेदन की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करता है । महाप्रशासक का पद अंग्रेज व्यापारिक जातियों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था । इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है—एक वे हैं जिन्हें छूट दी गई है, एक वे हैं जिन्हें छूट नहीं दी गई है । हिन्दू, सिख, मुसलमान, बुद्ध ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें छूट दी गई है और यूरोप के देश के व्यक्तियों को छूट नहीं दी गई है । यदि कोई यरोप के रहने वाला व्यक्ति मर जाये और उस के भारत में कहीं भी २००० की या अधिक की आस्तियां हों तो महाप्रशासक जायदाद को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठा सकता है । यदि कोई भारतीय—ऐसा व्यक्ति जिसे छूट दी गई है—२,००० रुपयों से अधिक की आस्तियां छोड़ मर जाता है तो यदि वे कलकत्ता,

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई या मद्रास में हों तो महाप्रशासक उन की सुरक्षा के लिए केवल कदम उठा सकता है। अतः यदि कोई भारतवासी अन्य किसी स्थान पर मर जाता है तो महाप्रशासक २००० से अधिक आस्तियों के संरक्षण के लिए कदम नहीं उठा सकता है। इसीलिए विधि आयोग ने प्रस्ताव किया है कि चूंकि यह बहुत आवश्यक पद है अतः इसे कायम रखा जाय, परन्तु छूट दिए और न छूट दिए गए व्यक्तियों में जो भेद है और जायदाद वाले स्थानों में भी भेद है उसे दूर कर देना चाहिए क्योंकि ये हमारे संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध है।

जहां तक २,००० रुपये से कम कीमत वाली सम्पत्ति का सम्बन्ध है उस के बारे में यह व्यवस्था थी कि महाप्रशासक सर्टिफिकेट दे सकता था। सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है और इस विधयक में इसे २,००० रुपये से बढ़ा कर ५,००० रुपये तक कर देने का प्रस्ताव है। अतः यदि मृत व्यक्ति की सम्पत्ति की कीमत ५,००० रुपये से कम है, महाप्रशासक विधि की आसान प्रक्रिया को अपना सकता है। सम्बन्धित लोग प्रशासन के पत्र को प्राप्त करने की पेचीदा प्रक्रिया में से जाने के बदले महाप्रशासक से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। कानून की दृष्टि में सर्टिफिकेट और प्रशासन पत्र की एक ही कीमत है।

प्रवर समिति ने केवल 'न्यायालय' शब्द में परिवर्तन का सुझाव दिया है। 'न्यायालय' शब्द के स्थान पर "उच्च न्यायालय' कर देना चाहिए, क्योंकि उच्च न्यायालय ही प्रशासन के पत्र मंजूर कर सकता है। प्रवर समिति ने और किसी परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया है।

†**उपाध्यक्षय महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:—

"कि महाप्रशासक के पद और कर्त्तव्यों सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड २ से ६४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ से ६४ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड १ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अधिनियम सूत्र पर मंत्री महोदय का संशोधन है।

†**श्री विबुधेन्द्र मिश्र** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति १,

"Thirteenth"["तेरहवां"] के स्थान पर "Fourteenth" ["चौदहवां"] रखा जाये (१)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १, पंक्ति १,—

"Thirteenth" "[तेरहवां)"] के स्थान पर " Fourteenth " ["चौदहवां"] रखा जाय (१)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री विबुधेन्द्र मिश्र** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाय" ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विशिष्ट सहायता विधेयक

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र)**: श्री अ० कु० सेन की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि कुछ प्रकार की विशिष्ट सहायता सम्बन्धी विधि की परिभाषा तथा उस में संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये ।"

विशिष्ट सहायता विधेयक पर विधि आयोग की एक के अतिरिक्त सभी सिफारिशों को मान लिया गया था । विशिष्ट सहायता अधिनियम की धारा ४२ के संशोधन करने के सुझाव को नहीं माना था । यदि इस सुझाव को मान लिया जाय, तो प्रतिवादी को और सहायता लेने का हक नहीं होगा । केवल घोषणा ही प्राप्त कर सकता है । इस का मतलब यह है कि यदि उसे और सहायता मिले तो इस के लिए नया मुकद्दमा दायर करना पड़ता है । इस प्रकार कई मुकद्दमे हो जायेंगे । यह नियम ३ के उपबन्धों के आदेश २ के विरुद्ध होगा । इसीलिए सरकार ने विधि आयोग की सिफारिश को नहीं माना ।

जहां तक धारा ४२ का सम्बन्ध है, विधि आयोग ने सिफारिश की कि सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अधिकार के स्थान पर सभी अधिकारों को शामिल कर लेना चाहिये । इस को इसलिए नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

माना गया, कि कोई भी व्यक्ति यदि उस के अधिकार छीने जाएं, अनुच्छेद २२ के अन्तर्गत न्यायालय में जा सकता था। अतः इसी को ही विशिष्ट सहायता अधिनियम की धारा ४२ में लगाना वांछनीय नहीं है।

धारा ४२ केवल घोषणा सम्बन्धी मुकद्दमों से सम्बन्ध रखता है और यह हारे हुए लोगों को मुकद्दमा दायर करने के लिए न्यायालय जाने से नहीं रोकता है चाहे दूसरे दल को घोषणा मिल जाये। केवल यही सिफारिश नहीं मानी गई थी। संयुक्त समिति भी इस बात से सहमत थी।

विधि आयोग ने सुझाव दिया था कि धारा ९ को छोड़ दिया जाय क्योंकि इस से केवल व्यक्ति को कब्जा मिलता है। जिस व्यक्ति से कब्जा छीन लिया गया हो वह केवल कब्जे के लिए ही मुकद्दमा चला सकता है। अतः हारा हुआ व्यक्ति हक के आधार पर न्यायालय को जा सकता है, यद्यपि उसे धारा ९ के अन्तर्गत सहायता नहीं मिलती है। इस से बहुत से मुकद्दमे चल पड़ेंगे। उन की यह भी राय थी कि कब्जे के प्रश्न का निर्णय करते समय भी न्यायालय कोहक के प्रश्न की जांच करनी पड़ती है। अतः विधि आयोग ने सिफारिश कर इस धारा को छोड़ दिया जाय।

संयुक्त समिति ने सिफारिश की कि धारा ९ को पुनः लगा दिया जाय। अतः उसे लगा दिया है। विधेयक की भाषा अधिनियम की धारा ९ की भाषा से भिन्न है। इस का कारण है कि परिसीमन अधिनियम की अनुसूची १ का अनुच्छेद ३ विशिष्ट सहायता अधिनियम की धारा ९ पर लागू होता है।

अतः धाराओं ९ और ४२ के सम्बन्ध में ही विधि आयोग की सिफारिशों को नहीं माना है। शेष सभी सिफारिशें मान ली गई हैं।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

†**श्री हिम्मतसिंहका** : खण्ड २१ की भाषा ठीक नहीं है। वैसे यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और हम इस का स्वागत करते हैं।

†**श्री अ० कु० सेन**: कुछ शुद्धि पर्चियां निकाली गई थीं। माननीय सदस्य ने उन्हें नहीं देखा होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि कुछ प्रकार की विशिष्ट सहायता सम्बन्धी विधि की परिभाषा तथा उस में संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्डों को लेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से ४४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड २ से ४४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड १ पर सरकार का संशोधन है।

†**श्री विबुधेन्द्र मिश्र** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ १, पंक्ति ५,—

"1962" ["१९६२"] के स्थान पर "1963" ("१९६३") रखा जाए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति ५,—

"1962"["१९६२"] के स्थान पर "1963" ["१९६३"] रखा जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री विबुधेन्द्र मिश्र** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ १, पंक्ति १,—

"thirteenth" ["तेरहवां"] के स्थान पर "fourteenth" ("चौदहवां") रख दिया जाए ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"thirteenth" ["तेरहवां"] के स्थान पर "fourteenth" ["चौदहवां"] रख दिया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री विभूषेन्द्र मिश्र** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

वस्त्र समिति विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब वस्त्र समिति विधेयक पर चर्चा करेगी ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: हमने उन्हें बताया है । हमें आशा थी कि इन दोनों विधेयकों पर चर्चा इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी । आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव प्रस्तुत कर दूंगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हां । वे प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वस्त्रों और वस्त्रों के कारखानों की मशीनों की किस्म सुनिश्चित करने और तत्सम्बन्धी विषयों के लिए एक समिति की स्थापना की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

सूती वस्त्र निधि अध्यादेश, १९४४ सूती वस्त्र निधि स्थापित किए जाने और उस निधि के प्रशासन के लिये समिति बनाने की व्यवस्था करता है । सूती वस्त्र निधि समिति काफी अच्छा काम करती रही है और समिति की निरीक्षण योजना अधिक से अधिक लोकप्रिय होती रही है और भारत में तथा विदेशी व्यापारी क्षेत्रों में इस की मान्यता भी बढ़ती रही है ।

हाल के वर्षों में वस्त्रोद्योग में परिस्थितियां बदल गई हैं । अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में जापान, चीन जैसे देशों से भारतीय कपड़ का मुकाबला बढ़ाता जा रहा है । मिल स्वामियों के संघ ने और भारत में वस्त्र मशीनरी निर्माताओं ने देशीय वस्त्र मशीनरी के लिए स्वाधीन निरीक्षणालय की आवश्यकता पर बल दिया है । उन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए १९६० में प्रशुल्क आयोग ने सिफारिश की कि उपभोक्ता उद्योगों से देशीय पदार्थों की किस्म के बारे शिकायतों की निष्पक्ष जांच के लिए और वस्त्र मशीनरी की प्रगति पर व लगातार निगरानी रखने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए जाने के लिए वर्तमान अध्यादेश में समिति की शक्तियों की स्पष्ट रूप से परिभाषा नहीं की गई है और वे कम भी हैं ।

अतः समिति का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और इस के उत्तरदायित्व बढ़ाने चाहिएं । विस्तृत संविधि शक्तियों वाली समिति को निगमित निकाय के रूप में गठित करने का प्रस्ताव इस विधेयक में रखा गया है । समिति को वस्त्रों की, चाहे वे पूर्णतः या अंशतः सूत, ऊन, रेशम,

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

कृत्रिम रेशम आदि से बने हुए हों, किस्म निश्चित करने के लिए समिति को शक्ति देने का विचार है। स्वदेशी सूती वस्त्र मशीनों और स्टोर्स के निरीक्षण का काम भी इसी समिति के सुपुर्द करने का विचार है।

इस समिति का कार्य सामान्यतया आंतरिक उपभोग और निर्यात कार्य के लिए सूती वस्त्रों की किस्म निर्धारित करना है।

यह विधेयक सूती वस्त्र विधि अध्यादेश, १९४४ की प्रतिस्थापना करता है। आजकल निर्यात संभरण की सुनिश्चतता और किस्म के बढ़िया होने पर निर्भर है।

जापान ने भी इस बात को अधिकतर महत्व देना आरम्भ कर दिया है। जापान के वस्त्रों तथा अन्य सभी निर्यात की चीजों की किस्मों पर नियंत्रण करने के कारण भारत के उत्पादों पर सभी जगह प्रभाव पड़ा है। अतः प्रत्येक देश का यह नियम बन गया है कि निर्यात की जाने वाली चीजों की किस्म पर नियन्त्रण रखा जाए।

इस विधेयक में विस्तृत संविधि शक्ति वाली समिति नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है। यह विधेयक सूती वस्त्रों से सम्बन्ध रखता है। आशा है कि यही नीति अन्य माल पर भी लागू होगी। इस समय हम यह चाहते हैं कि सूती वस्त्र सदव बढ़िया किस्म के हों। इस विधेयक का यह उद्देश्य है। अतः मैं सभा को यह प्रस्ताव स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री हिम्मतसिंहका** (गोंडा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह अत्यंत आवश्यक है कि विदेशों को निर्यात किये जाने वाले सामान का निरीक्षण किया जाये तथा वह अच्छी किस्म का हो। ऐसा होने से हमारे विदेशी व्यापार की वृद्धि होगी। अतः यह आवश्यक है कि एक ऐसा संगठन बनाया जाये कि जो उचित तरीके से निर्यात किये जाने वाले सामान का यथोचित तरीके से निरीक्षण करें। यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि अब इस विधेयक के अन्तर्गत कपड़ा मशीनों को भी लाने का निश्चय किया गया है।

मेरा सुझाव यह है कि विधेयक के खंड ८(२) में इस प्रकार संशोधन किया जाये कि स्थायी समिति के संगठन में परिवर्तन किये जा सकें तथा उसमें भी तदर्थ समितियों की तरह सदस्यों को करने की व्यवस्था हो।

खंड १७(२) के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि मजिस्ट्रेट के स्वविवेक पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगे।

मेरे विचार से खंड १८(२) को हटा दिया जाये। जैसा मैं पहिले बता चुका हूं निर्यात किये जाने वाले सामान का नियमित रूप से निरीक्षण होना आवश्यक है। मैं विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं।

†**श्री बी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : इस सम्बन्ध में कई शिकायतें की गयी थीं कि हमारे यहां से निर्यात किये जाने वाले माल की किस्म ठीक नहीं है। अन्ततोगत्वा ऐसा प्रतीत होता है कि अब सरकार जान गयी है तथा वह निर्यात किये जाने वाले कपड़े की किस्म में सुधार करना चाहती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारे निर्यात व्यापार में गिरावट का एक कारण यह भी है कि हमारे यहां से घटिया किस्म का माल बाहर भेजा जाता रहा है ।

तथापि प्रश्न यह है कि हम अपने निर्यात बाजारों पर पुनः किस प्रकार अधिकार कर सकते हैं। मेरे विचार से इस समिति की स्थापना से हम उस निर्यात व्यापार को पुनः प्राप्त कर सकेंगे जिसे हम खो चुके हैं। तथापि क्या यह उन सभी बुराइयों को दूर करने में समर्थ होगा जो हमारे कपड़े के उद्योग में प्रवेश कर गयी हैं। मेरे विचार से ऐसी आशा करना व्यर्थ है क्योंकि इस समिति में अल्पाधिक रूप से अधिकारियों का ही अधिपत्य रहेगा। इस समिति के गैर सरकारी सदस्यों का निर्देशन मंत्री के हाथों में होगा तथा कपड़ा आयुक्त इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष कदाचित ऐसा व्यक्ति होगा जिसे अधिक अवकाश नहीं होगा इसलिए आयुक्त को ही अधिक कार्य करना होगा ।

तथापि हमें यह आशा करनी चाहिये कि समिति कपड़े की किस्म में गिरावट को रोकेगी मेरा एक सुझाव यह भी है कि वह नये डिजायन में अनुसंधान का भी कार्य करे। मेरे विचार से इसे भी समिति के मुख्य कार्यों में शामिल किया जाये ।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि कपड़ा मिलों के मुनाफे का एक अंश अनुसंधान कार्य के लिये सुरक्षित रखा जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

कार्य मंत्रणा समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बलदाना) : मैं कार्य मंत्रणा समितिका सत्रहवां प्रतिवेदन उपस्थति करता हूं ।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, १४ अगस्त, १९६३/२३ श्रावण, १८८५ (शक) के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, १३ अगस्त, १९६३
---
२२ श्रावण, १८८५ (शक)

विषय		पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण		१–२

श्रीमती श्याम कुमारी देवी, श्री जे० बी० कृपालानी, डा० राम मनोहर लोहिया, श्री राजदेव सिंह और श्री मो० रु० मसानी ने शपथ ली अथवा प्रतिज्ञान किया ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२—२९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१	चीनी	२—८
२	उर्वरक वितरण निगम	८—११
३	चावल की कमी	११—१७
४	सहकारी कृषि समितियां	१८
११	सहकारी खेती	१८—२१
५	मछली उत्पादन	२१—२३
६	पी० एल० ४८० करार	२३—२६
७	भारत-पाकिस्तान-इंग्लिस्तान यूरोप नौवहन सम्मेलन	२७—२९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२९—९८
तारांकित प्रश्न संख्या		
८	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की भाड़ा दरें	२९
९	पश्चिम तट सड़क	२९–३०
१०	दूसरा जहाज निर्माण कारखाना	३०–३१
१२	खाद्यान्नों में राज्य व्यापार	३१–३२
१३	तूतीकोरिन बन्दरगाह	३२
१४	कृषि उत्पादन में वृद्धि न होना	३२–३३
१५	आसाम के लिये विशिष्ट सड़क परिवहन संगठन	३३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१६ खण्ड विकास अधिकारियों के राजस्व सम्बन्धी कार्य . . ३४
१७ इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये एवरो-७४८ विमान . ३४
१८ विशेष निर्यात गाड़ियां . . . ३४
१९ अन्तर्देशीय पत्र तथा एयरोग्राम . . . ३५
२० इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के डकोटा के साथ दुर्घटना ३५–३६
२१ पंचायती राज ३६–३७
२२ कासगंज के निकट रेलगाड़ी में डकैती . . . ३७
२३ पश्चिमी बंगाल का गहरे समुद्र में मत्स्यग्रहण सम्बन्ध एकक ३७
२४ कृषि तथा सिंचाई मंत्रालयों का एकीकरण . . ३७–३८
२५ इंडियन एयरलाइन्स के विमान ३८
२६ राजस्थान रेगिस्तान का नियंत्रण . . . ३८–३९
२७ अन्तर्देशीय परिवहन का विकास . . ३९
२८ खंडसारी और गुड़ के व्यापारियों को लाइसेंस देने की व्यवस्था . ३९
२९ सामुदायिक विकास का योजनाबद्ध विकास . . ३९–४०
३० गन्ने का न्यूनतम मूल्य ४०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१ उड़ीसा में धान की खेती ४०–४१
२ पेन्शन पाने वाले रेलवे कर्मचारी . . . ४१
३ त्रिवेन्द्रम–तिरुनेलवेली लाइन ४१
४ केले की खेती का विकास . . . ४१–४२
५ रक्सौल हवाई अड्डा . . . ४२
६ बागबानी का विकास . . . ४२–४३
७ उड़ीसा में सहकारी आन्दोलन ४३
८ दुर्लभ जड़ी बूटियों का विदोहन . . . ४३–४४
९ उड़ीसा में स्वचालित टेलीफ़ोन ४४
१० पानपोश स्टेशनघर रेल दुर्घटना . . . ४४
११ आलू का उत्पादन ४४–४५
१२ इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन में गैर-चालन व्यय . . ४५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३	एयर इंडिया बुकिंग	४५
१४	उड़ीसा में टेलीफोन राजस्व . .	४६
१५	उड़ीसा में टेलीफोन प्रणाली	४६–४७
१६	"जल राजेन्द्र में अग्निकांड"	४७
१७	गोसंवर्द्धन परिषद् को अनुदान . . .	४७–४८
१८	रत्नगिरि में बारह मास खुला रहने वाला बन्दरगाह . .	४८
१९	कटक में टेलीफोन केन्द्र . .	४८
२०	चावल	४८–४९
२१	उड़ीसा को दी गई चीनी और गेहूं . . .	४९
२२	खुदी रोड और नरगुण्डी के बीच रेलवे लाइन . .	४९
२३	बड़ी लाइनें	४९–५०
२४	मद्रास जाने वाली हावड़ा एक्सप्रेस की टक्कर . .	५०
२५	समपारों (लेबल क्रासिंग) पर दुर्घटनायें . . .	५१
२६	पर्यटक यातायात	५१
२७	गेहूं की खरीद . .	५१–५२
२८	सिलीगुडी–जोगीघोपा लाइन . .	५२–५३
२९	टेलीफोन की डायलिंग प्रणाली	५३
३०	चन्दौसी में रेलवे प्रशिक्षण स्कूल . . .	५३
३१	गेहूं का रक्षित भण्डार (बफर स्टाक) . .	५४
३२	सामुदायिक विकास कार्य . . .	५४
३३	नेफा के लिये वायरलैस उपकरण . . .	५४–५५
३४	वन और लकड़ी से राजस्व . . .	५५
३५	अन्दमान में मछली उद्योग . .	५५–५६
३६	अन्दमान में गाय-भैंस .	५६
३७	अन्दमान में विकास कार्य	५६–५७
३८	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास खण्ड .	५७
३९	अन्दमान के आस पास मछलियां पकड़ने के स्थान .	५७
४०	त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी के बीच रेलवे लाइन . .	५७–५८
४१	तीसरा टेलीफोन कारखाना	५८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

४२ समुद्र मछली का उत्पादन ५८–५९
४३ संग्रह धारिता ५९
४४ देहली में सड़क दुर्घटनायें ५९
४५ उपभोक्ता कोआपरेटिव स्टोर ५९–६०
४६ उर्वरक प्रदर्शन योजना . . . ६०–६१
४७ सहकारी खेती ६१
४८ जीवन बीमा निगम की किस्तें ६१–६२
४९ पोस्ट कार्ड बेचने वाली मशीनें ६२
५० समुद्र पर जीवन की सुरक्षा . . . ६२
५१ तेल द्वारा समुद्री पानी का गंदा होना . . ६२
५२ वातानुकूलित डिब्बे . . ६३
५३ नवयुवकों में नेतृत्व की भावना . . . ६३
५४ ग्राम सहायक प्रशिक्षण शिविर . ६३–६४
५५ अस्थायी कर्मचारी ६४
५६ आन्ध्र प्रदेश में तारघर . ६४
५७ टेलीप्रिन्टर . . ६५
५८ टेलीफोन कारखाना ६५
५९ अन्तर्राज्यीक ठग-गिरोह . . ६५–६६
६० रेगिस्तान में खेती . . . ६६
६१ ज्वार बाजरे का उत्पादन . . . ६७
६२ कोयला क्षेत्रों के विकास के लिये रेलवे लाइन . ६७–६८
६३ आन्ध्र प्रदेश में बड़े बन्दरगाह . . . ६८
६४ स्वास्थ्यवर्धक स्थान ६८–६९
६५ सहकारी कृषि संस्थायें ७०
६६ मलाबार क्षेत्र में हवाई अड्डा ७०
६७ मद्रास और कोचीन के बीच मालगाड़ियां . . . ७१
६८ विल्लिपुरम से तिरुचि तक के बीच बिजली से रेल गाड़ियों का चलाया जाना . . . ७१
६९ सार्वजनिक टेलीफोन ७१–७२
७० सफेद शेर ७२–७३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
७१	रेलों की रिजर्व की हुई सीटों का रद्द किया जाना	७३–७४
७२	राष्ट्रमण्डल चीनी करार	७४
७३	बांदा में रेलवे डाक सेवा	७४–७५
७४	गन्ने के बीज	७५
७५	छोटी सिंचाई	७५
७६	ग्लाइडिंग क्लब्स	७५–७६
७७	सहकारी समितियों में विनियोजन	७६–७७
७८	गन्ने की खेती	७७
७९	कच्चे लोहे का परिवहन	७७–७८
८०	वैगनों से कोयले का गिरना	७८
८१	कालीकट के समीप थिरुवांगूर में "हाल्ट" स्टेशन	७८
८२	कृषि कालिज	७९
८३	पोस्ट कार्ड	७९
८४	उत्पादकों को गन्ने के मूल्य का भुगतान	७९–८०
८५	पटना के निकट गाड़ी का पटरी से उतर जाना	८०
८६	ग्राम रक्षा दल	८०–८१
८७	फार्म का उत्पादन बढ़ाने के लिये परियोजनायें	८१
८८	दुर्गापुर एक्सप्रैस राजपथ	८१–८२
८९	चावल उत्पादन	८२–८३
९०	टेपीओका के मूल्यों को स्थिर कराने के लिए उपाय	८३
९१	खांडसारी का उत्पादन	८३
९२	गाड़ी में डकैती	८३—८५
९३	गन्ने के मूल्य का भुगतान	८५
९४	चीनी का लागत मूल्य	८५—८७
९५	कृषि योग्य बंजर भूमि	८७
९६	भेड़-पालन	८७
९७	सिक्किम से स्लीपर	८८
९८	कानपुर हवाई अड्डा	८८
९९	विदेशी पर्यटकों के लिये होटल	८८–८९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१०० बर्मा में अन्तर्राष्ट्रीय होटल . . . ८९
१०१ बम्बई बन्दरगाह के फ्लोटिला कर्मचारियों द्वारा हड़ताल ८९–९०
१०२ आसाम में बाढ़ें . ९०
१०३ मृत पशुओं का मांस ९०–९१
१०४ बेल्लारी हासपेट से गडग तक स्थानीय गाड़ी ९१
१०५ दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के लिये क्वार्टर ९१–९२
१०६ उज्जैन-आगरा लाइन ९२
१०७ इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वाइकाउन्टों के लिये रडार . ९२–९३
१०८ फिशप्लेटों का आयात ९३
१०९ तेजपुर रंगिया सेक्शन में बम-विस्फोट . . . ९३–९४
११० पंजाब में कुंए ९४
१११ गेहूं का नष्ट होना ९४
११२ रेलवे पुल ९५
११३ राप्ती नदी पर पुल ९५
११४ बेगमपेट में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का अड्डा . ९५–९६
११५ शिलांग हवाई अड्डा ९६
११६ खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता ९६–९७
११७ उड़ीसा को चावल का सम्भरण ९७
११८ दिल्ली में यमुना पर नाव का पुल . . . ९८
११९ रेलवे में टाइपिस्ट ९८

निधन सम्बन्धी उल्लेख ९८

अध्यक्ष महोदय ने श्री देवेन्द्र नाथ कारजी, जो वर्तमान लोक-सभा के सदस्य थे, डा० रघुवीर, जो भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, श्री जे० के० भौंसले जो प्रथम लोक-सभा के सदस्य थे और वर्ष १९५२ से १९५७ तक पुनर्वास उप-मंत्री थे और कुमारी एनी मस्करीन के, जो भारत की संविधान सभा और प्रथम लोक-सभा की सदस्या थीं, निधन का उल्लेख किया।

इसके बाद सदस्यगण उन के सम्मान में थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १००--०५

(१) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक २० अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र--क्रमशः

संख्या जी० एस० आर० ६७३ में प्रकाशित भारतीय टेलीग्राफ (प्रथम संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति ।

(२) भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ की धारा ५५ के परन्तुक के अन्तर्गत, दिनांक २४ जून, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०७३ में प्रकाशित भूमि अर्जन (कम्पनियां) नियम, १९६३ की एक प्रति ।

(३) दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २१ मार्च, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२ (२०८)/६२ पी० आर (टी) ।

(ख) दिनांक ४ अप्रैल, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२ (२१३) /६२ पी आर (टी) ।

(ग) दिनांक ४ अप्रैल, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२(१७६)/७६ पी आर(टी)।

(४) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २० अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११०८ में प्रकाशित मोटर गाड़ी (भारत और दूसरे पड़ौसी देशों के बीच व्यापारिक यातायात चलाना) नियम, १९६३ की एक प्रति ।

(५) वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३)के अन्तर्गत दिनांक १२ जून, १९५४ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १९६५ में प्रकाशित व्यापारी बेड़े में मास्टरों और मेटों को योग्यता के प्रमाण-पत्र देने का विनियमन करने सम्बन्धी नियमों में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २० अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी एस० आर० ६६८ की एक प्रति ।

(६) वणिक् नौवहन, अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १६ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४५५ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (नौवहन कार्यालय प्रपत्र) नियम, १९६३ ।

विषय पृष्ठ

स पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

(ख) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५०३ जिसमें पाल वाले जहाज (निरीक्षण) नियम, १९६२ दिये हुए हैं।

(ग) दिनांक ४ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७७० जिसमें जीवन रक्षा (नौकावाहकों की योग्यतायें और प्रमाण पत्र नियम, १९६३ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(७) दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २८ मार्च, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/१४६/५४-६२/ट्रान्सपोर्ट।

(ख) दिनांक २ मई, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० २०(२)/६३ पी० आर० (टी)।

(८) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, त्रिपुरा मोटर गाड़ी नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १६ फरवरी, १९६३ के त्रिपुरा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ७ (६)—ट्रांस/६२ की एक प्रति।

(९) दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, १९६२ की धारा २३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २७ मार्च, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ—२१ (१)/६३ पी० आर० (टी) की एक प्रति जिसमें दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण नियम, १९६३ दिये हुए हैं।

(१०) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) वर्ष १९६१—६२ के लिये भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति के लेखे का सूक्ष्मपरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) वर्ष १९६१—६२ के लिए भारतीय केन्द्रीय लाख उप-कर समिति का वार्षिक प्रतिवेदन।

(११) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति : ——

(क) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची तीन में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३० मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५१५।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमश:

(ख) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची तीन में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १३ अप्रैल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ६०७ ।

(१२) संविधान के अनुच्छेद ३२० के खण्ड (५) के अन्तर्गत दिनांक ६ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५७८ में प्रकाशित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, १९६३ की एक प्रति ।

(१३) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८७२ में प्रकाशित महाप्रशासक, बम्बई (पुनर्गठन) आदेश, १९६३ ।

(ख) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८७३ में प्रकाशित शासकीय प्रन्यासी, बम्बई (पुनर्गठन) आदेश, १९६३ ।

(१४) शस्त्र एक्ट, १९५९ की धारा ४४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ११ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२८३ में प्रकाशित शस्त्र (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३ ।

(ख) दिनांक १ जून, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओं० १४७० में प्रकाशित शस्त्र (तीसरा संशोधन) नियम, १९६३ ।

(१५) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५२ की धारा ११ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, दिनांक २१ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८८५ में प्रकाशित मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशषाधिकार) दूसरा संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति ।

(१६) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम, १९६० की धारा ३८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २२ जून, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १६९७ में प्रकाशित पशु कल्याण बोर्ड (प्रशासन) संशोधन नियम, १९६३ ।

(दो) छोटी सिंचाई योजनाओं के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ९८८ पर सर्वश्री पी० वेंकटसुब्बया, मानसिंह पी० पटेल,

पी० आर० पटेल, एच० वी० कामत एवं गौरी शंकर कक्कड़ द्वारा २३ अप्रैल, १९६३ को पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों को शुद्ध करने वाला वक्तव्य ।

(१७) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक १४ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४६१ में प्रकाशित विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) नियम, १९६३ का एक प्रति ।

(१८) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, १९५९ की धारा १२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक ३० मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५३४ में प्रकाशित डाक-घर बचत (प्रथम संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति ।

(१९) रोजगार दफ्तर (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधि-नियम, १९५९ की धारा १० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १६ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी एस० आर० ४५० में प्रकाशित रोजगार दफ्तर (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति ।

(२०) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) ब्यक्तिगत चोट (आपातकालीन उपबंध) अधिनियम, १९६२ की धारा ३ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत, दिनांक ११ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १३२२ में प्रकाशित व्यक्तिगत चोट (आपातकालीन उपबंध) संशोधन योजना, १९६२ ।

(ख) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ की धारा १५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक ६ जुलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६६ में प्रकाशित औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, १९६३ ।

(२१) तकावी ऋण तथा सरकारी उधार सम्बंधी समिति की प्रति-वेदन की एक प्रति ।

संसदीय समितियां—कार्य का सारांश—सभा पटल पर रखा गया । १०५

सचिव ने १६ अप्रैल, १९६२ से ३१ मई, १९६३ की अवधि के बारे में संसदीय समितियां-कार्य का सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखी ।

पृष्ठ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १०५

सचिव ने गत सत्र में पारित किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयक पटल पर रखे :–

(१) अधिलाभ-कर विधेयक, १९६३ ।

(२) बंगाल वित्त (बिक्री कर) (दिल्ली) संशोधन विधेयक १९६३ ।

(३) विनियोग (रेलवे) संख्या ३, विधेयक, १९६३ ।

(४) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६३ ।

(५) विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६३ ।

(२) सचिव ने, गत अधिवेशन में पारित किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक की प्रतियां राज्य-सभा के सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित रूप में टेबिल पर रखी :–

(१) राज्यभाषा विधेयक, १९६३ ।

(२) संघ राज्य-क्षेत्र शासन विधेयक, १९६३ ।

(३) अनिवार्य जमा योजना विधेयक, १९६३ ।

(३) श्री कृष्णमूर्ति राव ने बडे पत्तन न्यास विधेयक, १९६२ सम्बंधी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति पटल पर रखी ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) १९६३–६४ सम्बन्धी विवरण १०६

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदानों की अनूपूरक मांगों (सामान्य) का एक विवरण उपस्थापित किया ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) १९६३–६४ सम्बन्धी विवरण . १०६

रेलव मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) का एक विरण उपस्थापित किया ।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित १०६

श्री कृष्णमूर्ति राव ने बड़े पत्तन न्यास, विधेयक, १९६२ सम्बंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया ।

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . १०६—१०

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने भारत पाकिस्तान वार्ता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा ।

पृष्ठ

समिति के लिये निर्वाचन . . . . ११०—११

श्री अ० चं० गुह ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा डा० कु० ल० राव के स्थान पर, ३० अप्रैल १९६४, को समाप्त होने वाली शेष अवधि के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पुरस्थापित . . १११

मांडागार निगम (संशोधन) विधेयक, १९६३

मंत्रि परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव . . . १११—१४

(एक) श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति मांगी । अध्यक्ष महोदय ने उन सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाने के लिए कहा जो अनुमति दिये जाने के पक्ष में थे । चूंकि पचास से कम सदस्य खड़े हुए, अतः अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि सदस्या को सभा की अनुमति नहीं मिली ।

(दो) श्री कृपालानी ने मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने के लिये सभा की अनुमति मांगी । अध्यझ महोदय ने उन सदस्यों से अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाने के लिए कहा जो अनुमति दिये जाने के पक्ष में थे । चूंकि पचास से अधिक सदस्य खड़े हुए, अतः अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि अनुमति मिल गई है और प्रस्ताव पर चर्चा के लिए वह तिथि नियत करेंगे ।

विधेयक पारित . . . . . ११४—४७

(१) गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) ने प्रस्ताव किया कि अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक पर बिचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडावार विचार के पश्चात विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

(२) वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कविर) ने प्रस्ताव किया कि प्रोद्योगिक संस्थायें (संशोधन) विधेयक पर बिचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार बिचार के पश्चात विधेयक पारित किया गया ।

(३) विधि मंत्रालय में उपमंत्री(श्री बिमुधेन्द्र मिश्र) ने प्रस्ताव किया कि महाप्रशासक विधेयक, १९६२, पर प्रवर समिति द्वारा प्रति वेदित रूप में विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

पृष्ठ

विधेयक पारित (जारी) :

(४) विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिमुधन्द्र मिश्र) ने प्रस्ताव किया कि विशिष्ट सहायता विधेयक १९६२ पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । विधयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

विचाराधीन विधेयक . . . . . १४७—४९

विधि मंत्री (श्री अशोक कु० सेन) ने प्रस्ताव किया कि वस्त्र समिति विधेयक पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित १४९

सत्रहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

बुधवार, १४ अगस्त, १९६३/२३ श्रावण, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि—

वस्त्र समिति विधेयक पर अग्रेतर चर्चा और उस का पारित किया जाना और राज्य सभा द्वारा पारित रूप में परिसीमन विधेयक पर बिचार और उस का पारित किया जाना ।

GIPND—LS III—820 LSD—30-3-63—1,60.

	पृष्ठ
श्री श्री नारायण दास	१२२—२४
खंड २, ३ और १	१२७–२८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
श्री हजरनवीस	१२४—२६
प्रोद्योगिकीय संस्थायें (संशोधन) विधेयक	१२८
विचार करने का प्रस्ताव	१२८
श्री हुमायून् कबिर	१२८-२९,१३४-४१
श्री यशपाल सिंह	१२९–३०
श्री हिम्मतसिंहका	१३०
श्री वारियर	१३१
श्री बासप्पा	१३१–३२
श्री गौरी शंकर कक्कड़	१३२
श्री श्याम लाल सर्राफ	१३२–३३
डा० सरोजनी महिषी	१३३
श्री प्रिय गुप्त	१३३–३४
श्री बसुमतारी	१३४
डा० मेलकोटे	१३४
खंड १ से ७	१४२
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री हुमायून् कबिर	१४२
महाप्रशासक विधेयक	१४२—४४
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
श्री बिभुधेंद्र मिश्र	१४२–४३
खंड २ से ६४ और १	१४३–४४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१४४
विशिष्ट सहायता विधेयक	१४४–४७
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
श्री बिबुधेंद्र मिश्र	१४४–४५
श्री हिम्मतसिंहका	१४५
खंड २ से ४४ और १	१४५–४७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१४७
वस्त्र समिति विधेयक	१४७—४९
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री अ० कु० सेन	१४७–४८
श्री हिम्मतसिंहक	१४८
श्री दी० चं० शर्मा	१४८–४९
कार्य मंत्रणा समिति	
सत्रहवां प्रतिवेदन	१४९
दैनिक संक्षेपिका	१५०—६२

P.L.S. 41. XIX. 1. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।